वार्षिक रिपोर्ट

2015-16

सत्यमेव जयते

वस्त्र मंत्रालय

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट

2015-16

वस्त्र मंत्रालय

भारत सरकार

विषय सूची

अध्याय सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	सिंहावलोकन	1
2	कार्य एवं संगठनात्मक ढ़ांचा	21
3	संगठित वस्त्र क्षेत्र	31
4	निर्यात	44
5	कपास	49
6	पटसन और पटसन वस्त्र	55
7	रेशम एवं रेशम उत्पादन	64
8	ऊन एवं ऊनी वस्त्र	79
9	विद्युतकरघा	85
10	हथकरघा	95
11	हस्तशिल्प	115
12	कौशल विकास	137
13	सार्वजनिक उपक्रम	153
14	वस्त्र अनुसंधान	175
15	पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र	191
16	नागरिकों/ग्राहकों का चार्टर	201
17	कल्याणकारी उपाय	218
18	राजभाषा	220
19	वस्त्र क्षेत्र में डिजिटल पहल	222
20	लैंगिक न्याय और लैंगिक बजट	226
21	सतर्कता संबंधी कार्यकलाप	232
22	निःशक्त व्यक्ति	234
23	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	236
24	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यकलाप	238
25	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियां	240

अध्याय–1

सिंहावलोकन

1.1 भारतीय वस्त्र उद्योग एक ओर हाथ से बुने हुए क्षेत्र तथा दूसरी ओर पूंजी गहन मिल क्षेत्र के साथ क्रियाकलापों के एक समृद्ध और विविध आयाम को प्रस्तुत करता है। इस आयाम में विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा, हौज़री तथा निटिंग क्षेत्र, हस्तशिल्प क्षेत्र के क्रियाकलापों सहित मानव निर्मित फाइबर, कपास, रेशम, पटसन तथा ऊन जैसे फाइबरों की विस्तृत श्रृंखला भी शामिल है। भारतीय वस्त्र क्षेत्र उद्योग के कृषि के साथ निकट संपर्क तथा देश की संस्कृति एवं परंपराओं के साथ संपर्कों के कारण अन्य देशों की तुलना में विशिष्ट है। वस्त्र उद्योग के पास विभिन्न बाजार खंड़ों, घरेलू तथा निर्यात बाजार दोनों के लिए उपयुक्त उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला को उत्पादित करने की क्षमता है। वस्त्र उद्योग औद्योगिक उत्पादन तथा रोजगार सृजन और देश की निर्यात आय में अपने योगदान के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विनिर्माण उत्पादन का 10% भारत की जीडीपी में 2% तथा देश की निर्यात आय में 13% का योगदान देता है। लगभग 45 मिलियन लोगों से अधिक को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने वाला वस्त्र उद्योग देश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है।

माननीय राष्ट्रपति 9 दिसंबर, 2015 को प्रतिभावान शिल्पकारों को शिल्प गुरू तथा राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान करते हुए।

1.2 भारत के विकास को समावेशी तथा प्रतिभागी बनाने के लिए पिछले वर्ष प्रारंभ हुए मिशन को जारी रखते हुए सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र को और अधिक सक्रिय बनाने के प्रयास किए हैं। इन प्रयासों का केंद्रीय बल सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण अवसंरचना तैयार करके, प्रौदयोगिकी के उन्नयन, नवाचार को बढ़ावा देने तथा वस्त्र क्षेत्र में कौशल को बढ़ाकर वस्त्र विनिर्माण मे वृद्धि करना रहा है। वर्ष 2015–16 के प्रमुख पहलें तथा उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

1.2.1 भारतीय हथकरघा ब्रांडः हथकरघा उद्योग का सुस्थिर आधार पर संवर्धन करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 7 अगस्त 2015 को प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर 'भारत हथकरघा' ब्रांड की शुरूआत की गई जिसका उद्देश्य ग्राहकों का विश्वास अर्जित करने के लिए कच्ची सामग्री, प्रसंस्करण, सजावटी सामनों, विविंग, डिजाइन तथा सामाजिक एवं पर्यावरणीय अनुपालन के अन्य मापदंडों के साथ हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता की पुष्टि करना है। ब्रांड को प्रारंभ करने का प्रमुख उद्देश्य त्रुटि रहित, हाथ से बुने हुए, पर्यावरण पर जीरो डिफेक्ट एवं जीरो इम्पेक्ट वास्तविक उत्कृष्ट उत्पादों पर विशेष ध्यान देते हुए ग्राहकों का विश्वास अर्जित करने के लिए नई डिजाइनों के साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का उत्पादन सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम के दौरान, वर्ष 2012, 2013 तथा 2014 के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संत कबीर तथा राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किए गए।

माननीय प्रधानमंत्री 7 अगस्त, 2015 को प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर भारत हथकरघा ब्रांड की शुरूआत करते हुए

1.2.2 राज्यों के वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन : राज्यों के वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन माननीय केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में 4 नवम्बर, 2015 को आयोजित किया गया था। 10 राज्यों के मंत्रियों सहित 25 से अधिक राज्यों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों के समक्ष आ रही कठिनाइयों पर मंथन किया गया तथा पहलों और वस्त्र क्षेत्र के समक्ष आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए नवाचारों पर भी चर्चा की गई।

4 नवंबर, 2015 को नई दिल्ली में राज्यों के वस्त्र मंत्रियों का वार्षिक सम्मेलन

1.2.3 संशोधित–प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए–टीयूएफएस): 'मेक–इन–इंडिया' पहल की सहायता के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पात्र मशीनरी के लिए एकमुश्त पूंजीगत सब्सिडी के द्वारा वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु मौजूदा संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरआरटीयूएफएस) के स्थान पर संशोधित–प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए–टीयूएफएस) को प्रारंभ किया है। परिधान तथा तकनीकी वस्त्रों जैसे उच्च रोजगार एवं निर्यात क्षमता वाले क्षेत्र 30 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन 15% की दर पर पूंजीगत सब्सिडी हेतु पात्र होंगे। नए शटल रहित करघों (विविंग प्रिपेरेटरी तथा निटिंग) प्रसंस्करण, पटसन, रेशम तथा हथकरघा जैसे क्षेत्रों को 20 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन 10% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। वर्ष 2015–16 से 2021–22 से 7 वर्षों के लिए 12,671 करोड़ रुपए की वचनबद्ध देयताओं तथा एटीयूएफएस के

अंतर्गत नए मामलों के लिए 5151 करोड़ रुपए को पूरा करने के लिए 17,822 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। यह आशा है कि यह योजना 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश तथा 30.51 लाख लोगों हेतु रोजगार के सृजन को सहायता प्रदान करेगी। संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरआरटीयूएफएस) के स्थान पर संशोधित–प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए–टीयूएफएस) को शुरू करने के संबंध में 13.1.2016 को एक संकल्प जारी किया गया।

1.2.4 अंतर्राष्ट्रीय कपास परामर्श समिति सम्मेलनः भारत ने 6–11 दिसंबर, 2015 को मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय कपास परामर्श समिति (आईसीएसी) की प्लेनरी बैठक का 11 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजन किया। वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई द्वारा भारतीय कपास निगम, भारतीय कपास संघ और भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ के साथ आयोजित इस 74वीं प्लेनरी बैठक का आयोजन ''फ्रॉम फार्म टू फैब्रिकः द मैनी फेसिस ऑफ कॉटन'' शीर्षक के अंतर्गत किया गया। आईसीएसी प्लेनरी बैठक ने विश्व कपास उद्योग के महत्व के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार–विमर्श तथा उद्योग और सरकारी अग्रणियों के लिए पारस्परिक हित के मामलों पर विचार–विमर्श हेतु एक मंच उपलब्ध कराया। मुंबई प्लेनरी में 36 देशों के लगभग 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

1.2.5 कपास किसानों की सुरक्षाःकपास मौसम 2015–16 के लिए भारतीय कपास निगम ने राज्य सरकारों से सहयोग से कपास का उत्पादन करने वाले सभी राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की संभाव्यता को पूरा करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। कपास किसानों द्वारा विपत्ति में बिक्री करने को रोकने के लिए कपास का उत्पादन करने वाले राज्यों के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। सीसीआई द्वारा कपास का उत्पादन करने वाले 11 राज्यों में 92 जिलों में 340 से अधिक प्राप्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं। कपास के मौसम 2015–16 के लिए किसानों को ऑनलाइन भुगतान करने, तेलंगाना में किसानों के लिए बारकोड वाले कार्ड उपलब्ध कराने तथा किसानों को नमी के बारे में और इसके प्रदूषण के बारे में जानकारी देने के लिए आईईसी कार्यकलाप चलाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। सीसीआई ने प्रणाली को अधिक पारदर्शी और बाजार आधारित बनाने के लिए नीलामी द्वारा कपास की गांठों और कपास के बीजों की बिक्री भी प्रारंभ की है।

1.2.6 वस्त्र उद्योग के लिए अवसंरचनाः एकीकृत वस्त्र पार्क की योजना (एसआईटीपी) में सामूहिक आधार पर वस्त्र क्षेत्र की बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। भारत सरकार सामान्य अवस्थापना और सामान्य सुविधाओं के

लिए 40 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन 40% तक की परियोजना लागत उपलब्ध कराती है। वर्ष 2014–15 और 2015–16 में 24 नए पार्क स्वीकृत किए गए हैं। पिछड़े राज्यों में औद्योगिकीकरण को बढावा देने के लिए चयन प्रक्रिया में कम उद्योकीकृत वस्त्र राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता दी गई है। इस स्कीम के अंतर्गत स्थापित वस्त्र पार्कों में दौरे करके योजना के बारे में राज्य सरकार को अवगत कराने के लिए 9–10 अप्रैल, 2015 को सूरत में एसआईटीपी पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

1.2.7 **वस्त्र क्षेत्र में कौशलः** वस्त्र क्षेत्र में कुशल मजदूरों की कमी को दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा **एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस)** चलाई जा रही है। इसका लक्ष्य 2017 तक वस्त्र क्षेत्र में 15 लाख अतिरिक्त कुशल श्रमिक उपलब्ध कराना है। यह योजना रोजगार पर महत्व देते हुए पुनः तैयार की गई है। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 70% नियोजन अनिवार्य किया गया है। पिछले 2 वर्षों के दौरान आईएसडीएस के अंतर्गत प्रशिक्षण के बाद वस्त्र उद्योग में लगभग 2,60,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग की सुगमता के लिए एक ई–मंच के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जोडा गया है। योजना के अंतर्गत उपलब्धियों को दर्शाने और योजना के कार्यान्वयन में सुधार के लिए भागीदारों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए 28 अगस्त, 2015 को आईएसडीएस पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

1.2.8 **एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजनाः** लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रधानता वाले वस्त्र संसाधन समूह और जॉबवर्क इकाईयां पर्यावरण के अवमूल्यन जैसे मुद्दों के लिए न्यायालय/एनजीटी आदेशों के अंतर्गत बंद हो जाने की कगार पर थे। तमिनलाडु, राजस्थान, पंजाब आदि में प्रमुख वस्त्र प्रसंस्करण समूह बंद कर दिए गए जिससे लाखों व्यक्ति बेरोजगार हो गए। एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय ने कॉमन एफ्लुऐंट ट्रिटमेंट संयंत्रों के लिए जीरो लिक्विड डिसचार्ज प्रौद्योगिकी के साथ 75 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन 50% परियोजना लागत की सहायता उपलब्ध कराई। वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्थान (3), तमिलनाडु (1) और पंजाब (1) में 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन 5 परियोजनाओं से लगभग 1000 छोटे और मध्यम प्रसंस्करण एककों को मदद मिलेगी। मंत्रालय ने बहिःस्राव वाले संयंत्रों के लिए सर्वोत्तम प्रोद्योगिकी विकल्प की जांच करने और संसाधन क्षेत्र के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पर्यावरण की दृष्टि से सुस्थिर प्रौद्योगिकी की खोज करने के लिए अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देने हेतु एक समिति का भी गठन किया है।

1.2.9 रेशम उत्पादन में नवीन प्रौद्योगिकी तथा सर्वोत्तम व्यवहार पर कार्यशाला का आयोजन 17–18 नवबंर, 2015 को मैसूर में किया गया। कार्यशाला के दौरान 27 राज्यों से आए 54 सर्वोत्तम रेशम उत्पादक किसानों को उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिए गए। रेशम उत्पादन में नए प्रयासों में रेशम उत्पादन रोक कर आयातित विकल्पों को बढावा देना, बेहतर प्रजाति का विकास करके रेशम कीट से उत्पादन की क्वालिटी में सुधार, बेहतर कोकून प्रौद्योगिकी खोज को बढावा देना तथा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण हितेषी ओर्गेनिक रेशम के रूप में वन्य रेशम को बढावा देना शामिल है।

1.2.10 तकनीकी वस्त्र – फोकस इनक्यूबेशन सेंटर (एफआईसी): तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में संभावित उद्यमियों की मदद के लिए वस्त्र मंत्रालय प्लग और प्ले मॉडल पर तकनीकी वस्त्र संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी) के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्रों में 6 फोकस इनक्यूबेशन सेंटर (एफआईसी) की स्थापना कर रहा है। एफआईसी की स्थापना के लिए 6 उत्कृष्टता केंद्रों नामतः एटीआईआरए, डीकेटीई, एनआईटीआरए, पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नालाजी, एसएएसएमआईआरए और एसआईटीआरए के लिए 17.45 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इन एफआईसी के उद्देश्य और दायित्व इस प्रकार हैं:

- संभावित उद्यमियों को वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन के लिए अपनी इकाईयों की स्थापना हेतु बुनियादी अवस्थापना/बुनियादी मशीनों के साथ औद्योगिक शेड उपलब्ध कराना।
- वाणिज्यिक पैमाने पर उद्यम शुरू करने के लिए संबंधित उत्कृष्टता केंद्र द्वारा परामर्श के साथ''प्लग एंड प्ले''मॉडल पर एफआईसी उपलब्ध कराना। एक बार स्थापित होने के बाद उद्यमी अपनी सुविधाएं स्थानांतरित कर लेंगे और वह केंद्र नए उद्यमियों के लिए उपलब्ध होगा।
- उत्कृष्टता केंद्रों को 6 महीने की अवधि में अपने क्षेत्र में एफआईसी की स्थापना करनी होगी। प्रत्येक उद्यमी के लिए अलग उपकरण होंगे। एफआईसी का संचालन उत्कृष्टता केंद्र द्वारा नहीं बल्कि उद्यमियों द्वारा किया जाएगा।

1.2.11 पटसन सामान्य सुविधा केंद्र योजना का प्रारंभः माननीय वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा 01 सितंबर, 2015 को कोलकाता में महिला स्वसहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) के माध्यम से पटसन के विभिन्न उत्पादों के बढावा देने के लिए सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना की एक नई योजना प्रारंभ की गई। यह योजना राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के माध्यम से अवसंरचना, एकीकृत डिजाइन, प्रशिक्षण और बाजार विकास द्वारा मूल्य परिवर्धन, गुणवत्ता उत्पादन आश्वासन के लिए संभावनाएं उपलब्ध कराएगी। यह योजना पटसन क्षेत्रों में स्थित डब्ल्यूएसएचजी के सदस्यों को सहायता देगी। 5 सीएफसी की स्थापना स्वीकृत की गई है जिनमें से 3 पश्चिम बंगाल में, 1 असम में और 1 बिहार

में है। बारपेटा, असम स्थित पटसन सीएफसी का उद्घाटन 11 दिसंबर, 2015 को किया गया।

1.2.12 हथकरघा में ब्लॉक स्तरीय समूह दृष्टिकोण: हथकरघा बुनकरों की सहायता के लिए एक नए ब्लॉक स्तरीय समूह दृष्टिकोण का प्रारंभ वाराणसी के 9 ब्लॉकों में किया गया है। इन ब्लॉकों में यार्न डिपो, इंटरनेट के साथ कार्यालय, पूर्व–करघा सुविधाएं जैसे लपेटने/ताना बुनने/ रंगाई और बुनकरों के प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला आदि वाले व सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसकी सहायता के लिए पूर्णकालिक तकनीकी रूप से योग्य कर्मचारी हैं। डिजाइन सहायता बुनकर सेवा केंद्र, वाराणसी और साथ ही एक प्रतिष्ठित निजी डिजाइनर द्वारा दी जाती है। एनएचडीपी और सीएचसीडीएस के संशोधित दिशा निर्देशों के अंतर्गत 3.1.2016 तक 114 ब्लॉक स्तर के समूहों को स्वीकृति दी गई है तथा 54.69 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

सचिव (वस्त्र) सीसीआईसी, नई दिल्ली में श्रेष्ठ कृति (हस्तशिल्प) प्रदर्शिनी का उदघाटन करते हुए।

1.2.13 हस्तशिल्प: ''वस्त्रों को पर्यटन के साथ जोड़ना''कार्यक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानों को हस्तशिल्प समूहों के साथ जोड़ा जा रहा है और जागरूकता उत्पन्न करने, हस्तशिल्प वस्तुओं के मूल्य संवर्द्धन तथा घरेलू बाजार में मांग बढाने के लिए अवसंरचना सहायता को प्रौद्योगिकी से जोड़ा जा रहा है। हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के अन्य प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

- 3.00 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से ममल्लापुरम (चैन्नई) में शहरी हाट की

स्वीकृति जिसके लिए वर्ष 2015–16 के दौरान तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम लि. चैन्नई (तमिलनाडु) को 83.80 लाख रूपए जारी किए गए।

- एलुरू (आंध्रप्रदेश) में 3.00 करोड़ रूपए की परियोजना लागत के साथ शहरी हाट की स्वीकृति जिनमें से 78.60 लाख रूपए 2015–16 के दौरान शिल्परामन आर्टस, क्राफ्ट्स एंड कल्चरल सोसायटी, माधवपुर, हैदराबाद को दिए गए।
- तीन राज्यों के लिए हस्तशिल्प का एकीकृत विकास और संवर्द्धन करने के लिए निम्नलिखित प्रकार से विशेष परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैः–
- तमिलनाडु में 20.38 करोड़ रूपए की परियोजना लागत पर 19000 दस्तकारों के लिए जिनमें से 10.90 करोड़ रुपए 2015–16 के दौरान तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम लि., चैन्नई (तमिलनाडु) को प्रदान किए गए।
- 30.00 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से झारखंड में 22600 दस्तकारों के लिए जिनमें से 15.00 करोड़ रुपए 2015–16 के दौरान झारक्राफ्ट, झारखंड राज्य को प्रदान किए गए।
- 30.00 करोड़ रूपए की परियोजना लागत से उत्तराखंड में 22600 दस्तकारों के लिए जिनमें से 15.00 करोड़ रुपए 2015–16 के दौरान उत्तराखंड हस्तशिल्प और हथकरघा परिषद्, देहरादून को प्रदान किए गए।

1.2.14 व्यवसाय में सरलताः बाजार/परिवहन समय और दस्तावेजों पर कार्रवाई में तेजी लाने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने व्यवसाय की सरलता'के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैः–

- वस्त्र समिति (वस्त्र मंत्रालय के अधीन संस्थान जो घरेलू खपत और निर्यात प्रयोजनों दोनों के लिए वस्त्रों और वस्त्र मशीनरी की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी) द्वारा सीमाकर के अनुरोध पर सीमाकर अनुमोदन सुविधा समिति (सीसीएफसी) में अधिकारी नामित किए गए हैं।
- विदेश व्यापार महानिदेशालय ने दिनांक 04.09.2015 की एक नई अधिसूचना संख्या 19/2015–2020 जारी की है जिसके द्वारा उन देशों, जहां ऐज़ो रंगों पर प्रतिबंध है, के लिए परीक्षण हटा दिया गया है और उन देशों जहां ऐज़ो रंगों पर प्रतिबंध नहीं है, के लिए अनिवार्य परीक्षण को 100% से घटाकर 25% कर दिया गया है।
- जोखिम प्रबंधन प्रणालीः सीमाकर के ईडीआई सॉफ्टवेयर को वस्त्र समिति प्रणाली के साथ एकीकृत करने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है ताकि ऑनलाइन परीक्षण रिपोर्टें तैयर करके स्टेकहोल्डर्स को सूचित की जा सकें।
- मानक परिचालन प्रणाली (एसओपी) नमूनों के परीक्षण में लगने वाले समय को घटाकर 4 दिन से 2 दिन तथा ऑनलाइन करने के लिए राजस्व विभाग को सूचित कर दिया गया है।
- कोचीन बंदरगाह पर वस्त्र समिति की एक नई वस्त्र प्रयोगशाला की स्थापना हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। पहली किस्त के रूप में वस्त्र समिति के लिए 97.20 लाख

रूपए स्वीकृत किए गए हैं। जेएनपीटी में वस्त्र समिति की एक नई वस्त्र प्रयोगशाला को भी स्वीकृति दी गई है।

1.3 भारतीय वस्त्र परिदृश्यः भारतीय वस्त्र क्षेत्र में सूती वस्त्र, संगठित वस्त्र मिल, मानव निर्मित फाइबर और फिलामेंट यार्न उद्योग, ऊन एवं उनी वस्त्र उद्योग, रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र, विद्युतकरघा, हथकरघा, हस्तशिल्प, पटसन और पटसन वस्त्र उद्योग, अपैरल तथा परिधान शामिल हैं। भारतीय वस्त्रों की विविधता के कारण इनकी विश्व भर में मांग है और वस्त्र निर्यात के लिए व्यापक गुंजाईश है। प्रमुख क्षेत्रों का सिंहावलोकन निम्नलिखित प्रकार से हैः

1.3.1 कपास

कपास, भारत में उत्पादन किए जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों में से एक है। यह अनुमानतः 5.8 मिलियन कपास किसानों की आजीविका चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और 40–50 मिलियन लोग कपास प्रसंस्करण और व्यापार जैसे संबद्ध कार्यकलापों में लगे हैं। भारतीय वस्त्र उद्योग में व्यापक श्रेणी के फाइबर और यार्न की खपत होती है। उद्योग के कच्चे माल की खपत में कपास की तुलना में मानवनिर्मित फाइबर और फिलामेंट यार्न की खपत का अनुपात 59:41 है। इस प्रकार कपास और कपास उद्योग का सर्वांगीण विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में काफी महत्व रखता है। कपास की खपत 300 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) प्रतिवर्ष से अधिक है। कपास उद्योग को सहायता देने के लिए भारत सरकार ने 2 प्राथमिक रेशा समूह अर्थात् मध्यम लंबे रेशे और लंबे रेशे कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रणाधीन भारतीय वस्त्र निगम (सीसीआई) विद्यमान कपास मूल्य के एमएसपी स्तर तक पहुंच जाने पर एमएसपी अभियान चलाने के लिए भारत सरकार की नामित एजेंसियों में से एक है। अधिदेश के अनुसार और कपास किसानों द्वारा आपत्ति में विक्रय से बचने के लिए सीसीआई बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के नामित बाजार यार्डों में एमएसपी परिचालनों के अधीन कपास किसानों से सीधे ही कच्ची कपास खरीदती है।

1.3.2 पटसन

पटसन उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। यह रेशा पूर्वी क्षेत्र विशेषकर पश्चिम बंगाल में प्रमुख उद्योगों में से एक है। पटसन जो सुनहरा फाइबर है, प्राकृतिक, नवीकरणीय, जैव–अवक्रमणीय तथा पारिअनुकूल उत्पाद होने के कारण 'सुरक्षित' पैकेजिंग के सभी मानदंडों को पूरा करता है। अनुमान है कि पटसन उद्योग तृतीय क्षेत्र सहित संगठित मिलों तथा विविध इकाईयों में लगभग 0.37 मिलियन कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और लगभग 4.0 मिलियन खेतीहर किसानों की आजीविका में सहयोग प्रदान करता है। पटसन उद्योग

की सहायता के लिए अनेक नीति पहल–प्रयास किए गए हैं जिनमें सांविधिक अनिवार्य पटसन पैकेजिंग मानक, एमएसपी परिचालन, और पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण और विविधता का संवर्धन शामिल है।

1.3.3 रेशम

भारत अभी भी विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में पैदा की जाने वाली रेशम की 4 किस्मों में वर्ष 2014–15 में कुल कच्चे रेशम उत्पादन में मलबरी 74.5% (21390 मि.ट.), तसर 8.5% (2434मि.ट.), ऐरी 16.5% (4726 मि. ट.) और मुगा 0.5% (158 मि.ट.) है। यह देश में 2013–14 के दौरान 26.480 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में है। केंद्रीय रेशम बोर्ड देश में रेशम उत्पादन और रेशम के संवर्धन के लिए अनेक योजनाएं और नीतियां चलाता है। वर्ष 2014–15 में कच्चे रेशम के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 2014–15 के दौरान सूखा, बेमौसम की बारिश, चक्रवात आदि के बावजूद रेशम उत्पादन में काफी बढोत्तरी हुई है। वर्ष के लिए नियत लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त किया गया है। देश में रेशम उत्पादन वर्ष 2013–14 के दौरान 26,480 मि.ट. के स्तर से बढकर 2014–15 के अंत तक 28,708 मि.ट. हो गया और इसमें 8.4% की वृद्धि दर्ज की गई। आयात विकल्प बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन 2559 मि.ट. से बढकर 3870 मि.ट. हो गया और इसमें 51.0% की वृद्धि दर्ज की गई। वन्य रेशम उत्पादन 7004 मि.ट. से बढकर 7318 मि.ट. हो गया और इसमें 4.5% की वृद्धि दर्ज की गई। मुगा रेशम ने अधिकतम उत्पादन 158 मि.ट. दर्ज किया और विकास में नए रिकार्ड कायम किए।

1.3.4 ऊन

केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, बोर्ड के शासी निकाय के समग्र दिशानिर्देश तथा वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। यह बोर्ड ऊन क्षेत्र की प्रगति तथा विकास से संबंधित मामलों में वस्त्र मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में ही कार्य करता है। श्री जसवंत सिंह बिश्नोई वर्तमान बोर्ड अध्यक्ष हैं। बोर्ड के शासी निकाय में कुल 29 सदस्य है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल 96 करोड रूपए वित्तीय परिव्यय में से वस्त्र मंत्रालय ने ऊन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजना स्कीमों तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए वार्षिक योजना 2015–16 के लिए केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर को 36.62 करोड़ रुपए का आबंटन किया है।

उपर्युक्त के अलावा वस्त्र मंत्रालय जम्मू तथा कश्मीर राज्य के लद्दाख और कारगिल क्षेत्र में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के माध्यम से पश्मीना ऊन का और अधिक विकास करने के लिए 30.00 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ पश्मीना ऊन विकास कार्यक्रम (पीडब्ल्यूडीपी) भी चला रहा है।

1.3.5 हथकरघा

कृषि के बाद हथकरघा सबसे बडे आर्थिक कार्यकलापों में से एक है जो 43 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है। देश में वस्त्र उत्पादन में इस क्षेत्र का लगभग 15% योगदान है और यह देश की निर्यात आय में भी योगदान कर रहा है। विश्व में 95% हाथ से बुनी फैब्रिक भारत से आती है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए विकास और कल्याण उपायों के परिणामस्वरूप हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन में गिरावट को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है हालांकि हथकरघा क्षेत्र में कार्य करने वाले बुनकरों की संख्या घट रही है।

1.3.6 हस्तशिल्प

हस्तशिल्प क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में दस्तकारों के बड़े समूह को रोजगार प्रदान करता है और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। हस्तशिल्प में विशाल संभावनाएं हैं क्योंकि इसमें न केवल देश के सभी भागों में फैले हुए लाखों कारीगरों को बल्कि बड़ी संख्या में प्रवेश पाने वाले नए कारीगरों को रोजगार देने की क्षमता है। फिलहाल हस्तशिल्प रोजगार सृजन और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है तथापि हस्तशिल्प क्षेत्र को असंगठित होने के कारण और शिक्षा की कमी, कम पूंजी, नई प्रौद्योगिकियों की जानकारी न होने, बाजार स्थिति की जानकारी न होने और अपर्याप्त सांस्थानिक ढांचे के कारण काफी क्षति पहुंची है। अनुमान है कि यह क्षेत्र वर्तमान में 68.86 लाख दस्तकारों को रोजगार देता है और हाथ से बुने गलीचों सहित हस्तशिल्प क्षेत्र का निर्यात दिसंबर, 2015 तक 22375.63 करोड़ रुपए रहा है।

1.3.7 विद्युतकरघा

विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र फैब्रिक उत्पादन और रोजगार सृजन के संदर्भ में वस्त्र उद्योग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ईकाइयों में से एक है। यह 61.72 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है और देश में वस्त्र के कुल उत्पादन में 60% योगदान करता है। निर्यात के लिए 60% से अधिक फैब्रिक विद्युतकरघा क्षेत्र से आता है। सिलेसिलाए वस्त्र और घरेलू वस्त्र क्षेत्र अपनी फैब्रिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्युतकरघा क्षेत्र पर निर्भर हैं।

दिसंबर, 2015 तक लगभग 24.69 लाख विद्युतकरघा थे। इस क्षेत्र का प्रौद्यगिकी स्तर साधारण करघा से लेकर उच्च प्रौद्योगिकी शटल रहित करघों तक भिन्न–भिन्न है। अनुमान है कि 75% से अधिक शटल करघे 15 वर्ष से अधिक समय तक चलने के कारण पुराने और अप्रचलित हो गए हैं और उनमें वस्तुतः कोई प्रक्रियागत या गुणवत्ता नियंत्रण युक्ति/सुविधा नहीं है। तथापि पिछले 7–8 वर्षों के दौरान विद्युतकरघा क्षेत्र के

प्रौद्योगिकी स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

1.3.8 मिल क्षेत्र

संगठित वस्त्र क्षेत्र में छोटे पैमाने के उद्योग और गैर छोटे पैमाने के उद्योग दोनों में 3400 से अधिक वस्त्र मिल हैं। तकलों की कुल स्थापित क्षमता 50 मिलियन से अधिक तकलों और 842000 रोटर के साथ विश्व में सर्वाधिक है। मिल क्षेत्र में 2500 मिलियन किलोग्राम मानवनिर्मित फाइबर और मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न के अलावा लगभग 2500 मिलियन वर्गमीटर कपड़े का उत्पादन किया जाता है।

1.3.9 अपैरल तथा परिधान

भारतीय वस्त्र क्षेत्र में एक वृहद अपैरल तथा परिधान क्षेत्र है जिसमें 12.3 मिलियन व्यक्ति कार्यरत हैं तथा 3.6 मिलियन टन अपैरल और परिधान का उत्पादन किया जाता है। सिलेसिलाए परिधानों का भारतीय वस्त्र निर्यात में 43% योगदान है जिसमें सूती परिधान तथा एक्सेसरी, मानवनिर्मित फाइबर परिधान और अन्य वस्त्र क्लोदिंग शामिल है।

1.3.10 निर्यात संवर्धन

भारत का वस्त्र और क्लोदिंग का निर्यात 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अर्थात् मार्च, 2017 तक 64.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है। देश के कुल निर्यात में वस्त्र उद्योग का योगदान 12% है जहां तक वस्त्र क्षेत्र का संबंध है, भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश है और यह आयात पर निर्भर नहीं है। अधिकतर आयात पुनः निर्यात या विशेष आवश्यकता के लिए किया जाता है। यूएन कॉमट्रेड डाटाबेस के अनुसार विश्व में वस्त्र और क्लोदिंग निर्यातक के रूप में वाले चीन के बाद 38.6 बिलियन अमरीकी डालर निर्यात के साथ भारत का दूसरा स्थान है। क्लोदिंग क्षेत्र में भारत को 16.5 बिलियन अमेरिकी डालर के साथ छठा सर्वाधिक निर्यातक बताया गया है और इसके बाद चीन, बांग्लादेश, इटली, जर्मनी और वियतनाम आते हैं।

1.4 वस्त्र संवर्धन के लिए योजनाएं

1.4.1 हथकरघा

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) हथकरघों के विकास के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में चलाया जाता है और इसमें व्यापक हथकरघा विकास योजना (सीएचडीसी) शामिल है। हथकरघों के संवर्धन की योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. सांस्थानिक ऋण/बुनकर क्रेडिट कार्ड योजनाः हथकरघा बुनकरों को सब्सिडी वाले ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने दिसंबर, 2012 में' हथकरघा क्षेत्र के लिए सांस्थानिक ऋण' शुरू की है। जिसे एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसकी मुख्य विशेषताओं में (i) बुनकर क्रेडिट कार्ड जारी करना (ii) स्वीकृत ऋणों पर 3 वर्ष के लिए ब्याज में 3% की दर से सब्सिडी (iii) प्रति बुनकर 4200 रूपए की दर से

न्यूनतम धनराशि सहायता और (iv) 3 वर्ष के लिए ऋण गारंटी। सरकार अधिकतम 7% के अधीन भारत सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों को 6% की ब्याज सब्सिडी के साथ ऋण उपलब्ध कराती है जिसमें बैंको द्वारा प्रभारित ब्याज दर का अंतर भारत सरकार द्वारा और 6% लेनदारों द्वारा वहन किया जाता है। प्रति बुनकर 4200 रूपए की ऋण गारंटी को 10000 रूपए प्रति बुनकर के अधीन बढाकर 20% कर दिया गया है।

2. ब्लॉक लेवल समूह दृष्टिकोणः ब्लॉक लेवल समूह दृष्टिकोण जून, 2015 में शुरू की गई थी। इस दृष्टिकोण को भारत सरकार द्वारा उच्च पैमाने के ऋण के साथ जोड़ने की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है। सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) {सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) सहित}, वस्त्र डिजाइनर सह विपणन अधिकारी की नियुक्ति, कार्यशाला का निर्माण, समूह विकास अधिकारी (सीड़ीई) की नियुक्ति, प्रौद्योगिकी सुधार, कौशल उन्नयन आदि जैसे विभिन्न प्रयासों के लिए 2.00 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिला स्तर पर रंगाई कार्यशाला की स्थापना के लिए 50.00 लाख रूपए तक की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

3. व्यापक हथकरघा समूह विकास योजना (सीएचसीडीएस): ब्लॉक स्तर समूह दृष्टिकोण के लिए अगस्त, 2015 में सीएचसीडीएस के दिशानिर्देश संशोधित किए गए। 6 बड़े हथकरघा क्षेत्रों जैसे वाराणसी, विरूधुनगर, गोड्डा और आस–पास के जिले, प्रकासम तथा गुंटुर जिले, भागलपुर तथा त्रिची की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें परियोजना अनुमोदन एवं मॉनिटरिंग समिति के अनुमोदन से संशोधित की गईं। प्रकासम एवं गुंटुर जिलों (आंध्र प्रदेश) तथा त्रिची (तमिलनाडु) वृहद हथकरघा क्षेत्रों के लिए 47 ब्लॉक लेवल समूह स्वीकृत किए गए।

1.4.2 हस्तशिल्प

1.4.2015 से 31.12.2015 के दौरान भारत सरकार ने देश में हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास और समग्र विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की 7 योजनाएं (बाबा साहब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, डिजाइन और प्रौद्योगिकी सुधार योजना, विपणन सहायता तथा सेवा योजना, अनुसंधान एवं विकास योजना, मानव संसाधन विकास योजना, हस्तशिल्प दस्तकार व्यापक कल्याण योजना, अवसंरचना तथा प्रौद्योगिकी विकास योजना) कार्यान्वित की। इन योजनाओं के ब्यौरे अध्याय में दिए गए हैं। हाल ही में''राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)'' नामक एकल योजना में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई है और इन्हें तर्कसंगत बनाया गया है ताकि एक समग्र रूप में हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर जोर दिया जा सके। एनएचडीपी के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं :

I. क. अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

- दस्तकार सशक्तिकरण योजना
- डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी सुधार
- मानव संसाधन विकास
- दस्तकारों को प्रत्यक्ष लाभ
- अवसंरचना तथा प्रौद्योगिकी सहायता

ख. मेगा समूह

II. विपणन सहायता और सेवाएं

III. अनुसंधान एवं विकास

1.4.3 रेशम उत्पादन

केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) का दायित्व अनुसंधान और विकास, अनुसंधान विस्तार, चार स्तरीय रेशम कीट बीज उत्पादन के नेटवर्क के रखरखाव, वाणिज्यिक रेशम कीट बीज उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाना, विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं में मानकीकरण और गुणवत्ता मानदंड, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रेशम का संवर्धन और रेशम उत्पादन तथा रेशम उद्योग से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र सरकार को परामर्श देना है। केंद्रीय रेशम बोर्ड के ये कार्यकलाप निम्नलिखित 4 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के विभिन्न राज्यों में स्थित सीएसबी की 324 इकाईयों द्वारा किए जा रहे है:

1. अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण एवं आईटी पहल
2. बीज संगठन/समन्वय तथा बाजार विकास
3. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली
4. निर्यात/ब्रांड प्रोमोशन तथा प्रौद्योगिकी सुधार (12वीं योजना के दौरान स्वीकृत नई योजना)

उपर्युक्त केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अतिरिक्त सीएसबी बेहतर प्रौद्योगिकी पैकेज का प्रसार, आरएंडडी ईकाइयों द्वारा विकसित नवीन उपकरणों तथा स्टेक होल्डर्स को बेहतर प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए निवेश में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) लागू करने में राज्य सरकारों की सहायता भी करता है जिसके परिणामस्वरूप रेशम के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हुआ है और प्राथमिक उत्पादकों की आय में वृद्धि हुई है। शेष योजना अवधि 2015–16 और 2016–17 के दौरान सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण घटकों को विलय करते हुए केंद्रीय रेशम बोर्ड की प्लान स्कीमों को पुनः तैयार किया गया है। इन्हें तर्कसंगत बनाने के लिए सभी 4 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं एकीकृत स्कीम अर्थात् ''रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना'' में विलय कर दी गई हैं जिसका उद्देश्य इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड को सौंपे गए कार्यों जैसे वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक अनुसंधान करने, इसमें सहायता देने या बढावा देने, पौधों के उत्पादन की बेहतर विधियां खोजने, रेशम कीटपालन, अच्छी हाईब्रिड के साथ स्वस्थ रेशम कीट बीज का विकास एवं वितरण करने और रेशम कीट गुणवत्ता

तथा उत्पादन में सुधार करके रेशम उद्योग का व्यापक और सुस्थिर विकास करना है।

अन्य 2 चालू योजनाएं अर्थात समन्वय तथा बाजार विकास (एचआरडी), एसएमओआई तथा ब्रांड प्रोमोशन सहित गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली बिना किसी संशोधन के 12वीं योजना के दौरान भी जारी है।

1.4.4 पटसन

पटसन प्रौद्योगिकी मिशन राष्ट्रीय पटसन नीति का एक प्रमुख घटक है और यह पटसन क्षेत्र में विविध कार्यक्रमों, वर्तमान और भावी, दोनों के कार्यान्वयन का माध्यम है। राष्ट्रीय पटसन नीति, 2005 के अनुसरण में वस्त्र मंत्रालय और इसके अधीन विभिन्न संगठनों ने पटसन किसानों और पटसन श्रमिकों की सहायता के लिए पटसन उत्पादों में विविधता को प्राथमिकता दी है।

राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की योजनाएं: पटसन क्षेत्र के संवर्धन की योजनाएं मुख्य रूप से राष्ट्रीय पटसन बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं जोकि पटसन क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए बनाया गया सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड द्वारा कार्यान्वित योजनाओं में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के विकास के लिए अभिमुखी विपणन पहल, बेहतर पटसन कृषि व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए पटसन आई–केयर योजना, महिला स्व–सहायता समूहों के माध्यम से पटसन विविधता को बढ़ावा देने के लिए पटसन सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) स्कीम, पौधा एवं मशीनों की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहन योजना और कामगारों की कल्याण योजनाएं शामिल हैं।

1.4.5 विद्युतकरघा

विद्युतकरघा क्षेत्र को बढावा देने वाली योजनाओं में एकीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र विकास योजना (आईएसपीएसडी), साधारण विद्युतकरघा स्वस्थाने उन्नयन योजना, समूह वर्कशेड योजना, व्यापक हस्तकरघा महासमूह विकास योजना आदि शामिल हैं। इन योजनाओं की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

एकीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र विकास योजना (आईएसपीएसडी): इस योजना के संघटकों में शामिल है (i) सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी)– किसी समूह से सम्बद्ध और सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना करने के लिए इच्छुक विद्युतकरघा बुनकरों को आधारिक संरचना सहायता प्रदान करने के लिए। अब तक इस योजना के अधीन 16 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। दिनांक 13.11.2015 को संपन्न 24वीं पीएसई बैठक में भारत सरकार की ओर से 1.35 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 4 नए परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। (ii) यार्न बैंक के लिए कार्पस– विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी)/कंसोर्टियम को ब्याज मुक्त कार्पस निधि प्रदान करने के लिए ताकि उन्हें थोक दर पर यार्न खरीदने में समर्थ बनाया जा सके और विकेन्द्रीकृत

विद्युतकरघा क्षेत्र में लघु बुनकरों को उचित मूल्य पर यार्न प्रदान किया जा सके। दिनांक 13.11.2015 को संपन्न 24वीं पीएसई बैठक में भारत सरकार की ओर से 1.75 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 4 नए परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। (iii) टेक्स–वेन्चर पूंजी निधि पायलट योजना प्राथमिक रूप से विनिर्माण एवं सेवाओं, विद्युतकरघा उद्योग के कार्यकलापों में लगी कंपनियों में निवेश करने के लिए 35 करोड़ रु. की कार्पस निधि के साथ एक समर्पित निधि है। वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान तीन कंपनियों की पहचान की गई और 7.50 करोड़ रुपए के कुल निवेश के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया तथा दिसंबर, 2015 तक 1.60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। दिनांक 10.11.2015 को संपन्न निवेश समिति (आईसी) की 5वीं बैठक में दो कंपनियों की पहचान की गई है और 5.79 करोड़ रुपए के निवेश के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है।

साधारण विद्युतकरघा स्वस्थाने उन्नयन योजनाः इस योजना का उद्देश्य मौजूदा साधारण करघों का कुछेक पारम्परिक अभिवृद्धियों के साथ उन्नयन कर उत्पादित किए जा रहे फैब्रिक की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार करना है ताकि वह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें। 12वीं योजना के दौरान इसमें 99,000 करघों को शामिल करने का उद्देश्य है।

संगठित क्षेत्र

1.4.6 मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजना के रूप में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स): टफ्स ने मात्रात्मक ढंग से प्रतिबंधित वस्त्र व्यापार से बाजार आधारित वैश्विक व्यापार तक परिवर्तन लाने में सहायता प्रदान की है। इसने वस्त्र क्षेत्र में निवेश के लिए वातावरण तैयार किया है और अपने प्रचालनात्मक जीवन काल में इसने 2.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को प्रेरित किया है। मंत्रालय ने टफ्स मार्गनिर्देशों में संशोधन किया है और बुनाई एवं परिधान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए समर्थन वित्त उपलब्ध कराने हेतु ए–टफ्स शुरू किया है।

1.4.7 एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस): टफ्स के अलावा यह योजना वस्त्र उद्योग में गुणवत्ता तथा क्षमता निर्माण पर प्रभाव के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह योजना विनिर्माण तथा वस्त्र क्षेत्र में भारत के प्रतिस्पर्धा लाभ को बढ़ाने के लिए जरूरी कौशल सृजन पर सरकार के व्यापक फोकस का एक भाग है। इस योजना को 12वीं योजना के दौरान 15 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए 1900 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ बढ़ावा दिया गया है। आईएसडीएस योजना के तीन घटक हैं, अर्थात् – घटक–I जिसमें वस्त्र मंत्रालय के अधीन वस्त्र अनुसंधान संघों और ऐसे अन्य निकायों जैसे अभिकरणों के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है;

घटक–II जिसे निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिसमें एक पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन किया जाता है और घटक–III राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

1.4.8 एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी): वस्त्र उद्योग को विश्वस्तरीय आधारिक संरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 'एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी)' का कार्यान्वयन 10वीं पंचवर्षीय योजना से ही किया जा रहा है। इस योजना को 1900 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से 12वीं योजना में बढ़ावा दिया गया है। इस योजना लागत में आईटीपी की आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन/समर्थन सुविधा के लिए आधारिक संरचना और भवन की लागत शामिल है। इस योजना के तहत विनिर्दिष्ट प्रयोजन उपायों के माध्यम से एकीकृत वस्त्र पार्कों की स्थापना की जाती है और भारत सरकार वस्त्र आधारिक संरचना सृजन हेतु व्यय के 40% का वित्त उपलब्ध कराकर पार्कों की स्थापना में सहायता करती है।

एसआईटीपी के अंतर्गत अपैरल विनिर्माण इकाईयों के लिए अतिरिक्त अनुदान: यह योजना परिधान विनिर्माण उद्योग को बढावा देने और अतिरिक्त रोजगार सृजन, विशेषकर महिलाओं में रोजगार सृजन, हेतु पार्कों में नई/अतिरिक्त परिधान विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए मंत्रालय ने एसआईटीपी के अधीन एकीकृत वस्त्र पार्कों को 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की है।

1.4.9 एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस): इस योजना का उद्देश्य समुद्री, नदी तटीय तकनीक और शून्य तरल उत्सर्जन (जेडएलडी) तकनीक सहित उपयुक्त तकनीक के माध्यम से पर्यावरण मानक पूरा करने में वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र को समर्थ करना है।

1.4.10 परिधान विनिर्माण उद्भवन योजना (एसआईएएम): इस योजना का पूर्णतः सहायक वातावरण और आपूर्ति एवं उपयोग सुविधा के साथ एकीकृत कार्यस्थल उपलब्ध कराकर परिधान विनिर्माण में नए उद्यमियों को बढ़ावा देना है जिससे उन्हें उद्भवन केन्द्रों की स्थापना में कम समय, लागत और प्रयास लगे।

1.4.11 संगठित क्षेत्र के लिए कल्याण योजनाएं

(i) वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस): वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना संपूर्ण वस्त्र इकाई अथवा इसके किसी खास हिस्से के स्थायी रूप से बंद होने के कारण बेरोजगार हुए वस्त्र कामगारों को अंतरिम सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से 15.09.1986 से लागू की गई थी।

(ii) वस्त्र उद्योग कामगार आवास योजना: इस योजना का उद्देश्य वस्त्र एवं परिधान

उद्योगों की बहुलता वाले क्षेत्रों के आस–पास कामगार वस्त्र तथा परिधान उद्योग के कामगरों के लिए सुरक्षित, पर्याप्त एवं सुविधाजनक रूप से अवस्थित आवास उपलब्ध कराना है।

1.4.12पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस): 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 1038.10 करोड़ रु. के परिव्यय से हथकरघा क्षेत्र के लिए एनईआरटीपीएस का उद्देश्य अपेक्षित सरकारी सहायता प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथकरघा क्षेत्र को विकसित तथा आधुनिक बनाना है ताकि रोजगार में वृद्धि की जा सके और वस्त्र उत्पादों का मूल्य प्राप्त किया जा सके। इस योजना के कार्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन, डिजाइन क्षमता में सुधार, और इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त कृषि वस्त्र उत्पादों के उपयोग के लाभ शामिल हैं।

(i) **पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि वस्त्र उपयोग योजना :** वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने 55 करोड़ रुपए के परिव्यय से 12वीं पंचवर्षीय योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि वस्त्र उपयोग योजना शुरू की है। इस योजना को दिसंबर, 2012 में अनुमोदित किया गया था और जून 2013 में यह शुरू हुई। इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपयोग के लिए उपयुक्त रूप से तैयार कृषि वस्त्र उत्पादों के बारे में जागरूकता, कार्यक्रमों और उनके विकास के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों के कृषि, बागवानी और पुष्पकृषि उत्पाद सुधार में कृषि वस्त्र के उपयोग को प्रोत्साहन देना और इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त कृषि वस्त्र उत्पादों के उपयोग के लाभ दर्शाने के लिए प्रदर्शन गृहों की स्थापना करना है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अधीन किसानों को कृषि वस्त्र किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिसमें कृषि वस्त्र सामाग्री, अनुदेश, उपयोग के सही तरीके और कृषि वस्त्र उत्पादों आदि के उपयोग के तरीके शामिल हैं। कृषि वस्त्रों की बढ़ती स्वीकार्यता के मद्देनजर देश में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा कृषि वस्त्र उत्पादन इकाइयां स्थापित किए जाने की उम्मीद है।

अब तक 8.17 करोड़ रुपए की कुल लागत से 44 प्रदर्शन केन्द्रों को अनुमोदन प्रदान किया गया है जिनमें से 23 प्रदर्शन केन्द्र प्रचालन में हैं। शेष 21 प्रदर्शन केन्द्रों के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त, मणिपुर और मिजोरम में वितरण हेतु 531 कृषि वस्त्र किट अनुमोदित किए गए हैं जिनमें से 176 कृषि वस्त्र किट का वितरण किया जा रहा है।

(ii) **पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियोटैक्निकल वस्त्र उपयोग संवर्द्धन योजना:** यह योजना 2014–15 से 2018–19 (पांच वर्षों) की अवधि के लिए 427 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 24.03.2015 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसी सड़क, पहाड़ी/ढ़लान सुरक्षा और जलाशयों में विद्यमान/नई परियोजनाओं में जियोटैक्निकल वस्त्रों के प्रयोग के कारण

अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो को पूरा करन के लिए तकनीकी और वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराकर पूर्वोत्तर राज्यों में आधारिक संरचना के विकास में जियोटैक्निकल वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके लिए परियोजनाओं की पहचान राज्य सराकारों और संबंधित पक्षकार एजेंसियों के परामर्श से की जाएगी। इस योजना के निम्नलिखित दो घटक हैं –

घटक–I: कुल 374 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भू–तकनीकी वस्त्र समाधान (भौतिक हस्तक्षेप)। यह घटक भू–तकनीक वस्त्र समाधानों के उपयोग के कारण पहचाने गए चालू या नई परियोजनाओं के प्रायोगिक भागों के बढ़ती लागत के वित्तपोषण के रूप में पहचाने गए प्रायोगिक परियोजानाओं के लिए राज्य/केन्द्रीय परियोजना प्राधिकारियों को लागत की प्रतिपूर्ति करेगा। इस घटक में पूर्वोत्तर क्षेत्र मे निम्नलिखित तीन प्रमुख आधारिक संरचना परियोजनाएं शामिल हैं –

- सड़कपरिवहन
- पहाड़ी ढ़लान संरक्षण
- जलाशयों कीलाइनिंग

घटक–II: कुल 43 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ (आसान हस्तक्षेप)। यह घटक केन्द्र सरकार द्वारा पहचाने गए अभिकरणों द्वारा चलाए जाने वाले कार्यस्थल निरीक्षण और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययनों, डिजायन समाधानों और डीपीआर तैयारी, कार्यस्थल निगरानी और परीक्षण, विनिर्देशन फार्मूला, प्रशिक्षण और क्षमतानिर्माण, जागरूकता अभियानों, बाजार विकास समर्थन और मूल्याकंन अध्ययनों आदि जैसे कार्यकलापों को समर्थन देगा।

इस योजना के अधीन अब तक मणिपुर सरकार की 2.2 कि.मीटर की एक सड़क परियोजना और दो जलाशय परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है और ये पूरा होने के अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च निगरानी समिति द्वारा कुल 4.76 करोड़ रुपए की लागत से नौ सड़क परियोजनाओं और नौ जलाशय परियोजनाओं को भी अनुमोदन दिया गया है।

1.4.13 तकनीकी वस्त्र

तकनीकी वस्त्रों पर तकनीकी मिशन (टीएमटीटी) 200 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 2010–11 से 2014–15 तक के लिए दो लघु मिशनों के साथ शुरू की गई है। इस मिशन का उद्देश्य तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माणकर्ताओं की सुविधा के लिए एक ही स्थान पर आधारिक संरचना समर्थन उपलब्ध कराने के लिए और तकनीकी वस्त्रों के घरेलू और निर्यात बाजार विकास के लिए समर्थन देने के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) की स्थापना है। टीएमटीटी को और दो वर्षों (2015–16 और 2016–17) के लिए बढ़ाया गया है। टीएमटीटी विस्तार के

अंतर्गत अतिरिक्त घटकों को शामिल किया गया है अर्थात् इसमें अभिमुखी उद्भवन केन्द्र की स्थापना और शेष भारत में कृषि वस्त्र और जियोटैक्निकल वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना शामिल है।

1.5 राष्ट्रीय वस्त्र नीति

राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2015 लाई जा रही है। वस्त्र क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों मोर्चों पर आज अलग तरह की चुनौतियां हैं। जहां अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत कोटा लगाए जाने के कारण वर्ष 2000 में वस्त्र निर्यात बाजार में महत्वपूर्ण भागीदार नहीं था। वर्ष 2004 में कोटा व्यवस्था हटाए जाने के बाद भारत में वर्ष 2013–14 में चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक का स्थान प्राप्त कर लिया है। किंतु, वर्ष 2013–14 में चीन के वस्त्र निर्यात का मूल्य 278 अरब अमेरिकी डालर था जबकि भारतीय वस्त्र निर्यात का मूल्य 40 अरब अमेरिकी डालर ही था। भारत को वस्त्र निर्यात में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत कपास और कपास घागे जैसी कच्ची सामग्री के निर्यातक से आगे बढ़कर एमएमएफ, कपड़ों और तकनीकी वस्त्रों जैसे उच्च मूल्यवर्धित तैयार उत्पादों के निर्यातक के रूप में उभरा है।

घरेलू मोर्चे पर वर्ष 2000 की वस्त्र नीति के पश्चात् अब तक कपास और बुनाई घागे के उत्पादन में कुछ उचाइयां हासिल करने में सफलता मिली है। किंतु, अब एमएमएफ और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन पर अतिरिक्त ध्यान देते हुए कपास और सिंथेटिक कपड़ों के उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि कुशल कामगारों, प्रसंस्करण सुविधाओं तक आसान पहुंच, उत्कृष्ट तकनीक, अद्यतन वस्त्र मशीनरी की उपलब्धता और रियायती ऋण की सुविधा अबाधित रूप से प्राप्त हो। उपर्युक्त सहायकों के साथ वस्त्र क्षेत्र में परिवर्तनकारी क्षेत्र बनने और भारत के विकास का उत्प्रेरक बनने की क्षमता है।

1.5.1 नई वस्त्र नीति

नई वस्त्र नीति तैयार करने के लिए श्री अजय शंकर, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद (एनएमसीसी) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। विशेषज्ञ समिति ने दिनांक 13.12.2014 को भारतीय वस्त्र और परिधान क्षेत्र के लिए विजन, रणनीति, कार्य–योजना प्रस्तुत की। उक्त दस्तावेज के आधार पर मंत्रालय ने राज्य सरकारों की वस्त्र नीतियों का अध्ययन करने के साथ–साथ उद्योग संघों और निर्यात संवर्द्धन परिषदों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श की एक प्रक्रिया शुरू की है। संशोधित प्रारूप नई वस्त्र नीति सरकार के अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है।

अध्याय–2

कार्य एवं संगठनात्मक ढ़ांचा

2.1 वस्त्र मंत्रालय वस्त्र उद्योग के नीति निर्माण, योजना, विकास, निर्यात संवर्धन तथा व्यापार विनियमन के लिए उत्तरदायी है। इसमें वे सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित सेल्यूलोसिक फाइबर शामिल हैं, जिनका उपयोग वस्त्र, क्लोदिंग और हस्तशिल्प बनाने में किया जाता है। वस्त्र मंत्रालय के प्रमुख सचिव हैं, जिनके कार्यभार के निर्वहन में एक अपर सचिव, तीन संयुक्त सचिवों, एक आर्थिक सलाहकार, हथकरघा और हस्तशिल्प विकास आयुक्तों, वस्त्र आयुक्त तथा पटसन आयुक्त द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रालय की एक विचार विनिमयात्मक वेबसाइट www.texmin.nic.in है।

2.2 परिकल्पना

अत्याधुनिक उत्पादन सुविधाओं का सृजन करना और तकनीकी वस्त्र, पटसन, रेशम तथा ऊन सहित सभी प्रकार के वस्त्रों के विनिर्माण व निर्यात में प्रमुख वैश्विक स्थान प्राप्त करना और सतत आर्थिक विकास के लिए गतिशील हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र का विकास करना तथा इन क्षेत्रों में वर्षों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन करना और बचाए रखना।

2.3 मिशन

- सभी क्षेत्रों को समुचित फाइबर उपलब्ध कराकर वस्त्र का सुनियोजित व सामन्जस्यपूर्ण विकास तथा संवर्धन करना।
- तकनीकी वस्त्रए पटसन, रेशम, कपास और ऊन सहित सभी प्रकार के वस्त्रों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देना।
- सभी वस्त्र कामगारों, हथकरघा बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों के कौशलों को प्रोत्साहित करना, रोजगार के नए अवसरों

का सृजन करना और इन क्षेत्रों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाए रखने के लिए नई डिजाइनों का विकास करना।

- बुनकरों और कारीगरों के लिए समुचित कार्य वातावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सुविधाओं और बीमा कवर की आसान पहुंच सुनिश्चित करना ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके।
- सभी प्रकार के वस्त्र तथा क्लोदिंग और हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों में विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना।

2.4 मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करने के लिए निम्नलिखित सम्बद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों तथा सलाहकार बोर्डों द्वारा इसे सहायता प्रदान की जाती है:–

2.4.1 संबद्ध कार्यालयः–

(i) विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय, नई दिल्ली

इस कार्यालय के प्रमुख विकास आयुक्त, हथकरघा हैं। यह हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन तथा विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है तथा राज्य सरकारों, समितियों तथा गैर–सरकारी संगठनों, आदि को सहायता प्रदान करता है। इसके अधीनस्थ कार्यालयों में बुनकर सेवा केंद्र (डब्ल्यूएससी), भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) तथा हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 को लागू करने के लिए प्रवर्तन तंत्र शामिल हैं।

(ii) विकास आयुक्त हस्तशिल्प का कार्यालय, नई दिल्ली

इस कार्यालय के प्रमुख विकास आयुक्त, हस्तशिल्प हैं। यह हस्तशिल्प के विकास एवं निर्यात संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं तथा कार्यों को कार्यान्वित करता है और विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को कार्यान्वित कर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चैन्नई, गुवाहाटी तथा नई दिल्ली में हैं।

2.4.2 अधीनस्थ कार्यालय

(i) वस्त आयुक्त का कार्यालय, मुंबई

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय (टीएक्ससी) का मुख्यालय मुंबई में है तथा अमृतसर, नोएडा (कानपुर में भी उसकी उप–कार्यालय के साथ), इंदौर, कोलकाता, बंगलुरू, कोयम्बतूर, नवी मुंबई और अहमदाबाद में इसके आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वस्त्र आयुक्त मंत्रालय के प्रमुख तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय प्रौद्यो–आर्थिक सर्वेक्षण करता है और सरकार को वस्त्र उद्योग की सामान्य आर्थिक स्थिति के बारे में सलाह देता है। वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के विकासात्मक कार्यकलाप वस्त्र तथा क्लोदिंग क्षेत्र की समानांतर उन्नति और विकास की योजना के आस–पास केंद्रित रहते हैं।

देश भर में कार्यरत सैंतालीस विद्युतकरघा सेवा केंद्रों (पीएससी) में से पन्द्रह वस्त्र आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे हैं। यह पीएससी की वस्त्र एवं क्लोदिंग उद्योग के लिए कुशल जन शक्ति तथा विकेंद्रीकृत विद्युतकरण क्षेत्र को तकनीकी परामर्श/सेवाओं की जरूरत को पूरा करते हैं। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों एवं राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित किए जा रहे शेष बत्तीस विद्युतकरघा सेवा केंद्रों का समन्वय करता है और उनका मार्ग दर्शन भी करता है। यह कार्यालय तकनीकी वस्त्र पर विभिन्न विकासात्मक तथा संवर्धनात्मक योजनाओं, वस्त्र एवं पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), समूह वर्कशेड योजना, एकीकृत कौशल विकास योजना, विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र हेतु समूह बीमा योजना, विद्युतकरघा क्षेत्र विकास हेतु एकीकृत योजना, सादे विद्युतकरघों के स्वस्थाने उन्नयन हेतु प्रायोगिक योजना तथा वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस) का कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग भी करता है।

(ii) पटसन आयुक्त का कार्यालय

पटसन आयुक्त का कार्यालय के कार्य तथा गतिविधियां – (i) मशीनरी विकास सहित पटसन उद्योग से संबंधित नीतिगत मामलों की तैयारी के संबंध में मंत्रालय को तकनीकी सलाह देना (ii)राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) जैसे वस्त्र मंत्रालय के पटसन संबंधी निकायों के माध्यम से विकासात्मक कार्यकलापों विशेष रूप से भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (इजिरा) और अन्य वस्त्र अनुसंधान संघों के माध्यम से ऐसे क्षेत्र तथा आरएंडडी कार्यक्रमों में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र तथा उद्यमशीलता कौशल में पटसन हस्तशिल्प और पटसन हथकरघा के संवर्धन के लिए कार्यान्वयन (iii) पटसन और मेस्टा उत्पादकों को एमएसपी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पटसन निगम के माध्यम से कच्ची पटसन और पटसन सामानों दोनों के मूल्य परिवर्तन की मानीटरिंग तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का क्रियान्वयन (iv) स्वदेशी तथा निर्यात बाजार दोनों में पटसन सामानों के बाजार की तलाश करने के लिए विशेष रूप से बाजार संवर्धन। उन पटसन उत्पादक क्षेत्रों में पटसन संबंधी कार्यकलापों को प्रोत्साहित/प्रोन्नत करने के प्रयास किए जा रहे हैं जहां ऐसे कार्यकलाप अपर्याप्त है और पूर्वोत्तर राज्यों सहित गैर पटसन उत्पादक राज्यों में हैं। पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 की धारा 4 के अंतर्गत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए पटसन पटसन आयुक्त, डीजीएसएंडडी खाते पर बी.ट्विल बैगों की आपूर्ति के लिए पटसन मिलों को उत्पादन नियंत्रण आदेश (पीसीओ) जारी करता है। पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए एफसीआई सहित विभिन्न राज्य खाद्यान्न खरीद एजेंसियों द्वारा एमएसपी

के अंतर्गत खरीदे गए खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए इन बैगों की आवश्यकता होती है। पटसन आयुक्त नियमित और समयबद्ध आधार पर पटसन क्षेत्र की समस्याओं और स्थिति की सूचना मंत्रालय को भेजते हैं।

आरटीआई अधिनियम, 2005 को लागू किए जाने के उपरांत, इस कार्यालय ने एक लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया है। पटसन आयुक्त अपीलीय प्राधिकारी है। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न आवेदकों को विविध प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार, पटसन आयुक्त का कार्यालय में सार्वजनिक/स्टाफ की शिकायतों के निपटान के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है।

2.4.3 इनके अलावा, निम्नलिखित सांविधिक निकाय तथा पंजीकृत समितियां मंत्रालय के कार्यों से संबद्ध हैं।

सांविधिक निकाय

(i) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता

राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) का गठन, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के अनुसार किया गया है, जो 01 अप्रैल, 2010 से लागू है और तत्कालीन पटसन विनिर्माण विकास निगम तथा राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केंद्र का राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) में विलय कर दिया गया है।

एनजेबी को सांविधिक रूप से निम्नलिखित उपाय करने का दायित्व सौंपा गया है:–

- पटसन के उत्पादन में वृद्धि करने तथा तत्संबंधी गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से योजना की तैयारी, विस्तार कार्य, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन के मामलों में पटसन की खेती के लिए एकीकृत, प्रोच विकसित करना;
- बेहतर गुणवत्ता वाली कच्ची पटसन के उत्पादन का संवर्धन;
- कच्ची पटसन की उत्पादकता को बढ़ाना;
- बेहतर विपणन तथा कच्ची कपास के मूल्यों का स्थिरीकरण करने के लिए प्रोन्नत करना अथवा व्यवस्था करना;
- कच्ची पटसन तथा पटसन उत्पादों के मानकीकरण का संवर्धन करना;
- अवशिष्ट को समाप्त करने, अधिकतम उत्पादन, गुणवत्ता में सुधार तथा लागत में कमी के उद्देश्य से पटसन उद्योग के लिए दक्षता के मानकों के लिए सुझाव देना;
- कच्ची पटसन के उत्पादकों तथा पटसन उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए लाभप्रद सूचना का प्रचार करनाय
- कच्ची पटसन के प्रसंस्करणए गुणवत्ता ग्रेडिंग की तकनीक तथा पैकिंग में सुधार लाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान में सहयोग तथा प्रोत्साहित करना;
- कच्ची पटसन और पटसन उत्पादों के संबंध में सांख्यिकी का संग्रह तथा निष्पादन करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण अथवा अध्ययन को बढ़ावा देना अथवा करना;

- पटसन विनिर्माताओं के मानकीकरण का संवर्धन करना;
- पटसन उद्योग की दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि करके पटसन विनिर्माताओं के उत्पादन के विकास का संवर्धन करना;
- पटसन क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, आर्थिक तथा विपणन अनुसंधान के लिए स्पांसर, सहयोग, समन्वय, प्रोत्साहित अथवा आरंभ करना;
- पटसन विनिर्माताओं के लिए देश के भीतर और बाहर मौजूदा बाजारों को बनाए रखना और नए बाजार विकसित करना तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऐसे विनिर्माताओं के लिए मांग के अनुरूप विपणन रणनीतियां तैयार करना;
- नयी सामाग्रियों, उपकरण तथा पद्धतियों की खोज और विकास तथा पटसन उद्योग में पहले ही प्रयोग में लायी जा रही पद्धतियों में सुधार करने सहित सामाग्रियों, उपकरण, उत्पादन की पद्धतियों, उत्पाद विकास से संबंधित मामलों में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान के लिए प्रायोजित, सहयोग, समन्वय अथवा प्रोत्साहित करना;
- उद्यमियों, कारीगरों, शिल्पकारों, डिजाइनरों, विनिर्माताओं, निर्यातकों, गैर–सरकार एजेंसियों आदि को सहायता उपलब्ध कराकर विविधीकृत पटसन उत्पादों के लिए अनुकूल परिस्थितियां और आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध कराना और उनका सृजन करना;
- कार्यशालाओं, सम्मेलनों, व्याख्यानों, संगोष्ठियों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजना करना तथा पटसन एवं पटसन उत्पादों के संवर्धन तथा विकास के उद्देश्य से अध्ययन समूह गठित करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना;
- पटसन फसलों की जेस्टेशन अवधि को कम करने तथा पटसन बीज की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनुसंधान करना;
- पटसन क्षेत्र के सुस्थिर मानव संसाधन विकास तथा इसके लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराने हेतु उपायों को करना;
- पटसन क्षेत्र का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय विकास;
- पटसन उत्पादकों तथा कामगारों के हितों की रक्षा करने तथा आजीविका के माध्यमों द्वारा उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाना;
- पटसन उद्योग में संलग्न कामगारों के लिए सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों में सुधार करना तथा बेहतर कार्यशील परिस्थितियों तथा प्रावधानों की व्यवस्था करना;
- वैकल्पिक आधार पर उत्पादकों तथा विनिर्माताओं का पंजीकरण करना;
- समेकन तथा प्रकाशन के लिए पटसन एवं पटसन उत्पादों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना;
- पटसन क्षेत्र के संवर्धन अथवा भारत एवं विदेशों में पटसन एवं पटसन उत्पादों के संवर्धन एवं विपणन के लिए किसी अन्य निकाय के साथ कोई अनुबंध (भागीदार, संयुक्त उद्यम अथवा किसी अन्य तरीके से) करना अथवा शेयर कैपिटल प्राप्त करना।

(ii) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), बैंगलूरू

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निकाय है। संसद के एक अधिनियम (1948 का अधिनियम सं LXI) द्वारा 1948 में स्थापित सीएसबी को रेशम के आयात एवं निर्यात को अभिशासित करने वाली नीतियों के प्रतिपादन सहित रेशम यार्न के उत्पादन के लिए खाद्य पौधों के विकास से रेशम कोया तक देश में रेशम उत्पादन के कार्यकलापों की समग्र प्रक्रिया को शामिल करते हुए रेशम उद्योग को विकसित करने का पूर्ण दायित्व सौंपा गया है। सीएसबी मूल रूप से अनुसंधान और विकास संगठन है। सीएसबी के महत्वपूर्ण कार्यकलापों में रेशम क्षेत्र में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान कार्य करने के लिए सहयोग तथा प्रोत्साहित करना है। रेशम–उत्पादन तथा रेशम वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कार्यक्रम राज्य रेशम उत्पादन/वस्त्र विभागों द्वारा प्राथमिक रूप से प्रतिपादित तथा क्रियान्वित किए जाते हैं। तथापि, केंद्रीय रेशम बोर्ड अपने देशव्यापी नेटवर्क केंद्रों के माध्यम से अनुसंधान और विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूरा करता है। इसके अलावा, केन्द्रीय रेशम बोर्ड गुणवत्तापूरक रेशम कीट के प्राथमिक तथा वाणिज्यिक बीजों के उत्पादन और आपूर्ति की व्यवस्था करता है और विभिन्न रेशम उत्पादन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भी राज्यों को सहयोग प्रदान करता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तर पर रेशम उत्पादन सांख्यिकी का संग्रह तथा संकलन भी करता है।

(iii) वस्त्र समिति, मुंबई

वस्त्र समिति की स्थापना, वस्त्र समिति अधिनियम,1963 के अंतर्गत जुलाई 1964 में की गई थी जिसका उद्देश्य आंतरिक विपणन तथा निर्यात बाजार, दोनों से वस्त्र की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। इसके मुख्य कार्यों में देश भर में वस्त्र तथा वस्त्र निर्यात का संवर्धन, तकनीकी व आर्थिक क्षेत्रों में अनुसंधान, वस्त्रों तथा वस्त्र मशीनों के लिए मानक निर्धारित करना, प्रयोगशालाएं स्थापित करना और आंकड़े एकत्रित करना शामिल हैं। वस्त्र समिति के मुंबई स्थित उसके मुख्यालय के अतिरिक्त 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें से 17 में प्रयोगशालाएं हैं जिनमें 9 पारिस्थिकी मानदंड वाली जांच प्रयोगशालाएं शामिल हैं।

(iv) भुगतान आयुक्त (सीओपी), नई दिल्ली

भुगतान आयुक्त का कार्यलय, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, एक सांविधिक प्राधिकारी है, जिसकी स्थापना रुग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1974 की धारा 17 (1), स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लि. (उपक्रमों का अधिग्रहण व स्थानांतरण) अधिनियम, 1986 की धारा 15(1) तथा वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1995 की धारा 17(1) के अंतर्गत की गई है। भुगतान आयुक्त, उपर्युक्त तीनों अधिनियमों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत

प्रत्येक वस्त्र उपक्रम के स्वामी को सौंपी गई राशि का वितरण करते हैं।

(v) राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान (निफ्ट), नई दिल्ली

राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान (एनएफआईटी) को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में 1986 में स्थापित किया गया था और यह निफ्ट अधिनियम, 2006 के द्वारा शासित एक सांविधिक निकाय है। व्यापक सुरुचिपूर्ण एवं भौतिक दृष्टिकोण को लेकर आने वाले प्रारंभिक शिक्षकों में फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, न्यूयार्क, यूएसए के प्रमुख प्रगतिशील विद्वान शामिल थे। घरेलू शिक्षकों को बुद्धिजीवियों के एक विशिष्ट समूह से लिया गया था जिन्होंने प्रभावी अध्ययन के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु एक गतिशील दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था। नई दिल्ली में निफ्ट के मुख्यालय का पुपुल जयकर और विभिन्न शैक्षणिक विचारकों तथा विजिनरियों की याद दिलाता है जो संस्थान की सफलता के रूपरेखा तैयार करने महत्वपूर्ण रहे थे। संस्थान की विस्तार योजनाओं में शैक्षणिक समावेशन एक उत्प्रेरक के रूप में रहा है। समय के साथ–साथ, निफ्ट ने देश भर में अपना विस्तार किया है।

2.4.4 पंजीकृत समितियां

(i) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी), जोधपुर

केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) का गठन 1987 में एकीकृत नीति के विकास के साथ ऊनी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विविधीकृत को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया था जिसका मुख्यालय, जोधपुर राजस्थान में है। सीडब्ल्यूडीबी को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह, बोर्ड के शासी निकाय के समग्र मार्गदर्शन तथा वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करता है। यह बोर्ड ऊन क्षेत्र की उन्नति तथा विकास से संबंधित मामलों पर वस्त्र मंत्रालय के लिए सलाहकारी निकाय का भी कार्य करता है। वस्त्र मंत्रालय ने श्री जसवंत सिंह बिश्नोई को अगस्त, 2014 में बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इस बोर्ड के शासी निकाय में कुल 29 सदस्य हैं।

(ii) सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं प्रबंधन स्कूल (एसवीपी आईएसटीएम), कोयम्बटूर

एसवीपीआईएसटीएम, की स्थापना 24 दिसम्बर, 2002 को बहु–फाइबर करार युग के पश्चात की चुनौतियों का सामना करने तथा वैश्विक वस्त्र व्यापार में अग्रणी के रूप में इसकी स्थापना करने के लिए भारतीय वस्त्र उद्योग को तैयार करने के लिए कोयम्बटूर, तमिलनाड़ में राष्ट्रीय स्तर के एक प्रमुख वस्त्र प्रबंध संस्थान के रूप में की गयी थी। शासी निकाय (बीओजी) को 2 जुलाई, 2015 को 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया है जिसमें 10 सरकारी सदस्य तथा 4 गैर–सरकारी सदस्य, अध्यक्ष के रूप में सचिव (वस्त्र) शामिल हैं। संस्थान के सुचारू संचालन के लिए शैक्षणिक समिति एवं प्रशासनिक समिति भी गठित की गई हैं।

2.4.5 सलाहकार बोर्ड

(i) अखिल भारतीय विद्युतकरघा बोर्ड (एआईपीबी)

बेहतर उत्पादकता, संवर्धित कुशलता हासिल करने, कामगार कल्याण और विद्युतकरघों के स्थानिक फैलाव में सुधार करने के लिए किए जाने वाले उपायों सहित विद्युत चालित बुनाई क्षेत्र के भीतर विद्युतकरघों के स्वस्थ विकास से जुड़े मामलों में आमतौर पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय विद्युतकरघा बोर्ड का सर्वप्रथम गठन नवम्बर, 1981 में भारत सरकार के सलाहकार बोर्ड के रूप में किया गया था। भारत सरकार समय–समय पर एआईपीबी का पुनर्गठन करती है। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों, विद्युतकरघा उद्योग के विद्युतकरघा परिसंघ/संघों के प्रतिनिधि के सदस्यों के रूप में शामिल हैं तथा माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री इसके अध्यक्ष हैं।

(ii) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड

अखिल भारतीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प बोर्ड (एआईएचएचबी) का पहली बार 1981 में 2 वर्ष की अवधि के लिए गठन किया गया था। हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए नीति तैयार करने में सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से केंद्रीय वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में और केंद्र तथा राज्य सरकारों के सरकारी सदस्यों तथा हथकरघा उद्योग के गैर–सरकारी सदस्यों के साथ अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का गठन 23 जनवरी, 1992 को किया गया था। तत्पश्चात अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का समय–समय पर पुनर्गठन किया गया है।

वर्तमान एआईएचबी का दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन 2 जनवरी, 2014 की अधिसूचना सं. 1/27/2011–डीसीएच/समन्वय/एआईएचबी के तहत किया गया था। माननीय वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में पुनर्गठित अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की पहली बैठक 17 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित गई थी।

(iii) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में गठित एक सलाहकार निकाय है। बोर्ड का पुनर्गठन इस कार्यालय की दिनांक 27.12.2013 की अधिसूचना सं. के–12012/5/2013–योजना के तहत कि दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। पुनर्गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में इस समय 114 सदस्य हैं, जिनमें अध्यक्ष, सह–अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 14 सरकारी सदस्य, सदस्य सचिव सहित 8 संस्थागत सदस्य और 88 गैर–सरकारी सदस्य शामिल हैं। यह सामाजिक– आर्थिक, सांस्कृतिक तथा कलात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए हस्तशिल्प क्षेत्र में समग्र विकास कार्यक्रम तैयार करने में सरकार को अपनी सलाह देता है।

(iv) कपास सलाहकार बोर्ड

कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी) सरकारी एजेंसियों, उत्पादकों, उद्योग एवं व्यापार का एक प्रतिनिधि निकाय है। यह सरकार को सामान्यतः कपास के उत्पादन, खपत और विपणन पर परामर्श देता है तथा कपास वस्त्र मिल उद्योग, कपास उत्पादन, कपास ट्रेड तथा सरकार के मध्य समन्वय का मंच

भी उपलब्ध करवाता है। सीएबी का कार्यकाल 2 वर्ष का है। कपास सलाहकार बोर्ड, कपास तुलनपत्र तैयार करता है। यह बोर्ड द्विस्तरीय प्रणाली में कार्य करता है जिसमें परामर्शदात्री समिति कपास उत्पादकों, कपास व्यापारियों, कपास मिलों से इनपुट प्राप्त करती हैं। कपास परामर्शदात्री समिति कपास सलाहकार बोर्ड की औपचारिक बैठक से पहले अपनी बैठकें आयोजित करती है। परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के बिंदुओं पर सीएबी द्वारा विचार किया जाता है।

3 नवम्बर, 2015 को संपन्न हुई इसकी बैठक में, सीएबी ने कपास मौसम वर्ष 2015–16 के लिए खेती के अंतर्गत क्षेत्र का 117.60 लाख हेक्टेयर, उत्पादन का 365 लाख गांठों तथा उपज का 527.49 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर और निर्यात योग्य अधिशेष का 68 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है।

(v) कपास यार्न सलाहकार बोर्ड (सीवाईएबी)

कपास यार्न सलाहकार बोर्ड का गठन मूल रूप से सितम्बर, 2010 में किया गया था जिसे दिनांक 6 अगस्त, 2014 की अधिसूचना सं. 9/4/10–टीयूएफएस के माध्यम से दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था।

(vi) पटसन सलाहकार बोर्ड

पटसन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष सचिव (वस्त्र) है जो सरकार को पटसन व पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश–2000 के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पटसन से संबंधित मामलों पर सलाह देता है जिनमें पटसन और मेस्ता के उत्पादन से संबंधित अनुमान शामिल हैं। बोर्ड का पुनर्गठन दिनांक 23.06.2014 को दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया था।

2.4.6 निर्यात संवर्धन परिषदें

वस्त्र एवं क्लोदिंग उद्योग के सभी क्षेत्रों अर्थात सिले–सिलाए परिधानों, सूती, रेशम, पटसन, ऊन, विद्युतकरघा, हथकरघा, हस्तशिल्प और कालीनों का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्यारह वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें हैं। वैश्विक निर्यात बाजार में अपने–अपने क्षेत्र के विकास का संवर्धन करने के लिए ये परिषदें वस्त्र मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करती हैं।

वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें इस प्रकार हैं:

i. परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी)
ii. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल)
iii. सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (एसआरटीईपीसी)
iv. ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (एस एंड डब्ल्यूईपीसी)
v. ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन संगठन (वूल टेक्सप्रो)
vi. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी)
vii. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी)
viii. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)
ix. विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पैडिक्सिल)
x. हथकरघा निर्यात सवंर्धन परिषद (एचईपीसी)
xi. पटसन उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (जेपीडीईपीसी)

वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत संगठनों की सूची

श्रेणी	संगठन का नाम
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	बड्र्स जूट एक्सपोर्ट लि. (बीजेईएल), कोलकाता, ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन (बीआईसी) सहायक कंपनियो के साथ, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआईसी), नई दिल्ली, द कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआई) मुंबई, भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम (एचएचईसी) लि., नई दिल्ली, भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) लि., कोलकाता, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी), लखनऊ, राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एनजेएमसी), कोलकाता, राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (एनटीसी), नई दिल्ली।
वस्त्र अनुसंधान संघ	अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ (एटीआईआर), अहमदाबाद, बंबई वस्त्र अनुसंधान संघ (बीटीआरए), मुंबई, भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (आईजेआईआरए), कोलकाता, मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ (मंतरा), सूरत, उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (निटरा), गाजियाबाद, दक्षिण भारत वस्त्र अनुधान संघ (सटिरा), कोयंबटूर, सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स अनुसंधान संघ (ससमीरा), ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यूआरए), थाणे।
सांविधिक निकाय	केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), बैंगलूरू, भुगतान आयुक्त, (कार्पोरेशन), नई दिल्ली राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता, वस्त्र आयुक्त, मुंबई, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) नई दिल्ली
पंजीकृत समिति	केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, (सीडब्ल्यूडीसी) जोधपुर, सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और प्रबंधन स्कूल, (एसवीपीआईएसटीएम) कोयंबटूर
सलाहकार निकाय	अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, अखिल भारतीय विद्युतकरघा बोर्ड, वस्त्र अनुसंधान संघों के लिए समन्वय परिषद, कपास सलाहकार बोर्ड, पटसन सलाहकार बोर्ड

अध्याय–3

संगठित वस्त्र क्षेत्र

3.1 प्रमुख उप क्षेत्र जिनमें वस्त्र क्षेत्र शामिल है उसमें संगठित कपास/मानव–निर्मित फाइबर वस्त्र मिल उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, हथकरघा, पटसन मिल आदि शामिल हैं। वस्त्र उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने तथा तकनीकी निष्पादन को सुदृढ़ करने के लिए एक साथ सुविधाएं प्रदान करने के लिए टफ्स, एसआईटीपी, तकनीकी वस्त्र जैसी योजनाएं आरंभ की हैं।

3.2 संगठित मिल क्षेत्र

संगठित मिल क्षेत्र में 3400 से अधिक वस्त्र मिलें शामिल हैं जिसमें लघु उद्योग तथा गैर–लघु उद्योग दोनों क्षेत्र शामिल हैं। स्पिंडलों की कुल स्थापित क्षमता विश्व में सर्वाधिक है जिसमें 50 मिलियन से अधिक स्पिंडल और 842000 रोटर शामिल हैं। मिल क्षेत्र 2500 मिलियन कि.ग्रा. मानव निर्मित रेशे और मानव निर्मित फिलामेंट धागे के अतिरिक्त लगभग 2500 मिलियन वर्गमीटर कपड़े का उत्पादन करता है। वस्त्र मिलों के अतिरिक्त 95 समेकित पटसन मिलें हैं जो पटसन के बोरों, टाट तथा अन्य पटसन उत्पादों सहित 13 लाख एमटी से अधिक की पटसन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं।

3.3 प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) को वर्ष 1999 में निर्दिष्ट ब्याज प्रतिपूर्ति और मशीनरी के उन्नयन में निवेश हेतु पूंजीगत सब्सिडी मुहैया करवाकर वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा आधुनिकीकरण हेतु पूंजीगत निवेशों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रारंभ

किया गया था। यह एक ऋण संयोजित योजना है जिसका क्रियान्वयन पात्र निवेश के सब्सिडी दावों की प्रतिपूर्ति द्वारा अधिसूचित ऋणदाता एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

योजना को प्रारंभ में अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2004 तक के लिए अनुमोदित किया गया था और बाद में वर्ष 2004 में इसका विस्तार वर्ष 2007 के लिए किया गया था। वर्ष 2007 में योजना का और विस्तार तकनीकी वस्त्र तथा पोशाकों के खंड हेतु 10 प्रतिशत की अतिरिक्त पूंजीगत सहायता (सीएस) जैसे संशोधनों के साथ और आगे के लिए किया गया था और इसे संशोधित टीयूएफएस (एम–टीयूएफएस) के नाम से जाना जाता है।

योजना की पुनर्गठित और पुनर्गठित टीयूएफएस (आर–टीयूएफएस) को 28.4.2011 से 31.3.2012 तक के लिए प्रारंभ किया गया था जिसमें 1972 करोड़ रूपये (31.3.2012 तक) की समग्र आर्थिक सहायता सीमा थी और कताई हेतु 26 प्रतिशत, बुनाई हेतु 13 प्रतिशत, प्रसंस्करण हेतु 21 प्रतिशत, वस्त्रों हेतु 8 प्रतिशत और अन्यों हेतु 31 प्रतिशत की क्षेत्रक निवेश सीमा थी, तथा आर–टीयूएफएस के अंतर्गत सब्सिडी सामान्य तौर पर 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति की थी, सिवाय "कताई" क्षेत्र के जिसके लिए ब्याज प्रतिपूर्ति 4 प्रतिशत की दर से थी। नए शटल रहित करघों हेतु 5 प्रतिशत आईआर के अतिरिक्त् 10 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी का भी विस्तार किया गया था।

योजना को 12वीं योजना (2012–17) में संशोधित पुनर्गठित टीयूएफएस (आरआर–टीयूएफएस) के रूप में 11952.80 करोड़ रूपये के बजटीय आवंटन के साथ जारी रखा गया था। 12वीं योजना के अंतर्गत योजना का मुख्य फोकस बुनाई/पावरलूम क्षेत्र है। आरआर–टीयूएफएस के अंतर्गत सब्सिडी दर नए शटलरहित करघे हेतु 6 प्रतिशत की दर से आईआर+15 प्रतिशत सीएस (5 प्रतिशत आईआर+10 प्रतिशत सीएस के स्थान पर) की है और एमएसएमई यूनिटों हेतु मार्जिन मनी सब्सिडी (एमएमएस) को नए शटलरहित करघों के मामले में 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। "अन्य" क्षेत्रों हेतु सब्सिडी लाभ आर–टीयूएफएस के समान बना हुआ है सिवाय "एकल कताई" और पुराने आयातित शटल रहित करघों के मामले में जहां लाभ को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, नई स्वीकृतियों हेतु अनुमोदित परिव्यय के 10 प्रतिशत व्यय को एमएसई क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

यह अनुमान है कि वर्ष 1999 में इसके प्रारंभ से 2,71,480 रूपये के निवेश को जुटाया गया है और ब्याज प्रतिपूर्ति (आईआर) और पूंजीगत सब्सिडी (सीएस) के रूप में 21698.75 करोड़ रूपये की राशि रिलीज की गई है। वित्त वर्ष 2015–16 में 03.02.2016 तक टीयूएफएस योजना के अंतर्गत 1233.99 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है।

31.3.2015 के अनुसार टीयूएफ योजना के अंतर्गत जारी वर्ष–वार आर्थिक सहायता 20464.76 करोड़ रूपये है। टीयूएफएस की वर्ष–वार प्रगति नीचे दर्शायी गई है:

वर्ष	मामलों की संख्या	परियोजना लागत	स्वीकृत सावधि ऋण राशि	जारी की गई सब्सिडी (वस्त्र मंत्रालय द्वारा)
1999-2000	309	5074	2421	1.00
2000-2001	616	4380	2090	70.00
2001-2002	444	1320	630	200.00
2002-2003	456	1438	839	202.59
2003-2004	884	3289	1341	249.06
2004-2005	986	7349	2990	283.61
2005-2006	1078	15032	6776	485.00
2006-2007	12589	66233	29073	823.92
2007-2008	2260	19917	8058	1143.37
2008-2009	6072	55707	24007	2632.00
2009-2010	2352	27611	6612	2885.98
2010-2011*	256	397	254	2784.18
2011-2012	1794	24364	13619	2937.82
2012-2013	2164	13204	8309	2151.34
2013-2014	585	6387	4328	1730.58
2014-2015	4005	17021	10769	1884.31
कुल	36850	268723	122116	20464.76

* यह योजना 29.6.2010 से 28.4.2011 तक स्थगित थी।

3.3.1 संशोधित–प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस): "मेक–इन–इंडिया" पहल को समर्थन देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने विद्यमान संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी निधि योजना (आरआरटी यूएफएस) के स्थान पर "संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए–टीयूएफएस)" को प्रारंभ किया है जिसमें पात्र मशीनरी हेतु एकमुश्त पूंजीगत आर्थिक सहायता के साथ वस्त्र उद्योग का प्रौद्योगिकी उन्नयन परिकल्पित है। अधिक रोजगार और निर्यात संभाव्यता होने वाले खंडों जैसे कि पोषाक निर्माण और तकनीकी वस्त्र 30 करोड़ की सीमा के अधीन 15 प्रतिशत की दर से पूंजीगत सब्सिडी हेतु पात्र होंगे। बिल्कुल नए शटलरहित करघों (बुनाई तैयारी तथा बुनाई सहित) हेतु बुनाई, प्रसंस्करण, पटसन, रेशम और हथकरघों को 20 करोड़ की सीमा के अधीन 10 प्रतिशत की दर से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। एटीयूएफएस के अंतर्गत 12671 करोड़ रूपये की प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने और नए मामलों हेतु 5151 करोड़ रूपये के साथ वर्ष 2015–16 से 2021–22 तक 7 वर्षों के लिए 17822 करोड़ रूपये के बजट प्रावधान को अनुमोदित किया गया है। यह आशा की जाती है कि इस योजना से 1,00,000 करोड़ रूपये का निवेश आकर्षित होगा और 30.51 लाख रोजगार उत्पन्न होंगे। संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी निधि योजना (आरआरटीयूएफएस) के स्थान पर संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि

योजना (ए–टीयूएफएस) को प्रारंभ करने के संबंध में एक संकल्प 13.1.2016 को जारी किया गया था।

3.4 एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी)

"एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी)" 10वीं पंचवर्षीय योजना से वस्त्र उद्योग को विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचागत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए लागू है। योजना में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1900 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय के साथ वृद्धि की गई है। परियोजना लागत में 40 करोड़ की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत के कुल 40 प्रतिशत की वित्तीय सहायता के साथ एकीकृत वस्त्र पार्क (आईटीपी) की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए उत्पादन/सहायता हेतु सामान्य आधारभूत ढांचा तथा भवन कवर होते हैं। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल आईटीपी स्थापित करने में लोचशीलता मौजूद है।

इस योजना के अंतर्गत घटकों में वित्त–पोषण मुहैया करवाया जाता है यथा सामान्य आधारभूत ढांचा जैसे चाहरदीवारी, सड़कें, जल निकासी, जलापूर्ति, गृहीत विद्युत संयंत्र सहित विद्युत आपूर्ति, स्राव उपचार, दूरसंचार लाइनें, सामान्य सुविधाओं हेतु भवन जैसे परीक्षण प्रयोगशाला (उपकरण सहित) डिजाइन केन्द्र (उपकरण सहित), प्रशिक्षण केन्द्र (उपकरण सहित), व्यापार केन्द्र/प्रदर्शन केन्द्र, भण्डारण सुविधाएं/कच्चा माल डिपो, एक पैकेजिंग यूनिट, शिशुगृह, कैंटीन, कामगारों के हॉस्टल, सेवा प्रदाताओं के कार्यालय, श्रमिक विश्राम और मनोरंजन सुविधाएं, विपणन सहायता प्रणाली (पश्चगामी/अग्रगामी संयोजन) आदि उत्पादन प्रयोजनों हेतु कारखाना भवन, वस्त्र यूनिटों हेतु संयंत्र तथा मशीनरी और कार्यस्थल तथा कामगारों के हॉस्टल शामिल हैं जिन्हें किराया/किराया खरीद आधार पर उपलब्ध करवाया जा सकता है।

उक्त समूहों में प्रत्येक के अंतर्गत कवर की गई मदें उदाहरणस्वरूप हैं और प्रत्येक आईटीपी को उसके सदस्यों की विशिष्ट उत्पादन तथा व्यापार आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जा सकता है। परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) गुण पर मामला–दर–मामला आधार पर परियोजना लागत में किसी घटक को शामिल किए जाने या अन्यथा की सिफारिश करेगी।

भारत सरकार द्वारा कुल वित्तीय सहायता 40 करोड़ रूपये की अधिकतम सीमा के अधीन परियोजना लागत के 40 प्रतिशत तक सीमित है। किसी आईटीपी में भारत सरकार/राज्य सरकार/राज्य उद्योग विकास निगम, यदि कोई हो, की सम्मिलित इक्विटी भागीदारी 49 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। तथापि, भारत सरकार अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में पहली 2 परियोजनाओं हेतु 40 करोड़ रूपये की सीमा के अधीन परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक राशि मुहैया करवा सकती है।

अद्यतन तिथि तक 74 वस्त्र पार्क अनुमोदित किए गए हैं और क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। पार्कों के राज्य–वार आवंटन को नीचे दिया गया है :

राज्य	प्रचालनशील	क्रियान्वयनाधीन	नए अनुमोदन	कुल
असम			1	1
आंध्र प्रदेश	1	2	4	7
बिहार			1	1
गुजरात	7	1	5	13
हिमाचल प्रदेश		1	-	1
जम्मू एवं कश्मीर		1	1	2
कर्नाटक	1	1	-	2
महाराष्ट्र	4	8	4	16
मध्य प्रदेश		1	-	1
पंजाब	1	2	1	4
राजस्थान	1	5	1	7
तमिलनाडु	2	7	-	9
तेलंगाना	1	1	1	3
पश्चिम बंगाल		2	-	2
हरियाणा	-		1	1
उत्तर प्रदेश	-		2	2
कुल	18	32	24	74

कार्यान्वयन की स्थितिः

पूरी तरह से प्रचालनशील होने पर, उक्त पार्कों में लगभग 4000 वस्त्र यूनिटें होने, लगभग 4,50,000 व्यक्तियों हेतु रोजगार उत्पन्न करने और 30000 करोड़ रूपए का निवेश आकर्षित करने की आशा है। एसआईटीपी के अंतर्गत 1311.28 करोड़ रूपए की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है।

अभी तक, योजना दिशा–निर्देशों के अनुसार 18 पार्क प्रचालनशील हो चुके है। ये हैं ब्रांडिक्स एंड पोहमपल्ली–आंध्र प्रदेश, गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क, मुन्द्रा, एसईजैड, आरजेडी टेक्सटाइल पार्क, सूरत सुपर यार्न लिमिटेड, व्रज आईटीपी और फेयरडील टेक्सटाइल पार्क प्रा.लि. ,सयान टेक्सटाइल पार्क–गुजरात, पल्लादम हाईटैक वीविंग पार्क, करूर टेक्सटाइल पार्क, मदुरै टेक्सटाइल पार्क–तमिलनाडु। इस्लामपुर, बारामती हाईटैक टेक्सटाइल पार्क एवं लातूर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, महाराष्ट्र। लोटस इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, पंजाब, डोडबल्लापुर टेक्सटाइल पार्क, कर्नाटक। जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्सक्राफ्ट पार्क प्रा.लि.जयपुर 30 टेक्स्टाइल पार्कों में उत्पादन शुरू हो गया है।

3.5 एसआईटीपी के अंतर्गत वस्त्र विनिर्माण इकाइयां

वस्त्र विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने और अतिरिक्त रोजगार सृजन, विशेष रूप से महिलाओं हेतु, के लिए मंत्रालय ने पार्क में नई/अतिरिक्त वस्त्र यूनिटों को स्थापित करने के लिए एसआईटीपी के अंतर्गत एकीकृत वस्त्र पार्कों को 10 करोड़ रूपये

के अतिरिक्त अनुदान को मुहैया करवाने के लिए मंत्रालय द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत एक परियोजना पल्लादम हाइटेक वीविंग पार्क, तमिलनाडु को स्वीकृत की गई है।

3.6 एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस)

सीसीईए ने अक्तूबर, 2013 को हुई अपनी बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 500 करोड़ रुपए की कुल लागत से एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया था। इस योजना का उद्देश्य समुद्री, नदी और शून्य द्रव्य डिस्चार्ज (जेडएलडी) सहित उचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने में वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र को समर्थ बनाना है। राज्य सरकारों से अपने राज्यों में विद्यमान वस्त्र प्रसंस्करण यूनिटों के उन्नयन अथवा नई प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा यथा संस्तुत उचित प्रस्तावों को मंत्रालय के विचार हेतु अग्रेषित करने का अनुरोध किया है जिसमें साथ में परियोजना लागत के 25 प्रतिशत को पूरा करने की प्रतिबद्धता भी हो।

आईपीडीएस योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा सिद्धांततः अनुमोदित 5 प्रस्तावों को नीचे दिया गया है –

I. राजस्थान में बालोतरा में शून्य द्रव्य उत्सर्जन (जेडएलडी) में 18 एमएलडी सीईटीपी का उन्नयन।

II. पंजाब डायर्स एसोसिएशन, लुधियाना द्वारा 25 एमएलडी परियोजना की स्थापना।

III. पाली, राजस्थान में 12 एमएलडी सीईटीपी का जेडएलडी में उन्नयन।

IV. जसोल द्वारा 2.5 एमएलडी सीईटीपी का जेडएलडी में उन्नयन।

V. सदर्न डिस्ट्रिक्ट टैक्सटाइल प्रोसेसिंग क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड (एसडीटीपीसी), विरूद्ध नगर, तमिलनाडु हेतु 6 एमएलडी जेडएलडी परियोजना को स्थापित करना

3.7 परिधान विनिर्माण उद्भवन योजना (एसआईएएम)

38.8 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ जनवरी 2014 में परिधान विनिर्माण उद्भवन योजना (एसआईएएम) को 12.93 करोड़ रूपए प्रति उद्भवन केन्द्र की दर से तीन उद्भवन केन्द्रों को स्थापित करने के लिए प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य नए उद्यमियों को परिधान विनिर्माण शुरू करने वालों के लिए एक एकीकृत कार्यस्थल तथा पूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र और प्लग एंड प्ले सुविधा मुहैया करवाना है जिससे उन्हें नए उद्भवन केन्द्र को स्थापित करने में लगने वाले समय, लागत और प्रयासों को कम करने में सहायता मिले। इस एकीकृत कार्यस्थल तथा संबद्ध सेवाओं से उद्यमी अपने विचारों को कार्यान्वित कर सकेंगे और एक ऐसी प्रक्रिया के जरिए अपने उत्पाद उतार सकेंगे जो प्रचालनात्मक रूप से तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य हो। अक्तूबर, 2014 में दो परियोजनाएं यथा हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को–ऑपरेशन (एचएसआईआईडीसी) तथा स्पिनफेड, उड़ीसा को स्वीकृत किया

जा चुका है और वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन है।

3.8 वस्त्र उद्योग कामगार आवास योजना

45 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वस्त्र कामगार आवास योजना का प्रस्ताव 2014 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र एवं परिधान उद्योगों की बहुलता वाले क्षेत्रों के आसपास कामगार हॉस्टलों के रूप में वस्त्र तथा परिधान उद्योग के कामगारों के लिए सुरक्षित, पर्याप्त एवं सुविधाजनक रूप से अवस्थित आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। गुजरात इको टेक्सटाइल्स पार्क प्राइवेट लि. तथा पल्लाडेम हाई–टेक वीविंग पार्क की दो परियोजनाएं अक्तूबर, 2014 में अनुमोदित की गई और वर्तमान में क्रियान्वयन के अधीन है।

3.9 वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस)

वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना संपूर्ण वस्त्र इकाई अथवा इसके किसी खास हिस्से के स्थायी रूप से बंद होने के कारण बेरोजगार हुए वस्त्र कामगारों को अंतरिम सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 15.09.1986 से लागू हुई। इस योजना के अंतर्गत पात्र कामगारों को सहायता केवल उन्हें दूसरे रोजगार में लगने में सक्षम बनाने के प्रयोजन से देय है। ऐसी सहायता पैतृक, हस्तांतरणीय अथवा कामगार की ऐसी किसी अन्य देयता के कारण कुर्की किए जाने लायक नहीं है। कामगार की पात्रता तब खत्म हो जाएगी जब वह किसी अन्य पंजीकृत अथवा लाइसेंस प्राप्त उपक्रम में रोजगार शुरू करेगा। यदि कामगार अपने आपको किसी स्वरोजगार उद्यम से जोड़ लेता है तो पुनर्वास सहायता कम नहीं की जाएगी।

इस योजना के प्रयोजनार्थ बंद वस्त्र इकाई से तात्पर्य है:

(i) ऐसी कोई इकाई जो उद्योग (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अथवा वस्त्र आयुक्त के पास उसके बंद होने के दिन मध्यम इकाई के रूप में लाइसेंस प्राप्त अथवा पंजीकृत इकाई हो;

(ii) उसने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(ण) के अंतर्गत बंद होने के बारे में राज्य सरकार से आवश्यक समुचित अनुमति प्राप्त की हो अथवा इकाई के समापन के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत वैकल्पिक तौर पर एक सरकारी परिसमापक की नियुक्ति की गई हो।

(iii) उक्त इकाई 6.6.1985 को अथवा उसके बाद बंद की गई हो।

(iv) इसमें आंशिक रूप से बंद इकाइयां भी शामिल हैं, जिनमें राज्य सरकारों की यह सिफारिश है कि नोडल एजेंसी/बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित किसी रुग्ण/कमजोर मिल हेतु पुनर्वास पैकेज (आरबीआई की परिभाषा के अनुसार) के एक भाग के रूप में एक समूचा गैर लाभकारी कार्यकलाप (जैसे कि बुनाई अथवा प्रसंस्करण) बंद हो गया हो बशर्ते बंद हुई क्षमता निरसन हेतु सुपुर्द की गई हो और लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्र में आशय को पृष्ठांकन किया गया हो।

पात्रता

कोई कामगार उस स्थिति में पात्र होगा जब उसने इकाई बंद होने की तारीख को बंद हुई उस वस्त्र इकाई में लगातार 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक कार्य किया हो और 6.6.1985 से 01.04.1993 के बीच उसने बंद हुई उक्त मिलों में 2500 रुपए प्रति माह के समतुल्य या उससे कम की मजदूरी अर्जित की हो और उसके बाद 3500 रुपए या उससे कम की मजदूरी अर्जित की हो। वे संबंधित राज्य के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा रखी गई भविष्य निधि में अंशदान करते रहे हों।

राहत की अवधि और मात्रा

इस योजना के अंतर्गत राहत टैपरिंग आधार पर केवल 3 वर्ष के लिए उपलब्ध है परंतु किसी कामगार की अधिवार्षिकी की तारीख के बाद इसे प्रदान नहीं किया जाएगा। कामगार निम्नानुसार राहत प्राप्त करने का पात्र है :–

- इकाई बंद होने के प्रथम वर्ष में समतुल्य मजदूरी के 75% तक;
- द्वितीय वर्ष में समतुल्य मजदूरी के 50% तक; और
- तृतीय वर्ष में समतुल्य मजदूरी के 25% तक।

योजना का प्रचालनः

इस योजना का संचालन वस्त्र आयुक्त के कार्यालय, मुंबई द्वारा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए और राज्य सरकार, सरकारी परिसमापक, भविष्य निधि प्राधिकारियों, संबंधित नामित व्यापार यूनियन और नामित बैंकों के समन्वय से किया जाता है। राज्य सरकार प्रबंधन/सरकारी परिसमापक/भविष्य निधि प्राधिकरण आदि से कामगारों आदि के ब्यौरे एकत्र करेगा और पात्र कामगारों की सूची तैयार करेगा जिसे निर्धारित प्रपत्र में संबंधित क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त कार्यालय को भेजेगा। क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त का कार्यालय सूची की छानबीन करता है और पात्र राहत के साथ पात्र कामगारों की सूची सूचना पट्ट पर रखने के अलावा, राज्य सरकार और नामित व्यापार यूनियन को भेजी जाती है।

पात्र अलग–अलग कामगारों के लिए नामित राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग से बचत बैंक खाता खोलना और राज्य सरकार के जरिए क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को राहत का दावा करने वाले अपने आवेदन के साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र भेजेगा। इस बीच क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त का कार्यालय प्रस्तावों की जांच करता है और निधि की जरूरत का आकलन करता है तथा निधि जारी करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्त के मुख्यालय को रिपोर्ट देता है। निधि का आवंटन प्राप्त होने के बाद क्षेत्रीय कार्यालय को आवश्यक निधि का आवंटन वेतन एवं लेखा कार्यालय (वस्त्र), मुंबई द्वारा खोले गए साख पत्र के रूप में किया जाता है। निधि प्राप्त होने के बाद क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त का कार्यालय पात्र कामगारों की सूची और प्रत्येक पात्र कामगार को भुगतान किए जाने वाली राहत की राशि के साथ नामित बैंक के पक्ष में एकीकृत चैक भेजकर राहत का वितरण करता है।

योजना की प्रगति

दिनांक 31.12.2015 तक 95 मिलों के 117348 कामगारों को 317.20 करोड़ रुपए की राहत राशि का वितरण किया गया है। राज्यवार संचयी स्थिति नीचे दी गई है।

राज्य	दिसम्बर 2015 तक राहत का भुगतान की गई मिलों की संख्या	मिल की पंजी पर कामगारों की संख्या	टीडब्ल्यूआरएफएस के अंतर्गत दिसम्बर 2015 तक भुगतान किए गए कामगारों की संख्या	दिसम्बर, 2015 तक वितरित की गयी राशि (लाख रुपए में)
गुजरात	43	80749	63718	15995.10
महाराष्ट्र	6	9958	8083	2393.63
मध्य प्रदेश	5	19800	19033	5307.89
तमिलनाडु	7	7225	5886	1179.18
केरल	1	500	437	247.00
कर्नाटक	11	10378	6171	2240.54
आंध्र प्रदेश	11	4391	3303	1328.45
तेलंगाना	1	377	147	52.48
दिल्ली	1	5187	5170	1193
पश्चिम बंगाल	3	2072	2042	533.49
पंजाब	5	7582	3141	1204.25
उत्तर प्रदेश	1	2344	217	45.39
कुल	95	150563	117348	31720.40

3.10 तकनीकी वस्त्र

तकनीकी वस्त्र प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी):

तकनीकी वस्त्र प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी) 200 करोड़ रुपए के एक वित्तीय परिव्यय के साथ 2010–11 से 2014–15 के लिए दो लघु मिशनों के साथ प्रारंभ किया गया। इस मिशन का उद्देश्य घरेलू तथा निर्यात बाजार में निरंतर बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए देश में तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन में बाधा डाल रही रूकावटों को दूर करना है। टीएमटीटी का 2 और वर्षों (2015–16 तथा 2016–17) हेतु विस्तार किया गया है। टीएमटीटी के अंतर्गत विस्तार अतिरिक्त घटकों को शामिल किया गया है नामतः फोकस इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना और शेष भारत में कृषि वस्त्रों तथा जीयो वस्त्रों के उपयोग को बढावा देने हेतु योजना। योजना के ब्यौरे/उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

टीएमटीटी का लघु मिशन–। (निधि आबंटन–156 करोड़ रुपए)

उद्देश्यः मानकीकरण, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन के साथ सामान्य परीक्षण सुविधाएं सृजित करना, आई.टी अवसंरचना के साथ प्रोटोटाइप्स तथा संसाधन केंद्र का घरेलू विकास।

पहलें

क) तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माताओं की सुविधा हेतु एक ही स्थान पर अवसंरचनात्मक

सहायता उपलब्ध कराने के लिए चार उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना

तकनीकी वस्त्र वृद्धि एवं विकास योजना (एसजीडीटी) के अंतर्गत एग्रोटेक (ससमीरा), जियोटेक (बिटरा), प्रोटेक (निटरा) तथा मेडीटेक (सिटरा) में पहले से स्थापित चार उत्कृष्टता केंद्रों के अतिरिक्त, संबंधित क्षेत्रों के तकनीकी वस्त्र विनिर्माताओं की सहायता के लिए नॉनवूवन्स, कंपोजिट्स, इंडुटेक एवं स्पोर्टेक के क्षेत्रों में चार और सीओई स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक सीओई के लिए 25.00 करोड़ रुपए चिन्हित किए गए हैं। सभी आठ उत्कृष्टता केंद्रों का विवरण इस प्रकार है।

क्र.सं.	सीओई का नाम	उत्कृष्टता केंद्र का क्षेत्र
1.	एक अग्रणी भागीदार बीटीआरए के साथ द बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (बीटीआरए) मुंबई एवं अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन (अटीरा), अहमदाबाद।	जियोटेक
2.	एक अग्रणी भागीदार के रूप में ससमीरा के साथ एक नॉलेज पार्टनर के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली के साथ सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन (ससमीरा), मुंबई तथा मैन–मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (मंतरा), सूरत तथा नवसारी एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी ।	एग्रोटेक
3.	एक अग्रणी भागीदार के रूप में निटरा के साथ नॉर्दन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (निटरा), गाजियाबाद तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली।	प्रोटेक
4.	एक अग्रणी भागीदार के रूप में सिटरा के साथ साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (सिटरा), कोयम्बटूर तथा एसी कॉलेज ऑफ टेक्नालॉजी, चैन्नई।	मेडीटेक
5.	डीकेटी सोसाइटीस टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, इचलकरांजी, महाराष्ट्र	नॉन–वूवन्स
6.	पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नालॉजी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	इंडुटेक
7.	अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन (अटीरा), अहमदाबाद, गुजरात	कंपोजिट्स
8.	वूल रिसर्च एसोसिएशन (डब्ल्यूआरए), थाणेअहमदाबाद, गुजरात	स्पोर्टेक

इन उत्कृष्टता केंद्रों में सृजित की जा रही आवश्यक सुविधाएं इस प्रकार हैं:

i. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन सुविधाओं के साथ तकनीकी वस्त्रों के अभिज्ञात क्षेत्रों के उत्पादों की परीक्षण एवं मूल्यांकन सुविधाएं तथा विदेशी संस्थानों/प्रयोगशालाओं के साथ समन्वय

ii. आईटी अवसंरचना के साथ संसाधन केंद्र

iii. प्रोटोटाइप्स के विकास हेतु घरेलू सुविधाएं

iv. तकनीकी वस्त्र उद्योग के केंद्रीय कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण तथा कार्मिकों हेतु नियमित प्रशिक्षण सुविधाएं

v. स्टेकहोल्डरों के साथ जानकारी को बांटना

vi. उद्भवन केंद्र

vii. वैश्विक स्तर के समकक्ष मानकों की स्थापना

(ख) चार मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों का उन्नयन

तकनीकी वस्त्र वृद्धि एवं विकास योजना (एसजीडीटीटी) के अंतर्गत पहले ही चार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं परन्तु इन उत्कृष्टता केंद्रों के पास अपने क्षेत्रों के उत्पादों के प्रोटोटाइप्स, उष्मायन केंद्र के विकास हेतु सुविधाएं तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु व्यय करने के प्रावधान नहीं है। इसलिए मौजूदा सीओई को नए सीओई के अनुरूप उन्नत करने के लिए 14 करोड़ रुपए की निधि सहायता चिन्हित की जा रही है।

उक्त 8 उत्कृष्टता केन्द्रों की प्रगति

- सीओई के प्रांरभ से संचित राजस्व सृजन 1566 लाख रूपये है।
- 387 प्रोटोटाइप नमूने विकसित किए गए हैं
- उद्योग हेतु 15732 व्यक्तियों का प्रशिक्षण
- बीआईएस को 111 मानक प्रस्तुत किए गए
- 254 तकनीकी परामर्शी कार्य लिए गए
- तकनीकी वस्त्र यूनिटों को स्थापित करने के लिए 69 डीपीआर तैयार की गई
- 519 प्रशिक्षण कार्यक्रमों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन

लघु मिशन–।। (निधि आबंटन– 44 करोड़ रुपए)

उद्देश्यः तकनीकी वस्त्रों हेतु घरेलू एवं निर्यात बाजार विकास को सहायता।

पहलें:

क) व्यापार शुरूआत हेतु सहायता

तकनीकी वस्त्र एक नया क्षेत्र है तथा उद्यमी, विशेषकर एसएमई क्षेत्र के लिए तकनीकी वस्त्रों पर कोई परियोजना प्रारंभ करना कठिन होता है। वस्त्र मंत्रालय/वस्त्र आयुक्त का कार्यालय द्वारा सीओई तथा अन्य संघों/संस्थानों/स्वतंत्र प्रतिष्ठित परामर्शदाताओं को पैनलबद्ध किया गया है जोकि परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगे और परियोजनाओं की समाप्ति तक क्षमतावान उद्यमियों के लिए हैंड होल्डिंग करते हैं। यह परामर्शदाता उत्पाद चयन, प्रौद्योगिकीय व्याख्या और खरीद, बाजार आकलन,वाणिज्यिकरण

तथा विपणन सहायता सहित क्षमतावान निवेशकों को संपूर्ण सेवा उपलब्ध कराते हैं।

तकनीकी वस्त्रों हेतु प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी) के अंतर्गत व्यापार शुरू करने के लिए 6 परामर्शदाताओं को पैनलबद्ध किया गया है। अभी तक, इस संघटक के अंतर्गत 5 इकाइयों स्थापित की गई हैं।

ख) कार्यशाला के आयोजन हेतु निधि सहायता उपलब्ध कराना

स्टेक होल्डरों के मध्य तकनीकी वस्त्रों के बारे में जागरूकता अभी भी निम्न स्तर पर है। तकनीकी वस्त्रों के बारे में जागरूकता का सृजन करने के उद्देश्य से, विदेशों में बसे अप्रवासी भारतीयों सहित प्रतिष्ठित एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को सेमीनार, कार्यशाला तथा अल्पावधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जा रहा है जिनमें नवीनतम प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं, बाजार विवरण, वैश्विक परिदृश्य आदि के बारे में जानकारी साझा की जाएगी।

इस योजना की शुरूआत से अब तक कुल 72 कार्यशालाएं/सेमीनार आयोजित किए जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों को सभी स्टेक होल्डरों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इस वित्त वर्ष के दौरान, अभी तक, इस संघटक के अंतर्गत 14 सेमीनार/कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

ग) मानकीकरण, नियामक उपायों के माध्यम से सामाजिक अनुपालन

कुछ तकनीकी वस्त्रों को प्रयोग के लिए प्रयोक्ता उद्योगों/मंत्रालयों द्वारा बढ़ावा देने तथा कुछ को अनिवार्य निर्देशन की आवश्यकता होती है। परामर्शदाताओं की अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के अनुरूप आवश्यक नियामक परिवर्तनों को चिन्हित करने तथा ऐसे परिवर्तनों को नियमों एवं विनियमों में शामिल करने के लिए सेवाएं ली जा रही हैं।

इस पहल के अंतर्गत टीएमटीटी के अंतर्गत 'भारत में जियोटेक के अनुप्रयोग के संवर्धन हेतु विनियामक उपाय' तथा 'भारत में एग्रोटेक के प्रयोगों के संवर्धन हेतु विनियामक उपाय' पर अध्ययन संपन्न किए गए। अंतिम रिपोर्ट कार्यालय की वेबसाइट www.technotex.gov.in पर उपलबध करा दी गई है।

घ) बड़े एवं संस्थागत क्रेता आदि के लिए विपणन सहायता हेतु बाजार विकास सहायता

इस पहल के अंतर्गत, देश भर में क्रेता–विक्रेता बैठके आयोजित की जा रही हैं जिनमें घरेलू विनिर्माता अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकते हैं तथा संस्थागत क्रेताओं को विनिर्माताओं की विपणन प्रतिस्पर्धा में बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

अभी तक, इस संघटक के अंतर्गत कुल 16 क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित की गई हैं जिनमें से 4 अंतर्राष्ट्रीय क्रेता–विक्रेता बैठकें 'टेक्नोटेक्स 2011','टेक्नोटेक्स 2013', 'टेक्नोटेक्स 2014' 'टेक्नोटेक्स 2015' के ब्रांड नाम के अंतर्गत आयोजित की गई जिनमें विभिन्न देशों से स्टेक होल्डरों ने भाग लिया।

ङ) **निर्यात बिक्री हेतु बाजार विकास सहायता**

विदेशों में कई प्रतिष्ठित तकनीकी वस्त्र मेले आयोजित किए जाते हैं। इन मेलों में प्रतिभागिता से घरेलू विनिर्माता की निर्यात क्षमता में सुधार आएगा। कुछ तकनीकी वस्त्र इकाइयां अनुप्रयोग आधारित मेलों की प्रदर्शनियों में भाग ले रही हैं। इस पहल के अंतर्गत सहायता में, भारतीय तकनीकी वस्त्र विनिर्माताओं द्वारा अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए तकनीकी वस्त्र मेलो/अनुप्रयोग आधारित मेलों में प्रतिभागिता शामिल है।

आज तक, इस संघटक के अंतर्गत 64 इकाइयों ने सहायता प्राप्त की है।

च) **आईआईटी/टीआरए/वस्त्र संस्थानों के माध्यम से संविदा अनुसंधान तथा विकास**

तकनीकी वस्त्र उच्च प्रौद्योगिकी वाला क्षेत्र है जहां अधिकतर नई सामग्री वाले हाई एंड परिवर्तित उत्पादों को आयात किया जाता है, इसलिए उत्पादों के घरेलू विकास की सख्त आवश्यकता है जिसके लिए आरएंडडी सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार संविदा अनुसंधान इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल है। एक संविदा अनुसंधान प्रस्ताव के लिए एकल इकाई अथवा दो या और इकाइयां एक साथ शामिल हो सकती हैं।

आज तक, इस संघटक के अंतर्गत 5 परियोजनाओं को लिया गया है।

फोकस इनक्यूबेशन सेंटर (एफआईसी) : संभाव्य निवेशकों की तकनीकी वस्त्रों में प्रवेश करने में सहायता के उद्देश्य से वस्त्र मंत्रालय टीएमटीटी के अंतर्गत स्थापित सीओई में प्लग एवं प्ले मॉडल पर फोकस इनक्यूबेशन सेंटर (एफआईसी) को स्थापित कर रहा है। तदनुसार, 6 सीओई नामतः अटीरा, डीकेटीई, नेत्रा, पीएसजी कॉलेज ऑफ टैकनॉलाजी, ससमीरा और सिट्रा को एफआईसी स्थापित करने के लिए 17.45 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है। उक्त एफआईसी को निम्नलिखित उद्देश्य तथा उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं :

- वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन हेतु अपनी यूनिटों के स्थापन हेतु संभाव्य उद्यमियों को मूलभूत अवसरंचनात्मक ढांचे/आधारभूत मशीनरियों के साथ औद्योगिक शेड उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- एफआईसी को वाणिज्यिक पैमाने पर नवाचार को लेने हेतु संबंधित सीओई के मार्ग दर्शन के साथ नए उद्यमियों को "प्लग एण्ड प्ले " मॉडल पर मुहैया करवाया जा सकता है।
- एक बार स्थापित होने पर वे अपनी सुविधाओं पर स्थानांतरित हो जाएंगे और केन्द्र नए उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाएगा।
- सीओई को 6 माह की समयावधि के भीतर अपने क्षेत्र में एफआईसी स्थापित करने होंगे।
- वहां प्रत्येक उद्यमी हेतु उपकरणों की एक पृथक लाइन होगी।
- एफआईसी उद्यमियों द्वारा चलाए जाएंगे और न कि सीओई द्वारा।

अध्याय–4

निर्यात

4.1 भारत का वस्त्र एवं परिधान उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है। यह विश्व भर में भारत के निर्यात का सबसे बड़ा योगदान प्रदाता क्षेत्र है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान भारत के विनिर्माण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित कार्यशील समूह की रिपोर्ट में मार्च, 2017 के अंत तक भारतीय वस्त्रों एवं परिधानों के निर्यात के 64.41 बिलियन अमरीकी डॉलर हो जाने की संकल्पना की गई है। यह विनिर्माण उत्पादन का 10%, भारत की जीडीपी का 2% योगदान करता है। यह 45 मिलियन लोगों को रोजगार देता है तथा देश के कुल निर्यात में 13% की हिस्सेदारी रखता है। जहां तक वस्त्र क्षेत्र का संबंध है भारत एक प्रमुख निर्यातक देश है और वस्त्रों में आयात की मात्रा निर्यातों से काफी अधिक है। अधिकांश आयात पुनः निर्यात अथवा विशेष आवश्यकताओं के लिए किए जाते हैं। नवम्बर, 2015 में जारी यूएन कॉमट्रेड 2014 के आंकड़ों के अनुसारए विश्व भर में 38.6 बिलियन अमरीकी डॉलर के साथ भारत दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र एवं परिधान निर्यातक देश है जबकि परिधान निर्यात में 16.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के मूल्य के परिधान निर्यात के साथ सभी निर्यातक देशों के मध्य भारत पांचवा सबसे बड़ा निर्यातक माना गया। यूएन कॉमट्रेड के अनुसार, 2014 में चीन सबसे बड़ा टीएण्डसी निर्यातक था जिसका अनुसरण भारत, इटली, जर्मनी, बांग्लादेश तथा तुर्की ने किया जबकि परिधान निर्यात की श्रेणी में चीन, बांग्लादेश, इटली, जर्मनी, वियतनाम तथा भारत अपने–अपने स्थान पर प्रमुख निर्यातक हैं। वर्ष 2015–16 (अप्रैल–दिसम्बर) के दौरान वस्त्र एवं परिधान (टीएण्डसी) का निर्यात तथा आयात इस प्रकार था।

निर्यात	2014-15		2015-16 (अप्रैल–दिसम्बर)	
	करोड़ रूपए में	मिलियन अमेरीकी डॉलर में	करोड़ रूपए में	मिलियन अमेरीकी डॉलर में
भारतीय वस्त्र एवं परिधान	2,30,294	37,655	1,73,796	26,830
हस्तशिल्प	27,747	4,537	7,926	1,221
हस्तशिल्प सहित कुल टीएण्डसी	2,58,041	42,192	1,81,722	28,052
समग्र निर्यात का : वस्त्र निर्यात	13.6%	13.6%	14.3%	14.3%
भारत के कुल निर्यात	18,96,348	3,10,338	12,73,734	1,96,680
डाटा स्रोतः डीजीसीआईएण्डएस				

निर्यात	2014-15 (अप्रैल–दिसम्बर)		2015-16 (अप्रैल–दिसम्बर)	
	करोड़ रूपए में	मिलियन अमेरीकी डॉलर में	करोड़ रूपए में	मिलियन अमेरीकी डॉलर में
कुल वस्त्र एवं परिधान आयात	25,753	4,694	36,159	4589

डाटा स्रोत : डीजीसीआईएण्डएस

4.2 वस्त्र निर्यात की प्रमुख उपलब्धियां

i. भारत से हस्तशिल्प सहित वस्त्र तथा वस्त्र उत्पादों का निर्यात वर्ष 2013–14 के दौरान 41.4 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर वर्ष 2014–15 के दौरान 42.2 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया है। भारत की समग्र निर्यात बास्केट में भी इसका अंश 2013–14 में 13.2 प्रतिशत से बढ़कर 2014–15 में 13.6 प्रतिशत हो गया है। रूपये रूप में इसका मूल्य वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 के दौरान क्रमशः 250,841 करोड़ रूपये और 258,041 करोड़ रूपये था।

ii. वर्ष 2013–14 के दौरान तैयार वस्त्र (आरएमजी) कुल वस्त्र निर्यात का लगभग 36 प्रतिशत था। जबकि 2014–15 में आरएमजी का निर्यात बढ़कर कुल वस्त्र निर्यात का 40 प्रतिशत हो गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014–15 में निर्यात में योगदान देने वाले प्रमुख घटक कपास आधारित वस्त्र (18 प्रतिशत), मानव निर्मित वस्त्र (11 प्रतिशत), हस्तशिल्प (11 प्रतिशत) और तैयार वस्तुएं तथा गलीचे (15 प्रतिशत) हैं।

iii. वर्ष 2015–16 (अप्रैल–दिसम्बर) के दौरान कुल वस्त्र तथा वस्त्र उत्पादों के निर्यात का मूल्य 28.05 बिलियन अमेरिकी डालर आंका गया है जिसमें से उक्त् अवधि के दौरान 196.6 बिलियन अमेरिकी डालर के कुल भारतीय निर्यात में इसका अंश 14.3 प्रतिशत है।

iv. हथकरघा तथा हस्तशिल्प सहित भारतीय वस्त्र उत्पाद 100 से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं। यद्यपि, यूएसए तथा ईयू भारत के वस्त्र निर्यात का लगभग दो

तिहाई हिस्सा प्राप्त करते हैं। अन्य प्रमुख निर्यातक देशों में चीन, यूएई, श्रीलंका, सऊदी अरब, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, बांग्लादेश, तुर्की, पाकिस्तान, ब्राजील, हांगकांग, कनाडा तथा मिस्र शामिल हैं।

वस्त्र आयातः

वर्ष 2013–14 की तुलना में वर्ष 2014–15 और अप्रैल–दिसम्बर, 2014–15 की तुलना में अप्रैल–दिसम्बर 2015–16 हेतु वस्त्र आयात के आकड़े निम्नवत हैं:

आयात	2013-14		2014-15		2014-15 (अप्रैल–दिसम्बर)		2015-16 (अप्रैल–दिसम्बर)	
कुल वस्त्र एवं परिधान आयात	करोड़ रूपए में	मिलियन अमेरीकी डॉलर में	करोड़ रूपए में	मिलियन अमेरीकी डॉलर में	करोड़ रूपए में	मिलियन अमेरीकी डॉलर में	करोड़ रूपए में	मिलियन अमेरीकी डॉलर में
	32,098	5,309	36,783	6,020	25,753	4,694	36,159	4,589

डाटा स्रोत : डीजीसीआईएण्डएस

i. भारत में वस्त्र तथा वस्त्र उत्पादों (टीएण्डसी) का आयात अप्रैल–दिसम्बर (2014–15) के दौरान 4.69 बिलियन अमेरिकी डालर से आंशिक रूप से कम होकर वर्तमान वित्त वर्ष की समान समयावधि के दौरान 4.58 बिलियन अमेरिकी डालर है।

ii. भारत में वस्त्र तथा वस्त्र उत्पादों (टीएण्डसी) का आयात 2013–14 के दौरान 5 बिलियन अमेरिकी डालर से आंशिक रूप से कम होकर 2014–15 के दौरान 6 बिलियन अमेरिकी डालर है।

4.3 द्विपक्षीय समझौते

बेलारूस

भारत तथा बेलारूस के मध्य उनके वस्त्र, कपड़ों और फैशन उद्योगों के क्षेत्र में कारोबार तथा सहयोग का विस्तार करके व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को बढावा देने के लिए दोनों देशों के मध्य 3.6.2015 को मिंस्क में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

बाजार संपर्क पहल योजना के अंतर्गत अप्रैल–अक्तूबर, 2015 के दौरान संपन्न मेले/प्रदर्शनियां/ कार्यक्रम– टेक्सटाइल ईपीसी ने भारत तथा विदेशों यथा जापान, हांगकांग, चीन, यूएसए, लेटिन अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका आदि में अप्रैल–अक्तूबर, 2015 के दौरान अपने क्रेताओं के माध्यम से व्यापार सृजित करने के लिए तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ब्रांड इमेज बनाने के लिए वस्त्र एवं परिधान तथा हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करते हुए कम से कम 21 प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लिया/ आयोजित किया।

भारत तथा विदेशों में वस्त्र मेलों/प्रदर्शनियों/ कार्यक्रमों हेतु एमएआई के अंतर्गत सहायता

बाजार संपर्क पहल योजना (एमएआई) के अंतर्गत, 17 सितम्बर, 2015 को आयोजित हुई एमएआई पर उप–समिति की बैठक द्वारा वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेलों, प्रदर्शनियों तथा कार्यक्रमों में प्रतिभागिता/आयोजन के लिए 98 करोड़ रुपये के 50 प्रस्तावों को अनुमति प्रदान की गई। ये कार्यक्रम भारतीय वस्त्र उत्पादों के लिए निर्यात को बढ़ावा देने, मौजूदा बाजारों को समेकित करने तथा नए बाजारों की क्षमता का दोहन करने में सहायक होंगे।

4.4 केंद्रीय बजट 2015–16 में वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने से संबंधित घोषणाएं

- सिलेसिलाए परिधानों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिएए ट्रिमिंग्स, सजावटी सामानों तथा अन्य विनिर्दिष्ट वस्तुओं के आयात हेतु शुल्क मुक्त पात्रता को उनके निर्यात मूल्य के 3% से बढ़ाकर 5% करने का प्रस्ताव किया गया है।
- आयात एवं निर्यात कार्गो की त्वरित निकासी अंतरण लागत में कमी तथा व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार करती है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता के लिए, सभी निर्यात वस्तुओं के संबंध में 13 और हवाई अड्डों तथा विनिर्दिष्ट आयात एवं निर्यात वस्तुओं के संबंध में 14 और समुद्री बंदरगाहों पर 24x7 विद्यमान सीमा शुल्क निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने के उपाए किए जा रहे हैं।

योजनाओं के अंतर्गत घोषित लाभः

भारत से व्यापारीकृत निर्यात (एमईआईएस)	उत्पादों के निर्यात हेतु प्रोत्साहन प्राप्त किए गए एफओबी मूल्य के प्रतिशत के रूप में देय होगा : • अध्याय 50–60 हेतु (सभी प्रकार की कपास, एमएमएफ और अन्य वस्त्र) – सभी देशों हेतु प्रोत्साहन दर 2 प्रतिशत है। • अध्याय 61 से 63 (परिधान और तैयार वस्तुएं) – प्रोत्साहन दर समूह क के देशों, जिसमें ईयू (28), अमेरिका, कनाडा सहित 34 देश हैं; और समूह ख देशों जिसमें उभरते हुए परिधान तथा तैयार वस्तुओं के जापान, दक्षिण अफ्रीका, रूस, चीन तथा हाँगकाँग, पूर्वी तथा पश्चिमी अफ्रीकी देशों आदि जैसे 140 देश शामिल हैं, हेतु 2 प्रतिशत है।
शुल्क वापिसी	प्रमुख वस्त्र तथा परिधान श्रेणियों हेतु वापिसी दरें निम्नवत हैं – • सूती धागा – 2.5 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत • सूती वस्त्र – 4.3 प्रतिशत से 7.3 प्रतिशत • परिधान – 7.2 प्रतिशत से 10.5 प्रतिशत
ब्याज समकरण योजना	1 अप्रैल, 2015 से प्रारंभ 5 वर्षों हेतु निर्यात क्रेडिट पर पूर्व तथा पश्च शिपमेंट रूपये संबंधी 3 प्रतिशत ब्याज समकरण दर

4.5 निर्यात संवर्धन परिषदें

वस्त्र एवं क्लोदिंग क्षेत्र के सभी खंडों अर्थात सिले–सिलाए वस्त्रों, कपास, रेशम, पटसन,ऊन, विद्युतकरघा, हथकरघा, हस्तशिल्प, कालीन का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्यारह वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें हैं। ये परिषदें वैश्विक निर्यात बाजारों में अपने–अपने क्षेत्र की वृद्धि का संवर्धन करने के लिए वस्त्र मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करती हैं। ये परिषदें अपने–अपने क्षेत्रों के बाजारों का विस्तार करने के लिए भारत और विदेश में वस्त्र एवं क्लोदिंग मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेती हैं और भारत तथा

विदेश में अनन्य शो का आयोजन करती हैं। यह परिषदें हैं:–

i) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद(एईपीसी)

ii) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल)

iii) सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (एसआरटीईपीसी)

iv) ऊन एवं ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद (डब्ल्यू एंड डब्ल्यू ईपीसी)

v) ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन संघ (वूल टेक्सप्रो)

vi) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी)

vii) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी)

viii) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)

ix) विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पैडिक्सिल)

x) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी)

xi) पटसन उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (जेपीडीईपीसी)

4.5.1 ईपीसी के निर्यात संवर्धन कार्यकलाप

वर्ष 2015–16 (अप्रैल–अक्तूबर) के दौरान ईपीसी ने वस्त्र निर्यातों के निर्यात संवर्धन कार्यकलाप जारी रखे। इनमें विदेशी प्रदर्शनियों/ मेलों में भागीदारी, विदेश में क्रेता–विक्रेता बैठकों(बीएसएम) का आयोजन और मौजूदा बाजारों के एकीकरण और नए बाजारों को तलाशने के लिए व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को प्रायोजित करना शामिल थे। भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले और भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले जैसे प्रमुख वस्त्र मेलों ने विश्व भर के क्रेताओं की बड़ी संख्या को आकर्षित किया। ईपीसी ने विश्व भर में सभी प्रमुख मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी की और सरकार की सहायता से वस्त्र मेगा शो का संयुक्त रूप से आयोजन जापान, दक्षिण अफ्रीका, लैटिन अमरीका इत्यादि में किया गया था।

अध्याय–5

कपास

5.1 कपास देश की प्रमुख फसलों में एक है और यह घरेलू वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री है। यह लाखों किसानों तथा कपास उद्योग में शामिल कामगारों को कपास के प्रसंस्करण से लेकर व्यापार तक आजीविका उपलब्ध कराता है। भारत में वस्त्र उद्योग में कच्चे माल खपत में कपास और मानव निर्मित रेसों तथा फिलामेंट यार्न का अनुपात 59:41 है।

5.2 परिदृश्य

5.2.1 उत्पादन और खपतः भारत में कपास की खेती 3 भिन्न कृषि–पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में की जाती है, उत्तरी क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य शामिल हैं, मध्य क्षेत्र जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश राज्य आते हैं और दक्षिणी क्षेत्र जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उडीसा और तमिलनाडु आते हैं। कपास की खेती उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा जैसे अपरंपरागत राज्यों छोटे क्षेत्रों में भी की जाती है। भारत में आजादी के पश्चात से कपास के उत्पादन में एक गुणात्मक तथा गुणवत्तापूर्ण रूपांतरण प्राप्त किया है। पिछले दशकों के दौरान भारत में कपास का उत्पादन तथा उत्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत कपास का एक अग्रणी उपभोक्ता भी है। पिछले 5 वर्षों के दौरान कपास के उत्पादन तथा खपत के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(170 किलोग्राम की गांठ लाख में)

वर्ष	उत्पादन	खपत
2010-11	339.00	259.61
2011-12	367.00	375.28
2012-13	370.00	283.16
2013-14	398.00	299.55
2014-15	380.00	317.67

5.2.2 क्षेत्रफल/उत्पादकता: भारत को का पास की खेती के अंतर्गत लगभग 130 लाख हेक्टेयर के कपास क्षेत्रफल के साथ विश्व में पहला स्थान प्राप्त हुआ है अर्थात 335 लाख हेक्टेयर के विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 38 प्रतिशत। लगभग 62 प्रतिशत भारतीय कपास वर्षा सिंचित क्षेत्रों और 38 प्रतिशत सिचिंत भूमियों पर उगाई जाती है। उत्पादकता के रूप में भारत अमेरिका तथा चीन की तुलना में काफी पीछे है। वर्ष 2015–16 के दौरान भारत की उत्पादकता 527 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। गत 5 वर्षों हेतु कपास की उत्पादकता निम्नवत है:

(किलोग्राम प्रति हैक्टेयर में)

वर्ष	उत्पादन	खपत
2010-11	112.35	513.10
2011-12	121.78	512.32
2012-13	119.78	525.13
2013-14	119.60	565.72
2014-15	130.83	493.77

5.2.3 आयात/निर्यात: यद्यपि, भारत कपास का एक बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक है, कपास के बड़े रेशे वाली किस्म की एक अल्प मात्रा का आयात किया जाता है, जो देश में उपलब्ध नहीं होती है। निम्नलिखित तालिका गत 5 वर्षों हेतु आयात तथा निर्यात के आकड़े देती है।

(170 किलोग्राम की गांठ लाख में)

वर्ष	उत्पादन	खपत
2010-11	2.38	76.50
2011-12	7.51	129.57
2012-13	14.59	101.43
2013-14	11.51	116.96
2014-15	14.39	57.72

5.2.4 कपास मौसम 2012–13, 2013–14, 2014–15 और 2015–16 (प्रत्याशित) हेतु कपास कारोबार का तुलन–पत्र नीचे दिया गया है:

(170 किलोग्राम की गांठ लाख में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16*
आपूर्ति				
प्रारंभिक स्टाक	40.00	40.00	33.00	52.00
फसल	370.00	398.00	380.00	365.00
आयात	14.59	11.51	14.39	12.00
कुल आपूर्ति	**424.59**	**449.51**	**427.39**	**429.00**
मांग				
मिल खपत	251.74	268.03	278.55	284.00
एसएसआई खपत	23.59	25.20	26.28	28.00
गैर मिल खपत	7.83	6.32	12.84	11.00
निर्यात	101.43	116.96	57.72	68.00
कुल मांग	**384.59**	**416.51**	**375.39**	**391.00**
अंतिम स्टाक	40.00	33.00	52.00	38.00

स्रोत: कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी)

* 3.11.2015 को कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी) द्वारा यथा अनुमानित

5.3 अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य–चीन का प्रभाव

कपास वर्ष 2014–15, 33 लाख गांठों के एक कैरीओवर स्टॉक के साथ प्रारंभ हुआ। उत्पादन 380 लाख गांठों का अनुमानित है

तथा खपत लगभग 318 लाख गांठों का होगा और कपास की लगभग 58 लाख गांठों का निर्यात किया जाएगा। चीन भारतीय कपास का एक प्राथमिक आयातक है। इसके अतिरिक्त, चीन 12 माह के भण्डार रखता है। हाल की घटनाओं जैसे कि चीन का कपास के अपने बड़े स्टाक को ऑफलोड करने के निर्णय से यह प्रत्याशित है कि वर्तमान वर्ष के दौरान भी कच्ची कपास की बाजार मांग घरेलू उत्पादन/आपूर्ति से कम रहेगी जिसके लिए बड़ी मात्रा में मूल्य समर्थित अभियान की आवश्यकता होगी।

5.4 न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसमएसपी) अभियान

भारतीय कपास निगम को भारत सरकार द्वारा कपास के मूल्य एमएसपी स्तर तक पहुंचने पर बिना किसी मात्रात्मक सीमा के एमएसपी दरों पर विभिन्न एपीएमसी बाजार यार्डों में कपास किसानों द्वारा पेशकश की जाने वाली कपास की समूची मात्रा की खरीद हेतु एमएसपी अभियानों को करने के लिए नामित किया गया है।

प्रत्येक वर्ष कपास मौसम (अक्तूबर से सितम्बर) प्रारंभ होने से पूर्व कृषि मंत्रालय परामर्शी बोर्ड यथा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर देश में कपास किसानों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एमएसपी निर्धारित करता है। तदनुसार, सीएसीपी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय ने कपास की दो आधारभूत किस्में, हेतु एमएसपी निर्धारित करने का प्रस्ताव किया था अर्थात मध्यम रेशा लम्बाई वाली कपास जिसकी रेशे की लम्बाई 24.5 एमएम से 25.5 एमएम तथा माइक्रोनेयर मूल्य 4.3 से 5.1 और लम्बी रेशा लम्बाई वाली कपास जिसकी रेशा लम्बाई 29.5 से 30.5 एमएम और माइक्रोनेयर 3.5 से 4.3 होता है, हेतु कपास सत्र 2015–16 के लिए उचित औसत गुणवत्ता की बीज कपास की नई फसल हेतु एमएसपी निर्धारित करने का प्रस्ताव किया था। कपास मौसम 2015–16 हेतु समर्थन मूल्य मध्यम रेशा लम्बाई वाली कपास हेतु 3800/– रूपये प्रति क्विंटल और लम्बी रेशा लम्बाई वाली कपास हेतु 4100/– रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। कृषि मंत्रालय द्वारा पिछले कुछ वर्षों हेतु निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य नीचे दिया गया है :–

वर्ष	मध्यम रेशा (रेशे की लम्बाई 24.5 एमएम से 25.5 एमएम तथा माइक्रोनेयर मूल्य 4.3 से 5.1)	लंबा रेशा (रेशे की लम्बाई 29.5 से 30.5 एमएम और माइक्रोनेयर 3.5 से 4.3)
2012-13	3600	3900
2013-14	3700	4000
2014-15	3750	4050
2015-16	3800	4100

बीज कपास की दो आधारभूत किस्मों के समर्थन मूल्य और गुणवत्ता अंतर, सामान्य मूल्य अंतर और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) की कपास की अन्य श्रेणियों हेतु एमएसपी वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित किया गया है। वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित कपास मौसम 2015–16 (अक्तूबर–सितम्बर) के लिए कपास की अन्य किस्मों हेतु एमएसपी अगले पृष्ठ पर दिया गया है।

(रूपए प्रति क्विंटल)

कपास की श्रेणियां	रेशा गुणवत्ता मानदण्ड मूल रेशा लंबाई एमएम में (2.5 प्रतिशत स्पैन लंबाई)	माइक्रोनियर मान	वर्ष 2015–16 हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)	व्यापार द्वारा प्रयुक्त निर्दिष्ट किस्मों के नाम
छोटा रेशा (20 एमएम और उससे कम)				
	-	7.0 - 8.0	**3300**	असम कोमिला
	-	6.8 - 7.2	**3300**	बंगाल देशी
मध्यम रेशा (20.5 एमएम – 24.5 एमएम)				
	21.5 - 22.5	4.8 - 5.8	**3550**	जयाधर
	21.5 - 23.5	4.2 - 6.0	**3600**	वी.797 / जी.कॉट.13 / जी.कॉट.21
	23.5 - 24.5	3.4 - 5.5	**3650**	एकेध्वाई–1;महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश) एमसीयू–7 (तमिलनाडू) एसवीपीआर–2 (तमिलनाडू) / पीसीओ–2 ;आंध्र प्रदेश और कर्नाटक) / के.11 (तमिलनाडू)
मध्यम लंबा रेशा (25.0 एमएम – 27.0 एमएम)				
	24.5 - 25.5	4.3 - 5.1	**3800**	जे–34 (राजस्थान)
	26.0 - 26.5	3.4 - 4.9	**3900**	एलआरए–5166 / केसी–2 (तमिलनाडू)
	26.5 - 27.0	3.8 - 4.8	**3950**	एफ–414 / एच–777 / जे–34 हाइब्रिड
लंबा रेशा (27.5 एमएम – 32.0 एमएम)				
	27.5 - 28.5	4.0 - 4.8	**4000**	एफ–414 / एच–777 / जे–34 हाइब्रिड
	27.5 - 28.5	3.5 - 4.7	**4000**	एच–4 / एच–6 / मेक / आरसीएच–2
	27.5 - 29.0	3.6 - 4.8	**4050**	शंकर–6 / 10
	29.5 - 30.5	3.5 - 4.3	**4100**	बन्नी / ब्रहमा
अत्यधिक लंबा रेशा (32.5 एमएम और अधिक)				
	32.5 - 33.5	3.2 - 4.3	**4300**	एमसीयू–5 / सुरभि
	34.0 - 36.0	3.0 - 3.5	**4500**	डीसीएच–32
	37.0 - 39.0	3.2 - 3.6	**5300**	सुविन

5.5 वर्ष 2014–15 के दौरान कपास एमएसपी अभियान–वास्तविक तथा वित्तीय ब्यौरे

कपास मौसम 2014–15 के दौरान सीसीआई ने अपने उप एजेंट महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ लिमिटेड (एमएससीसीजीएमएफएल) के साथ समूचे देश में एमएसपी अभियानों के अंतर्गत 19214 करोड़ रूपये मूल्य की 92.6 लाख कपास गाठों की खरीद की थी। उक्त स्टॉक में से 18.12.2015 तक ई–नीलामी के माध्यम से 91.9 लाख गांठे पहले ही बेची जा चुकी हैं।

5.6 वर्ष 2015–16 के दौरान कपास एमएसपी अभियान

5.6.1 कपास मौसम 01 अक्तूबर से अगले वर्ष के 30 सितम्बर तक चलता है। अंतर्राष्ट्रीय कपास मौसम 1 अगस्त से प्रारंभ होता है। इस मौसम की शुरूआत आगमन की गति में वृद्धि के साथ होती है अर्थात नवम्बर से जनवरी माह तक। फिर यह फरवरी के मध्य में स्थिरता पर पहुंचता है और फिर उसके बाद वाले महीनों में नीचे की ओर आता है।

5.6.2 सीसीईए अधिदेश (खरीफ फसल नीति संबंधी सीसीईए नोट) के अनुसार कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए एमएसपी अभियान सीसीआई द्वारा किए जाते हैं। वर्तमान कपास मौसम अर्थात 2015–16 के लिए महाराष्ट्र राज्य हेतु कुछ निबंधन एवं शर्तों के अधीन एमएसपी अभियानों के लिए सीसीआई के उप–एजेंट के रूप में महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ (एमएससीसीजीएमएफ) को भी नियुक्त किया गया है। तदनुसार, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने 11 कपास उत्पादक राज्यों में 92 जिलों में अवस्थित 341 से अधिक केन्द्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उत्पादकों से कपास की खरीद हेतु कार्रवाई प्रारंभ की है। इसमें से 11 राज्यों के 77 जिलों में 254 केन्द्रों को कार्यशील बनाया गया है।

5.6.3 कपास सत्र 2.15–16 के दौरान किसानों के लाभ हेतु सुचारू एमएसपी अभियानों के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं:

क) किसानों की जानकारी हेतु प्रत्येक बाजार यार्ड में एमएसपी दर और गुणवत्ता मानदण्डों को प्रदर्शित करना।

ख) 12 प्रतिशत से अधिक नमी होने पर कपास को अस्वीकृत किए जाने के मामले में नमी मीटर के उपयोग का अनुपालन।

ग) सभी खरीद केन्द्रों को सप्ताह में 5 दिवस आधार पर खोलना।

घ) किसानों को सभी भुगतान अधिमानतः केवल आरटीजीएस के माध्यम से करना।

ङ) सीसीआई की वेबसाइट में अंतरनिहित एक ऑनलाइन शिकायत समाधान तंत्र का विकास। किसान अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं और तत्काल आधार पर समाधान, यदि कोई हो, प्राप्त कर सकते हैं।

च) तीनों क्षेत्रों यथा उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी में से प्रत्येक में मुख्य महाप्रबंधक/

महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी की नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्ति। इन अधिकारियों के संपर्क ब्यौरे सीसीआई की वेबसाइट पर दिए गए हैं।

छ) उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) प्रणाली के माध्यम से एमएसपी खरीद की सतत निगरानी।

ज) एमएसपी खरीद के संबंध में सभी संबंधित ब्यौरों के साथ सीसीआई वेबसाइट पर एक पृथक पेज बनाया जाना।

झ) दिन प्रतिदिन आधार पर अपनी वेबसाइट पर एमएसपी डाटा को अद्यतन करने को सुनिश्चित करना।

ञ) ई–नीलामी के माध्यम से रोएं वाली कपास की बिक्री।

ट) वर्तमान कपास मौसम से कपास की बिक्री हेतु ई–बोली प्रारंभ करना।

5.6.4 कपास मौसम 2015–16 हेतु सीसीआई ने संबधित राज्य सरकारों के साथ सभी कपास उत्पादक राज्यों में एमएसपी अभियानों की किसी आकस्मिकता को पूरा करने हेतु व्यवस्थाएं की हैं ताकि कपास किसानों द्वारा तंग आकर की जाने वाली मजबूरन बिक्री को रोका जा सके। सीआई देश में 11 कपास उत्पादक राज्यों के 92 जिलों में 2015–16 के दौरान एमएसपी के अंतर्गत समूचे देश में 341 से अधिक खरीद केन्द्रों का प्रचालन करता है। 12.02.2016 के अनुसार कपास सत्र 2015–16 हेतु 188.54 लाख गांठे आई। इसमें से 8.12 लाख गांठों की खरीद सीसीआई द्वारा एमएसपी अभियानों के अंतर्गत की गई हैं। उक्त स्टाक में से 12.2.2016 तक ई–नीलामी के माध्यम से 0.47 लाख गांठों की पहले ही बिक्री की जा चुकी है।

5.6.5 गत वर्ष अर्थात 2014–15 के दौरान कपास मूल्य एमएसपी दरों के आस–पास थी जबकि वर्तमान कपास मौसम अर्थात 2015–16 में कपास मूल्य 4100/– रूपये प्रति क्विंटल की एमएसपी दर की तुलना में 4000 से 4300 रूपये प्रति क्विंटल के मध्य है।

5.7 अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

- कपास मौसम 2015–16 में न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान हेतु सीसीआई को एक कम्फर्ट लेटर जारी किया गया था, जब कभी इसकी आवश्यकता हो।
- "कपास क्षेत्र" विषय की जांच कपास संबंधी संसदीय सलाहकार समिति (2015–16) द्वारा की गई थी।

5.8 महत्वपूर्ण बैठकें

- भारत में अंतर्राष्ट्रीय कपास परामर्शदात्री समिति (आईसीएसी) की 74वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी की जिसका आयोजन 6 से 11 दिसम्बर, 2015 के दौरान मुम्बई, भारत में विश्व कपास उद्योग के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया गया था। बैठक का विषय था "खेत से कपड़े तक: कपास के कई रूप"। बैठक में 398 व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया था जिसमें 28 सदस्य देशों, 9 अंतर्राष्ट्रीय सगठनों और 13 गैर–सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल थे।

अध्याय–6

पटसन और पटसन वस्त्र

6.1 पटसन उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर पश्चिम बंगाल में प्रमुख उद्योगों में से एक है। पटसन, गोल्डन फाइबर, सुरक्षित पैकेजिंग हेतु सभी मानकों को पूरा करने के लिए एक प्राकृतिक, नवीकरणीय, बायो–डिग्रेडेबल तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पाद है। यह अनुमान लगाया गया है कि पटसन उद्योग संगठित मिलों तथा तृतीय क्षेत्र और संबद्ध क्रियाकलापों सहित विविधीकृत इकाईयों में 0.37 मिलियन कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है तथा लगभग 4.0 मिलियन कृषक परिवारों को आजीविका में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, पटसन के व्यापार में बड़ी संख्या में लोग संलग्न हैं।

6.2 कच्ची पटसन परिदृश्य

कच्ची पटसन की फसल किसानों हेतु एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। कच्ची पटसन की फसल की खेती न केवल औद्योगिक प्रयोग हेतु फाइबर उपलब्ध कराती है बल्कि पटसन की छड़ी भी उपलब्ध कराती है जिसका कृषक समुदाय द्वारा ईंधन तथा निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में पटसन की खेती के अंतर्गत होने वाले क्षेत्र में सदैव बड़े उतार–चढ़ाव होते हैं। वर्ष–दर–वर्ष के उतार–चढ़ाव मुख्यतः तीन कारकों के चलते होते हैं, नामतः (प) बुवाई के मौसम के दौरान वर्षा में उतार–चढ़ाव, (पप) पिछले पटसन मौसम के दौरान प्राप्त औसत कच्चे पटसन के मूल्य और (पपप) पिछले मौसम के दौरान प्रतिस्पर्धी फसलों से प्राप्त प्रतिफल। पटसन के अंतर्गत होने वाला एक बड़ा क्षेत्र उसी मौसम में धान के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। अतः वर्ष–दर–वर्ष पटसन के मूल्यों और धान के मूल्यों के संबंध में उतार–चढ़ाव से इन दोनों फसलों के मध्य भूमि का संबंधित आवंटन सामान्यतः प्रभावित होता है।

कच्ची पटसन का उत्पादन मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में किया जाता है। निम्नलिखित तालिका में 2010–11 से 2015–16 (अनुमानित) की अवधि के लिए मेस्टा सहित कच्ची पटसन की आपूर्ति मांग की स्थिति दर्शायी गई है:

(मात्राः 180 कि.ग्रा. की गांठ लाख में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (अनुमानित)
(क) आपूर्ति						
i) प्रारंभिक स्टॉक	12.00	22.50	31.00	29.00	24.00	15.00
ii) पटसन एवं मेस्टा फसल	100.00	102.50	93.00	90.00	72.00	80.00
iii) आयात	7.50	9.00	9.00	1.00	1.00	5.00
कुल	119.50	134.00	133.00	120.00	97.00	100.00
(ख) वितरण						
iv) मिल खपत	87.00	92.00	94.00	86.00	70.00	80.00
v) घरेलू / औदयोगिक खपत	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	20.00
vi) निर्यात	शून्य	1.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	97.00	103.00	104.00	96.00	82.00	100.00
(ग) अंतिम स्टॉक	22.50	31.00	29.00	24.00	15.00	0.00

स्रोतः पटसन सलाहकार बोर्ड

6.3 कच्ची पटसन तथा मेस्टा हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

किसानों के हितों की रक्षा हेतु कच्ची पटसन तथा मेस्टा के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। विभिन्न ग्रेडों हेतु मूल्यों का निर्धारण करते समय, निम्न ग्रेड की पटसन के उत्पादन को हतोत्साहित करने तथा उच्च ग्रेड के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के मामले पर भी विचार किया जाता है ताकि किसानों को उच्च ग्रेड की पटसन के उत्पादन हेतु प्रेरित किया जा सके।

भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) पटसन हेतु भारत सरकार की मूल्य सहायता एजेंसी है। इसकी स्थापना अप्रैल, 1971 में मुख्यत समय–समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी के अंतर्गत कच्ची पटसन की खरीद के माध्यम से पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने तथा पटसन किसानों के लाभ के लिए कच्ची पटसन बाजार तथा समग्र रूप से पटसन अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए भी की गई थी। जेसीआई आवश्यकता पड़ने पर एमएसपी अभियान चलाता है। देश भर के 500 से अधिक केंद्रों पर कच्ची पटसन का लेन–देन किया जाता है। वर्तमान में, जेसीआई केवल 171 विभागीय खरीद केंद्रों पर कार्य कर रहा है।

सहकारी संस्थाएं लगभग 40 केंद्रों पर कार्य कर रही हैं। जेसीआई बाद में इन सहकारी संस्थाओं द्वारा खरीदी गई पटसन की खरीद करता है।

6.4 पटसन सामानों का उत्पादन

भारत विश्व में पटसन वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी देश है जो विश्व के अनुमानित उत्पादन के लगभग 70 प्रतिशत का उत्पादन करता है। विनिर्मित पटसन वस्तुओं की एक बड़ी मात्रा मुख्यतः घरेलू बाजार में पैकेजिंग प्रयोजनों में प्रयोग की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों और वर्तमान वर्ष में पटसन वस्तुओं के उत्पादन की प्रवृत्ति नीचे दी गई है:–

पटसन सामान उत्पान					(लाख एमटी में)	
वर्ष	सैकिंग	हैसियन	अन्य	कुल	निर्यात	बी–टविल
2010-11	10.77	2.44	2.45	15.66	1.99	9.06
2011-12	11.65	2.40	1.77	15.82	2.12	9.44
2012-13	12.18	2.10	1.63	15.91	2.07	7.70
2013-14	11.50	2.03	1.75	15.28	2.16	7.56
2014-15	9.02	2.11	1.54	12.67	1.61	7.75
2015-16 (नवम्बर तक)	5.98	1.24	0.87	8.09	0.66 (दिसम्बर तक)	4.56

6.5 पटसन सामानों की घरेलू खपत

भारत मुख्यतया इसके विस्तृत घरेलू बाजार के कारण विश्व भर में पटसन उत्पादों का प्रमुख उत्पादक है। कुल उत्पादन में से औसत घरेलू खपत लगभग 90% है। पिछले कुछ वर्षों तथा चालू वर्ष हेतु पटसन उत्पादों की घरेलू खपत का रुख निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:–

(मात्रा लाख मिलियन टन में)

वर्ष अप्रैल–मार्च	हैसियन	सैकिंग	अन्य	कुल
2010-11	1.83	10.3	1.34	13.47
2011-12	1.84	10.7	1.18	13.72
2012-13	1.67	11.1	1.14	13.91
2013-14	1.57	10.4	1.26	13.23
2014-15	1.7	8.70	1.11	11.53
2015-16 (अक्तूबर तक)	0.96	5.27	0.54	6.77

निर्यात निष्पादन

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान निर्यात रुझान इस प्रकार हैं:

(मात्रा ''000'' मि.टन में, मूल्य करोड़ रु. में)

अप्रैल–मार्च	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16 अप्रैल अक्तूबर '15
मद	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा
हैसियन	75	978.81	66.2	903.28	50.1	861.03	29.7	769.58	432.19
सैकिंग	73	418.94	67.7	416.47	84.6	527	46.4	296.56	194.80
यार्न	54.7	282.01	43.8	221.16	25	143.58	23.6	138.73	91.40
सीबीसी	0	0.40	0	0.17	0	0.26	0	0.17	0.00
अन्य	9.1	414.8	7.7	450.72	6	590.08	7	608.77	355.91
कुल	211.8	2094.96	185.4	1991.80	165.7	2121.95	106.7	1813.81	1074.30

स्त्रोतः राष्ट्रीय पटसन बोर्ड

6.6 पटसन क्षेत्र हेतु प्रोत्साहन

वर्ष 2011.12 से 2015.16 के दौरान आयात रुझान इस प्रकार हैं :

(मात्रा ''000'' मि.टन में, मूल्य करोड़ रु. में)

अप्रैल–मार्च	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16 अप्रैल अक्तूबर '15	
मद	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कच्ची पटसन	183.21	452.11	160.09	384.1	64.1	180.61	46.74	142.5	72.18	286.75
कच्ची उत्पादन	117.93	519.63	141.87	655.5	97.72	445.11	130.34	561.43	88.12	478.94
कुल	301.14	971.74	301.96	1039.6	161.82	625.72	177.08	703.93	160.30	765.69

स्त्रोतः राष्ट्रीय पटसन बोर्ड

6.6 पटसन क्षेत्र हेतु प्रोत्साहन

(क) राष्ट्रीय पटसन नीति–2005

राष्ट्रीय पटसन नीति– 2005: भारत सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था में पटसन के महत्व को पहचाना जोकि पटसन किसानों, कामगारों, श्रमिकों तथा स्वरोजगार में संलग्न शिल्पियों तथा बुनकरों सहित, विशेषकर देश के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी भाग में जहां यह कृषि आधारित उद्योगों का एक प्रमुख अंग है, 4 मिलियन से अधिक लोगों के लिए जीवन आधार उपलब्ध कराता है।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप विश्व–स्तरीय अत्याधुनिक विनिर्माण क्षमताओं को बनाने के लिए पटसन उद्योग को समर्थ बनाकर पटसन उत्पादों के विनिर्माण और निर्यात में खास वैश्विक स्थान प्राप्त करने के तथा बनाए रखने के लिए भारत में पटसन उद्योग को सुविधा उद्योग को सुविधा प्रदान करना है। इस नीति में मूल्य वर्धित विविधिकृत पटसन उत्पादों और कच्ची पटसन की प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ाने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले पटसन फाइबर के उत्पादन हेतु लाखों पटसन किसानों हेतु पारिश्रमिक कीमत सुनिश्चित करने के विजनके साथ निजी–सार्वजनिक साझीदारी वाली कृषिगत प्रक्रियाओं में आरएंडडी कार्यकलापों को सुदृढ़ करने की व्यवस्था की गई है।

(ख) पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम,1987

पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (जेपीएम अधिनियम) कच्ची पटसन के उत्पादन तथा पटसन पैकेजिंग सामग्री और इसके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हितों में कतिपय वस्तुओं की आपूर्ति एवं वितरण में पटसन पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य प्रयोग करने के लिए लागू किया गया है। पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 का खंड 4 (1) केंद्र सरकार को ऐसे व्यक्तियों को शामिल करके स्थायी सलाहकार समिति के गठन का अधिकार देता है, जोकि सरकार की राय में, वस्तु निर्धारण अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा पटसन पैकेजिंग सामग्री के संबंध में उनके प्रतिशत के मामले में, जिनकी पैकिंग हेतु पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग किया जाना हो, परामर्श देने हेतु आवश्यक विशेषज्ञता रखते हों।

स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार पटसन पैकेजिंग सामग्री अथवा निश्चित वस्तु अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा उनके प्रतिशत के अनिवार्य प्रयोग के लिए, यदि वह संतुष्ट है कि यह कच्चे पटसन के उत्पादन तथा पटसन पैकेजिंग सामग्री के हित में ऐसा करना आवश्यक है, जेपीएम एक्ट की धारा 3(1) के तहत समय–समय पर आदेश जारी कर सकती है। कच्चे पटसन और पटसन सामानों की मांग एवं आपूर्ति की स्थिति के आधार पर, सरकार पटसन में पैकिंग की जाने वाली वस्तुओं का आरक्षण निर्धारित करती है। सरकार वस्तुओं की आपूर्ति एवं वितरण श्रृंखला में बिना अवरोध के देश में उत्पादित पटसन फसल के उपयोग को यथा संभव आरक्षण प्रदान करने का प्रयास करती है।

वस्त्र मंत्रालय ने जेपीएम अधिनियम, 1987 के अंतर्गत 13.12.2015 को सा.आ.सं. 527(ई) जारी किया जोकि 30.06.2015 तक वैध था एवं इसे 31.03.2016 तक बढ़ाया गया है। इसका विवरण इस प्रकार है:

वस्तुएं	पटसन में पैकेजिंग हेतु आरक्षण के लिए न्यूनतम प्रतिशतता
खादयान्न	90%
चीनी	उत्पादन का 20%

पटसन वर्ष 2015–16 हेतु, वस्त्र मंत्रालय द्वारा खाद्यान्न के न्यूनतम 90% तथा चीनी के न्यूनतम 20% को अनिवार्य रूप से पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक किए जाने के प्रस्ताव पर 9.12.2015 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विचार किया गया तथा अनुमोदित किया गया।

(ग) पटसन प्रौद्योगिकी मिशन

पटसन प्रौद्योगिकी मिशन राष्ट्रीय पटसन नीति का एक प्रमुख संघटक है और यह वर्तमान एवं भविष्य, दोनों में पटसन क्षेत्र में विविध कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का साधन है। राष्ट्रीय पटसन नीति, 2005 के अनुसरण में सीसीईए ने 02.06.2006 को संपन्न हुई बैठक में 355.55 करोड़ रूपए के कुल परिव्यय से पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (2006–07 से 2010–11 तक) को अनुमोदित किया। बाद में, सीसीईए ने 26 अप्रैल, 2012 को संपन्न हुई इसकी बैठक में पटसन प्रौद्योगिकी मिशन को 2010–11 के बाद 2 वर्षों (2006–07 से 2012–13) तक विस्तार दिए जाने को अनुमोदित किया।

योजना के अस्तित्व में आने के बाद (31.3.2014 तक), 11 बाजार यार्ड विकसित किए गए और 28 विभागीय खरीद केन्द्र (डीपीसी) एवं 43 रेटिंग टैंक निर्मित किए गए। पूंजी सब्सिडी योजना के अंतर्गत समग्र भारत में जूट मिलों में 120 इकाइयों में आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु 518.61 करोड़ रूपए का कुल निवेश किया गया था। बेहतर अभिशासन हेतु प्रक्रियाओं के रूप में 12 मिलों में उत्पादकता सुधार एवं टीक्यूएम सुविधा संबंधी प्रक्रियाएं शुरू कर कार्यान्वित की गई थीं। भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा नई प्रक्रियाओं के विकास तथा नए अभिज्ञात उत्पादों के लिए 21 बाजार संचालित आर एंड डी अध्ययन किए गए थे। सतत धारणीय मानव संसाधन विकास हेतु 39 पटसन मिलों में 24131 कामगारों को प्रशिक्षण दिया गया था। पटसन विविधीकृत उत्पादों के विकास में एनजीओ एवं महिला स्वयं–सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) की सहायता करने हेतु स्कीमों के अंतर्गत 19 राज्यों के 121 जिलों में 2106 महिला स्वयं सहायता समूहों को शामिल करते हुए 428 समूहों में 57 एनजीओ से 28,170 कारीगर लाभान्वित हुए थे। इसके अलावा, 37750 कारीगरों को लाभान्वित करते हुए 1971 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और 828 जेडीपी–एसएचजी इकाइयां स्थापित की गई थीं।

(घ) समान सुविधा केन्द्र (सीएफसी) योजना

राष्ट्रीय पटसन द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली समान सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) के स्थापन की एक योजना सितम्बर, 2015 में प्रारंभ की गई है जिसमें पश्चिम बंगाल में 3 और असम तथा बिहार प्रत्येक में एक–एक अर्थात कुल 5 डब्ल्यूएसएचजी क्लस्टरों में पटसन विविधीकृत उत्पादों के विकास के संबंध में शिल्पकारों के महिला स्व–सहायता समूह (डब्ल्यूएसएचजी) को प्रशिक्षण, आधारभूत ढांचा/मशीनरी तथा विपणन हेतु सहायता मुहैया कराई जाएगी।

राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) ने दो वर्षो के पहले चरण में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में 5 स्थानों पर सीएफसी हेतु ऐसे 5 एकीकृत केन्द्रों के स्थापन की परिकल्पना की है। अन्य 6 राज्यों अर्थात उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, आध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल/तमिलनाडु में सीएफसी हेतु ऐसे शेष 6 एकीकृत केन्द्रों की स्थापना दूसरे चरण में की जाएगी।

शिल्पकारों/डब्ल्यूएसएचजी को उनके द्वार पर ही एक सहायक सुविधा प्राप्त होगी जिससे ग्रामीण शिल्पकारों/डब्ल्यूएसएचजी की सोच में बदलाव आएगा। इसके अतिरिक्त, डिजाइन विकास प्रशिक्षण और तकनीकी कार्यशालाओं के माध्यम से उनकी नए डिजाइनों/उत्पादों पर नियमित पहुंच होगी। सीएफसी की योजना के अंतर्गत विकसित शिल्पकार/डब्ल्यूएसएचजी जन धन योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकते हैं और नेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से मार्जिन राशि/ओवर ड्राफ्ट की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। शिल्पकारों की बड़े क्रेताओं/निर्यातकों और यहां तक कि बाजारों पर भी व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता के दौरान सीधी पहुंच होगी। इसके अलावा उनकी ई–विपणन सुविधा पर भी पहुंच होगी जिससे उनकी जेडीपी की बिक्री में वृद्धि होगी।

(ङ) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड

राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) का गठन राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के अनुसार 1 अप्रैल, 2010 से की गई थी और तत्कालीन पटसन विनिर्माता विकास परिषद और राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र का राष्ट्रीय पटसन बोर्ड में विलय किया गया था। एनजेबी अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान एनजेबी की विभिन्न योजनाओं की प्रगति निम्नानुसार है–

1) **कामगार कल्याण योजना (सुलभ शौचालय)**–30 पटसन मिलों में 37 शौचालय ब्लाकों की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

2) **पटसन मिल की सफल बालिकाओं को प्रोत्साहन**– वर्ष 2014–15 में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में सफल होने वाली पटसन मिल कामगारों की 2963 बालिकाओं को सहायता मुहैया करवाई गई।

3) **समेकित पटसन मिलों की इंडेक्सिंग**– ध्वनि, धूल, प्रकाश तथा कामगार स्वास्थ्य निष्पादन के आधार पर उनके कार्य–निष्पादन का अध्ययन पूर्ण–मिलों को जानकारी का प्रसार किया गया।

4) **जेटीएम के अंतर्गत ली गई 15 आर एण्ड डी परियोजनाओं के तकनीकी**–आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन पूरे किए गए। संदर्शी और विद्यमान उद्यमियों के समक्ष जानकारी प्रस्तुत की गई।

5) **सामान्य सुविधा केन्द्र योजना जो महिला** स्व–सहायता समूह की सहायता हेतु है–पहले चरण में 5 सीएफसी अनुमोदित किए गए, पश्चिम बंगाल में 3,

असम तथा बिहार में 1–1। एक सीएफसी बारपेटा, असम में स्थापित किया गया।

6) **उन्नत खेती तथा उन्नत रीटिंग क्रिया (आईकेयर)**–छोटे तथा सीमांत पटसन उत्पादकों को पर्याप्त पूर्व–तथा पश्च कृषि प्रचालनों में सहायता करना ताकि उत्पादकों को नवीनतम प्रौद्योगिकियों के संबंध मं जानकारी हो और वे अच्छी गुणवत्ता वाले पटसन को उगाएं और अपने उत्पाद हेतु अधिक मूल्य प्राप्त करें। पश्चिम बंगाल के 2 जिलों और असम के एक जिले में पायलट आधार पर।

7) **चुनिंदा मशीनरी की खरीद हेतु प्रोत्साहन योजना**–20 पटसन मिलों को पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु 2013 से अद्यतन तिथि तक 2481 लाख रूपये के निवेश हेतु 496 लाख रूपये मूल्य के प्रोत्साहन प्राप्त हुए।

8) **निर्यात बाजार विकास सहायता योजना**–वर्ष 2014–15 में विदेशों में 46 मेलों में प्रतिभागिता हेतु 40 पंजीकृत निर्यातकों के 141 आवेदनों पर कार्रवाई की गई।

9) **पूर्वोत्तर राज्यों में जीओ**–वस्त्रों को बढावा देने हेतु विशेष योजना प्रारंभ की गई जिसका परिव्यय 24.3.2015 को 427 करोड़ रूपये था।

10) **पटसन विविधीकृत उत्पादों का खुदरा आउटलेट और बल्क आपूर्ति योजना**– 5 राज्यों – कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 27 आउटलेटों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

11) **कौशल विकास कार्यक्रम**–तिहाड़ जेल, नई दिल्ली के बंदियों जैसे सुधार गृहों, दिल्ली पुलिस तथा अन्य संस्थानों के परिवारों/लाभग्राहियों को पटसन विविधीकृत उत्पादों के विनिर्माण संबंधी प्रशिक्षण को मुहैया करवाने के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। कई लाभग्राहियों ने एनजेबी की सहायता से पटसन उत्पादों के उत्पादन और वितरण को प्रारंभ किया है।

12) **सतत बाजार सपोर्ट पटसन** शिल्पकारों, उद्यमियों, बुनकरों, एनजीओ, महिला स्व–सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) को भारत तथा विदेश में अपने उत्पादों की बिक्री, विपणन तथा संवर्धन हेतु मुहैया करवाया गया था। एनजेबी द्वारा आयोजित मेले लोगों के इन समूह हेतु आजीविका का साधन है। अन्यों के मध्य कुछ प्रमुख कार्यक्रम आईआईटीएफ, दिल्ली, सूरजकुण्ड मेला, टेक्सट्रेंड, दिल्ली, ताजमहोत्सव, लखनऊ महोत्सव, शिल्पग्राम उदयपुर, गिफ्टेक्स, मुम्बई आदि थे।

(च) **पटसन क्षेत्र की सहायता** भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय पटसन विनिर्माता निगम लिमिटेड और बर्डस पटसन एण्ड एक्सपोर्टस लिमिटेड द्वारा भी की जाती है जिसके ब्यौरे अध्याय–ग्प्प में दिए गए हैं।

(छ) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (आईजेआईआरए), कोलकाता

भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (आईजेआईआरए), कोलकाता की स्थापना 1937 में की गई थी और यह भारतीय पटसन उद्योग तथा निर्यात एवं

घरेलू बाजार में भारतीय पटसन को बढावा देने वाली सरकारी एजेंसियों को सेवाएं प्रदान करने वाला पहला सहकारी आर एण्ड डी संगठन है। वर्ष 1937 में भारतीय पटसन मिल एसोसिएशन अनुसंधान संस्थान (आईजेएमएआरआई) के रूप में प्रारंभ करके इस संस्थान ने पिछले कई वर्षों में काफी उन्नति की है और1952 में अपने वर्तमान भव्य परिसर में पहुंचा। वर्ष 1966 में आईजेएमईआरआई का नाम बदलकर आईजेआईआरए रखा गया और इसे पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1961 के अंतर्गत एक स्वायतशासी अनुसंधान संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया था। आईजेआईआरए भारत में अपने प्रकार के एकमात्र अनुसंधान संघों में से एक है जो केवल विश्व के इस भाग में उगाए जाने वाले रेशे पर कार्य करता है और इसके चलते यह अपने आप में अनूठा है।

आईजेआईआरए का मुख्यालय कोलकाता में और इसके क्षेत्रीय केन्द्र चेरथाला (केरल), विजयानगरम (आंध्र प्रदेश) और गुवाहाटी (असम) में है। गुवाहाटी क्षेत्रीय केन्द्र में साथ ही पावर लूम सेवा केन्द्र भी अवस्थित है। शांतिपुर (पश्चिम बंगाल) में एक परीक्षण प्रयोगशाला भी है। इसकी स्थापना से लेकर कई वर्षों में आईजेआईआरए पटसन के संबंध में एक विश्व स्तरीय अनुसंधान संस्थान के रूप में उभर कर सामने आया है।

अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

- पटसन प्रसंस्करण हेतु जेबीओ के एक पर्यावरण अनुकूल प्रतिस्थापक का विकास।
- हल्का तीव्र ब्लीच तथा रंगा गया पटसन उत्पाद विकास।
- पटसन बांस मिश्रण।
- व्यापक ब्रेडिड पटसन वस्त्र जैसे तकनीकी वस्त्रों का विकास।
- पटसन–रैमी मिश्रित उत्कृष्ट धागों तथा कपड़े का विकास।
- पटसन धागों हेतु ऊर्जा दक्ष हरित आकार प्रौद्योगिकी।
- गन्ध आधारित गृह वस्त्रों का विकास।
- सोल–जेल पद्धतियों द्वारा बहु कार्यात्मक सिरामिक आधारित नैनो–फिनिशिंग बाहरी वस्त्र।
- खाद्यान्नों तथा चीनी हेतु कम लागत वाले पटसन बोरों का विकास।
- भोजन ग्रेड पटसन उत्पादों हेतु गुणवत्ता आश्वासन।
- पटसन क्षेत्र को विभिन्न तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त,आईजेआईआरए ने खाद्यानों की पैकिंग हेतु 580 ग्राम तथा 600 ग्राम के 50 किलोग्राम क्षमता वाले पटसन थैलों हेतु निर्दिष्ट उत्पादकता मानदण्डों को तैयार किया है जिन्हें इस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वे वर्तमान में राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के साथ मिलकर पटसन जियो–वस्त्रों के संवर्धन तथा तकनीकी–विपणन, भोजन ग्रेड पटसन उत्पादों के गुणवत्ता आश्वासन और परामर्श में कार्यरत हैं।

अध्याय–7

रेशम एवं रेशम उत्पादन

7.1 प्रस्तावना

भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है। वर्ष 2014–15 में देश में रेशम की उत्पादित चार प्रजातियों में 28,708 मी.टन कच्चे रेशम के कुल उत्पादन में शहतूती रेशम का हिस्सा 74.5%(21390 मी.टन), तसर 8.5%(2434 मी.टन), ऐरी 16.5% (4726 मी.टन) और मूगा 0.5%(158 मी.टन) है। देश में 2013–14 के दौरान रेशम उत्पादन 26,480 मी.टन उत्पादन था। वर्ष 2014–15 में कच्ची रेशम उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

7.2 वास्तविक प्रगति

12वीं योजना के वर्ष 2012–13, 2013–14 और 2014–15 और 2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक) के दौरान वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां।

विवरण	11वीं योजना लक्ष्य (2007-12)	11वीं योजना उपलब्धि (2007-12)	12वीं योजना (2012-17)	उपलब्धि			
				2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (अप्रैल–दिसम्बर) (अनंतिम)
शहतूती बागान (हेक्टेयर)	2.18	1.81	2.4	1.86	2.03	2.19	2.21

कच्ची रेशम उत्पादन (मी.टन)							
शहतूती							
बाइवोल्टाइन	5000	1685	5000	1984	2559	3870	3225
संकर प्रजाति	18000	16587	18000	16731	16917	17520	11461
योग	**23000**	**18272**	**23000**	**18715**	**19476**	**21390**	**14686**
वान्या							
तसर	420	1590	4562	1729	2619	2434	1703
ऐरी	2390	3072	4238	3116	4237	4726	4575
मूगा	190	126	200	119	148	158	158
योग	3000	4788	9000	4964	7004	7318	6436
कुल योग (क+ख)	**26000**	**23060**	**32000**	**23679**	**26480**	**28708**	**21122**
रोजगार (लाख व्यक्ति)	77.04	75.6	92.42	76.53	78.5	80.3	

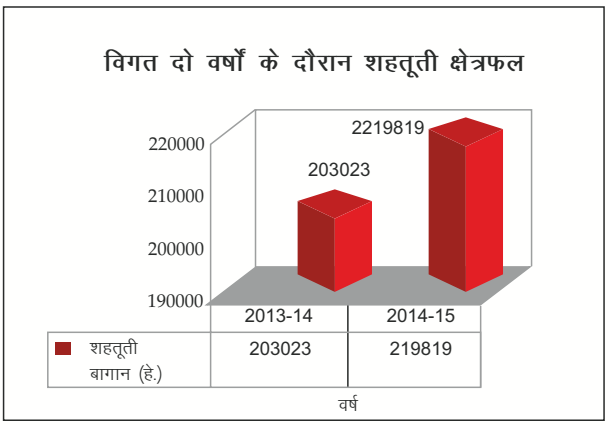

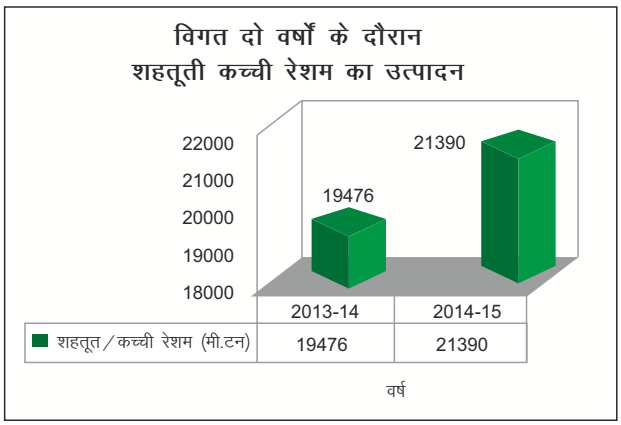

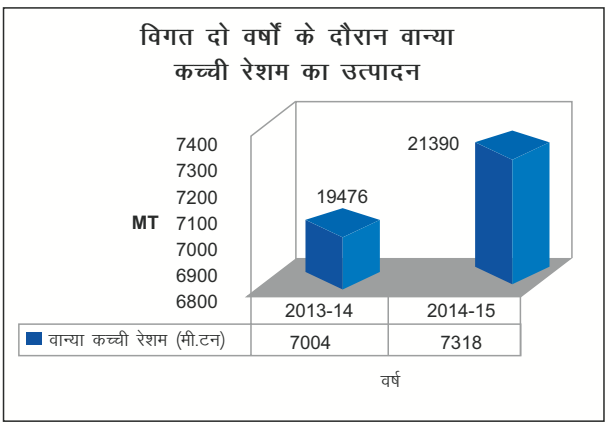

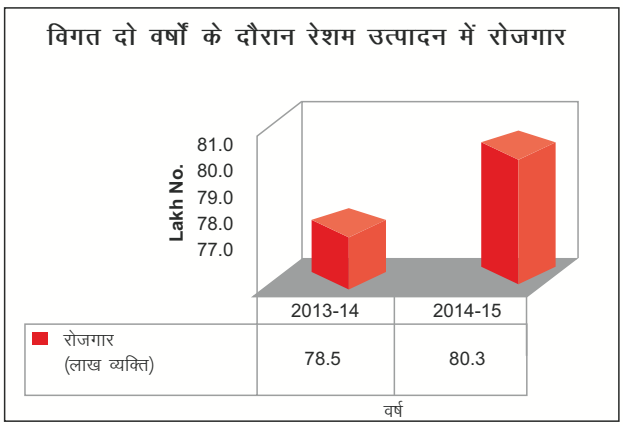

वर्ष 2014–15 के दौरान सूखे, बेमौसमी वर्षा, चक्रवात आदि के बावजूद रेशम उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य पूर्णतःप्राप्त किया है। वर्ष 2014–15 के दौरान रेशम उत्पादन की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई है:

- देश में रेशम का उत्पादन वर्ष 2014–15 के अंत तक वर्ष 2013–14 के दौरान हुए 26,480 मी.टन के स्तर से बढ़कर 28,708 मी.टन हो गया है जिसमें 8.4% की वृद्धि दर्ज की है।
- आयात प्रतिस्थापन बाइवोल्टाइन रेशम का उत्पादन 2559 मी.टन से बढ़कर 3870 मी.टन हो गया है जिसमें 51.0% की वृद्धि दर्ज की है।
- वान्या रेशम का उत्पादन 7004 मी.टन से बढ़कर 7318 मी.टन हो गया है जिसमें 4.5% की वृद्धि प्रदर्शित हुई है।
- मूगा रेशम ने 158 मी.टन का अब तक का अधिकतम उत्पादन दर्ज किया है और उसने वृद्धि की नई गति तय की है।
- **7.3.अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)**

  सीएसबी के प्रमुख अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अभिनवकारी नीतियों के जरिए स्थायी रेशम उत्पादन हेतु उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करते हैं। मैसूर (कर्नाटक), बहरमपुर (प.बंगाल) और पम्पोर (जम्मू एवं कश्मीर) स्थित प्रमुख संस्थान शहतूती रेशम उत्पादन का कार्य देखते हैं जबकि रांची (झारखंड) तसर उत्पादन का कार्य देखता है और लहदोईगढ़, जोरहाट (असम) मूगा एवं ऐरी रेशम उत्पादन का कार्य देखता है। रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र (आरएसआरएस/ आरटीआरएस/ आरएमआरएस) शहतूती एवं वान्या रेशम उत्पादन हेतु क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार अनुसंधान संबंधी निष्कर्षों के प्रसार का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, अनुसंधान विस्तार केंद्र (आरईसी) और इनकी उप इकाइयों का एक नेटवर्क शहतूती एवं वान्या रेशम हेतु रेशम उत्पादकों को सहायता प्रदान करने का भी कार्य कर रहा है। कोया पश्च क्षेत्र में आर एंड डी सहायता प्रदान करने के लिए, बोर्ड ने बेंगलूरू में एक केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान (सीएसटीआरआई) की स्थापना की है। इसके अलावा, सीएसबी ने बंगलौर (कर्नाटक) में रेशम कीट बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एसएसटीएल), होसुर (तमिलनाडु) में केन्द्रीय रेशम उत्पादन जर्म प्लाज्म संसाधन केन्द्र (सीएसजीआरसी) और बंगलौर में रेशम बायोटेक अनुसंधान प्रयोगशाला (एसबीआरएल) की स्थापना भी की है।

  वर्ष 2015–16 के दौरान शहतूती रेशम के क्षेत्र में 66 अनुसंधान परियोजनाएं, वान्या क्षेत्र में 24 परियोजनाएं और कोया पश्च क्षेत्र में 12 परियोजनाएं चलाई गई हैं जिनमें से 29 परियोजनाएं दिसंबर, 2015 के अंत तक पूरी की गई।

7.3(क) पेटेंट करवाने हेतु दायर/ वाणिज्यिकरण हेतु प्रस्तुत प्रौद्योगिकी/उत्पाद

वर्ष 2015–16 के दौरान पैडल प्रचालित कम्पोजिट कोकून हारवेस्टर, कोकून के उत्पादन हेतु प्रयोग किए जाने वाले माउंटेज और हाथ से प्रचालित परिपक्व रेशम कीड़ा सेपरेटर तथा कलेक्टर के लिए पेटेंट प्राप्त किए। 6 और पेटेंट

आवेदन यथा पूपा पाउडर तैयार करना, कॉर्डीसेप की कल्चरी, व्यतीत रेशम कीड़ों, प्यूपे का मानव भोजन हेतु उपयोग, प्यूपे तेल को तैयार करना और रेशम कीड़े के पाउडर को तैयार करने को स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में दायर किया गया। व्यापक तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात वाणिज्यिक उपयोग हेतु समृद्धि, सेरीमोर और सेनीटक सुपर के विनिर्माताओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है।

7.3(ख) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी)

संपन्न की गई परियोजनाओं से उत्पन्न प्रौद्योगिकियों का विभिन्न विस्तार संचार कार्यक्रमों अर्थात कृषि मेलों, सामूहिक विचार–विमर्शों, प्रबोध कार्यक्रमों, फील्ड दिवसों, कृषक बैठक, दृश्य श्रृव्य कार्यक्रमों, प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों आदि के जरिए फील्ड को प्रभावी ढंग से हस्तांतरित की गई है। चालू वर्ष 2015–16 के दौरान, कुल 716 टीओटी कार्यक्रम आयोजित किए गए और 47 प्रौद्योगिकियां प्रभावी ढंग से प्रयोक्ता स्तर पर अंतरित की गई। इसके अतिरिक्त, कोया पश्चात प्रौद्योगिकी के अंतर्गत 85,734 कोयों और रेशम नमूनों का परीक्षण किया गया।

7.3(ग) नई रेशम कीड़ा नस्लों/पोषक पौधा किस्मों का विकास तथा उन्हें लोकप्रिय बनाना

प्राधिकृत शहतूती रेशम कीट के हाईब्रिड सीएसआर16 x सीएसआर17, एमएच1x सीएसआर2 (दक्षिणी भारत), जेन2 x जेन3, एम. कोन1 x बी.कोन4, एम.कोन4 x बी.कोन4 (पूर्वी भारत), एफसी1 x एफसी2 (पूर्वोत्तर भारत) को प्राधिकार–पश्च प्रचालन कार्यक्रम के माध्यम से फील्ड में फैलाया गया है। इसके अतिरिक्त, वन्या रेशम कीट नस्ल बीडीआर10 (ट्रापिकल तसर) और सी2 (ऐरी रेशम कीट) को विभिन्न क्षेत्रों में फैलाया गया है।

दो नई बाइवोलटाइन हाइब्रिड अर्थात जी11 x जी19 और बी.कोन1 x बी.कोन4 का बेहतर उत्पाद तथा अपनाए जाने के साथ प्राधिकार हेतु परीक्षण किया जा रहा है। एक नई तसर रेशम कीट लाइन "सीटीआर–14" जो न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वाइरस (एनटीवी) से प्रतिरोधी है, फील्ड परीक्षण के अधीन है।

शहतूती हेतु अखिल भारतीय समन्वित प्रयोगात्मक परीक्षणों के अंतर्गत समूचे भारत में 22 केन्द्रों में चार नए जिनोटाइप का परीक्षण किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में पूल्ड पत्ती उत्पादन डाटा ने दक्षिण में जी4, पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्रों में सी–2038 और पहाड़ी क्षेत्रों में नियंत्रणों पर टीआर23 की बेहतरी को दर्शाया है। शहतूती किस्म "सी–2028" जल भराव वाली स्थितियों को सहन कर सकती है और इसे पश्चिम बंगाल, असम तथा अन्य पूर्वी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में फैलाया जा रहा है।

7.3(घ) सीएसबी के अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठयक्रम

केन्द्रीय रेशम बोर्ड मुख्यतः 3 प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है अर्थात दीर्घावधि ढांचाबद्ध पाठयक्रम (3–15 माह), अल्पावधि केपसूल पाठयक्रम (2–45 दिवस) और विभिन्न अवधि के तदर्थ पाठ्यक्रम। शहतूती क्षेत्र में कोकून–पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का

आयोजन मुख्यतः केन्द्रीय रेशमपालन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों, मैसूर, बहरमपुर और पम्पोर में किया जाता है। गैर–शहतूती रेशम कृषि प्रशिक्षण का आयोजन केन्द्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, रांची और केन्द्रीय मूगा, ऐरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, लहदोईगढ़ में किया जाता है। कोकून पश्च प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरू में किया जाता है। शहतूती रेशम कीड़ा बीज क्षेत्र संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन रेशम कीड़ा बीज प्रौद्योगिकीय प्रयोगशाला, कोडाथी, बेंगलूरू में किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन क्षेत्रीय रेशम कृषि अनुसंधान स्टेशनों और प्रदर्शन–सह–प्रशिक्षण केन्द्रों में भी किया जाता है। वर्ष 2015–16 के दौरान (दिसम्बर, 2015 तक) विभिन्न पाठयक्रमों में 9679 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है जिसमें शहतूती तथा गैर–शहतूती विधाओं के अंतर्गत कोकून पूर्व तथा कोकून पश्च दोनों को कवर किया गया है।

नीचे दी गई तालिका 12वीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान सीएसबी के अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरे दर्शाती है:

प्रशिक्षण कार्यक्रम	**प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या**			
	2012-13	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16 दिसम्बर 2015 तक**
ढांचाबद्ध पाठ्यक्रम (पीजीडीएस शहतूती और गैर–शहतूती पाठ्यक्रम)	47	45	33	75
किसान कौशल प्रशिक्षण	-	-	-	7446
प्रौद्योगिकी अभिमुखीकरण कार्यक्रम	-	-	-	1729
कैप्सूल पाठ्यक्रम	785	1199	4071	-
तदर्थ पाठ्यक्रम (टीयूपी+एमडीपी+एमडीमी+ आरडीपी+आवश्यकता आधारित+ किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम)	10311	3239	2571	-
अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्टेप)	3017	4082	4425	429
एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस)	2225	8235	6689	-
कुल	**16385**	**16800**	**17789**	**9679**

सीएसबी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सहयोग में दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत 'रेशम उत्पादन में प्रमाण–पत्र' नामक एक छमाही पाठ्यक्रम विभिन्न राज्यों के ग्रामीण युवाओं, मैट्रिक पास, स्कूल छोड़ने वालो वित्तीय संस्थानों आदि जैसे अन्य स्थापनाओं में कार्यरत एनजीओ और व्यक्तियों को लक्ष्य करते हुए भी संचालित कर रहा है।

7.3(ङ): क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:

सीएसबी के अनुसंधान और विकास संस्थान समूचे देश में फैले हुए हैं और सभी चार रेशम उप क्षेत्रों से संबंधित रेशम मूल्य श्रृंखला के सभी क्रियाकलापों को कवर करते हैं और एक धारणीय आधार पर प्रशिक्षण, कौशल सिखाने तथा कौशल वृद्धि में व्यापक रूप से कार्यरत हैं। वर्ष 2015–16 से आगे सीएसबी क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पहलों को निम्नलिखित चार शीर्षों के अंतर्गत ढांचाबद्ध किया गया है जिन्हें क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाना है तथा निगरानी की जानी है:

(i) कौशल प्रशिक्षण और उद्यम विकास कार्यक्रम (स्टेप):

इस श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आते हैं जिनका ध्यान उद्यमशीलता विकास, आंतरिक संसाधन विकास, विशेषीकृत विदेश प्रशिक्षण, रेशम कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार, प्रयोगशाला से खेत तक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम, प्रशिक्षण प्रभाव आकलन सर्वेक्षण आदि पर है जिनको लिए जाने की योजना बनाई गई है।

(ii) रेशम उत्पादन संसाधन केन्द्र (एसआरसी) की स्थापना: ये प्रशिक्षण सह–सुविधा केन्द्र 3.50 लाख रूपये की यूनिट लागत से चुनिंदा शहतूती बाइवोलटाइन तथा वान्या कलस्टरों में स्थापित किए जाएंगे और आर एण्ड डी प्रयोगशालाओं के विस्तार केन्द्रों तथा लाभग्राहियों के मध्य एक महत्वपूर्ण सम्पर्क के रूप में कार्य करेंगे। इन एसआरसी का प्रयोजन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, कौशल वृद्धि, सेरी आदानों हेतु वन–स्टॉप दुकान, संदेह के स्पष्टीकरण तथा कलस्टर स्तर पर ही समस्या समाधान करने का है।

(iii) सीएसबी के आर एण्ड डी संस्थानों द्वारा क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:

ढांचाबद्ध दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (रेशम कृषि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा) के आयोजन के अतिरिक्त सीएसबी के आर एण्ड डी संस्थान किसानों तथा अन्य हितधारकों हेतु प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण का भी आयोजन करेंगे और यह किसानों तथा अन्य उद्योग हितधारकों के सशक्तीकरण हेतु कृषि मेलों, किसान दिवस, किसान विचार– विमर्श कार्यशाला आदि के आयोजन के अतिरिक्त होगा।

(iv) बीज क्षेत्र में क्षमता निर्माण:

रेशम का बीज सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो समूचे रेशम मूल्य श्रृंखला को चलाता है। बीज की गुणवत्ता उद्योग के उत्पादन की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। अतः इस क्षेत्र के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर ध्यान देना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उद्योग के हितधारकों जैसे कि निजी रेशम कीट बीज उत्पादक, बीज अपनाने वाले पालकों, प्रबंधकों और सरकारी स्वामित्व वाले भण्डारों से जुड़े

कार्यबल को कवर करने के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन प्रस्तावित है।

(v) सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी):

आईईसी का उद्देश्य ब्रोशर, पैम्फलेट आदि के माध्यम से संस्तुत प्रौद्योगिकियों के प्रसार द्वारा क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पहलों को सपोर्ट करने का है। इस घटक में प्रौद्योगिकी आधारित अनुदेशात्मक वीडियो, अध्ययन सामग्रियों और उद्योग को दर्शाने वाले वृत्तचित्र फिल्मों को बनाने का भी प्रस्ताव है।

7.3(च): सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

सीएसबी द्वारा वर्ष 2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक) की गई महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी पहलों में से कुछ को नीचे दिया गया है:

- सीएसबी ने कच्ची सामग्री की उपलब्धता, बाजार प्रवृत्तियां आदि जैसी सूचना के सुचारू आदान–प्रदान हेतु अपने नियंत्रणाधीन विभिन्न अनुसंधान संस्थानों की समकालीन प्रौद्योगिकियों तथा नेटवर्किंग का उपयोग करते हुए साफ्टवेयर विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है।
- "एसएमएस सेवा" किसानों और उद्योग के अन्य हितबद्धों द्वारा उपयोग हेतु रेशम और कोकून की दिन–प्रतिदिन की बाजार दरों को मोबाइल फोन के माध्यम से पहुंचाने के लिए प्रारंभ की गई।
- सेरी–5के डाटाबेस को समूचे देश में बाइवोलटाइन कलस्टर किसानों के अनुरक्षण तथा प्रबंधन हेतु बनाया और विकसित किया गया है।
- सिल्क पोर्टलः रेशम उत्पादन सूचना लिंकेज तथा ज्ञान प्रणाली पोर्टल को पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अंतरिक्ष विभाग के साथ मिलकर उपग्रह के माध्यम से ली गई भौगोलिक छवियों को एकत्र करके और इन क्षेत्रों में रेशम कृषि क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए संभाव्य क्षेत्रों के विशलेषण तथा प्रयोग करके तैयार किया गया है।
- एईबीएएसः आधार समर्थित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली को केन्द्रीय कार्यालय, बेंगलूरू में सीएसटीआरआई और एनएसएसओ, सीएसजीआरसी, होसुर और एसएसपीसी, केआर नगर में लागू किया गया है। 8 और प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में उक्त को लागू करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
- वीडियो काफ्रेंसः सीएसबी की सीएसबी परिसर, बंगलौर, सीएसआर एवं टीआई, मैसूर तथा बहरमपुर में पूर्णतः सुसज्जित वीडियो कॉफ्रेंस सुविधा है। सीएसआर एण्ड टीआई, पम्पोर, सीएमईआर एवं टीआई, लहदोईगढ़, सीटीआर एवं टीआई, रांची जैसे अन्य प्रमुख संस्थानों और क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली को वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से जोड़ा जाना प्रगति पर है।

7.4 रेशमकीट बीज उत्पादन और आपूर्ति

राष्ट्रीय रेशम कीट बीज संगठन (एनएसएसओ) के अधीन सीएसबी और राज्य विभागों के अंतर्गत कार्यरत बीज उत्पादन केन्द्रों में वाणिज्यिक रेशम कीट बीज के उत्पादन हेतु मूल बीज का उत्पादन और आपूर्ति 19 मूल बीज फार्मों (बीएसएफ) का एक नेटवर्क करता है। इसके अलावा, उद्योग की सहायता करने के लिए अलग–अलग राज्यों में एनएसएसओ के अधीन 20 रेशम कीट

बीज उत्पादन केन्द्र (एसएसपीसी) कार्य कर रहे हैं। 19 एसएसपीसी में आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन के अंतर्गत बीजोत्पादन में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली अपनाकर गुणवत्ता युक्त डीएफएलएस के उत्पादन की तरफ जोर दिया गया था।

वर्ष 2014–15 के दौरान इन शहतूती वाणिज्यिक एसएसपीसी ने 355.00 लाख के लक्ष्य की तुलना में 370.16 लाख रोगमुक्त अंडों (डीएफएल) का उत्पादन किया है और 104% का लक्ष्य प्राप्त किया हैए जो अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है। उसी तरह चालू वर्ष 2015–16 के दौरान, 375 लाख डीएफएलएस के लक्ष्य की तुलना में 302.52 लाख डीएफएलएस (दिसंबर, 2015 तक) का उत्पादन किया गया।

तसर क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय रेशम बोर्ड ने उष्ण कटिबंधीय तसर मूल बीज की आपूर्ति हेतु 21 मूल बीज बहुगुणन एवं प्रशिक्षण केन्द्र (बीएसएमएंडटीसी) तथा एक केन्द्रीय तसर रेशम कीट बीज केन्द्र (सीटीएसएसएस) और ओक तसर मूल बीज की आपूर्ति हेतु 1 ओक तसर ग्रेनेज की स्थापना की है। मूगा क्षेत्र के अंतर्गत 8 मूल बीज फार्म और 1 रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्र (एसएसपीसी) कार्यरत हैं। ऐरी बीज के उत्पादन और आपूर्ति हेतु सीएसबी ने 5 रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्र (एसएसपीसी) स्थापित किए हैं।

वर्ष 2012–13 से 2015–16 (दिसंबर, 2015 तक) के दौरान सीएसबी बीज इकाइयों द्वारा प्राप्त की गई प्रगति के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :

(डीएफएलएस लाख सं. में)

#	बीज की किस्म	2012–13 के दौरान उपलब्धि	2014–15 के दौरान उपलब्धि	2014-15		2015-16	
				लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	**शहतूत**						
क	मूल बीज	12.41	15.49	13.72	15.24	13.72	11.43
ख	वाणिज्यिक बीज	308.48	338.57	355.00	370.16	375.00	302.52
2	**वान्या बीज**						
क	मूल बीज						
i	तसर (मूल एवं बीज केंन्द्र)	39.11	37.89	43.42	41.88	46.57	50.17
ii	ओक तसर	0.63	0.55	0.67	0.58	0.57	0.10
iii	मूगा	3.85	4.23	4.92	4.96	6.04	4.43
iv	ऐरी	0.51	1.09	0.48	0.96	0.55	0.87
ख	वाणिज्यिक बीज						
i	मूगा	1.02	0.77	1.15	1.15	1.21	1.18
ii	ऐरी	3.70	2.52	3.62	4.73	3.97	3.80

7.4(क): समन्वय और बाजार विकास (एचआरडी)

सीएसबी प्रशासन में बोर्ड सचिवालय, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रमाणन केन्द्र और कच्ची सामग्री बैंक शामिल हैं। सीएसबी का बोर्ड सचिवालय विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और वह रेशम उत्पादन क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मंत्रालय एवं राज्यों के साथ समन्वय करता है। बोर्ड सचिवालय द्वारा कई राष्ट्रीय बैठकों, बोर्ड की बैठकों एवं समीक्षा बैठकों तथा अन्य उच्चस्तरीय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।

सीएसबी के क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवाएं सीडीपी के कार्यान्वयन और रेशम उद्योग के विकास से संबंधित अन्य सभी कार्यक्रमों के लिए व्यापक तौर पर उपयोग की जाती है।

स्थाई समिति की एक बैठक 7.10.2015 और एक बोर्ड बैठक 12.8.2015 को आयोजित की गई थी। वर्तमान में सीएसबी के बोर्ड सदस्यों की सभी 38 रिक्तियों को भरा और अद्यतन किया जा रहा है।

सीएसबी के माननीय अध्यक्ष श्री एन.एस. बिस्से गौड़ा ने 3 से 8 अगस्त 2.15 के दौरान गैर–सरकारी बोर्ड सदस्यों के साथ उत्तराखंड और वाराणसी का दौरा किया तथा उच्च स्तरीय गणमान्य व्यक्तियों से भेंट की और उत्तरी क्षेत्र में रेशम कृषि के समग्र विकास विशेष रूप से बाइवोलटाइन रेशम उत्पादन हेतु संभाव्यताओं तथा संभावनाओं पर विस्तृत विचार–विमर्श किए।

7.4(ख) कच्ची सामग्री बैंक:

सीएसबी ने प्राथमिक उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कोकून के मूल्य को स्थिर करने के लिए वन्या रेशम हेतु कच्ची सामग्री बैंक की स्थापना की है।

वर्ष 2013–14, 2014–15 और 2015–16 के दौरान दिसम्बर, 2015 तक आरएमबी/एमआरएमबी और इसके उप–डिपो द्वारा तसर/मूगा कोकून की खरीद तथा बिक्री के ब्यौरे नीचे दिए गए है:

(i) तसर कच्ची सामग्री बैंक, चाईबासा:

(इकाई: मात्रा लाख संख्या में एवं मूल्य लाख रु. में)

वर्ष	आरएमबी (तसर)			
	खरीद		बिक्री	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2013-14	248.65	267.30	240.78	232.50
2014-15	180.35	192.60	237.70	306.11
2015-16 (दिसम्बर 2015 तक)	126.89	152.74	122.13	151.83

(ii) मूगा कच्ची सामग्री बैंक, शिवसागर

(इकाई: मात्रा लाख संख्या में एवं मूल्य लाख रु. में)

वर्ष	आरएमबी (तसर)			
	खरीद		बिक्री	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2013-14	6.47	10.11	6.47	10.49
2014-15	5.42	9.40	5.20	8.27
2015-16 (दिसम्बर 2015 तक)	0.33	0.45	0.33	0.45

7.5 गुणवत्ता प्रमाणन प्रणालियां:

गुणवत्ता प्रमाणन प्रणालियों के मुख्य उद्देश्यों में से एक गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता आकलन और गुणवत्ता प्रमाणन के प्रति उचित उपायों को प्रारंभ करना है। इस योजना के अंतर्गत दो घटक यथा

"कोकून तथा कच्ची रेशम प्रशिक्षण यूनिट" और "सिल्क मार्क को बढ़ावा देना" को क्रियान्वित किया जा रहा है। कोकून की गुणवत्ता रेलिंग के दौरान निष्पादन और उत्पादित कच्चे रेशम की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। सीडीपी के अंतर्गत सहायता के साथ विभिन्न कोकून बाजारों में स्थापित कोकून परीक्षण केन्द्र कोकून परीक्षण को सुकर बनाते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय से संबद्ध केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रमाणीकरण केन्द्रों का नेटवर्क स्वैच्छिक रूप से निर्यात हेतु निर्धारित रेशम की वस्तुओं का शिपमेंट पूर्व निरीक्षण करता है ताकि भारत से निर्यात की जा रही रेशम की वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय रेशम बोर्ड भारतीय सिल्क मार्क संगठन (एसएमओआई) के माध्यम से रेशम उत्पादों की शुद्धता के लिए "सिल्क मार्क" को लोकप्रिय बना रहा है। "सिल्क मार्क" एक आश्वासन लेबल है जो शुद्ध रेशम के नाम पर बाजार में नकली उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है।

वर्ष 2015–16 (दिसंबर, 2015 तक) के दौरान गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (क्यूसीएस) के अंतर्गत प्राप्त प्रगति नीचे दी गई है:

विवरण	लक्ष्य	2015 – 16 उपलब्धि दिसम्बर 2015 तक	मार्च 2016 तक प्रत्याशित
नामांकित अधिकृत प्रयोक्तओं की कुल	250	193	250
बेचे गए रेशम मार्क लेबलों की कुल संख्या (लाख में)	25.00	19.63	25.00
जागरूकता कार्यक्रम प्रदर्शनी/मेला/ कार्यशाला/रोड शो (सं)	390	399	390
कोकून परीक्षण केन्द्र (सं)	10	* --	** 2
कच्चा रेशम परीक्षण (सं)	6	* --	** 3

* क्यूसीएस के अंतर्गत निधियों की अनुपलब्धता के कारण

** निधियों की कमी के कारण

7.5(क) सिल्क मार्क प्रदर्शनियां

सिल्क मार्क की विशवसनीयता और लोकप्रियता को सुनिश्चित करने के लिए समूचे देश से सिल्क मार्क प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं हेतु सिल्क मार्क प्रदर्शनियों का विशिष्ट रूप से आयोजित किया जा रहा है। यह प्रदर्शनियां न केवल सिल्क मार्क को लोकप्रिय बनाने के लिए एक आदर्श मंच है बल्कि विनिर्माताओं तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध रेशम की उत्पादों की बिक्री तथा खरीद हेतु एक मंच पर लाती है। इन कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों को काफी व्यापार मिलता है। कार्यक्रम के दौरान एसएमओआई द्वारा

व्यापक जागरूकता और प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

वर्ष 2015–16 (अक्तूबर, 2015 तक) के दौरान गुवाहाटी, कोच्चि, पुद्दुचेरी, तिरूवन्तपुरम, भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची, हैदराबाद, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर, पुणे और बेंगलूरू में 13 प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया था।

7.6 12वीं योजना की शेष अवधि 2015–16 और 2016–17 के दौरान पुनर्गठित केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं (सीएसएस) का कार्यान्वयन

सीएसबी के अधिदेशित क्रियाकलापों में अनुसंधान और विकास, अनुसंधान विस्तार, चार स्तरीय रेशम कीट बीज उत्पादन नेटवर्क का रख–रखाव, वाणिज्यिक रेशम कीट बीज उत्पादन में नेतृत्व भूमिका, विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं में मानकीकरण और गुणवत्ता मानदण्डों को शामिल करना, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रेशम को बढ़ावा देना और केन्द्र सरकार को रेशम उत्पादन तथा रेशम उद्योग से संबंधित सभी मामलों पर परामर्श देना शामिल है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड के इन अधिदेशित क्रियाकलापों को विभिन्न राज्यों में अवस्थित सीएसबी की 324 यूनिटों द्वारा निम्नलिखित 4 केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाओं के अंतर्गत किया जा रहा है:

1. **अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण तथा सूचना प्रौद्योगिकी पहलें,**
2. **बीज संगठन/समन्वय तथा बाजार विकास,**
3. **गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रणालियां,**
4. **निर्यात/ब्रांड संवर्धन तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन (12वीं योजना के दौरान स्वीकृत नई योजना)**

उक्त उल्लिखित केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अतिरिक्त सीएसबी ने एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के क्रियान्वयन में राज्य सरकार की सहायता की थी, इस योजना का उद्देश्य बेहतर प्रौद्योगिकी पैकेंजों, इसकी आर एण्ड डी इकाइयों द्वारा विकसित नवाचारों के मध्य सहक्रिया विकसित करना तथा उनका प्रसार करना तथा बेहतर प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए हितधारकों के मध्य निवेश को प्रोत्साहन देना है ताकि यह रेशम के वृद्धित उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार में परिणत हो ताकि प्राथमिक उत्पादकों की आय में वृद्धि हो सके। सीडीपी के अंतर्गत घटकों में प्रमुख क्षेत्र परिकल्पित हैं जैसे कि रेशम कीट बीज आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण तथा सृजन, फार्म तथा कोकून–पश्च आधारभूत ढ़ांचे का विकास, बेहतर विपणन सुविधाओं का सृजन, जो सभी हितधारकों हेतु बेहतर लाभकारी मूल्य में परिणत हुआ है।

12वीं योजना के दौरान सीडीपी को एक अच्छी गति से बेहतर वृद्धि सुनिश्चित करके क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुनः संरचित किया गया था। इस कार्यक्रम को विभिन्न राज्यों द्वारा महत्वपूर्ण अंतरों पर ध्यान देने के लिए सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया था ताकि उत्पादकता में वृद्धि हेतु रेशम कृषि

क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जा सके। इसने सभी हितधारकों (पालक, ग्रेनियर, रीलर और बुनकर) को प्रौद्योगिकीय प्रसार, प्रशिक्षण तथा विस्तार सहायता के रूप में मूल्य श्रृंखला में व्यापक समर्थन मुहैया करवाया है। योजना में अपनाई गई फोकसबद्ध एप्रोच ने प्रौद्योगिकीय के अपनाए जाने को सुनिश्चित किया है, फस्ल किस्मों तथा रेशम कीट बीज उत्पादन में सुधार आया है और पालन तथा रीलिंग में बेहतर प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं जो देश में रेशम की गुणवत्ता, उत्पादकता और समग्र उत्पादन में सुधार में परिणत हुआ है। सीडीपी के अंतर्गत उपलब्धियों को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) द्वारा वर्ष 2014 में प्रस्तुत अपनी मध्यावधि मूल्यांकन रिपोर्ट में सराहा गया है।

7.6(क) केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं की पुनर्संरचना

वर्ष 2014–15 तक उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम को राज्यों के साथ सहयोग से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जाता था। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने संघ के कर राजस्व की निवल प्राप्तियों में से राज्यों के अंश को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है और उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम सहित अधिकांश केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया है (सीडीपी को 2015–16 से प्रभावी)।

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि उक्त केन्द्रीय क्षेत्र की सभी योजनाएं एक दूसरे से संयोजित हैं और इनका उद्देश्य कच्ची रेशम की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में वृद्धि करना है ताकि हितधारकों की आय में वृद्धि की जा सके। अतः केन्द्रीय रेशम बोर्ड की इन योजनागत स्कीमों को शेष योजनावधि 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान क्रियान्वयन हेतु सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण घटकों को मिलाकर पुनर्संरचित किया गया है। एक पुनः राष्ट्रीयकरण प्रयास के रूप में केन्द्रीय क्षेत्र की सभी 4 योजनाओं को अब एक महत्वपूर्ण अर्थात **"रेशम उद्योग के विकास हेतु एकीकृत योजना"** के अंतर्गत लाया गया है। भले ही चार केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं की प्रकृति तथा उद्देश्य एक दूसरे से भिन्न है, वे परस्पर जुड़े हुए हैं और उनका एक समान लक्ष्य है अर्थात रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग का विकास और इन योजनाओं का परिणाम सीधे उद्योग की वृद्धि से संबंधित है। अतः 12वीं योजना के दौरान एक युक्तिकरण प्रयास के रूप में इन योजनाओं को एक समान ईएफसी ज्ञापन के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था क्योंकि इन स्कीमों का उद्देश्य वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक अनुसंधान करके, उसमें सहायता देकर या उसे प्रोत्साहित करके, पोषक पौधा खेती के उन्नत पद्धतियों हेतु तरीके निकालकर, रेशम कीट पालन, अच्छी हाइब्रिड के साथ स्वस्थ रेशम कीट के विकास तथा वितरण, रेशम की गुणवत्ता तथा उत्पादन में सुधार करके रेशम उद्योग के व्यापक तथा धारणीय विकास का है जो अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड को सौंपे गए कार्यों में शामिल है।

सीडीपी योजना के महत्वपूर्ण घटकों को केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं यथा (क) अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का अंतरण और सूचना प्रौद्योगिकी पहलें, ख) बीज संगठन के साथ समामेलित किया गया है। इस प्रकार चालू केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं को बीज, नस्ल, कोकून पश्च प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हस्तक्षेप हेतु पुनर्संरचित किया गया है जिससे गुणवत्ता तथा उत्पादकता सुधार पर दृश्य प्रभाव हों। पुनर्संरचित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को 12वीं योजना के अंतिम 2 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन हेतु नई दिल्ली में 1.6.2015 को आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में अनुमोदित किया गया है।

हालांकि सीएसबी गुणवत्ता तथा उत्पादकता सुधार के माध्यम से रेशम कृषि उद्योग की प्रगतिशील वृद्धि हेतु सहायता प्रदान करेगा, राज्य उद्योग की समांतर वृद्धि को आगे ले जाएंगे ताकि 12वीं योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

अन्य दो चालू योजनाएं यथा समन्वय तथा बाजार विकास (एचआरडी), एसएमओआई को कवर करने वाली गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रणाली तथा ब्रॉण्ड संवर्धन को बिना किसी संशोधन के 12वीं योजना के दौरान जारी रखा गया है। तथापि, राज्यों से अपनी राज्य योजना निधियों से सीडीपी की प्रतिबद्ध देयताओं को जारी रखने का अनुरोध किया गया है। सीएसबी उपयुक्त परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने में राज्यों की सहायता कर रहा है ताकि सीडीपी योजनाओं को जारी रखने हेतु मनरेगा, आरकेवीवाई, एनएपी आदि के अंतर्गत निधियां प्राप्त की जा सकें।

7.6(ख) योजनागत स्कीमों हेतु वित्तीय आवंटन

भारत सरकार द्वारा मूल रूप से अनुमोदित 1269.00 करोड़ रूपये के कुल 12वीं योजना आवंटन के प्रति 12वीं योजना के पहले तीन वर्षों (2012–13 से 2014–15) के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं तथा सीडीपी के कार्यान्वयन हेतु 930.43 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई है। अतः 338.57 करोड़ रूपये की शेष राशि में से वर्तमान वर्ष 2015–16 हेतु 178.10 करोड़ रूपये के परिव्यय को वर्तमान वर्ष 2015–16 के लिए अनुमोदित किया गया है जबकि 160.47 करोड़ रूपये की राशि को 12वीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2016–17 के लिए पुनर्संरचित केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु रखा गया है। 178.10 करोड़ रूपये की तुलना में दिसम्बर, 2015 तक पुनर्संरचित केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के कार्यान्वयन के प्रति 134.98 करोड़ रूपये व्यय किए गए हैं।

नीचे दी गई तालिका 12वीं योजना आवंटन और 12वीं योजना के पहले चार वर्षों अर्थात 2012–13 से 2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक) के दौरान किए गए व्यय और 2015–16 तथा 2016–17 क लिए अनुमोदित आवंटन को दर्शाती है।

रेशम उत्पादन हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं	XII योजना आवंटन (भारत सरकार द्वारा मूलतः अनुमोदित)	2012-13 व्यय	2013-14 व्यय	2014-15 व्यय	अनुमोदित आवंटन	व्यय (दिसम्बर 2015 तक)	अनुमोदित आवंटन	कुल XII योजना (पुनर्संरचित योजना के अनुसार संशोधित आंवटन)
अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण और आईटी पहल	203.71	30.25	37.97	44.50	88.30	64.35	75.12	276.14
बीज संगठन/ समन्वय	119.08	11.58	26.64	30.56	59.78	46.37	54.85	183.41
समन्वय और बाजार विकास	40.35	7.96	7.18	9.02	9.02	6.76	9.50	42.68
गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रणाली और निर्यात/ब्रांड संवर्धन एवं प्रौदयोगिकी उन्नयन	16.85	3.05	7.30	0.50	1.00	0.69	1.00	12.85
उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी)	889.00	205.16	295.76	213.00	20.00	16.80(**)	20.00	753.92
कुलयोग	**1269.00**	**258.00**	**374.85**	**297.58**	**178.10**	**134.97**	**160.47**	**1269.00**

(**) तसर विकास परियोजना (टीएसपी) के कार्यान्वयन के प्रति जारी राशि

7.6(ग) 12वीं योजना में कलस्टर संवर्धन कार्यक्रम (सीपीपी)

12वीं योजना के दौरान अत्यधिक बल देश में आयात प्रतिस्थापक रेशम में वृद्धि करने और बी.वी. रेशम का उत्पादन स्तर वर्तमान के 1685 एमटी (2012–13) से बढ़ाकर 5000 एमटी करने पर दिया जाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्य रेशम कृषि विभागों के साथ मिलकर कलस्टरों के माध्यम से 12वीं योजना के दौरान लगभग 3300 एमटी के बाइवोलटाइन कच्ची रेशम के उत्पादन हेतु 197 बाइवोलटाइन कलस्टरों को व्यवस्थित करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की है और इसके अतिरिक्त, शेष 1700 एमटी के उत्पादन हेतु गैर–गृहीत क्षेत्रों में अपना ध्यान केन्द्रित किया है। सीएसआरटीआई मैसूर/बहरमपुर/पम्पोर तथा एनएसएसओ, बेंगलूरू के निदेशकों को संबंधित राज्य डीओएस के साथ निकट समन्वय से इन कलस्टरों के क्रियान्वयन के प्रबोधन का कार्य सौंपा गया है।

वर्ष 2014–15 के दौरान देश ने कच्ची रेशम के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हुए 3870 एमटी के बाइवोलटाइन कच्ची रेशम का उत्पादन दर्ज किया जो 3500 एमटी के लक्ष्य से 111 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज करवाता

है। कलस्टर संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत 174 क्लस्टरों को स्थापित किया गया है और 2357 एमटी के बाइवोलटाइन कच्ची रेशम के उत्पादन वाले कुल 235.20 लाख डीएफएलएस को प्राप्त किया है जिसमें देश में बाइवोलटाइन कच्ची रेशम के कुल उत्पादन (3870 एमटी) में 63 प्रतिशत का योगदान दिया।

वर्तमान वर्ष (2015–16) के दौरान देश के लिए निर्धारित 4500 एमटी के बाइवोलटाइन रेशम के कुल लक्ष्य में से दिसम्बर, 2015 तक बाइवोलटाइन कच्ची रेशम उत्पादन 3225 एमटी था जो वर्ष 2014–15 के समान अवधि के दौरान उत्पादित से 497 एमटी अधिक है। 174 कलस्टरों से 2837 एमटी के कच्ची रेशम और शेष 1663 एमटी को गैर गृहीत क्षेत्रों से उत्पादन किए जाने की प्रत्याशा है।

इसके अतिरिक्त सेरी आदर्श गांव कार्यक्रम के अंतर्गत 49 कलस्टरों को स्थापित किया गया है जो प्रोद्योगिकी कार्यक्रम को शत प्रतिशत अपनाने के अंतर्गत लगभग 5335 को कवर करता है जिसमें से 23 कलस्टरों को बाइवोलटाइन कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया गया है। उक्त लक्ष्य के प्रति, सीएसबी ने आईवीएलपी कार्यक्रम के अंतर्गत 3778 किसानों को कवर करने वाले 27 बी.वी. क्लस्टरों और 1462 किसानों को कवर करने वाले 17 वान्या कलस्टरों को व्यवस्थित किया है। इन किसानों की मॉनिटरिंग सीधे सीएसबी आर एण्ड डी संस्थानों द्वारा की जाएगी और ये बाइवोलटाइन उत्पादन कार्यक्रम में योगदान देंगे।

7.6(घ) वर्ष 2015–16 के दौरान पुनर्गठित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) का कार्यान्वयन

वर्ष 2015–16 के दौरान पुनर्गठित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना यथा एससीएसपी तथा टीएसपी के क्रियान्वन के प्रति रेशम उद्योग विकास हेतु एकीकृत योजना (आईएसडीएसआई) के लिए क्रमशः 7.00 करोड़ रूपये और 20.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था। एससीएसपी को शहतूती क्लस्टरों, संस्थान गांवों संयोजित कार्यक्रम (आईवीएलपी), कोकून–पश्च प्रौद्योगिकी (पीसीटी) कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति लाभग्राहियों को प्राथमिकता देते हुए क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। टीएसपी के अंतर्गत प्रमुख तसर रेशम उत्पादक राज्यों के चुनिंदा ब्लाकों में उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए जनजातीय तसर उगाने वालों तथा रीलर को सहायता देना परिकल्पित है जिससे आर एण्ड डी हस्तक्षेपों के माध्यम से हितधारकों की आय में वृद्धि की जा सके। इस कार्यक्रम को राज्यों द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड के स्थानीय अनुसंधान विस्तार केन्द्रों के साथ समन्वय में क्रियान्वित किया जा रहा है। एससीएसपी और टीएसपी के सभी लाभग्राहियों को विशेष दर्जा राज्यों के अनुरूप उच्चतर राजसहायता मिलेगी। वर्तमान वर्ष 2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक) के दौरान राज्यों/संस्थानों को पुनर्संरचित केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत एससीएसपी तथा टीएसपी योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति क्रमशः 5.69 करोड़ रूपये और 16.88 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं।

अध्याय–8

ऊन एवं ऊनी वस्त्र

8.1 केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यू डीबी), जोधपुर

एकीकृत विकास नीति के साथ ऊनी उद्योग के अलग–अलग क्षेत्रों में विभिन्न विविधीकृत हित में सामंजस्य बिठाने के उद्देश्य से केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) का गठन वर्ष 1987 में किया गया था जिसका मुख्यालय जोधपुर, राजस्थान में है। सीडब्ल्यूडीबी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। बोर्ड ऊन क्षेत्र की वृद्धि और विकास से संबंधित मामलों पर वस्त्र मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में भी कार्य करता है। श्री जसवंत सिंह बिश्नोई बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

8.2 योजना बजट

12वीं पंचवर्षीय योजना में 96 करोड़ रु. के कुल वित्तीय परिव्यय में से वर्ष 2015–16 के लिए योजना आबंटन 36.62 करोड़ रुपए है।

8.3 क्रियान्वयनाधीन योजनाओं का ब्यौरा

8.3.1 एकीकृत ऊन सुधार और विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूआईडीपी)

आईडब्ल्यूआईडीपी के तहत, सीडब्ल्यूडीबी भेड़, अंगोरा खरगोश, पश्मीना बकरी से तैयार ऊन की मात्रा तथा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करने के साथ–साथ संवर्धनात्मक एवं विपणन कार्यकलापों सहित ऊन उत्पादकों, बुनकरों, स्रोत व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखत योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

(i) भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (एसडब्ल्यूआईएस)

बोर्ड ने देश में भेड़ की स्वदेशी ऊन की गुणवत्ता में सुधार करने और मात्रा में वृद्धि करने के लिए 'भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (एसडब्ल्यूआईएस)' शुरू की है। बोर्ड द्वारा समस्त प्रमुख ऊन उत्पादक राज्यों में इस योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनके संघटक हैं – भेड़ के उपचार, टीकाकरण और दवाइयों के लिए 'स्वास्थ्य देखभाल', भेड़ों के आनुवंशिक सुधार हेतु और नर मेमना पालन, स्टड मेढ़ों के वितरण हेतु भेड़ प्रजनन फार्मों के सुदृढ़ीकरण/स्थापना, भेड़ पालन कार्यकलापों की आधुनिक तकनीकों में ऊन उत्पादकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के जरिए 'प्रजनन सुधार', पात्र भेड़ों (दुर्बल, गर्भवती/प्रजनन योग्य मादा भेड़ों) को ''पूरक आहार'' उपलब्ध कराना तथा कच्ची ऊन के विपणन और राज्य ऊन विपणन परिसंघों/निगमों के पुनरुद्धार और राज्य विशिष्ट परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है ताकि निर्धारित संघटकों से इतर राज्य विशिष्ट मांग पर विचार करने के लिए लोचशीलता की व्यवस्था की जा सके।

वार्षिक योजना 2015–16 के दौरान 4.55 करोड़ रु. में से बोर्ड ने जनवरी, 2016 तक 2.80 करोड़ रु. का उपयोग कर लिया है और जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश,राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात आदि जैसे प्रमुख ऊन उत्पादक राज्यों की 42.15 लाख भेड़ों को लाभान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ii) अंगोरा ऊन विकास योजना

आवश्यक प्रशिक्षण, आहार एवं पोषाहार सहायता, दवाइयों की आपूर्ति आदि के साथ–साथ फाउण्डेशन स्टॉक के रूप में किसानों के मध्य अंगोरा खरगोश के वितरण द्वारा किसानों में अंगोरा पालन कार्यकलाप में सहायता करने के लिए बोर्ड द्वारा देश के पहाड़ी क्षेत्रों में अंगोरा ऊन विकास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। योजना में 12वीं योजना के दौरान (i) लघु अंगोरा खरगोश फार्म की स्थापना (ii) अंगोरा खरगोश जर्म प्लाज्म एवं प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जैसे संघटक हैं।

वार्षिक योजना 2015–16 के दौरान 0.125 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आबंटन से इस योजना में 300 अंगोरा खरगोशों को शामिल किया जाएगा। बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार अवसरों के सृजन के साथ मणिपुर में खरगोश पालकों के मध्य अंगोरा खरगोश पालन कार्यकलाप को सहायता के लिए यह योजना भी शुरू की गई। जनवरी, 2016 तक बोर्ड ने 0.125 करोड़ रुपए का उपयोग किया है।

(iii) मानव संसाधन विकास एवं संवर्धनात्मक कार्यकलाप:

बोर्ड ने विभिन्न नामी संगठनों/संस्थानों/ विभागों के सहयोग से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए कुछ क्षेत्रों: भेड़ के लिए फार्म प्रबंधन, अंगोरा एवं

पश्मीना पालन, मशीन द्वारा भेड़ों की बाल कटाई, प्रशिक्षण एवं रिपोर्ट लिखना तथा गुणवत्ता नियंत्रण/आश्वासन, ऊन की ग्रेडिंग एवं विपणन, ऊन एवं ऊनी उत्पादों का प्रसंस्करण, बुनकरों के लिए नवीनतम बुनाई एवं डिजाइनिंग तकनीकों की पहचान की है। निम्नलिखित कार्यकलाप हैं:–विपणन एवं संवर्धनात्मक कार्यकलापों (ऊनी मेलों एवं प्रदर्शनियों, संगोष्ठी एवं कार्यशाला आदि का आयोजन), बाजार आसूचना एवं प्रचार, अनुसंधान, अध्ययन एवं परामर्श, बुनाई एवं डिजाइनिंग प्रशिक्षण केंद्र के तहत प्रशिक्षण, कुल्लु, योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन, किसानों/भेड़पालकों/बुनकरों को प्रशिक्षण, ऊन जांच, ऊन ग्रेडिंग एवं विपणन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, बोर्ड ने उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए 1.435 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। जनवरी, 2016 तक बोर्ड ने 0.785 करोड़ रुपए का उपयोग किया है और बुनाई तथा डिजाइनिंग प्रशिक्षण केंद्र, कुल्लू में 90 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, ऊन प्रशिक्षण केंद्र आदि चलाने के लिए कच्ची ऊन मूल्य बुलेटिन का प्रकाशन किया जा रहा है।

8.4 ऊन गुणवत्ता प्रसंस्करण योजना

बोर्ड कच्ची ऊन की गुणवत्ता में सुधार करने, ऊनी उत्पादों के प्रसंस्करण तथा ऊन एवं ऊनी उत्पादों के मूल्यवर्द्धन के लिए एक योजना नामतः 'ऊन गुणवत्ता प्रसंस्करण' कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना स्पिनरों को उनकी पुरानी तथा लघु यार्न विनिर्माण इकाइयों को आधुनिकीकृत करने के लिए आकर्षित करती है। इस परियोजना के लाभार्थी ऊन एवं ऊनी प्रसंस्करण में लगे हुए राज्य ऊन बोर्ड/निगम/गैर–सरकारी संगठन/पंजीकृत समितियां/निजी उद्यमी आदि हैं। इस योजना के तहत एजेंसी को अपने संसाधनों द्वारा भूमि एवं भवन की लागत वहन करनी होगी। सीडब्ल्यूडीबी गैर–आवर्ती व्यय के अंतर्गत केवल सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करने के लिए मशीनरी एवं संयंत्र की खरीद के लिए अनुदान प्रदान करता है।आवर्ती व्यय का एजेंसी/संघों द्वारा अपने संसाधनों में से वहन किया जाएगा।

वर्ष 2015–16 में विभिन्न ऊन उत्पादक राज्यों में भेड़ बाल कटाई मशीन खरीद करने के लिए चल रहे सामान्य सुविधा केंद्रों के अंतर्गत अगली किस्त के रूप में 0.17 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

8.5 भेड़ पालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

सीडब्ल्यूडीबी इस योजना को दो योजनाओं (i) भेड़ पालक बीमा योजना और (ii) भेड़ बीमा योजना द्वारा भेड़ पालकों और उनके भेड़ झुण्डों को जीवन बीमा प्रदान कर भेड़पालकों को लाभ प्रदान करने के लिए कार्यान्वित कर रहा है। भेड़ पालक बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक मृत्यु/दुर्घटनावश

मृत्यु/पूर्ण/आंशिक विकलांगता के मामले में भेड़ पालकों को बड़ी हुई बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। भेड़ बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य इस नीति के दौरान आग, बिजली, तूफान, आंधी, बाढ़, जलभराव, भूकंप, भुखमरी और संक्रामक अथवा होने वाली बीमारियों के मामले में भेड़ को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। भेड़ बीमा योजना, पशुधन बीमा योजना पर आधारित है। बीमा की सामान्य अवधि 12 महीने और अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान बोर्ड ने सभी प्रमुख ऊन उत्पादक राज्यों से इन योजना के अंतर्गत भेड़ पालकों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए 0.25 करोड़ रुपए का कुल वित्त प्रावधान किया है। बोर्ड भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की सहायता से भेड़ पालक बीमा योजना क्रियान्वित कर रहा है। बोर्ड ने अक्तूबर 2015 तक इस योजना के अंतर्गत 99.35 भेड़ पालकों शामिल किया है।

8.6 पश्मीना ऊन विकास कार्यक्रम (पीडब्ल्यूडीपी)

8.6.1 पश्मीना ऊन विकास योजना (पीडब्ल्यूडीएस)

जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र दुनिया में सबसे बेहतरीन पश्मीना ऊन का उत्पादन करता है और रेशा उत्कृष्ट गुण धर्मों का होने के कारण यह विशिष्टता युक्त रेशे के अंतर्गत आती है। पश्मीना बकरी पालन लद्दाख क्षेत्र के दूर–दराज के क्षेत्र में रह रहे खानाबदोशों की आय का एकमात्र स्रोत है। सीडब्ल्यूडीबी ने 12वीं योजना के दौरान इस योजना को बड़े पैमाने पर शुरू किया है ताकि पश्मीना का उत्पादन बढ़ाया जा सके, पश्मीना ऊन से पश्मीना बुनकरों को होने वाली आय बढ़ाई जा सके और आजीविका के भरोसेमंद साधन के रूप में इस कार्यकलाप में उनकी रूचि को बनाए रखा जा सके। मुख्य संघटक हैं: स्वास्थ्य कवरेज, पश्मीना नर विनिमय कार्यक्रम, उच्च गुणवत्ता युक्त पश्मीना नर का वितरण, फाउंडेशन स्टॉक हेतु सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम/प्रजनक अभिमुखीकरण/स्वास्थ्य शिविर, पूरक आहार, पश्मीना बकरा बाड़ा बनाना, पोर्टेबल तम्बू, गमबूट, टार्च, गूगल उपलब्ध कराना, खानाबदोशों के लिए उन्नत पश्मीना काम्ब, पश्मीना आहार बैंकों एवं प्रजनन फार्मों, लेह में आरएंडडी और मौजूदा पश्मीना बाल छंटाई संयंत्र का उन्नयन। पीडब्ल्यूडीएस की इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर तथा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, कारगिल को सीधे अनुदान सहायता जारी की गई है।

वर्ष 2015–16 के दौरान बोर्ड से उपर्युक्त विभिन्न संघटकों के जरिए लद्दाख क्षेत्र के लेह एवं कारगिल जिलों में 2 लाख पश्मीना बकरियों को शामिल कर 800 पश्मीना ऊन उत्पादकों (खानाबदोशों) को लाभ प्रदान कर रहा है। पीडब्ल्यूडीएस के अंतर्गत सीडब्ल्यूडीबी को वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 11.13 करोड़ रुपए में

से बोर्ड ने परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जनवरी 2016 तक लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी), लेह तथा कारगिल को 6.89 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

8.6.2 पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम (पी–3)

वस्त्र मंत्रालय माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के लेह दौरे (12 अगस्त 2014) और बजट 2014–15 में की गई घोषणा के अनुसार लद्दाख क्षेत्र में पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम (पी–3) क्रियान्वित कर रहा है। वस्त्र मंत्रालय, संभागीय आयुक्त/लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी परिषद, लेह एवं कारगिल की सहायता से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। वस्त्र मंत्रालय ने लद्दाख क्षेत्र में घुमंतू समुदाय के पश्मीना पालन क्रियाकलाप के धारणीय विकास के लिए पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम (पी–3) को अनुमोदित किया है और लद्दाख क्षेत्र में पश्मीना बकरी को बढ़ावा देने के लिए 19.12 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्त परिव्यय किया है।

इस नए कार्यक्रम (पी–3) के अंतर्गत ऊन परीक्षण के लिए सामान्य पश्मीना सुविधा केंद्र के निर्माण, बीमारी निगरानी केंद्र, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्रयोगशाला, घुमंतू के लिए शेल्टर, हथकरघा कताई/बुनाई के लिए पोर्टेबल इलैक्ट्रिक यूनिट का वितरण, सोलर युक्त समुदाय केन्द्र, पश्मीना बकरियों के चरने के लिए चारागाहों का विकास, किसानों का फाउंडेशन स्टॉक (नर एवं मादा बकरी) का वितरण और पश्मीना पशुओं के आवास के लिए शेल्टर का निर्माण जैसे विभिन्न संघटकों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत स्कोरिंग, ड्राइंग और लेह में इन मशीनों की स्थापना करने के लिए भवन के निर्माण सहित बॉयलर जैसी अन्य मशीनों सहित 19.35 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से लेह में नवीनतम प्रौद्योगिकी वाली पश्मीना बाल कटाई संयंत्र की स्थापना करने के लिए प्रमुख प्रावधान किए गए हैं।

चालू वित्त वर्ष के दौरान एलएएचडीसी, लेह और एलएएचडीसी, कारगिल को पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत जनवरी 2016 तक 10.39 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता जारी की गई है।

8.7 निर्यात रुझान

डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार ऊन और ऊनी मिश्रित उत्पादों के निर्यात ने वर्ष 2014–15 की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल 2015 से नवम्बर 2015 (2015–16) के दौरान डालर के संबंध में 7.92 प्रतिशत की कमी और रुपए के संबंध में 1.87 प्रतिशत की कमी प्रदर्शित किया है। वर्ष 2014–15 और 2015–16 (नवम्बर, 2015 तक) के दौरान ऊनी उत्पादों का निर्यात निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

(मूल्य मिलियन में)

उत्पाद	2014-15		अप्रैल, 14 से नवंबर 14 (2014-15)		अप्रैल, 15 से नवंबर 15 (2015-16)	
	अमरीकी डॉलर	भारतीय रूपये	अमरीकी डॉलर	भारतीय रूपये	अमरीकी डॉलर	भारतीय रूपये
सिलसिलाए ऊनी वस्त्र	311.53	19017.61	234.11	14186.57	208.35	13446.43
ऊनी यार्न, फैब्रिक, मेड अप्स आदि	201.93	1234.61	131.31	7942.54	127.96	8256.51
कच्ची ऊन	0.04	2.44	0.02	1.0	0.19	12.5
कुल	**513.5**	**20254.66**	**365.44**	**22130.11**	**336.50**	**21715.44**
वृद्धि					**-7.91%**	**1.87%**
2015–16 के लिए लक्ष्य					**अमरीकी डॉलर 610**	

8.8 आयात रुझान

कच्ची ऊन का आयात

घरेलू उद्योग अपैरल श्रेणी के ऊन के आयात पर अधिक आश्रित है। इससे घरेलू उद्योग, आयात पर आश्रित होता है। भारत कई देशों से कच्ची ऊन का आयात करता है। 10 शीर्ष आयात बाजारों में आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, द.अफ्रीका, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, यूएसए, यूके, रूस, चीन आदि हैं। वर्ष 2014–15 और 2015–16 (नवंबर, 2015 तक) के दौरान कच्ची ऊन का आयात नीचे दिया गया है:

2014-15 (अप्रैल, 14 – नवंबर 14)			2015-16 (नवंबर, 15 तक)		
मात्रा टन में	मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में	मूल्य मिलियन रूपए में	मात्रा टन में	मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में	मूल्य मिलियन रूपए में
67672.798	255.58	15451.74	64826.80	211.66	13656.669

ऊनी यार्न, फैब्रिक और मेडअप्स आदि का आयात

2014-15 (अप्रैल, 14 – नवंबर 14)		2015-16 (नवंबर, 15 तक)	
मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में	मूल्य मिलियन रूपए में	मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में	मूल्य मिलियन रूपए में
47.58	2879.36	44.03	2840.681

आरएमजी ऊन का आयात

2014-15 (अप्रैल, 14 – नवंबर 14)		2015-16 (नवंबर, 15 तक)	
मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में	मूल्य मिलियन रूपए में	मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में	मूल्य मिलियन रूपए में
12.05	731.78	10.46	679.02

अध्याय–9

विद्युतकरघा

9.1 सिंहावलोकन

विकेन्दीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र फैब्रिक उत्पादन एवं रोजगार सृजन के संदर्भ में वस्त्र उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। यह विकेंद्रीकृत क्षेत्र 61.72 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है एवं देश के कुल कपड़ा उत्पादन में 60% का योगदान करता है। विद्युतकरघा क्षेत्र में उत्पादित होने वाले फैब्रिक का 60% मानव निर्मित होता है। निर्यात होने वाले फैब्रिक में से 60% से अधिक विद्युतकरघा क्षेत्र से आता है। रेडीमेड गारमेंट एवं घरेलू वस्त्र क्षेत्र अपनी फैब्रिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्यतया विद्युतकरघा क्षेत्र पर निर्भर हैं।

दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार लगभग 24.69 लाख विद्युतकरघें हैं। इस क्षेत्र की प्रौद्योगिकी का स्तर सामान्य करघों से लेकर उच्च तकनीक वाले शटल रहित करघों तक है। इस क्षेत्र में लगभग 1.25 लाख शटलरहित करघे मौजूद हैं। यह अनुमान है कि शटल वाले करघों में से 75% से अधिक अप्रचलित एवं 15 वर्ष तक पुराने हैं तथा उनके साथ कोई प्रसंस्करण अथवा गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण/ संलग्नक नहीं जुड़े हुए हैं। यद्यपि, पिछले 7–8 वर्षों के दौरान विद्युतकरघा क्षेत्र की प्रौद्योगिकी के स्तर में महत्वपूर्ण उन्नयन हुआ है।

9.2 विद्युतकरघा क्षेत्र में वृद्धिः

स्थापित किये गये करघों की संख्या में वर्ष–वार वृद्धि का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

वर्ष	विदयुतकरघों की संख्या	वृधि की प्रतिशत
2006-07	19,90,308	-
2007-08	21,06,370	5.8%
2008-09	22,05,352	4.7%
2009-10	22,46,474	1.9%
2010-11	22,82,744	1.61%
2011-12	22,98,377	0.68%
2012-13	23,47,249	2.12%
2013-14	23,67,594	0.86%
2014-15	24,47,837	3.38%
2015-16 (दिसम्बर 2015 तक)	24,69,638	0.89%

कपड़ा उत्पादनः

पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युतकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादन की तुलना में कुल कपड़ा उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है।

विद्युतकरघा सेवा केन्द्र का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

वस्त्र आयुक्त तथा अन्य एजेंसियों के अंतर्गत 47 विद्युतकरघा सेवा केन्द्र (पीएससी) हैं जो विभिन्न राज्यों में प्रमुख विद्युतकरघा केंद्रित क्षेत्रों में अवस्थित हैं तथा विद्युतकरघा इकाइयों और बुनकरों को प्रशिक्षण, परीक्षण सुविधाएं, तकनीकी परामर्श, डिजाइन विकास तथा विविधीकरण आदि सहित अनेक तकनीकी सेवाएं प्रदान करते हैं। 47 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों (पीएसी) में से 43 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों (पीएससी) को आधुनिक मशीनों और प्रोजेक्टाइल, रेपियर, एयरजैट, ऑटामेटिक, कॉप चैंजिंग करघों, ड्राप बॉक्स करघों, तीन वाइंडर, कॉन वाइंडर, सेक्सनल वार्पिंग मशीन, डीजीसेट आदि किस्म के शटल रहित करघों जैसे उपकरण के साथ आधुनिकृत किया गया है। 47 पीएससी में से 15 पीएससी वस्त्र आयुक्त के अधीन हैं, 26 पीएससी विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा चलाए जाते हैं, 4

(मिलियन वर्ग मी. में)

वर्ष	कुल उत्पादन	विघुतकरघा उत्पादन	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि		
			विघुतकरघा कपड़ा उत्पादन का %	कुल उत्पादन	विघुतकरघा उत्पादन
2008-09	54,966	33,648	61.22%	-	-
2009-10	60,333	36,997	61.29%	9.76%	9.95%
2010-11	62,559	38,015	60.77%	3.69%	2.75%
2011-12	60,453	37,445	61.94%	(-) 3.37%	(-) 1.50%
2012-13	62,792	38,038	60.57%	3.87%	1.58%
2013-14	63,500	36,790	57.93%	1.12%	(-) 3.28%
2014-15 (P)	65,097	37,566	57.70 %	2.5%	2.1%
2015–16 (अप्रैल–दिसम्बर) (अ)	46,473	27,896	60 %	--	--

पीएससी कर्नाटक विद्युतकरघा राज्य विकास निगम (केएसपीआईडीसी), बैंगलोर के अधीन हैं तथा एक–एक पीएससी क्रमशः मध्य प्रदेश सरकार और मणिपुर राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। हाल ही में वस्त्र आयुक्त का कार्यालय के अंतर्गत एक पीएससी ने नागपुर (महाराष्ट्र) में और दूसरी पीएससी ने निटरा के अंतर्गत वाराणसी (उ.प्र.) में कार्य करना शुरू कर दिया है।

9.3 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों का निष्पादन

01.04.2015 से 31.10.2015 तक की पीएससी की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:–

प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	: 4396
परीक्षित नमूनों की संख्या	: 40341
विकसित डिजाइनों की संख्या	: 4455
परामर्श/समस्या निदान की संख्या	: 1961
कुल राजस्व	: 79.79 लाख रुपए

9.4 विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं:

9.4.1 विद्युतकरघा कामगार समूह बीमा योजना (जीआईएस):

भारत सरकार ने समूह बीमा योजना वर्ष 2003–04 से शुरू की है और यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सहयोग से वस्त्र आयुक्त का कार्यालय के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। विद्युतकरघा बनुकरों/कामगारों को एक वर्ष के लिए इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना है जिसे वर्ष–दर–वर्ष आधार पर पुनः नया बनाया जाता है। आरंभ में एलआईसी द्वारा प्रति कामगार/बुनकर वसूली गई प्रीमियम अगस्त 2012 तक 330 रुपए थी जिसमें से भारत सरकार का शेयर 150 रुपए था जबकि 100 रुपए का भुगतान एलआईसी की सामाजिक सुरक्षाए निधि से और 80 रुपए का भुगतान लाभार्थी द्वारा किया गया था। तथापि, सितम्बर 2012 से एलआईसी ने प्रीमियम को 470 रुपए तक बढ़ा दिया है और इसलिए प्रीमियम में भारत सरकार का शेयर प्रति कामगार 290 रुपए तक पहुंच गया है।

लाभ

वर्तमान योजना के अंतर्गत निम्निलिखित लाभ उपलब्ध हैं:

सदस्य की सामान्य मृत्यु	रु. 60,000/.
दुर्घटना के कारण मृत्यु	रु. 1,50,000/.
दुर्घटना के कारण कुल स्थाई विकलांगता	रु. 1,50,000/.
दुर्घटना के कारण आंशिक विकलांगता	रु. 75,000/.

इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत एक कामगार शिक्षा सहयोग योजना (एसएसवाई) के अंतर्गत अधिकतम 4 वर्षों की अवधि के लिए कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा/प्रति छमाही 600 रुपए के शैक्षिक अनुदान के पात्र भी होंगे।

समूह बीमा योजना के अंतर्गत, 01.04.2015 से 30.12.2015 तक की अवधि के लिए 66,218 विद्युतकरघा कामगारों का बीमा किया गया है। वित्त वर्ष 2015–16 के लिए दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार का 4.22 करोड़ रुपए का अंशदान जारी कर दिया गया

है। उक्त अवधि के दौरान 2.28 करोड़ रुपए की राशि से 366 दावों का निपटारा किया गया है।

9.4.2 समूह वर्क शेड योजना (जीडब्ल्यूएस)

भारत सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए 29.07.2003 को एक समूह वर्क शेड योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए आधुनिक बुनाई मशीनरी से युक्त विद्युतकरघा पार्क की स्थापना करना है और इसे बाद में संशोधित किया गया था। संशोधित योजना के अनुसार, कार्यशाला के निर्माण के लिए सब्सिडी को अधिकतम 300 रु. प्रति वर्ग फीट के अध्यधीन निर्माण की इकाई लागत के 40 प्रतिशत तक इनमें जो भी कम हो, सीमित किया गया है। साधारणतः कम से कम 4 बुनकर एकल चौड़ाई के 48 आधुनिक करघों अथवा बड़ी चौड़ाई के 24 करघों के साथ प्रत्येक एक समूह बना सकते है एवं प्रति व्यक्ति न्यूनतम 4 करघों को स्थापित करने की अनुमति होगी।

इस योजना के आरंभ से लेकर सितम्बर 2015 तक 84.08 करोड़ रुपए सरकार की सब्सिडी प्रदान करने के लिए 131 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इस योजना के आरंभ से लेकर 31 दिसम्बर 2015 तक की स्थिति के अनुसार कुल 48.95 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

9.4.3 एकीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र विकास योजना (आईएसपीएसडी)

विद्युतकरघा क्षेत्र के समग्र विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2007–08 के दौरान एकीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र विकास योजना की घोषणा की है। इस योजना के निम्नलिखित संघटक हैं:–

(क) विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए विपणन विकास कार्यक्रम (क्रेता–विक्रेता बैठक तथा संगोष्ठियां/कार्यशालाएं):

विद्युतकरघा क्षेत्र में विपणन विकास कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए विद्युतकरघा उत्पादों के संवर्द्धन एवं विपणन के कार्यकलापों को विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्द्धन परिषद (पीडीइएक्ससीआईएल) के सहयोग से विभिन्न माध्यमों जैसे प्रदर्शनियों तथा क्रेता–विक्रेता बैठकों (बीएसएम) का आयोजन, संगोष्ठी/कार्यशाला, प्रचार एवं जागरूकता कार्यक्रम इत्यादि द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अप्रैल, 2015 से दिसम्बर, 2015 तक की अवधि के लिए कुल 2 बीएसएम आयोजित किए गए हैं और इस योजना के अंतर्गत 1.27 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

दिनांक 13.11.2015 को आयोजित 24वीं परियोजना अनुमोदन समिति (पीएससी) की बैठक में निर्णय लिया गया था कि वित्त वर्ष 2015–16 की अवधि में 2.05 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से 22 और बीएसएम आयोजित किए जाएंगे। कुल 21 संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित की गई जिसके लिए भारत सरकार ने अप्रैल, 2015 से दिसम्बर, 2015 तक 0.17 करोड़ रुपए जारी किए गए।

दिनांक 13.11.2015 को आयोजित 24वीं परियोजना अनुमोदन समिति (पीएससी) की बैठक में निर्णय लिया गया था कि वित्त

वर्ष 2015–16 की अवधि में 0.18 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से 28 और बीएसएम आयोजित किए जाएंगे।

(ख) विद्युतकरघा बुनकरों द्वारा अन्य समूहों का ज्ञान दौराः

निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले समूहों के विद्युतकरघा बुनकरों को सीमित ज्ञान और वित्तीय बाध्यता आदि के कारण विविधिकृत वस्त्र उत्पादों अथवा मूल्य वर्द्धित फैब्रिक के उत्पादन हेतु उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले अन्य क्षेत्रों का अनुभव प्राप्तन हीं हो पाता है।

ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए, विभिन्न समूह के विद्युतकरघा बुनकरों को उन्हें अन्य विकसित समूहों के दौरों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे वे उन्नत कौशलों, विविधिकृत उत्पादों और उन समूहों में अपनाई गई विपणन तकनीकों से परिचित हो सकें। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय ज्ञान दौरों के दौरान विद्युतकरघा बुनकरों की सहायता करते हैं एवं उनकी सार्थक एवं प्रभावी बातचीत को भी सुकर बनाते हैं। इन दौरों कार्यक्रमों के लिए आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। अप्रैल, 2015 से दिसम्बर, 2015 की अवधि के लिए कुल 60 कामगारों ने विकसित विद्युतकरघा समूहों का दौरा किया जिसके लिए भारत सरकार ने यात्रा और अन्य आकस्मिक व्यय हेतु अग्रिम के रूप में 0.356 लाख रुपए जारी किए हैं।

दिनांक 13.11.2015 को आयोजित 24वीं परियोजना अनुमोदन समिति (पीएससी) की बैठक में निर्णय लिया गया था कि वित्त वर्ष 2015–16 की अवधि में 0.26 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से 813 बुनकरों के ज्ञान दौरे आयोजित किए जाएंगे।

आईएसपीएसडी के अंतर्गत नए संघटकः भारत सरकार द्वारा अक्तूबर, 2013 में इस योजना के कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए आईएसपीएसडी के अंतर्गत निम्नलिखित संघटक शुरू किए हैं।

(i) सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी)

- एक समूह में संबद्ध और सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना करने के इच्छुक विद्युतकरघा बुनकरों को अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना।
- कलस्टर की आवश्यकता के अनुसार पिछडी और अग्रणी एकीकरण के लिए पीपीपी पद्धति वाली परियोजनाओं के अंतर्गत इसमें हाऊस डिजाइन केन्द्र/स्टूडियो, परीक्षण सुविधाओं, प्रशिक्षण केन्द्र, सूचना एवं व्यापार केन्द्र तथा सामान्य कच्ची सामग्री/यार्न/बिक्री डिपो, औद्योगिक उद्योग के लिए जल शोधन संयंत्र और सामान्य बुनाई पूर्व सुविधाएं अर्थात वार्पिंग, साइजिंग आदि शामिल हैं।
- सीएफसी के लिए भारत सरकार का शेयर प्रति कलस्टर 200 लाख रुपए है।
- व विद्युतकरघा कलस्टरों की ग्रेडिंग के आधार पर भारत सरकार की सहायता के स्तर हैंः
- ग्रेड – 'ए' परियोजना लागत के 60% तक।
- ग्रेड – 'बी' परियोजना लागत के 70% तक।

- ग्रेड – 'सी' परियोजना लागत के 80% तक।
- ग्रेड 'डी' और पूर्वोत्तर क्षेत्र/जम्मू एवं कश्मीर के कलस्टरों में परियोजना लागत के 90% तक।
- अभी तक इस योजना के अंतर्गत 16 परियोजना प्रस्ताव (गुजरात–1, कर्नाटक–2, तमिलनाडु–4, तेलंगाना–2, महाराष्ट्र–2 और उत्तर प्रदेश–5) प्राप्त हुए हैं। दिनांक 13.11.2015 को आयोजित 24वीं परियोजना अनुमोदन समिति (पीएससी) की बैठक में भारत सरकार के 1.35 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से 4 नए परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

(ii) यार्न बैंक के लिए कार्पस

- विशेष प्रयोजन तंत्र/कंसोर्टियम को थोक मूल्य की दर पर यार्न की खरीद हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए ब्याज मुक्त कार्पस निधि प्रदान करने और विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में लघु बुनकरों को उचित दर पर ब्याज प्रदान करना।
- यार्न की बिक्री पर बिचौलिए/स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की दलाली प्रभार को दूर करना।
- प्रति यार्न बैंक अधिकतम 100 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कार्पस निधि।

अप्रैल, 2015 से दिसम्बर, 2015 तक की अवधि के लिए 6 यार्न बैंक परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिसके लिए 1.85 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

पीएससी की 24वीं बैठक में दिनांक 13.11.2015 को 1.75 करोड़ रुपए की भारत सरकार की सब्सिडी की हिस्सेदारी के साथ 4 नए परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

(iii) टेक्स–वेंचर पूंजी निधि की पायलट योजना

विद्युतकरघा उद्योग में निर्माण और सेवा कार्यकलापों में लगी कंपनियों में प्राथमिक निवेश करने के लिए 35 करोड़ रुपए के कार्पस वाली एक समर्पित निधि, टेक्स फंड शुरू की गई है।

टेक्स–वेंचर पूंजी निधि के लिए भारत सरकार 24.50 करोड़ रुपए प्रदान करेगी और सिडबी द्वारा 10.50 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा।

टेक्स–वेंचर निधि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में परिभाषित अनुसार और समय–समय पर संशोधित अनुसार इक्विटी शेयर और/अथवा वस्त्र सुक्ष्म और लघु उपक्रम की इक्विटी में कन्वर्टिवल इन्स्ट्रूमेंट्स में निवेश करेगा। इस निधि का संचालन भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के वैकल्पिक निवेश निधि विनियमन 2012 (सेबी का एआईएफ विनियमन 2012) के तहत होगा।

निधि का प्राथमिक निवेश उद्देश्य आरंभिक अथवा विकास स्तर पूंजी निवेश आवश्यकता के लिए गैर सूचीबद्ध कंपनियों में निजी सौदेवाजी इक्विटी/इक्विटी से संबंधित और/अथवा परिवर्तनीय/गैर–परिवर्तनीय ऋण साधनों में निवेश के माध्यम से दीर्घकालीन पूंजी वृद्धि के माध्यम से आकर्षित जोखिम समायोजित आय है।

लाभः योजना के अंतर्गत कंपनियों की इक्विटी में निवेश से उनकी निवल मूल्य, वाणिज्यिक बैंक ऋण वृद्धि, उनकी विनिर्माण क्षमता में सुधार और बिक्री कारोबार, प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभप्रदता बढ़ाने में मदद करेगा। निधि से निवेशकों की कंपनियों में सुधार, आंतरिक प्रणाली और कार्यविधि, प्रबंधन क्षमता और कारपोरेट गर्वनेंस के लिए अग्रणी होने की भी प्रत्याशा है।

योजना की प्रगति

वित्त वर्ष 2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक) के दौरान दो कंपनियों में 4.43 करोड़ रुपएकी कुल प्रतिबद्ध निवेश के विरूद्ध 1.60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

दिनांक 10.11.2015 को आयोजित निवेश समिति (आईसी) की 5वीं बैठक में दो कंपनियों की पहचान की गई और 5.79 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

9.4.4साधारण विद्युतकरघों के स्व–स्थाने उन्नयन की पायलट योजना

- इस योजना का उद्देश्य कतिपय अतिरिक्त संलग्नकों के साथ सादे विद्युतकरघों का उन्नयन करके उत्पादन किए जा रहे फैब्रिक की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना है जिससे वे स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ होंगे। इसका उद्देश्य 12वीं योजना के दौरान 99 हजार करघों को शामिल करना है।
- यह योजना लघु विद्युतकरघा बुनकरों के लिए है। हाऊस होल्ड इकाइयों और/अथवा पात्र इकाइयों में एक सैट के भीतर अधिकतम 2 से 4 करघों वाली इकाइयों का वरीयता दी जाएगी। भारत सरकार प्रति विद्युतकरघा 15,000 रुपए की अधितकतम सब्सिडी और 8 विद्युतकरघा वाली विद्युतकरघा इकाई को अधिकतम 1,20,000 रुपए की सब्सिडी के अध्यधीन संलग्नकों/किटों/डॉबी और जैक्वार्ड के उन्नयन की लागत का 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- वर्तमान स्थिति के अनुसार यह योजना 27 कलस्टरों अर्थात सिरिसिल्ला, मऊ, टांडा, बुरहानपुर, भागलपुर, मालेगांव, नागपुर, इचलकरंजी, भिवंडी, सूरत, अहमदाबाद, सोमानूर, लुधियाना, किशनगढ़, ढोलका, हिंदुपुर, नागरी, सोलापुर, ईरोड, सलेम, वाराणसी, बैंगलूरू, बेलगवी, वीटा, गया, राणाघाट और नबवादीप में लागू की गई है।
- भारत सरकार की 15 हजार रुपए प्रति करघा सब्सिडी के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य सरकारें क्रमशः सोलापुर, इचलकरंजी, भिवंडी, नागपुर, मालेगांव, सिरसिल्ला कलस्टरों के लिए प्रति विद्युतकरघा 10 हजार रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहे हैं।
- अप्रैल 2015 से दिसम्बर, 2015 के दौरान 33,942 करघों का उन्नयन किया गया है जिसके लिए 34.18 करोड़ रुपए की भारत सरकार की सब्सिडी जारी की गई है।

9.4.5 विद्युतकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना

विद्युतकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना 12वीं योजना में क्रियान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है।

यह योजना विद्युतकरघा बुनकरों और सहायक कामगारों को सभी पहले से विद्यमान/नई बीमारियों सहित तमाम बीमारियों के लिए व्यापक (आईपीडी एवं ओपीडी) स्वास्थ्य देख रेख प्रदान करती है।

लाभः

- विद्युतकरघा बुनकर और दो बच्चों सहित उनके परिवार के सदस्य के लिए क्रमशः अधिकतम 30000 रुपए और 7,500 रुपए के आईपीडी और ओपीडी का ईलाज शामिल है।
- भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 75:25

के अनुपात में 750 रुपए (भारत सरकार द्वारा 565 रुपए और राज्य सरकार द्वारा 185 रुपए) का प्रीमियम वहन किया जाता है।

- पूर्वोत्तर एवं जम्मू कश्मीर के लिए 90:10 हेतु प्रीमियम की वित्तपोषण पद्धति
- लाभग्राही पंजीकरण शुल्क के रूप में केवल 30 रुपए का भुगतान करता है।
- भारत सरकार स्मार्ट कार्ड की लागत (वर्तमान में प्रति कार्ड 60 रुपए है) वहन करती है।

सचिवों की समिति (सीओएस) की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि विद्युतकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस) को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्लेटफार्म पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

9.4.6 अन्य योजनाओं में विद्युतकरघा क्षेत्र को शामिल करना

i) टीयूएफएस के अंतर्गत 20: मार्जिन मनी सब्सिडी

सरकार ने विशेष रुप से विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए टफ्स के अंतर्गत 20 प्रतिशत ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना कार्यान्वित की है। योजना की घोषणा वस्त्र मंत्रालय द्वारा 06.11.2003 को की गई तथा यह केवल एसएसआई विद्युतकरघा क्षेत्र हेतु लागू है। योजना को 01.04.2007 से 20 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में (एमएमएस) पुनः नामित कर दिया गया।

योजना के अंतर्गत अप्रैल, 2015 से 13 नवम्बर, 2015 की अवधि के लिए 21 दावों के लिए कुल 4.24 करोड़ रुपए की सब्सिडी संवितरित की गई है।

(ii) भारत सरकार ने 15: सीएलसीएस (एमएमएस) शुरू की है–

टीयूएफएस दिनांक 01.04.2007 को वस्त्र एमएसएमई क्षेत्र के लिए लागू है। इस योजना के अंतर्गत, अप्रैल, 2015 से दिसम्बर, 2015 की अवधि के लिए 442 दावों के प्रति 22.74 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है।

(iii) आरआर–टीयूएफएस के अंतर्गत 30: एमएमस

प्रमुख संशोधनों के साथ टीयूएफएस को 12वीं योजना के लिए जारी रखा गया है। मुख्य फोकस उच्च गति वाले शटलरहित करघों की स्थापना पर दिया गया है जिसके लिए बढ़ाई गई 30% मार्जिन मनी सब्सिडी आरआर–टफ्स के अंतर्गत 1 अप्रैल 2013 से प्रदान की गई है। दस वर्ष वाले पुराने आयातित पुराने शटलरहित करघों पर भी 8% मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ विचार किया गया है। 30% एमएमएस के अंतर्गत अप्रैल, 2015 से 13 नवम्बर, 2015 की अवधि के दौरान 152 दावों के लिए 63.59 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं।

9.5 व्यापक विद्युतकरघा कलस्टर विकास योजना

वर्ष 2008–09 में व्यापक विद्युतकरघा कलस्टर विकास योजना बनाई गई थी ताकि वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2008–09 में की गई घोषणा का कार्यान्वयन करने के लिए भिवंडी (महाराष्ट्र) तथा इरोड़ (तमिलनाडु) को

विद्युतकरघा मेगाकलस्टर का विकास किया जा सके। तत्पश्चात वित्त मंत्री ने 2009–10, 2012–13 और 2014–15 के बजट भाषणों में क्रमशः भीलवाड़ा (राजस्थान), ईचल करांजी (महाराष्ट्र) और सूरत (गुजरात) में विद्युतकरघा मेगाकलस्टरों के विकास करने की घोषणा की है।

कलस्टरों के डिजायन में निहित मार्गदर्शी सिद्धांतों का उद्देश्य विश्वस्तरीय आधारभूत ढ़ांचे का सृजन करना है तथा उत्पादन श्रृंखला को इस ढंग से एकीकृत करना है कि जिससे उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई) की व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। कलस्टर दृष्टिकोण योजना का मुख्य उद्देश्य बढ़ते बाजार शेयर के अनुसार कलस्टरों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना तथा उत्पादों का उच्च इकाई मूल्य प्राप्त करके उत्पादकता को बढ़ाना है। योजना में पर्याप्त आधारभूत ढ़ांचा, प्रौद्योगिकी, उत्पाद विविधिकरण, डिजायन विकास, कच्ची सामग्री, बैंकों, विपणन और संवर्धन, क्रेडिट, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य घटकों के अनुसार अपेक्षित सहायता/संपर्क उपलब्ध कराया जाता है जो विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में कार्यरत बुनकरों की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

संशोधित व्यापक विद्युतकरघा कलस्टर विकास योजना (सीपीसीडीएस) को 110 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय से 12वीं योजना अवधि के दौरान क्रियान्वयन के लिए अक्तूबर 2013 में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित किया गया था। संशोधित योजना के कलस्टर के लिए सरकार की सहायता अधिकतम 50 करोड़ रुपए के अध्यधीन परियोजना लागत के 60 प्रतिशत तक सीमित है।

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पांच विद्युतकरघा मेगाकलस्टर अनुमोदित किए गए हैं:

(i) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, इरोडः

बजट 2008–09 में इरोड में विद्युतकरघा मेगाकलस्टर की घोषणा की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत, दो मुख्य घटकों नामतः थोक बाजार परिसर (दैनिक बाजार) और साप्ताहिक वस्त्र सैंडी मार्केट वाले एक एकीकृत वस्त्र बाजार परिसर का निर्माण किया जाएगा। साप्ताहिक बाजार शुरू हो गया है। थोक बाजार परिसर पूरा होने वाला है। दूसरी पहल अर्थात वेयर हाऊस और डोरमेट्री काम्प्लैक्स को एकीकृत वस्त्र बाजार काम्प्लैक्स के पूरा होने के पश्चात आरंभ किया जाएगा।

(ii) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, भिवंडी

विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, भिवंडी की घोषणा बजट 2008–09 में की गई थी। भूमि की अनुपलब्धता और भिवंडी में परियोजना के विकास में भाग लेने के लिए स्टेकहोल्डरों ने इच्छा की कमी के कारण महाराष्ट्र सरकार ने भिवंडी के स्थान पर सोलापुर में विद्युतकरघा मेगाकलस्टर की स्थाना किए जाने का प्रस्ताव किया है जो प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में, व्यय

विभाग, वित्त मंत्रालय की टिप्पणी मांगी गई हैं जिसकी प्रतीक्षा है।

(iii) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, भीलवाडा

विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, भीलवाडा की घोषणा बजट 2009–10 में की गई थी। भीलवाडा, में भूमि की अनउपलब्धता के कारण आरआरआईसीओ ने चित्तौड़गढ जिले में सोनियाना में 100 एकड़ भूमि आबंटित की है। पर्यावरणीय स्वीकृति और जल की समस्या के कारण सोनियाना में इस स्थान को भी मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भीलवाड़ा में करणपुरा में नए स्थान पर भूमि के आबंटन के एसपीवी का अनुरोध आरआरआईसीओ में विचाराधीन है।

(iv) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, ईचल करंजी

विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, इचलकरंजी की बजट घोषणा 2012–13 में की गई थी। विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, इचल करंजी के डीपीआर को अनुमोदित कर दिया गया है और एसपीवी विद्युतकरघा मेगाकलस्टर का विकास आरंभ करने की स्थिति में है।

(v) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, सूरत

विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, सूरत की बजट घोषणा 2014–15 में की गई थी। कलस्टर प्रबंधन एवं तकनीकी एजेंसी (सीएमटीए) का चयन किया जा रहा है।

अन्य क्रियाकलाप

अखिल भारतीय विद्युतकरघा बोर्डः अखिल भारतीय विद्युतकरघा बोर्ड (एआईपीबी) को पहली बार नवम्बर 1981 में एक सलाहकार निकाय के रुप में बेहतर उत्पादकता, अधिक कार्य क्षमता, कामगारों के कल्याण में सुधार तथा विद्युतकरघा के स्थानीय विस्तार हेतु कदम उठाने के साथ–साथ विद्युत संचालित विविंग क्षेत्र के अंदर विद्युतकरघा के स्वस्थ विकास से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए गठित किया गया था। भारत सरकार द्वारा समय–समय पर एआईपीबी का पुनर्गठन किया जाता है।

वर्तमान एआईपीबी को दिनांक 23.12.2013 की अधिसूचना संख्या 8/8/2007–पीएल द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया था। इसमें केन्द्र एवं राज्य सरकारों, विद्युतकरघा /वस्त्र उद्योग के परिसंघ/संघों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं तथा केन्द्रीय वस्त्र मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं।

अध्याय–10

हथकरघा

10.1 प्रस्तावना

हथकरघा बुनाई कृषि के बाद सबसे बड़ा आर्थिक क्रियाकलाप है जो 43 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध कामगारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहा है। देश में वस्त्र उत्पादन में इस क्षेत्र का लगभग 15% योगदान है और यह देश की निर्यात आय में भी योगदान देता है। विश्व का 95% हाथ से बुना वस्त्र भारत से आता है।

हथकरघा क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था में एक अद्वितीय स्थान है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौशलों के हस्तांतरण से कायम रहा है। इस क्षेत्र की ताकत इसकी अद्वितीयता, उत्पादन में लचीलेपन, नवाचारों में खुलापन, आपूर्तिकर्ता की जरुरत के अनुसार अनुकूलन क्षमता और इसकी परंपरा की दौलत में निहित है।

तथापि, आधुनिक तकनीकों के अंगीकरण और आर्थिक उदारीकरण ने हथकरघा क्षेत्र में गहरी पैठ बना ली है। विद्युतकरघा और मिल क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा, सस्ते आयातित फैब्रिक की उपलब्धता, उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताएं और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों ने हथकरघा क्षेत्र की जीवंतता को चुनौती दी है।

भारत सरकार, स्वतंत्रता से ही अनेक कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन और प्रोत्साहन की नीति का अनुसरण कर रही है। विभिन्न नीति संबंधी पहलों और योजना संबंधी हस्तक्षेपों यथा कलस्टर संकल्पना (एप्रोच), आक्रामक विपणन प्रयास और समाज कल्याण उपायों के कारण हथकरघा क्षेत्र ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है और बुनकरों के आय स्तर में भी सुधार हुआ है। हथकरघा वस्त्र उत्पादन काफी प्रभावी रहा है और 11वीं योजना की

शुरुवात में 6% से 7% तक की वृद्धि दर रही है। बाद में आर्थिक मंदी ने भारत के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है और हथकरघा कोई अपवाद नहीं है। उत्पादन में 2008–09 में मामूली गिरावट आई थी। अब सकारात्मक संकेत हैं और उत्पादन में वृद्धि हुई है।

कलस्टर संकल्पना (एप्रोच) में उनके एकीकृत और समग्र विकास के लिए विभिन्न आकार के कलस्टरों के माध्यम से 300 से 25000 तक हथकरघों को शामिल करने के प्रयास किए गए थे। मिल गेट कीमत योजना के तहत यार्न आपूर्ति में भी वृद्धि हुई है। विपणन आयोजनों के माध्यम से आक्रामक विपणन प्रयासों (प्रतिवर्ष लगभग 300 आयोजन) से उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के अलावा, बुनकरों और उनकी सहकारी सोसाइटियों को बाजार की प्रवृत्तियों और उपभोक्ता की पसंद को समझने में मदद मिली है। क्षेत्र पर संकेंद्रित ध्यान देने के लिए मंत्रालय ने प्रति वर्ष हथकरघा सप्ताह मनाना आरंभ कर दिया है।

हथकरघा पीढ़ी–दर–पीढ़ी विरासत का एक बहुमूल्य अंग है और हमारे देश की समृद्धि और विविधता तथा बुनकरों की कलात्मकता की मिसाल है। हाथ से बुनाई की परंपरा देश के सांस्कृतिक लोकाचार का एक भाग है। आर्थिक क्रियाकलाप के रुप में हथकरघा कृषि के बाद दूसरा अधिकतम रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र लगभग 23.77 लाख हथकरघों के साथ 43.31 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। इसमें से 10% अनुसूचित जाति, 18% अनुसूचित जनजाति, 45% अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 27% अन्य जातियों से संबंधित हैं। वर्ष 2013–14 में हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन में 7104 मिलियन वर्ग मीटर का उत्पादन दर्ज किया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान हथकरघा क्षेत्र का उत्पादन 7203 मिलियन वर्ग मीटर दर्ज किया गया है। वर्ष 2015 –16 के दौरान (अप्रैल से नवंबर, 2015) हथकरघा क्षेत्र का उत्पादन 4904 मिलियन वर्ग मीटर है, जो नीचे तालिका 10.1 में दिया गया है:

तालिका 10.1

हथकरघा क्षेत्र द्वारा वस्त्र उत्पादन (मिलियन वर्ग मी. में)

वर्ष	हथकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्त्र	हथकरघा क्षेत्र उत्पादन में हथकरघा का हिस्सा	हथकरघा और विघुतकरघा का अनुपात (वस्त्र के अनुसार)	कुल वस्त्र उत्पादन*
2008-09	6677	15.9	1:5.04	42121
2009-10	6806	14.9	1:5.41	45819
2010-11	6949	14.6	1:5.59	47083
2011-12	6900	14.8	1:5.42	46600
2012-13	6952	11.22	1:5.47	61949
2013-14	7104	15.30	1:5.18	46425
2014-15	7203	15.18	1:5.24	47438
2015-16 (नवंबर, 2015 तक)	4904	15.51	1:5.13	31624

* कुल वस्त्र उत्पादन में हौजरी, खादी, ऊन और रेशमी वस्त्रों को छोड़कर हथकरघा, विद्युतकरघा और मिल क्षेत्र का कुल वस्त्र उत्पादन सम्मिलित है ।

विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा 11वीं योजना और वर्ष 2012–13 के दौरान 6 योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जो इस प्रकार हैं– (i) एकीकृत हथकरघा विकास योजना, (ii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (iii) विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना (iv) मिल गेट कीमत योजना; (v) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना और (vi) हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन (आरआरआर) पैकेज। अब आईएचडीएस, एमईपीएस और डीएचडीएस को व्यापक हथकरघा विकास योजना (सीएचडीएस) में मिला दिया गया है। इसके अलावा, आरआरआर पैकेज और सीएचडीएस को राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम नामक केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित योजना में मिला दिया गया है । मिलगेट कीमत योजना का भी नाम बदलकर यार्न आपूर्ति योजना रखा गया है। ब्यौरे इस प्रकार हैं:–

10.2 राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) हथकरघों के विकास के लिए केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित एकल कार्यक्रम के रुप में कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित घटक होंगे:

क. हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन (आरआरआर) पैकेज

आरआरआर पैकेज में 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार अतिदेय ऋण (100% मूलधन और ब्याज का 25%) माफ करना और पात्र शीर्ष और प्राथमिक बुनकर सहकारी सोसाइटियों और व्यक्तिगत बुनकरों को पुनर्पूंजीकरण सहायता के साथ–साथ प्रति बुनकर 10,000 रुपए की दर से मार्जिन राशि 3 वर्ष की ऋण गारंटी के साथ 6% ब्याज दर पर नए ऋण प्रदान करना भी शामिल है।

ख. व्यापक हथकरघा विकास योजना (सीएचडीएस)

सीएचडीएस को एकीकृत हथकरघा विकास योजना, विपणन और निर्यात संवर्धन योजना, विविधीकृत हथकरघा विकास योजना के घटकों को मिलाकर तैयार किया गया है और इसे 11वीं योजना के दौरान कार्यान्वित किया गया है। सीएचडीएस के उप–घटक निम्नानुसार हैं:–

1. कलस्टर विकास कार्यक्रम
2. विपणन प्रोत्साहन
3. हथकरघा विपणन सहायता
4. हथकरघा संगणना करने सहित हथकरघा संस्थानों का विकास और सुदृढ़ीकरण

10.2.1 हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज

हथकरघा बुनकरों और सहकारी सोसाइटियों द्वारा अपने ऋणों का भुगतान न किए जाने के कारण उनके सामने आ रही वित्तीय कठिनाई को समझते हुए वित्त मंत्री ने दिनांक 28.2.2011 को हथकरघा क्षेत्र के लिए 3000 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी । घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए सीसीईए ने दिनांक 24.11.2011 को ''हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज'' का अनुमोदन किया जिसे नाबार्ड के माध्यम से दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक कार्यान्वित किया जाना था।

आरआरआर पैकेज में (क) दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार पात्र हथकरघा सहकारी सोसाइटियों और व्यक्तिगत बुनकरों के अतिदेय ऋणों और ब्याज (100% मूलधन और ब्याज का 25%) की एक बारगी माफी, (ख) अर्थक्षम और संभावित रुप से अर्थक्षम हथकरघा

सहकारी सोसाइटियों का पुनर्पूंजीकरण, (ग) ऋण माफी में शामिल की गई हथकरघा सहकारी सोसाइटियों और बुनकरों को ऋण गारंटी के साथ नए ऋण के लिए 3 वर्ष की अवधि के वास्ते 3% ब्याज सब्सिडी प्रदान कर नए रियायती ऋण का प्रावधान और (घ) सहकारी सोसाइटियों के लिए कानूनी और संस्थागत सुधार करना शामिल है। आरआरआर पैकेज को दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक कार्यान्वित किया जाना था जिसे बढ़ाकर दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 तक किया गया था ।

आरआरआर पैकेज के तहत हथकरघा सहकारी सोसाइटियों के सीमित कवरेज को देखते हुए सरकार ने दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को संशोधित आरआरआर पैकेज का अनुमोदन किया जिसमें पात्रता मानदंडों, विशेष रुप से निवल राशि की शर्त में छूट दी गई अर्थात् जिन सहकारी सोसाइटियों की निवल राशि नकारात्मक भी है उन्हें भी संभावित रुप से अर्थक्षम माना जा सकता है वशर्ते ऋण माफी और पुनर्पूंजीकरण के बाद इसकी निवल राशि सकारात्मक हो जाए। संशोधित पैकेज को 28.2.2014 तक बढ़ा दिया गया । संशोधित योजना में वर्ष 2013–14 की बजट घोषणा के अनुरुप हथकरघा क्षेत्र को 6% ब्याज दर पर सस्ता ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। शीर्ष और पीडब्ल्यूसी सोसाइटियों की सांविधिक लेखा परीक्षा 2011–12 तक पूरी की जानी है (पहले जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार 2009–10 के स्थान पर) और सहकारी सोसाइटियों की पात्रता का निर्णय 2009–10 के स्थान पर 2011–12 तक की सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर लिया जाना है। तथापि, अतिदेय ऋण की माफी की राशि और पुनर्पूंजीकरण सहायता, दिनांक 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार होगी। यह पैकेज फरवरी, 2014 में समाप्त हो चुका है ।

योजना के पात्रता मानकों के तहत 54226 व्यक्तिगत बुनकरों एवं 6310 एसएचजी के अलावा 39 शीर्ष, 9642 पीडब्ल्यूसी को पात्र पाया गया और उनके 1102.97 करोड़ रुपये के दावे अनुमोदित किए गए।

हथकरघा क्षेत्र के लिए रियायती ऋण

सरकार ने दिसंबर, 2011 में संस्थागत ऋण घटक अनुमोदित किया था और मार्जिन राशि सहायता, 3% ब्याज सब्सिडी और सुक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से ऋण गारंटी प्रदान की थी । इसके अलावा हथकरघा बुनकरों को रियायती ऋण प्रदान करने के महत्व पर बल देते हुए माननीय वित्त मंत्री ने 2013–14 के बजट में 6% ब्याज दर पर हथकरघा क्षेत्र को ऋण देने की घोषणा की थी । तदनुसार सरकार ने दिनांक 24 सितंबर, 2013 को रियायती ऋण उप–घटक के साथ संशोधित पुनरुद्धार, सुधार एवं पुनर्गठन (आरआरआर) पैकेज अनुमोदित किया है । सरकार ने मार्जिन राशि सहायता को भी 4200 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है ।

वर्ष 2014–15 के दौरान 2.00 लाख बुनकर क्रेडिट कार्ड के लक्ष्य की तुलना में 79210 बुनकर क्रेडिट कार्ड जारी किए गए जिनके लिए 233.53 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए गए एवं 100.68 करोड रुपए के ऋण वितरित किए गए । इसी प्रकार वर्ष 2015–16 के दौरान दौरान 2.00 लाख बुनकर क्रेडिट कार्ड के लक्ष्य की तुलना में 33444 बुनकर क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं । 96.83 करोड़ रुपए के स्वीकृत ऋण में से अभी तक 67. 75 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं।

10.2.2 व्यापक हथकरघा विकास योजना (सीएचडीएस)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा 13 नवंबर, 2013 को एकीकृत हथकरघा विकास योजना (सीएचडीएस) अनुमोदित की गई है। अनुमोदन से पूर्व आईएचडीएस, एमईपीएस और डीएचडीएस अलग–अलग योजना के रुप में कार्यान्वित की गई थी। घटक–वार ब्यौरा इस प्रकार है:

1. ब्लॉक स्तरीय कलस्टर एप्रोच

एनएचडीपी के एक घटक कलस्टर विकास कार्यक्रम के स्थान पर जून, 2015 में ब्लॉक स्तरीय कलस्टर एप्रोच आरंभ किया गया है और इसके दिशा–निर्देश राज्य सरकारों, बुनकर सेवा केन्द्रों आदि को भेज दिए गए हैं। ब्लॉक स्तरीय कलस्टर एप्रोच कलस्टर की जरुरतों के अनुकूल अधिक सुकर है और इसमें भारत सरकार से अधिक वित्त पोषण, राज्य के वित्तीय अंशदान की समाप्ति, कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे धनराशि जारी करना, लाभार्थियों को ईसीएस के माध्यम से बैंक खाते में सीधे धनराशि अंतरित करना शामिल है। इसके अलावा ब्लॉक में एक कलस्टर सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना (सामान्य सेवा केन्द्र सहित), वस्त्र डिजाइनर एवं विपणन कार्यकारी की नियुक्ति, वर्कशेड का निर्माण, कलस्टर विकास कार्यकारी की नियुक्ति, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, कौशल उन्नयन इत्यादि जैसे विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए 2.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इसके साथ ही जिला स्तर पर डाई हाउस की स्थापना के लिए 50.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है ।

ब्लॉक स्तरीय कलस्टर–वर्ष 2015–16 के दौरान (3.2.2016 तक) निम्नलिखित राज्यों के लिए 61 ब्लॉक स्तरीय कलस्टर स्वीकृत किए गए हैं:

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृत कलास्टरों की संख्या	जारी राशि	शामिल लाभार्थियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	104.175	1155
2.	हिमाचल प्रदेश	1	15.63	137
3.	ओडिशा	6	345.00	3423
4.	केरल	4	241.91	1442
5.	तमिलनाडु	10	604.81	25292
6.	अरुणाचल प्रदेश	2	97.68	1103
7.	नागालैंड	3	199.905	6000
8.	मणिपुर	4	241.812	8000
9.	मेघालय	3	180.632	1102
10.	मिजोरम	7	447.071	3019
11.	सिक्किम	1	39.310	72
12.	छत्तीसगढ़	6	342.50	2841
13.	तेलंगाना	2	113.085	1032
14.	त्रिपुरा	3	177.130	2009
15	असम	6	264.804	4974
	कुल	61	3415.454	61601

2. **विपणन प्रोत्साहन**–हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए हथकरघा एजेंसियों को गत 3 वर्षों के औसत बिक्री कारोबार के 10% की दर से विपणन प्रोत्साहन दिया जाता है जिसमें राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के बीच बराबर की हिस्सेदारी होगी। यह हथकरघा क्षेत्र की मूल्य प्रतिस्पर्धा के लिए काफी हद तक एक प्रोत्साहन होगा ताकि एक ओर तो वे कीमत में मामूली कमी कर सके वहीं दूसरी ओर वे अवसंरचना में निवेश भी कर सकें ताकि उनकी उत्पादन क्षमता और उत्पादन में सुधार हो सके। वित्तीय वर्ष 2014–15 और 2015–16 (दिसंबर 2015 तक) के दौरान क्रमशः 22.73 करोड़ रुपए और 40.72 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं ।

3. **हथकरघा विपणन सहायता**–विपणन माध्यमों को घरेलू व निर्यात बाजारों में विकसित एवं प्रोत्साहित करने के लिए तथा दोनों के बीच समावेशी एवं एकीकृत ढ़ंग से संपर्क स्थापित करने के लिए पूर्ववर्ती विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना को मिलाया गया है और 12वीं योजना में एनएचडीपी के एक घटक के रुप में हथकरघा विपणन सहायता को आरंभ किया गया है । हथकरघा विपणन सहायता का मुख्य उद्देश्य बुनकरों एवं हथकरघा संगठनों को अपना उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए विपणन मंच प्रदान करना है । इस घटक के मुख्य क्रियाकलाप इस प्रकार हैं :

- प्रदर्शनियों, आयोजनों एवं शिल्प मेलों का आयोजन
- ई–मार्केटिंग के लिए वेब पोर्टल का विकास
- इंडिया हैंडलूम ब्रांड का संवर्धन
- प्रचार,जागरुकता एवं ब्रांड निर्माण
- हथकरघा मार्क का संवर्धन
- वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 का कार्यान्वयन
- शहरी हाटों की स्थापना
- खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना
- जनपथ, नई दिल्ली स्थित विपणन परिसर
- प्रदर्शन–सह –सीएफसी एवं गुणवत्ता जांच इकाई की स्थापना
- डिजाइनर हस्तक्षेप / विपणन सहायता
- घरेलू बैठक बाजार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार और ब्रांड निर्माण के लिए उच्चतम कोटि के डिजाइनरों की नियुक्ति
- निर्यात परियोजनाएं
- अन्तर्राष्ट्रीय मेले एवं व प्रदर्शनियां

इंडिया हैंडलूम ब्रांडः ग्राहकों का विश्वास हासिल करने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय अनुपालना करने के अलावा कच्चे माल, प्रसंस्करण, बुनाई और अन्य मापदंडों की दृष्टि से उत्पादों की गुणवत्ता की पुष्टि करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2015 को प्रथम हथकरघा दिवस के अवसर पर इंडिया हैंडलूम ब्रांड का शुभारंभ किया गया था। इंडिया हैंडलूम ब्रांड गुणवत्ता वाले विशिष्ट हथकरघा उत्पादों की तलाश करने वाले उपभोक्ताओं की जरुरतों को पूरा करने के लिए केवल उच्च गुणवत्तापरक दोषरहित प्रामाणिक हथकरघा उत्पादों को ही प्रदान किया जाएगा। इंडिया हैंडलूम ब्रांड का उद्देश्य बुनकरों की आय

में वृद्धि करना और एक विशेष बाजार तैयार करना है। इस प्रकार इंडिया हैंडलूम ब्रांड की संकल्पना ऐसे हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग करने की है जो विशेष रुप से गुणवत्ता की पूर्ति करने और सामाजिक–पर्यावरणीय अनुपालना वाले उपभोक्ताओं की जरुरतों की पूर्ति के लिए है।

ब्रांड 'इंडिया हैंडलूम' के लाभ

- प्रीमियम इंडिया हैंडलूम ब्रांड के हथकरघा उत्पाद की गुणवत्ता के संदर्भ में दूसरे उत्पादों से भिन्न होंगे।
- ब्रांड से ग्राहक को आश्वस्त किया जाएगा कि इस उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी है जिसमें उचित फैब्रिक, अच्छी किस्म के यार्न और ऐसे गैर – कार्सिनोजैनिक रंजक का प्रयोग किया गया है जो प्रतिबंधित रंजकों से मुक्त है और इसमें पक्के रंग के गुण हैं ।
- थोक के खरीददारों और निर्यातकों को उनके डिजाइनों के अनुसार अच्छी किस्म के ब्रांडेड फैब्रिक मिल सकेंगे ।
- बुनकरों को बाजार के साथ सीधा संपर्क करने पर थोक में आदेश मिल सकेंगे और उनकी आय बढ़ेगी ।
- बुनकर उद्यमी और दूसरे विनिर्माता देश के अंदर और बाहर थोक में अच्छी किस्म के फैब्रिक से उत्पादन और विपणन करेंगे।
- अच्छी किस्म के मूल्य संवर्धित उत्पादों से हथकरघा क्षेत्र से संबंधित महिलाओं और दूसरे कमजोर वर्गों के लोगों की आय बढ़ने से वे सशक्त बनेंगे ।
- ग्राहकों में जागरुकता बढ़ाने के लिए वस्त्र मंत्रालय मीडिया के माध्यम से ब्रांड को सक्रिय रुप से बढ़ावा देगा और इंडिया हैंडलूम ब्रांड के उत्पादों की मांग बढ़ाएगा ।
- ब्रांड के पंजीकृत प्रयोक्ताओं की एक सूची www.textilescommittee.gov.in] http://www.handlooms.nic.in और www-indiahandloombrand.gov.in में दी गई है जिसके माध्यम से ग्राहक उत्पादकों की आसानी से पुष्टि कर सकेगा ।

कार्यान्वयनः इंडिया हैंडलूम ब्रांड पहल वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने वस्त्र समिति की सहायता से विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय ने इस प्रयोजन के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ गठित किया है और देशभर में 28 बुनकर सेवा केन्द्र इंडिया हैंडलूम ब्रांड के तहत पंजीकरण प्रक्रिया के लिए विभिन्न पक्षों से आवेदन प्राप्त कर रहे हैं । आवेदनों और उत्पादों की प्रारंभिक जांच करने के बाद आवेदन पत्र उत्पादन के नमूनों की जांच के लिए मुम्बई स्थित वस्त्र समिति की प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं । जांच के बाद यदि उत्पादन का नमूना इंडिया हैंडलूम ब्रांड उत्पाद के विनिर्देशों में उल्लिखित सभी अपेक्षित मापदंडों को पूरा करता है तो वस्त्र समिति, मुम्बई आवेदनकर्ता को इंडिया हैंडलूम ब्रांड पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या जारी करती है । उत्पादों की बिक्री करते समय आवेदनकर्ता अपने उस उत्पाद विशेष में लेबल के रुप में पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या का उपयोग कर सकता है ।

ब्रांड के तहत पंजीकरण भारत सरकार की प्रयोगशाला में नमूनों की कठोर जांच करने के बाद किया जाता है।10 फरवरी,2016 तक ब्रांड के तहत 33 उत्पादों श्रेणियों में 121 हथकरघा उत्पाद एजेंसियों/उद्यमियों को पंजीकरण दिया गया है।

क) **विपणन आयोजनः** वर्ष 2014–15 के दौरान 397 घरेलू विपणन आयोजन किए गए। वर्ष 2015–16 के दौरान (15 दिसंबर, 2015 तक) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आयोजित किए जाने के लिए 324 घरेलू विपणन आयोजन मंजूर किए गए ।

ख) **हथकरघा मार्कः** हथकरघा मार्क, खरीददार को यह गारंटी देने के लिए शुरु किया गया है कि जिस हथकरघा उत्पाद की खरीद की जा रही है वह हाथ से बुना हुआ वास्तविक उत्पाद है और यह विद्युतकरघा या मिल में बना हुआ उत्पाद नहीं है । हथकरघा मार्क को समाचार पत्रों और पत्रिकाओं, इलैक्ट्रानिक मीडिया, योजनाबद्ध लेखों, फैशन शो, फिल्मों आदि में विज्ञापनों के माध्यम से संवर्धित और लोकप्रिय बनाया जाता है। हथकरघा मार्क को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र समिति, कार्यान्वयन एजेंसी है। नवंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार 16477 हितधारकों को 7.06 करोड़ (संचयी) हथकरघा मार्क लेबल बेचे गए हैं। 815 खुदरा दुकानें हथकरघा मार्क लेबल वाले हथकरघा उत्पादों को बेच रही हैं।

ग) **पुरस्कारः** यह कार्यालय हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए हथकरघा बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान कर रहा है। हाल ही में दिशा–निर्देशनों में संशोधन किया गया है। पुरस्कारों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार हैः

(i) **संत कबीर पुरस्कार**– संत कबीर पुरस्कार ऐसे उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों को प्रदान किया जाता है जो इस परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं और जिन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोई भी हथकरघा बुनकर जिसे राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार,राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र मिला है अथवा असाधारण कौशल वाला कोई हथकरघा बुनकर जिसने बुनाई परम्परा के संवर्धन, विकास और संरक्षण तथा बुनाई समुदाय के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।

वित्तीय सहायताः इस पुरस्कार में 3 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, सोने से मंढा एक सिक्का, एक ताम्रपत्र, एक शॉल और प्रमाण पत्र शामिल होगा ।

(ii) **राष्ट्रीय पुरस्कारः** राष्ट्रीय पुरस्कार हथकरघा बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट कारीगरी में योगदान और हथकरघा बुनाई के विकास में पहचान के लिए प्रदान किया जाता है। यह पहचान उन्हें और अधिक उत्साहवर्धक और उत्पादनकारी तरीके से काम करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी और अन्य को भी उनका अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

वित्तीय सहायताः इस पुरस्कार में 1.5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक ताम्रपत्र, एक शॉल तथा एक प्रमाण पत्र शामिल होगा।

(iii) **राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्रः** राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र ऐसे उत्कृष्ट एवं हुनरमंद हथकरघा बुनकरों को प्रदान किया जाता है जिसने हथकरघा उत्पाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।

वित्तीय सहायताः राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र में 0.75 लाख रुपये का एक नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र शामिल होगा।

वर्ष 2015 से निम्नलिखित क्षेत्रों में दो नए पुरस्कारों की भी शुरुआत की गई है :

i. हथकरघा उत्पादों के संवर्धन के लिए डिजाइन विकास

ii. हथकरघा उत्पादों का विपणन

कुल मिलाकर अधिकतम 10 संत कबीर पुरस्कार, 28 राष्ट्रीय पुरस्कार और 36 राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रति वर्ष दिए जाएंगे जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:–

(i) संत कबीर पुरस्कार–10 (हथकरघा बुनकर)

(ii) राष्ट्रीय पुरस्कार–28 (हथकरघा बुनकर–20 +डिजाइन विकास –03+ हथकरघा उत्पादों का विपणन–05)

(iii) राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र–36 (हथकरघा बुनकर–20+डिजाइन विकास–06+हथकरघा उत्पादों का विपणन–10)

घ) वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन: वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 में वस्तुओं के भौगोलिक संकेतन आदि को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है और दूसरों द्वारा इनका अनधिकृत प्रयोग किए जाने से रोका जाता है । अब तक विभिन्न राज्यों/एजेंसियों को 35 मदों को पंजीकृत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिसमें से 23 मदें पंजीकृत की गई हैं । जीआई अधिनियम के तहत हथकरघा मदों को पंजीकृत करने के लिए वित्तीय सहायता 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.00 लाख रुपये कर दिया गया है जिसमें से 1.50 लाख रुपये पंजीकरण के लिए और 1.50 लाख रुपये प्रशिक्षण और सूचना आदि का प्रसार करने के लिए है ।

ड) हथकरघा हाट, जनपथ, नई दिल्ली: हथकरघा एजेंसियों को उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए अवसंरचना सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जनपथ, नई दिल्ली में हथकरघा हाट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और हथकरघा एजेंसियों आदि को स्टॉल आबंटित कर दिए गए हैं। इस हथकरघा हाट में समूचे देश में हथकरघा उत्पादों की उत्कृष्ट किस्मों को प्रदर्शित किया जाएगा और यह घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हथकरघा उत्पादों के संवर्धन के लिए एक मंच के रुप में भी कार्य करेगा। परिसर का उद्घाटन दिनांक 9 अक्तूबर, 2014 को माननीय वस्त्र राज्य मंत्री द्वारा किया गया। विभिन्न राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय हथकरघा संगठनों को शोरुम/स्थल आबंटित किए गए हैं जो हथकरघा उत्पादों के विपणन क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं।

च) व्यापार सुविधा केन्द्र और शिल्प संग्रहालय की स्थापना : माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2014–15 के बजट भाषण में वाराणसी में व्यापार सुविधा केन्द्र और शिल्प संग्रहालय की स्थापना करने की घोषणा की थी ताकि वाराणसी के हथकरघा उत्पादों का विकास और संवर्धन हो सके और वाराणसी के हथकरघों की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके। व्यापार सुविधा केन्द्र एवं शिल्प संग्रहालय की स्थापना के लिए बड़ा लालपुर, वाराणसी में दिनांक 3.11.2014 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय

को 7.93 एकड़ भूमि आबंटित/सौंपी गई थी ।

माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 7 नवंबर, 2014 को व्यापार सुविधा केन्द्र और शिल्प संग्रहालय का शिलान्यास किया।

वस्त्र मंत्रालय के नियत्रंणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक केन्द्रीय उपक्रम, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि. (एनएचडीसी) को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया है। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. (एनबीसीसी) को परियोजना प्रबंधन सेवा प्रदाता (पीएमएसपी) नियुक्त किया गया है।

सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गईं हैं। एनबीसीसी द्वारा प्रतिस्पर्धी बोलियों और विधिवत अनुमोदनों के बाद मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लि. को दिनांक 18.11.2015 को कार्य आदेश जारी किया गया था। निबंधन एवं शर्तों के अनुसार हर तरह से परिपूर्ण परियोजना दिनांक 15 अगस्त,2017 तक सौंपी जाएगी।

सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति ने दिनांक 22.12.2015 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया है कि कार्यान्वयन एजेंसी, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि. इस केन्द्र को चलाने के लिए एक सहायक कंपनी बनाएगा। संग्रहालय, कलाकृतियों आदि के लिए वस्तुएं संकलित करने के लिए एक कार्यबल गठित करने का भी निर्णय लिया गया है।

छ) **निर्यात संवर्धनः** हथकरघा निर्यात संवर्धन का उद्देश्य हथकरघा सहकारी सोसाइटियों, निगमों/शीर्ष और हथकरघा निर्यातकों की सहायता करना है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों, क्रेता–विक्रेता बैठकों आदि में भाग लें सकें और उन्हें अद्यतन डिजाइन, ट्रेंड, रंगों का पूर्वानुमान आदि उपलब्ध कराना है। इस घटक के तहत (i) निर्यात परियोजना (ii) अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने और (iii) डिजाइन स्टुडियो स्थापित करने के लिए सहायता दी जाती है। वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न हथकरघा एजेंसियों ने 16 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया । वर्ष 2015–16 के दौरान एचईपीसी द्वारा 9 अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों और एचएचईसी द्वारा 3 आयोजनों में भाग लिए जाने का अनुमोदन किया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान हथकरघा वस्तुओं का निर्यात 2246.48 करोड़ रुपये का था।

ज) **ई–मार्केटिंगः** बिचौलियों को हटाकर ई–कॉमर्स के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और बुनकरों एवं हथकरघा सहकारिताओं के हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए ऑनलाइन विपणन मंच प्रदान करने के लिए दिनांक 25 अगस्त, 2014 को फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अधिक ऑनलाइन विपणन सुविधा प्रदान करने के लिए पांच एजेंसियों नामतः (i) मैसर्स वीव स्मार्ट ऑनलाइन सर्विस; (ii) मैसर्स ई–बे इंडिया प्रा. लिमिटेड; (iii) मैसर्स क्राफ्ट्स विला हैंडिक्राफ्ट्स प्रा. लिमिटेड; (iv) मैसर्स पिगारसे टैक्नोलोजीज प्रा. लिमिटेड; और (v) मैसर्स गोकोऑप सोल्यूसंस एंड सर्विसेज प्रा. लिमिटेड को

अनुबंधित किया गया है। प्रचालन क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश (वाराणसी, बाराबंकी, बिजनौर), हिमाचल प्रदेश (कुल्लु), राजस्थान (कोटा) और केरल (कन्नूर), तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा शामिल हैं।

4 हथकरघा संस्थानों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण

बुनकर सेवा केन्द्रों (डब्ल्यूएससी)/भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईएचटी) का सुदृढ़ीकरण, नए डब्ल्यूएससी/ आईआईएचटी की स्थापना, राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी), अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और हथकरघा संगणना करना ।

क) बुनकर सेवा केन्द्र (डब्ल्यू एस सी):

इस समय देश के विभिन्न भागों में 28 बुनकर सेवा केन्द्र (डब्ल्यू एस सी) कार्य कर रहे हैं। ये डब्ल्यूएससी बुनकरों की उत्पादकता और आय में सुधार करने के लिए बुनकरों का कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ऐसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं जिसमें डिजाइन निविष्टि, कौशल और प्रौद्योगिकी बुनकरों को अंतरित करना शामिल है, विभिन्न मेलों, प्रदर्शनियों आदि में बुनकरों को प्रायोजित कर प्रत्यक्ष विपणन संबंध प्रदान करना है । ये सभी बुनकर सेवा केन्द्र आयोजना–भिन्न के तहत कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान 3391.60 लाख रुपये के बजट प्रावधान की तुलना में 3303.60 लाख रुपये (गैर–योजना) की राशि व्यय की गई।

बजट घोषणा के अनुसरण में झारखंड, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में 3 नए बुनकर सेवा केन्द्रों (कुल मिलाकर 28) की स्थापना की जा चुकी है ।

ख) भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) :

भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी), हथकरघा क्षेत्र को व्यावसायिक दृष्टि से अर्हताप्राप्त और प्रशिक्षित श्रमशक्ति प्रदान करता है और हथकरघा उद्योग के सभी पहलुओं पर प्रायोगिक और अनुसंधान कार्यक्रम चलाते हैं। इस समय केन्द्रीय क्षेत्र में 5 आईआईएचटी, वाराणसी (उत्तर प्रदेश), सेलम (तमिलनाडु), जोधपुर (राजस्थान), गुवाहाटी (असम) और बारगढ़ (ओडिशा) में कार्य कर रहे हैं। इन सभी 5 आईआईएचटी में हथकरघा और वस्त्र प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष 285 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। आईआईएचटी, सेलम और आईआईएचटी, वाराणसी वस्त्र संसाधन में डेढ़ वर्ष का पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी आयोजित करते हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के शांतिपुर में एक और आईआईएचटी 12वीं योजना में अनुमोदित किया गया है। शान्तिपुर में आईआईएचटी स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भवन उपलब्ध करा दिया गया है और वित्त मंत्रालय द्वारा पद भी स्वीकृत किए जा चुके हैं। फुलिया (शांतिपुर) में आईआईएचटी ने वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान कार्य करना आरंभ कर दिया है।

वर्ष 2014–15 के दौरान गुवाहाटी, वाराणसी, सेलम और जोधपुर में संचालित किए जा रहे भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी

संस्थानों द्वारा 954.85 लाख रुपये (गैर–योजना) के बजट प्रावधान की तुलना में गैर–योजना के तहत 908.87 लाख रुपये की राशि व्यय की गई थी। आईआईएचटी, बरगड द्वारा वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान 186.05 लाख रुपये (योजना) के बजट प्रावधान की तुलना में 177.34 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई।

केन्द्रीय क्षेत्र के उक्त आईआईएचटी के अलावा राज्य क्षेत्र में वेंकटगिरि (आंध्र प्रदेश), गडग (कर्नाटक), चंपा (छत्तीसगढ़) और कन्नूर (केरल) में भी आईआईएचटी संचालित किए जा रहे हैं।

ग) आईआईएचटी, बरगढ (ओडिशा) का निर्माण :

27 एकड़ क्षेत्र में फैले आईआईएचटी, बरगड के अपने भवन का निर्माण पूरा हो चुका है और इसे अपने परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया है। आईआईएचटी बरबढ के निर्माण कार्य के लिए अब तक 36.09 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। तथापि वर्ष 2014–15 के दौरान 36.09 करोड़ रुपये के अनुमानित आकलन की तुलना में 47.16 करोड़ रुपये का एक संशोधित प्रारंभिक आकलन मंजूर किया गया है और वर्ष 2014–15 के दौरान 874.55 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

घ) राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी):

परम्परागत और समसामयिक डिजाइनों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2001 में राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी) की स्थापना की गई है ताकि तेजी से बदलती बाजार की मांग के अनुरुप हथकरघा क्षेत्र को बनाया जा सके। इस समय राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी) दिल्ली स्थित बुनकर सेवा केन्द्र के परिसर से कार्य कर रहा है। एनसीटीडी का मुख्य उद्देश्य बुनकरों, कामगारों और डिजाइनरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के सामने लाना और यहां तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र अपनी वेबसाइट www.designdiary.nic.in के माध्यम से बुनकरों,डिजाइनरों, निर्यातकों इत्यादि को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान भारत से 24,000 और विदेशों से 7500 आगंतुकों ने एनसीटीडी की वेबसाइट का दौरा किया। एनसीटीडी की वेबसाइट पर कुल 1040 डिजाइन (ड्रेस मैटीरियल–275, फर्निशिंग–130, शॉल/स्टोल–50, साड़ी 326, शर्टिंग– 125 एवं हेरीटेज डिजाइन–134) उपलब्ध हैं।

10.3 हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

भारत सरकार 2005–06 से देश में हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 'स्वास्थ्य बीमा योजना' तथा स्वाभाविक/दुर्घटना के कारण मृत्यु, दुर्घटना के कारण पूर्ण/आंशिक अपंगता के मामले में हथकरघा बुनकरों को जीवन बीमा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 'महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना' नामक दो अलग–अलग योजनाएं कार्यान्वित कर रही थीं। 11वीं योजना के दौरान दोनों

योजनाओं को हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना नामक एक योजना के अंतर्गत मिला दिया गया है और अब यह इस प्रकार से कार्यान्वित की जा रही है:–

1. **महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई)** को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य स्वाभाविक और दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने पर हथकरघा बुनकरों को बीमा कवर प्रदान करना है। वर्ष 2014–15 के दौरान महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के तहत 7,00,000 बुनकरों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है जिसमें सामान्य राज्यों के लिए 5,92,000 और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1,08,000 बुनकर शामिल हैं। इसके लाभों का उल्लेख नीचे दिया गया है:–

विवरण	लाभ
सामान्य मृत्यु	60,000 रुपये
दुर्घटना से मृत्यु	1,50,000 रुपये
पूर्ण विकलांगता	1,50,000 रुपये
आंशिक विकलांगता	75,000 रुपये

इसके तहत वर्ष 2013–14 के दौरान 5.99 लाख बुनकरों का पंजीयन किया गया और वर्ष 2014–15 के दौरान 5.75 लाख और वर्ष 2015–16 के दौरान (30.11.2015 तक) 2.02 लाख बुनकरों का पंजीयन किया गया है ।

उपरोक्त के अलावा 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए 300/–रुपये प्रति तिमाही प्रति विद्यार्थी की छात्रवृत्ति भी उपलब्ध है । यह लाभ शामिल किए गए सदस्य के दो बच्चों तक सीमित है । वर्ष 2013–14 के दौरान 1.42 लाख लाभार्थियों के लिए बतौर छात्रवृति 8.59 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया जबकि वर्ष 2014–15 के दौरान 1.37 लाभार्थियों को शामिल करते हुए बतौर छात्रवृत्ति 9. 26 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया तथा वर्ष 2015–16 के दौरान (31.12.2015 तक) 0.69 लाख लाभार्थियों के लिए 4.57 करोड रुपए का भुगतान किया गया ।

2. **स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस)** आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के माध्यम से कार्यान्वित की गई। स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस) में न केवल बुनकर बल्कि उनकी पत्नी और दो बच्चे भी शामिल हाते हैं। वार्पिंग, वाइंडिंग, डाईंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग, साइजिंग, झाला निर्माण, जैकार्ड कटिंग आदि कार्य कर रहे अनुषंगी हथकरघा कामगार भी योजना में शामिल किए जाने के पात्र हैं । योजना में पहले से मौजूद बीमारियों के साथ–साथ नई बीमारियां शामिल हैं और बहिरंग रोगियों (ओपीडी) के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है । प्रति परिवार वार्षिक सीमा 15,000 रुपये है जिसमें से ओपीडी के लिए 7,500 रुपये है । वर्ष 2014–15 के लिए 17,49,452 बुनकरों का लक्ष्य रखा गया है जिसमें सामान्य राज्यों के लिए 12,23,239 और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 5,26,213 बुनकर हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना को दिनांक 30.9.2014 से बंद कर दिया गया है और अब यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना मंच पर कार्यान्वित की जा रही है जिसमें पांच सदस्यों के परिवार के लिए प्रति परिवार 37,500 रुपये का कुल कवरेज होगा (आई पी और ओपी उपचार के लिए क्रमशः 30,000 रुपये और 7,500 रुपये)। अब आरएसबीवाई को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है।

10.4 यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)

क) भारत सरकार द्वारा मिल गेट कीमत पर पात्र हथकरघा बुनकरों को हर प्रकार का यार्न प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर में यार्न आपूर्ति योजना कार्यान्वित की जा रही है ताकि हथकरघा क्षेत्र को बुनियादी कच्चे माल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके और क्षेत्र की रोजगार संभावना का पूर्ण उपयोग करने में मदद मिल सके। यह योजना भारत सरकार के एक उपक्रम, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी), लखनऊ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना के तहत ढुलाई व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। डिपो संचालन एजेंसियों को 2% की दर से डिपो संचालन प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस समय समूचे देश में 788 यार्न डिपो कार्य कर रहे हैं। मालभाड़ा प्रतिपूर्ति की दर, डिपो संचालन व्यय तथा एनएचडीसी के सेवा प्रभार इस प्रकार है:

(आपूर्त यार्न के मूल्य का %)

क्षेत्र	सिल्क/जूट यार्न को छोड़कर	सिल्क यार्न	जूट/जूट मिश्रित यार्न	डिपो प्रचालन प्रभार	एनएचडीसी को सेवा प्रभार
मैदानी क्षेत्रों में	2.5%	1%	10%	2.0%	2.0%
पहाड़ी/दूरस्थ क्षेत्र	2.5%	1.25%	10%	2.0%	1.5%
पूर्वोत्तर क्षेत्र	5%	1.50%	10%	2.0%	1.25%

ख) इसके अलावा, विद्युतकरघा और मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से केवल हथकरघा बुनकरों को रियायती यार्न प्रदान करने के लिए हैंक यार्न पर 10% कीमत सब्सिडी का एक घटक भी है । यह रियायत मात्रात्मक सीमा के साथ सूती, घरेलू रेशमी और ऊनी यार्न पर लागू है। 10% सब्सिडी घटक के तहत विभिन्न प्रकार के यार्न के लिए पात्रता इस प्रकार है :

सूती एवं घरेलू रेशमी यार्न के लिए

- 40 संख्यांक तक (40 संख्यांक सहित) – 30 किलोग्राम/करघा/ माह
- 40 संख्यांक से अधिक – 10 किलोग्राम/करघा/माह
- घरेलू सिल्क के लिए – 4 किलोग्राम /करघा/माह

ऊनी यार्न (10 संख्यांक एनएम से कम)	50 किलो ग्राम प्रति करघा/माह
ऊनी यार्न (10 संख्यांक से 39.99 संख्यांक एनएम तक)	10 किलो ग्राम प्रति करघा/माह
ऊनी यार्न (40 संख्यांक एनएम और अधिक)	4 किलो ग्राम प्रति करघा/माह

ग) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने एक नए प्रयास के रुप में 10 नए डिपो सह वेयरहाउस खोले हैं ताकि ऐसे व्यक्तिगत बुनकरों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें कम मात्रा में यार्न की जरुरत पड़ती है,उन्हें नकद आधार पर समय पर आपूर्ति मिल सके। ये वेयरहाउस सीतापुर व मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश),गुवाहाटी (असम), समुद्रगढ़ (पश्चिम बंगाल), कन्नूर (केरल), चिराला

व करीमनगर (आंध्र प्रदेश),अगरतला (त्रिपुरा),भुवनेश्वर (उड़ीसा) तथा रांची/गोडा (झारखंड) में हैं। ये सभी वेयरहाउस कार्य कर रहे हैं।

2012–13 के बाद से यार्न आपूर्ति योजना के तहत की गई यार्न आपूर्ति इस प्रकार है:–

वर्ष	मात्रा (लाख किलो ग्राम में)	कीमत (करोड़ रूपये में)
2012-13	1070.78	1318.56
2013-14	1262.09	1788.46
2014-15	1484.30	2160.77
2015-16 (दिसंबर, 2015 तक)	1068.49	1440.63

दिनांक 6.1.2012 से यार्न आपूर्ति योजना के 10% कीमत सब्सिडी घटक के तहत की गई यार्न आपूर्ति:

वर्ष	मात्रा (लाख किलो ग्राम में)	कीमत (करोड़ रूपये में)
2012-13	124.99	271.54
2013-14	222.789	695.63
2014-15	286.34	1026.83
2015-16 (दिसंबर, 2015 तक)	149.32	526.92

2012–13 के बाद से यार्न आपूर्ति योजना के तहत जारी की गई धनराशि इस प्रकार है:–

वर्ष	जारी की गई धनराशि (करोड़ रूपय में)
2012-13	122.91
2013-14	96.86
2014-15	127.81
2015-16 (तक 4.2.2016)	261.10

10.5 व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना

XII वीं योजना के दौरान मेगा हथकरघा कलस्टरों के विकास के लिए व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना कार्यान्वित की जा रही है। योजना के तहत मेगा हथकरघा कलस्टर में प्रति क्लस्टर 15,000 हथकरघे शामिल होंगे और भारत सरकार के अंश के रुप में 40 करोड़ रुपए की वित्त व्यवस्था की जाएगी।

2. सीएचसीडीएस के दिशा–निर्देश अगस्त, 2015 में संशोधित किए गए हैं जो मुख्यतः एनएचडीपी की तर्ज पर ब्लॉक स्तरीय कलस्टर एप्रोच स्वीकार करने के संबंध में है।दिनांक 3.2.2016 की स्थिति अनुसार 53 ब्लॉक स्तरीय कलस्टर स्वीकृत किए जा चुके हैं।

3. वर्ष 2014–15 के दौरान (3.2.2016 की स्थिति अनुसार) विभिन्न हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मेगा हथकरघा कलस्टरों को 31.91 करोड़ रुपए स्वीकृत/जारी किए गए हैं।

10.6 बुनकर मुद्रा योजना

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत हथकरघा बुनकरों और बुनकर उद्यमियों को रियायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए हथकरघा बुनकरों को रियायती ऋण घटक के ब्याज सब्सिडी, मार्जिन राशि और ऋण गारंटी घटक के तहत हथकरघा बुनकरों को पहले से उपलब्ध लाभों को शामिल करके पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से हथकरघा बुनकरों और बुनकर उद्यमियों को 5.00 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करने के

लिए ''पीएनबी बुनकर मुद्रा योजना'' शुरु की गई है। ऋण लेने वाले को आसान वितरण के लिए रुपे कार्ड दिया जाता है।

प्रारंभ में ''पीएनबी बुनकर मुद्रा योजना'' के तहत ऋण प्रदान करने के लिए प्रायोगिक परियोजना वाराणसी (उत्तर प्रदेश) और भुवनेश्वर (ओडिशा) में शुरु की गई है । दिनांक 20.12.2015 की स्थिति अनुसार ऋण प्रदान करने की स्थिति इस प्रकार है:

	वाराणसी		भुवनेश्वर
	50,000 रूपये तक के ऋण के लिए	5 लाख रूपये तक के ऋण के लिए	50,000 रूपये तक के ऋण के लिए
बुनकर सेवा केन्द्र को प्राप्त आवेदन	1624	19	509
पंजाब नेशनल बैंक को प्रस्तुत आवेदन	1624	19	509
खोले गए खातों की संख्या	227	7	250
स्वीकृत कुल राशि	113.50 लाख	23 लाख	1,24,50,000
वितरित कुल रूपे कार्ड	95	शून्य	150
आहरित कुल राशि	30.27 लाख	शून्य	34,50,000

10.7 हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन

हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का उद्देश्य हथकरघा बुनकरों की आजीविका तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर विद्युतकरघा तथा मिल क्षेत्र द्वारा अतिक्रमण से उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। इस समय (दिनांक 3.9. 2008 के सा.आ.सं. 2160 के तहत नवीनतम संशोधन के अनुसार) इस अधिनियम के अंतर्गत केवल हथकरघों पर उत्पादन के लिए 11 प्रकार की वस्त्र मदें आरक्षित हैं । विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा (नवंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार) किए गए विद्युतकरघा निरीक्षणों की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा तालिका 1.1 में दिया गया है।

दिल्ली, चेन्नै और अहमदाबाद में तीन प्रवर्तन कार्यालय हैं जो हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हैं। आशा है कि प्रवर्तन तंत्र द्वारा मार्च, 2016 तक 3,21,452 विद्युतकरघों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। भारत सरकार 'हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन' योजना के तहत प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने हेतु राज्य संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता देती है। विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा तालिका 1.2 में दिया गया है ।

तालिका 1.1

क्र. सं.	वास्तविक प्रगति	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (नवंबर 2015 तक)
1.	विदयुतकरघा निरीक्षणों का लक्ष्य	2,59,000	272013	290420	3,08,888	3,21,452
2.	निरीक्षित विदयुतकरघों की संख्या	2,78,276	2,76,011	2,90,773	3,09,817	1,70,407
3.	दर्ज एफआईआर की संख्या	35	97	113	88	68
4.	दोष सिद्धि	10	39	37	66	25

तालिका 1.2

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (जनवरी 2016 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	69.62	63.08	69.61	-	-
2.	प. बंगाल	17.14	19.78	15.57	14.83	-
3.	गुजरात	35.07	27.99	30.92	38.42	-
4.	राजस्थान	13.03	13.03	-	-	-
5.	मध्य प्रदेश	11.16	16.15	-	21.17	-
6.	हरियाणा	11.45	-	16.89	-	-
7.	तमिलनाडु	167.92	116.20	93.80	63.28	65.07
8.	उत्तर प्रदेश	-	-	87.23	41.06	-
9.	केरल	24.61	14.29	14.06	14.38	7.78
10	तेलंगाना	-	-	-	-	-
	कुल	350.00	270.52	328.08	193.34	72.85

10.8 हथकरघा संगठन

i) हथकरघा निगमों तथा शीर्षस्थ समितियों का संघ (आकाश)

हथकरघा निगमों तथा शीर्षस्थ समितियों का संघ (आकाश), राष्ट्र स्तरीय, राज्य स्तरीय और अंतर–राज्य स्तरीय हथकरघा विकास निगमों और शीर्ष हथकरघा सहकारी समितियों का राष्ट्र–स्तरीय शीर्ष संगठन है। हथकरघा क्षेत्र में विपणन का समन्वय और संवर्धन करने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत आकाश का पंजीकरण जून, 1984 में किया था। एकल निविदा प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र सरकार के विभागों/अभिकरणों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खरीदे जाने वाले हथकरघा सामानों की आपूर्ति के लिए भारत सरकार ने आकाश की नियुक्ति नोडल अभिकरण के रुप में की है। आकाश के माध्यम से हथकरघा वस्तुओं के उत्पादन और आपूर्ति

के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय हथकरघा निगम और शीर्ष समितियां आकाश के सदस्य हैं। हथकरघा वस्तुओं के संवर्धन और विपणन में भी आकाश सहायता करता है। एकल निविदा–प्रणाली के अंतर्गत आकाश ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान 68.25 करोड़ रुपए मूल्य के आदेश निष्पादित किए। वर्ष 2015–16 के दौरान (नवम्बर, 2015 तक) आकाश ने 62.00 करोड़ रुपए मूल्य के आदेश निष्पादित किए।

2. आकाश का यह कार्य भी है कि वह देश के विभिन्न भागों में हथकरघा प्रदर्शनियां आयोजित कर हथकरघा उत्पादों के प्रत्यक्ष विपणन को सुकर बनाए। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान आकाश ने 27 प्रदर्शनियां आयोजित की जिनमें लगभग 23.13 करोड़ रुपये मूल्य के हथकरघा उत्पाद बेचे गए। चालू वर्ष के दौरान (15.12.2015 तक) 13 प्रदर्शनियां आयोजित की गई जिनमें 14.14 करोड़ रुपए की बिक्री हुई ।

ii) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लिमिटेड (ए आई एच एफ एम सी एस)

अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लिमिटेड (जिसे अखिल भारतीय समिति पढ़ा जाए) बहु–राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक राष्ट्रीय स्तर की हथकरघा सहकारी सोसायटी है और केन्द्रीय सहकारी समिति पंजीयक, नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार में आती है। अखिल भारतीय समिति के मुख्य क्रियाकलापों में सदस्य शीर्ष/ प्राथमिक सहकारी समितियों से हथकरघा उत्पादों की खरीद करना और देश में व देश से बाहर विपणन करना है। इन उद्देश्यों के लिए अखिल भारतीय समिति ने भारत में विभिन्न स्थानों पर हैण्डलूम हाऊस के नाम से 23 खुदरा विक्रय केन्द्र स्थापित किए हैं। समिति के चैन्नई, नोएडा तथा करुर में अपने एक्सपोर्ट हाउस हैं। अखिल भारतीय समिति के भारतीय हथकरघा वस्तुओं के विपणन के लिए मारीशस में शो रुम भी हैं।

2. अखिल भारतीय समिति की सदस्यता में कम से कम 50 (पचास) प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों (क श्रेणी) वाली शीर्ष हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां, पंजीकृत प्राथमिक/जिला स्तरीय हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियां ('ख' श्रेणी) और हथकरघा वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में लगे (क) राज्य सरकार, (ख) सरकार के स्वामित्व/ नियंत्रण वाले निगम और (ग) व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ का ऐसा या ऐसे वर्ग जिसे या जिन्हें एमएससीएस अधिनियम के उपबंधों के तहत केन्द्रीय पंजीयक द्वारा अनुमति हो (ग श्रेणी) शामिल किए गए हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति के कुल 1099 सदस्य थे जिनमें 23 (क– श्रेणी), 1044 (ख– श्रेणी) और 32 (ग–श्रेणी) के सदस्य थे। समिति के पास 31 मार्च, 2015 की शेयरों की संख्या 141449 तथा प्रदत्त शेयर पूंजी 7,65,08,000 रुपए थी।

3. उप नियमों के तहत समिति के कार्यों से संबंधित सभी मामलों में अन्तिम प्राधिकार

सदस्यों की आम सभा के पास है, जो अखिल भारतीय समिति के कारोबार के लिए समय–समय पर और एक वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी। समिति के उप नियमों के परन्तुक के अंतर्गत बोर्ड में 22 (बाईस) निदेशक, जिनमें एक भारत सरकार की ओर से नामित होगा तथा सचिव, जो समिति का मुख्य कार्यकारी होता है, निदेशक मंडल का पदेन सदस्य होगा।

4. वर्ष 2014–15 के दौरान समिति का बिक्री कारोबार 40.56 करोड़ रूपए का था जबकि विगत वर्ष के दौरान यह 49.84 करोड़ रूपये था। वर्ष 2014–15 के दौरान घरेलू बिक्री 3607.42 लाख रूपए की हुई जबकि विगत वर्ष यह 4547.71 लाख रूपए थी। वर्ष 2014–15 के दौरान समिति का निर्यात 448.43 लाख रुपये का हुआ जबकि विगत वर्ष के दौरान 435.84 लाख रूपए का निर्यात हुआ। वर्ष 2014–15 के दौरान समिति को 45.65 लाख रुपए का निबल लाभ हुआ और समिति लगातार पिछले 55 वर्षों से मुनाफे में कार्य कर रही है।

5. सोसाइटी ने यह सूचित किया है कि वह घरेलू व निर्यात बाजार, दोनों क्षेत्रों में अपने विपणन क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी और मुनाफे के आधार पर कमाई करेगी और सदस्यों व सरकारी सहायता से संसाधन जुटाएगी।

iii) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी)

फैब्रिक्स, होम फर्निशिंग, कारपेट और फ्लोर कवरिंग आदि जैसे सभी हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) की स्थापना एक नोडल एजेंसी के रुप में की गई है। 96 सदस्यों के साथ एचईपीसीएच का गठन वर्ष 1965 में किया गया था और समूचे देश में इसकी वर्तमान सदस्यता 1222 (30.11.2012 की स्थिति) है। एचईपीसी का मुख्यालय चेन्नई में और क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है।

एचईपीसी का मुख्य उद्देश्य व्यापार संवर्धन और अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए भारतीय हथकरघा निर्यातकों और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की हर संभव सहायता करना और उनका मार्गदर्शन करना है।

तमिलनाडु में करूर एवं मदुरै, केरल में कन्नूर तथा हरियाणा में पानीपत प्रमुख हथकरघा क्लस्टर हैं। जहां टेबलमेट्स, प्लेसमेट्स, एंब्राइडरी की हुई वस्त्र सामग्री, परदे, फ्लोर मेट्स, किचन के सामान जैसी निर्यात योग्य हथकरघा वस्तुओं का उत्पादन करूर, मदुरै एवं कन्नूर में किया जाता है वहीं पानीपत दरियों एवं अन्य भारी किस्म की ऐसी चीजों के लिए प्रसिद्ध है जिनमें हाथ से काता हुआ सूत प्रयोग किया जाता है।

इसके अलावा केकरा, वाराणसी, भागलपुर, शांतिपुर, जयपुर, अहमदाबाद, वारंगल, चिराला, पोचमपल्ली और संपलपुर जैसे अन्य केन्द्र भी हथकरघा निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। चेन्नई, दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता में बड़ी संख्या में निर्यातक व्यापारी हैं जो इन केन्द्रों से ये सामान खरीदते हैं।

हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) के उद्देश्य

एचईपीसी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

1. सदस्य निर्यातकों को व्यापारिक सूचना तथा आसूचना का प्रचार–प्रसार,
2. भारतीय हथकरघा उत्पादों का विदेशों में प्रचार,
3. उत्पाद विविधीकरण एवं आधुनिक विपणन जरूरतों की पूर्ति को सुगम बनाना,
4. निर्यात–बाजार हेतु हथकरघों के आधुनिकीकरण की गति को तेज करना,
5. हथकरघा उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु डिजाइन संबंधी निविष्टियां प्रदान करना,
6. व्यापार मिशनों/क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन एवं विदेशों के व्यापार मेलों में भागीदारी,
7. हथकरघा निर्यातकों हेतु परामर्शी एवं मार्गदर्शी सेवाएं,
8. हथकरघा निर्यात व्यापार से संबंधित सभी प्रकार के प्रक्रियात्मक एवं नीतिगत मामलों में भारत सरकार के साथ सम्पर्क करना,
9. हथकरघा निर्यातकों से संबंधित व्यापारिक शिकायतों का निपटान,
10. हथकरघा निर्यातकों के लाभ के लिए विदेश स्थित वाणिज्यिक एजेंसियों आयात संवर्धन हेतु संपर्क करना ।

निर्यात लक्ष्य और उपलब्धियां

(करोड़ रुपए)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां	
		करोड़ रूपये में	अमरीकी डालर में
2013-14	602 मिलियन यूएस डालर	2233.11	372.18
2014-15	460 मिलियन यूएस डालर	2246.48	374.41
2015-16	421 मिलियन यूएस डालर	1567.83	243.14

वर्ष 2015–16 के लिए भारत सरकार ने हथकरघा निर्यात के लिए 421 मिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया है ।

वर्ष 2014–15 के दौरान एचईपीसी के निर्यात संवर्धन संबंधी क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:–

1. एचईपीसी ने 2014–15 में 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। वर्ष 2015–16 के दौरान एचईपीसी द्वारा 14 अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन की मंजूरी दी गयी है।
2. इंडिया इंटरनेशनल हैंडवुवन फेयर (आईआईएचएफ) के पहले पांच संस्करणों की सफलता से प्रोत्साहित होकर एचईपीसी दिनांक 9 से 11 मार्च, 2016 तक चेन्नई ट्रेड सेंटर, चेन्नई में मेले का छठवां संस्करण आयोजित कर रहा है। इस मेले का आयोजन 150 विदेशी खरीदारों को आमंत्रित कर विपर्य क्रेता–विक्रेता बैठक के घटक से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एम.ए.आई. योजना के तहत किया गया। अपने हथकरघा उत्पादों की बिक्री के लिए इस मेले में लगभग 200 सदस्य निर्यातक ने भाग लेंगे।
3. निर्यात व्यापार में मौजूद जटिलताओं के बारे में हथकरघा उद्योग को सुग्राही बनाने के उद्देश्य से एचईपीसी समूचे देश में आवधिक रूप से जागरूकता सेमिनार आयोजित करती रही है। वर्ष 2015–16 के दौरान एचईपीसी, नई दिल्ली, पानीपत, कन्नूर, करुर, चेन्नै इत्यादि में 9 सेमिनार आयोजित करने की तैयारी कर रही है।

अध्याय–11

हस्तशिल्प

11.1 प्रस्तावना

हस्तशिल्प क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में एक सार्थक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में शिल्पियों के बहुत बड़े समूह को रोज़गार प्रदान करता है तथा सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हुए देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने में अपना विशेष महत्व रखता है। हस्तशिल्प में विशाल सम्भावनाएं हैं, चूंकि इसमें न केवल देश के सभी भागों में फैले हुए मौजूदा लाखों कारीगरों कोए बल्कि शिल्प कार्यकलापों में बड़ी संख्या में प्रवेश पाने वाले नए कारीगरों को बनाए रखने की भी क्षमता है। वर्तमान में, हस्तशिल्प क्षेत्र का रोजगार उत्पादन तथा निर्यात में विशेष योगदान है। तथापि, हस्तशिल्प क्षेत्र को इसके असंगठित होने के अतिरिक्त शिक्षा व जानकारी का अभाव, कम पूंजी, नई प्रौद्योगिकियों के प्रति अपर्याप्त प्रदर्शन, विपणन आसूचना की कमी तथा अपर्याप्त संस्थागत फ्रेमवर्क जैसी रुकावटों के कारण क्षति पहुंची है।

वर्तमान में हस्तशिल्प क्षेत्र लगभग 68.86 लाख कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराता है और दिसम्बर 2015 तक हस्तनिर्मित कालीनों सहित हस्तशिल्प का निर्यात 22375.63 करोड़ रुपए का रहा जो वित्तीय वर्ष 2014–15 में इसी अवधि के दौरान 19.68 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है तथा 2015–16 में मौजूदा योजना आबंटन 327.59 करोड़ रुपये है।

11.2 हस्तशिल्प विकास के लिए स्कीमें

1.4.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान भारत सरकार ने देश में हस्तशिल्प क्षेत्र के समग्र विकास एवं वृद्धि के लिए सात केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें कार्यान्वित की हैं। इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं :–

11.2.1 योजना के ब्योरे

देश में हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास हेतु क्रियान्वित की जा रही सात स्कीमें निम्नलिखित हैं:–

i. बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

ii. डिजाइन एवं तकनीकी उन्नयन योजना

iii. विपणन सहायता एवं सेवाएं योजना

iv. अनुसंधान एवं विकास योजना

v. मानव एवं संसाधन विकास योजना

vi. हस्तशिल्प कारीगरों के लिए व्यापक कल्याण योजना

vii. इंफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रौद्योगिकी विकास योजना

(i) बाबा साहब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रभावी सदस्य भागीदारी एवं परस्पर सहयोग के सिद्धान्त के आधार पर कारीगरों के समूहों को व्यावसायिक रुप से व्यवस्थित कर उद्यमियों को आत्मनिर्भर समुदाय के रुप में विकसित करते हुए भारतीय हस्तशिल्पों का संवर्धन करना है। इस योजना में हस्तशिल्प के सतत विकास हेतु शिल्पियों की सहभागिता द्वारा परियोजना आधारित, आवश्यकता आधारित एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है जिससे उन्हें सशक्त बनाया जा सके। योजना के संघटकों का विवरण निम्न प्रकार से हैं :–

भाग I. सामाजिक इंटरवेन्शन तथा विस्तार समर्थन

- कारीगरों को स्वावलंबन समूहों एसएचजी, में संघटित करने के लिए सामुदायिक सशक्तिकरण।
- संस्थान निर्माण जैसे स्वावलंबन समूहों का गठन/ उत्पादक कम्पनी/संघ तथा अन्य सदृश निकाय का गठन।
- कलस्टर विकास, समेकन और समवर्ती मूल्यांकन के दौरान नैदानिक सर्वेक्षण, परियोजना रिपोर्ट
- तैयार करने जैसे इनपुट्स के लिए डिज़ाइनर/ अन्य विशेषज्ञों/अनुसंधान आधारित परामर्शदात्री संगठन आदि की सेवाएं लेना।
- कलस्टर प्रबंधक को वेतन क्षतिपूर्ति ।

भाग II - व्यापक विकास सहायता

कलस्टरों की प्रौद्योगिकी, विपणन, कौशल सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य किसी भी प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की अन्य पांच स्कीमों की सहायता ली जाएगी जो निम्न प्रकार से है:–

I. विपणन सहायता एवं सेवाएं योजना

II. मानव संसाधन विकास योजना

III. डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना

IV. अनुसंधान एवं विकास योजना

V. इंफ्रास्ट्रक्चर योजना

31 दिसम्बर, 2015 तक वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं–

(Rs. in Crores)

क्र. सं.	संघटक	2015-16				
			वास्तविक		वित्तीय	
क	बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास (एएचवीवाई)	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	आवंटन	संस्वीकृत धनराशि	व्यय
	भाग–I सामाजिक इंटरवेंशन और विस्तारण सहायाता भाग–II व्यापक विकास सहायता	120 कलस्टर	09 कलस्टर अनुमोदित / स्वीकृत, 53 कलस्टर– सिद्धांत–अनुमोदन जारी	3.00 करोड़ [जीआईए=2.40 अन्य-0.60]	1.125	0.98

शेष धनराशि 31 मार्च, 2016 तक उपगत कर लिए जाने की संभावना है।

(ii) डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना

इस स्कीम का लक्ष्य विदेशी बाजारों के लिए, लुप्तप्राय शिल्पों के पुनुरुत्थान और विरासत के परिरक्षण हेतु अभिनव डिजाइनों एवं प्रोटोटाइप उत्पादों के माध्यम से कारीगरों के कौशल को उन्नत करना है। स्कीम के निम्नलिखित संघटक हैं :–

1. शिल्प जागरूकता कार्यक्रम ।
2. औजारों, सुरक्षा उपकरणों आदि की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता।
3. डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला ।
4. एकीकृत डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास परियोजना ।
5. हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र।
6. डिजाइन प्रोटोटाइप के लिए निर्यातक एवं उद्यमी को सहायता ।
7. डिज़ाइन, ट्रेंड और टेक्निकल कलर फॉरकास्ट के माध्यम से वाणिज्यिक विपणन आसूचना।

31 दिसम्बर, 2015 तक वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं –

(करोड़ रुपये में)

संघटक	2015-16				
	स्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	वित्तीय आवंटन	संस्वीकृत धनराशि	व्यय
शिल्प जागरूकता कार्यक्रम		50 संख्या	28 संख्या	0.50	0.280.14
औजारों, सुरक्षा उपकरणों आदि की आपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता	2000 कारीगर	985	2.00	0.91	0.45
डिजाइन कार्यशालाओं की संख्या	90 संख्या	152 संख्या	2.70	4.56	2.28
एकीकृत डिजाइन परियोजनाओ की संख्या	32संख्या	40 संख्या	2.70	3.38	1.69

(Rs. in Crores)

संघटक	2015-16				
	स्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	वित्तीय आवंटन	संस्वीकृत धनराशि	व्यय
शिल्प गुरू/राष्ट्रीय पुरस्कार/ राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण–पत्र धारकों की संख्या	50 (10 शिल्प गुरू, 20 राष्ट्रीय पुरस्कार और 20 एनएमसी)	125 (2012, 2013, और 2014 तीन वर्षों के लिए 21 शिल्प गुरू, 59 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, 45 एनएमसी)	0.88	2.28	2.15
शिल्प गुरू/राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता को 20,000/– रूपये प्रति वर्ष प्रति पुरस्कार विजेता को रेल यात्रा में सहायता	700 पुरस्कार विजेता प्रति वर्ष		-	1.40	-
डिजाइन, प्रोटोटाइप हेतु निर्याताकों और उदयमियों को सहायता	100	-	0.24	-	-
डिजाइन, ट्रेंड और तकनीकी कलर पूर्वानुमान के माध्यम से वाणिज्यिक विपणन आसूचना	02	02	0.20	0.19	0.10

शेष धनराशि 31 मार्च, 2016 तक उपगत कर लिए जाने की संभावना है।

(iii) विपणन सहायता एवं सेवाएं योजना

विपणन सहायता एवं सेवाएं योजना का संकेन्द्रण कारीगरों एवं निर्यातकों की विभिन्न बाजारों एवं विपणन माध्यमों तक पहुंच में वृद्धि लाने के साथ–साथ घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में व्यापक स्तर पर उपभोक्ताओं एवं जनता के बीच हस्तशिल्प के संबध में जागरुकता उत्पन्न करना है।

निम्न तीन संघटकों को शामिल करते हुए योजना को तैयार किया गया हैं–

- घरेलू विपणन
- अन्तर्राष्ट्रीय विपणन
- प्रचार एवं ब्रांड संवर्धन

31 दिसम्बर, 2015 तक वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं–

(करोड़ रुपये में)

संघटक	2015-16				
	वास्तविक		वित्तीय		
	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	वित्तीय आवंटन	संस्वीकृत धनराशि	व्यय
गांधी शिल्प बाज़ार	62	57	36.50	7.47	3.73
शिल्प बाज़ार	75	70		7.13	3.56
प्रदर्शनियां	80	74		2.36	1.42
अंतर्राष्ट्रीय विपणन	45	43		10.36	5.63
प्रचार	16	14		3.88	1.97

शेष धनराशि 31 मार्च, 2016 तक उपगत कर लिए जाने की संभावना है।

(iv) मानव संसाधन विकास योजना

मानव संसाधन विकास योजना (एचआरडी) का निरुपण हस्तशिल्प क्षेत्र को अर्हताप्राप्त एवं प्रशिक्षित कार्यबल प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। यह कार्यबल वर्तमान बाजार की जरुरतों को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन में मजबूत उत्पादन आधार तैयार करने में योगदान देगा। यह योजना अपने संघटकों के माध्यम से अपेक्षित इंपुट प्रदान करने के द्वारा हस्तशिल्प हेतु डिजाइनरों के प्रशिक्षित काडर के रूप में क्षेत्र के लिए मानव पूंजी के निर्माण का भी लक्ष्य रखती है। इसमें कारीगरों को अपना व्यवसाय सफलता से शुरू करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक सॉफ्ट स्किल प्रदान करने का भी प्रावधान है। मानव संसाधन विकास योजना के तहत 5 संघटक शामिल हैं जो निम्न प्रकार से हैं–

(i) संस्थापित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण।

(ii) हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(iii) गुरु–शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रशिक्षण।

(iv) प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण ।

(v) डिज़ाइन मेंटॉरशिप तथा प्रशिक्षुता कार्यक्रम ।

31 दिसम्बरए 2015 तक वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं–

(लाख रुपये में)

संघटक	2015-16				
	वास्तविक		वित्तीय		
	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	वित्तीय आवंटन	संस्वीकृत धनराशि	व्यय
स्थापित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	3	1 नया एवं 3 प्रतिपूर्ति मामले	144.00	72.69	72.69
डिजाइन मेंटोरशिप और प्रशिक्षुता कार्यक्रम	2	3	73.41	40.92	40.92
हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यक्रम					
तकनीकी प्रशिक्षण	90	185	346.00	467.50	339.20
सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण	210	150	75.60	68.05	56.82
गुरू–शिष्य परंपरा	120	99	420.00	420.00	420.00
प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी)	20	3	57.60	3.82	3.82

शेष धनराशि 31 मार्च, 2016 तक उपगत कर लिए जाने की संभावना है।

(v) अनुसंधान एवं विकास योजना

अनुसंधान एवं विकास (एचआरडी) योजना की शुरुआत हस्तशिल्प क्षेत्र की समस्याओं तथा विशिष्ट पहलुओं के गहन विश्लेषण के लिए और महत्वपूर्ण शिल्पों के सर्वेक्षण एवं अध्ययन करने के उद्देश्य से की गई थी

जिससे नीति आयोजन में उपयोगी आदान सृजित किया जा सके तथा चल रहे कार्यकलापों को बेहतर बनाने में मदद मिल सके और इस कार्यालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सके। एचआरडी योजना के तहत निम्न 05 उप संघटक होंगे :

1. विभिन्न विषयों पर सर्वेक्षण एवं अध्ययन।
2. लेबलिंग / प्रमाणीकरण को प्रेरित करने के प्रयोजन से लीगल, पैरा लीगल, मानकों, ऑडिटों और अन्य प्रलेखनों को तैयार करने हेतु वित्तीय सहायता।
3. क्षेत्र / सेगमेंट की चुनौतियों का सामना करते हुए संगठन को सक्षम बनाने के लिए लुप्तप्राय शिल्पों, डिज़ाइन, विरासत, ऐतिहासिक ज्ञान आधार, अनुसंधान एवं इनके क्रियान्वयन को शामिल करते हुए शिल्पों की सुरक्षा से जुड़ी क्रियाविधि (मैकेनिज़्म) को बनाने, विकसित करने हेतु संगठनों को वित्तीय सहायता ।
4. देश के हस्तशिल्प कारीगरों की जनगणना कराना ।
5. जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के तहत शिल्पों का पंजीकरण और क्रियान्वयन पर आवश्यक अनुवर्तन।
6. जेनेरिक उत्पादों के लिए हस्तशिल्प मार्क सहित बार कोडिंग और जीएसआई ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन मानकों को अपनाने में हस्तशिल्प निर्यातकों की सहायता करना।
7. भारतीय हस्तशिल्प के ब्रांड निर्माण तथा संवर्धन से जुड़ी समस्याओं / मुद्दों को उठाने के लिए वित्तीय सहायता ।
8. हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े विशिष्ट प्रकृति के मुद्दों पर कार्यशालाओं / सेमिनारों का आयोजन।

31 दिसम्बर, 2015 तक वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं–

(लाख रुपये में)

क्र. सं.		**2015-16**				
		वास्तविक			**वित्तीय**	
क	**संघटक**	**वास्तविक लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**वित्तीय आवंटन**	**संस्वीकृत धनराशि**	**व्यय**
1	सर्वेक्षण / अध्ययन	30	24	700.00	234.34	114.46
2	कार्यशाला / संगोष्ठी का आयोजन	50	43		190.90	95.45
3	जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के तहत शिल्पों का पंजीकरण	15	-		-	-
4.	ब्रांड निर्माण और भारतीय हस्तशिल्प के संवर्धन से जुड़े मुददों को उठाने के लिए वित्तीय सहायता	50	5		36.26	18.13
5.	हस्तशिल्प कारीगरों की जनगणना	2008–09 से जारी	-		273.00 (देयता)	

शेष धनराशि 31 मार्च, 2016 तक उपगत कर लिए जाने की संभावना है।

(vi) हस्तशिल्प कारीगरों के लिए व्यापक कल्याण योजना

कारीगरों के कल्याण से जुड़ी आवश्यकताओं से संबन्धित मुददों को उठाने के लिए इस योजना को तैयार किया गया है। इस योजना के निम्न संघटक हैं–

1. राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना (आर जी एस एस बी वाई)
2. आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई)
3. दरिद्र परिस्थितियों में कारीगरों को सहायता
4. क्रेडिट गारंटी योजना
5. ब्याज में छूट योजना
6. पहचान–पत्र जारी करना और डाटाबेस का निर्माण

31 दिसम्बर, 2015 तक वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं–

(लाख रुपये में)

क्र, सं.		2015-16				
		वास्तविक			वित्तीय	
क	संघटक	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	वित्तीय आवंटन	संसवीकृत धनराशि	व्यय
1.	राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना	5.00 लाख कारीगर	-	700.00	-	-
2.	आम आदमी बीमा योजना	2.00 लाख कारीगर	83,690		-	-
3.	दरिद्र परिस्थितियों में कारीगरों को सहायता	300 कारीगर	254		111.73	
4.	क्रेडिट गारंटी योजना	-			-	-
5.	ब्याज में छूट योजना	12000 कारीगर	Nil		-	-
6.	पहचान–पत्र जारी करना	2.00 लाख	-		69.86	41.36
7.	विज्ञापन एवं प्रचार	-	विज्ञापन एवं प्रचार	100.00	50.00	50.00

(vii) इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं प्रौदयोगिकी विकास योजना

इस योजना का उद्देश्य देश में हस्तशिल्प उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है और उत्पाद गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ–साथ लागत को कम करना है जिससे कि हमारे उत्पाद विश्व बाजार में मुकाबला कर सकें। योजना के 16 संघटक निम्न प्रकार से हैं:–

1. शहरी हाट
2. लघु शहरी हाट
3. एम्पोरिया
4. शहरी क्षेत्रों में विपणन एवं सोर्सिंग हब्स

4.1 महानगरों में विपणन एवं सोर्सिंग हब्स

4.2 गैर–महानगरों में विपणन एवं सोर्सिंग हब्स

5. डिज़ाइन एवं शिल्प विद्यालय
6. हस्तशिल्प संग्रहालय

7. डिज़ाइन बैंक्स
8. शिल्प आधारित संसाधन केन्द्र
9. सामान्य सुविधा केन्द्र
10. कच्चा माल डिपो
11. निर्यातकों/उद्यमियों को प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता
12. परीक्षण प्रयोगशालाएं
13. शिल्प ग्राम
14. एकीकृत हस्तशिल्प पार्क
15. कार्यालय भवनों का निर्माण और मौजूदा संस्थानों को पुनः नवीकृत करना, क्षेत्रीय डिज़ाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्रों की पुनर्रचना, हस्तकला अकादमी की स्थापना, वसंत कुंज एवं ओखला में शिल्प एवं कार्यालय कॉम्पलैक्स का निर्माण और विभागीय स्तर पर सृजित किया जाने वाला अन्य कोई आधारभूत ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर)।
16. जम्मू एवं कश्मीर कारीगरों के लिए लूम

31 दिसम्बर, 2015 तक वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं–

(लाख रुपये में)

	Physical		**Financial**	
संघटक	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**		**वित्तीय**
11 वी योजना की प्रतिबद्ध देयता	लघु शहरी हाट (01), एम्पोरिया (03), विपणन एवं सोर्सिंग हब, हस्तशिल्प संग्रहालय (01), डिज़ाइन बैंक (01), शिल्प आधारित संसाधन केंद्र (01), सामान्य सुविधा केन्द्र (01), कच्चा माल बैंक (01), निर्यातकों/ उद्यमियों को प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता (02), शिल्प ग्राम और कार्यालय भवनों का निर्माण ।	मामलापुरम चेन्नई तमिलनाडु, और इलुरु आंध्र प्रदेश, में (02) शहरी हाट	9.24	5.96
शहरी हाट				0.84

शेष धनराशि 31 मार्च, 2016 तक उपगत कर लिए जाने की संभावना है।

मेगा कलस्टर का नाम एवं शिल्प	आरंभ होने का वर्ष	परियोजना लागत		परियोजना की अवधि	वास्तविक प्रगति का प्रतिशत (%)
		कुल लागत	सीएचसीडी एस/भारत सरकार का अंश (शेयर)		
नरसापुर (आंध्र (आंध्र प्रदेश– क्रोशिए की लेस	2008-09	83.84	62.18	चार वर्षीय परियोजना को मार्च, 2016 तक बढ़ा दिया गया है।	29 सामुदायिक उत्पादन केन्द्रों का लोक (सिविल) कार्य पूर्ण हो चुका है और 18 सामुदायिक उत्पादन केन्द्र और कच्चा माल बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय लेस व्यापार केंद्र का निर्माण कार्य प्रगत चरण पर है।
मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)–पीतल	2008-09	100.75	69.01	चार वर्षीय परियोजना को मार्च, 2016 तक बढ़ा दिया गया है।	एक सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) और कच्चा माल बैंक पूरा हो गया है संसाधन कंद्र, परीक्षण प्रयोगशाला, सुविधा केन्द्र, डिजाइन एवं विपणन सहायता केंद्र प्रगत चरण पर है।
निर्जापुर–भदोही–कालीन	2011-12	81.98	62.24	चार वर्षीय परियोजना को मार्च, 2016 तक बढ़ा दिया गया है।	5198 कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण हो चुके है। 14802 कारीगरों के लिए प्रशिक्षण क्रियान्वयनाधीन है।

मेगा कलस्टर का नाम एवं शिल्प	आरंभ होने का वर्ष	परियोजना लागत		परियोजना की अवधि	वास्तविक प्रगति का प्रतिशत (%)
		कुल लागत	सीएचसीडीएस/भारत सरकार का अंश (शेयर)		
श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)–कालीन	2011-12	81.02	65.46	चार वर्षीय परियोजना को मार्च, 2016 तक बढ़ा दिया गया है।	4000 कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण हो गया है और 6000 कारीगरों का प्रशिक्षण क्रियान्वयनाधीन है।
जोधपुर (राजस्थान) काष्ठ एवं कालीन	2013-14	113.97	69.85	चार वर्ष	15000 कारीगरों के लिए टूल किटस का वितरण क्रियान्वयनाधीन है। विपणन संवर्धन क्रियाकलाप और व्यापार सुविधा केंद्र की स्थापना क्रियान्वयनाधीन है।
बरेली (उत्तर प्रदेश) जरी एवं जरदोजी, बांस एवं बेंत उत्पाद, टेराकोटा, काष्ट फर्निचर और दरी	2014-15	28.50	28.50	चार वर्ष	दो सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किए गए हैं जो कार्य कर रहे हैं। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विपणन कड़ी क्रियान्वयनाधीन है।
लखनऊ (उत्तर – प्रदेश)–चिकनकारी	2014-15	28.50	28.50	चार वर्ष	कुल नौ (9) सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित कर दिये हैं और ये केंद्र चल रहे है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विपणन कड़ी क्रियान्वयनाधीन है।
कच्छ (गुजरात)– कलात्मक वस्त्र कशीदाकारी, काष्ठ, चमड़े और ताम से आवृत लोहे की घंटी	2014-15	28.50	28.50	चार वर्ष	दो सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित कर दिये है और ये केंद्र कार्य कर रहें है कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विपणन क्रियान्वयनाधीन है।

इन कलस्टरों में इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी क्रियाकलाप अर्थात सामान्य उत्पादन केंद्र, डिज़ाइन संसाधान केंद्र, कच्चा माल बैंक, सामान्य सुविधा केंद्र और परीक्षण प्रयोगशालाओं आदि की स्थापना और प्रशिक्षणार्थियों का कौशल उन्नयन जैसे कार्य किए जा रहें हैं।

वित्तीय

वर्ष 2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक) मेगा कलस्टर के तहत आवंटित 123.35 करोड़ रुपये में से 71.00 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए जा चुके हैं।

11.3 राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एन एच डी पी)

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। हाल में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई है और इन योजनाओं को ''राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम'' (एन एच डी पी) पर अंबरेला योजना के तहत पुनर्गठित किया गया है ताकि समग्र रूप से हस्तशिल्प कलस्टर के विकास हेतु एकीकृत दृष्टिकोण पर जोए दिया जा सके।

11.3.1 एन एच डी पी के निम्नलिखित संघटक है :–

(I) बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

I. दस्तकार सशक्तिकरण योजना

II. डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम

III. मानव संसाधन विकास स्कीम

IV. कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ

V. इनफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रौद्योगिकी सहायता

(ii) मेगा कलस्टर

I. विपणन सहायता एवं सेवाएं स्कीमें

II. अनुसंधान एवं विकास

11.3.2 हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास हेतु एक विकेंद्रीकृत मार्ग को अपनाये जाने की आवश्यकता को पहचानने के दृष्टिगत एन एच डी पी ब्लॉक स्तर पर स्थापित सामान्य सुविधा केंद्र के प्रावधानों अर्थात प्राथमिक उत्पादकों को सहायता, कारीगरों को डिज़ाइन एवं प्रशिक्षण और विपणन सहायता के आधार पर संशोधित कार्यनीति को अपनाता है।

योजना के दिशा–निर्देशों में जो अन्य मुख्य संशोधन किए गए हैं वे निम्न प्रकार से हैं–

(i) कारीगरों को वेतन क्षतिपूर्ति/छात्रवृति को 100/– रुपये से बढ़ा कर 150/– रुपये कर दिया गया है।

(ii) विपणन कार्यक्रमों के संबंध में कारीगरों को टी.ए./डी.ए. 1500/– रुपये से बढ़ाकर 2000/– रुपये और पूर्वोतर क्षेत्र के मामले में 3000/– रुपये कर दिये गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को 100/– रुपये प्रति दिन की दर से डी.ए. दिया जाएगा और कारीगरों को फ्रेट प्रभार की प्रतिपूर्ति 500 रुपये से बढ़ाकर 1000/– रुपये कर दिया गया है।

(iii) मौजूदा शहरी हाट को अब से सहायता के रूप में अधिकतम 1.5 करोड़ रुपये मुहैया कराये जाएंगे और भारत सरकार तथा क्रियान्वयनकारी अभिकरण के बीच शेयरिंग अनुपात 80:20 होगा। यह धनराशि मौजूदा शहरी हाट द्वारा अपने रेनोवेशन और अपने व्यापक क्रियाकलापों के आधार पर सुविधाओं के पूर्ण उपयोग किए जाने पर खर्च की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए क्रियान्वयनकारी अभिकरण को एसपीवी की स्थापना करते हुए प्रबंधन के सिस्टम के पास पुनः जाना होगा जिसके लिए पर्यटन, संस्कृति, खाद्य संस्करण उद्योग आदि से जुडे विभिन्न अभिकरणों के साथ सक्रिय भागीदारी करते हुए तथा टूर संचालकों, होटल संचालकों को भी शामिल करते हुए हथकरघा एवं हस्तशिल्प से संबन्धित उपयोगिताओं का लंबे समय तक पूर्ण प्रयोग करना होगा। ऐसे संगठन बिजली, पानी के प्रभारों की अदायगी और अन्य रखरखाव के लिए राजस्व (रेविन्यू) ले सकती है किन्तु इसके साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान पर भी विशेष ध्यान देना होगा।

(iv) लघु शहरी हाट की मौजूदा योजना को संशोधित किया जाएगा जिससे कि मौजूदा हस्तशिल्प कलस्टरों के निकट मुख्य पर्यटन स्थलों से जुडी सड़कों, रास्तों पर सुविधाओं का निर्माण किया जा सके। ऐसे निर्माण से हस्तशिल्प उत्पादों के लिए विपणन सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। इसमे पर्यटकों को भी कुछ सुविधाएं दी जाएंगी। प्रत्येक लघु शहरी

हाट/रोड साइड अमेनिटीज़ के लिए मौजूदा वित्तीय सहायता को 1.4 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 2.00 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा।

(v) अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत परियोजना प्रबंधन लागत के लिए प्रति वर्ष 5.00 लाख रुपये कि एक मुश्त धनराशि दी जाएगी। इसमे हैंड होल्डिंग प्रयोजनों के लिए कलस्टर प्रबन्धकों के रूप में आईआईसीटी, निफ्ट, आईआईएचटी, बीसीडीआई, आईआरएमए स्नातकों और सीएफ़सी के दैनिक प्रबंधन, बुक कीपिंग आदि के लिए एक पूर्व–सैनिक को शामिल किया जाएगा।

(vi) गुरु शिष्य परंपरा योजना के माध्यम से प्रशिक्षण के तहत शिल्प गुरुओं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों/सम्मान से नवाजा जा चुका है, के लिए मानदेय प्रति माह 20000/– रुपये से बढ़ाकर 30000/– रुपये कर दिया गया है । अन्यों के लिए 25000/– रुपये कर दिया गया है।

(vii) दरिद्र अवस्था में रह रहे सिद्धहस्त शिल्पियों को पेंशन के तहत पात्र कारीगरों की पेंशन 2000/– रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3000/– रुपये कर दी गई है ।

(viii) कालीन बुनाई, मेटल, पोटरी व काँच जैसे शिल्पों के लिए अपेक्षित लूमों/भट्टियों, सोर इंवर्टर्स, अन्य एक्सेसरीज़ तथा उपस्करों की खरीद हेतु अधिकतम वित्तीय सहायता की सीमा को 20,000/– रुपये कर दिया गया है। अन्य टूल किट्स के लिए वित्तीय सहायता की सीमा मौजूदा 10000/– रुपये ही रहेगी।

(ix) कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1,00,000 रुपये के अधिकतम लाभ के साथ इंटरेस्ट सबवेनशन को 3% से बढ़ा कर 7% कर दिया गया है।

राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम एन एच डी पी, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमे केंद्रीय/राज्य हस्तशिल्प निगमों, एनजीओ आदि के रूप में क्रियान्वयनकारी अभिकरणों को सहायता मुहैया कराता है।

हस्तशिल्प का निर्यात

वर्ष 2015–16 के दौरान हस्तशिल्प के निर्यात के लिए 29008 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2015–16 (दिसंबर, 2015 तक) के दौरान दोनों हस्तशिल्प तथा हस्तनिर्मित कालीन एवं अन्य फर्श बिछावनों का निर्यात 19298–17 करोड़ रुपये का रहा है।

हस्तशिल्प का निर्यात

(करोड़ रूपये में)

मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
क कालीन एवं अन्य फर्श बिछावन	2992.70	3876.02	5841.37	7071.76	7872.15	7593.53
ख) अन्य हस्तशिल्प	10533.96	12975.25	17970.12	24837.48	27746.84	14782.10
कुल योग (क+ख)	13526.66	16851.27	23811.49	31909.24	35618.99	22375.63

11.4 अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार निकाय है। बोर्ड को इस कार्यालय की दिनांक 27–12–2013 की अधिसूचना संख्या के–12012/5/5/2013–प्लानिंग द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया है। पुर्नगठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में अध्यक्ष, सह–अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 14 अधिकारी सदस्य, सदस्य सचिव सहित 8 संस्थागत सदस्यों और 88 गैर–सरकारी सदस्यों सहित बोर्ड की वर्तमान संख्या 114 सदस्य हैं। ये हस्तशिल्प क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कलात्मक पक्ष को ध्यान में रखते हुए, समग्र विकास कार्यक्रमों के निरुपण में सरकार को परामर्श देती है। विशेष रुप से, बोर्ड निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में सरकार को परामर्श देती है –

1. हस्तशिल्प क्षेत्र को बेरोज़गारी और अल्प रोज़गारी कम करने में एक प्रभावी जरिया बनाना और हस्तशिल्प कारीगरों के लिए उच्च स्तरीय जीवन को प्राप्त करना।
2. हस्तशिल्प क्षेत्र में समग्र विकास कार्यक्रमों के निरुपण में सरकार को परामर्श देना।
3. हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प का परिरक्षण एवं संवर्धन ।
4. देश एवं विदेशों में हस्तशिल्प के लिएबाजार विस्तार हेतुरणनीतियां बनाने में सरकार को परामर्श देना ।
5. इस क्षेत्र में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के विकास कार्यों के प्रभावी समन्वय हेतु कार्य करना।
6. समय–समय पर हस्तशिल्प क्षेत्र में हुए, विकास की प्रगति व इसकी समीक्षा करना।

11.4.1महत्वपूर्ण कार्यक्रम

भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने दिनांक 9 दिसंबर, 2015 को वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 के लिए 21 शिल्प गुरू पुरस्कार तथा 59 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।

11.4.2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं

हस्तकला अकादमी की स्थापना

12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकारी समूह की सिफारिशों के अनुसार हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड के अंतर्गत हथकरघा/हस्तशिल्प के परिरक्षण, पुर्नजीवन एवं प्रलेखीकरण के समर्थन के लिए निम्न लिखित उद्देश्यों के साथ हस्तकला अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव है–

- पारंपरिक कलाओं, हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र में अध्ययन, अनुसंधान एवं सांस्कृतिक परपंराओं, इतिहास और कार्यकलापों में जागरुकता संवर्धन को प्रोत्साहित करना।
- हथकरघा एवं हस्तशिल्प विरासत एवं पारंपरिक कला, जिसके लुप्त होने का खतरा है, के परिरक्षण, पुर्नजीवन, अभिलेखाकरण तथा प्रलेखीकरण को समर्थन देना।
- देश में विभिन्न क्षेत्रों के कला उत्पादों सहित कलात्मक और सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करने वाले लघु कला एवं शिल्प संगहालयों की स्थापना को प्रोत्साहन देना।
- कलाकारों, शिल्पियों और उनकी समितियों के मध्य समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा देना और ऐसी समितियों के विकास में सहायता देना।

हस्तकला अकादमी की वर्तमान स्थिति

सचिव (वस्त्र) तथा माननीय वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा अनुमोदित केबिनेट नोट अंतर–मंत्रालयी परामर्श हेतु परिचालित कर दिया गया है।

11.4.3 विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के संरक्षणाधीन परिषदों तथा स्वायत्त निकायों के क्रियाकलाप

I) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ई पी सी एच)

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना वर्ष 1986–87 में हस्तशिल्प निर्यात बढ़ाने, समर्थन, संरक्षण और उसे बनाए रखने के उद्देश्य से एक गैर लाभकारी संगठन के रुप में की गई थी। ये देश के हस्तशिल्प के निर्यात के संवर्धन हेतु हस्तशिल्प निर्यातकों का एक शीर्ष निकाय है और उच्च गुणवत्ता की हस्तशिल्प वस्तुओं एवं सेवाओं के एक विश्वास योग्य सप्लायर के रूप में, अंतरराष्ट्रीय मानकों और विनिर्देशों के पालन को ध्यान में रखते हुए कई उपाय सुनिश्चित करते हुए विदेशों में भारत की छवि प्रस्तुत करता है ।

परिषद ने आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ–साथ विपणन एवं सूचना सुविधाएं सृजित की हैं जिसका लाभ सदस्य निर्यातकों एवं आयातकों दोनों द्वारा लिया जा रहा है।

परिषद की मुख्य गतिविधियां

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किये गये मुख्य क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं:–

निर्यात को बढ़ाने और उसके विकास के लिए सदस्यों को वाणिज्यिक रुप से उपयोगी सूचना एवं सहायता मुहैया कराना।

- प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता एवं डिजाइन सुधार, मानकों एवं विशेष विवरणों, उत्पाद विकास, नवीकरण आदि के क्षेत्रों में सदस्यों को व्यावसायिक सलाह एवं सेवाएं प्रदान करना।
- विदेशी बाजारों में विपणन अवसरों की खोज में दल के सदस्यों की विदेशी यात्राओं का आयोजन करना।
- विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेलों में भागीदारी।
- नई दिल्ली में भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेलों का आयोजन।
- केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर निर्यातक समुदाय एवं सरकार के बीच परस्पर संवाद स्थापित करना और केन्द्र तथा राज्य की लगभग सभी समितियों/पेनलों में प्रतिनिधित्व।
- ''निर्यात विपणनए प्रक्रियाओं एवं प्रलेखनष्ए पैकेजिंग, क्वालिटी अनुपालन, सेवा शुल्क, एफ टी पी, डिजाइन विकास, क्रेता–विक्रेता बैठक, ओपन हाऊस आदि पर कार्यशालाए केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के साथ वार्तालाप और विभिन्न अन्य मिलते जुलते कार्यक्रमों के माध्यम से जागरुकता का वातावरण तैयार करना।
- मासिक पत्रिका ''क्राफ्टसिल'' के माध्यम से ई पी सी एच के क्रियाकलापों, सरकारी आदेशों की अधिसूचनाओं, व्यापार मेलों पर जानकारियों और अन्य संबंधित सूचनाओं का प्रसार–प्रचार किया जाता है।

11.5 हस्तशिल्प का निर्यात

हस्तशिल्प क्षेत्र का उदभव, देश के लिए

विदेशी मुद्रा अर्जन के एक स्रोत के रुप में, भारत से हस्तशिल्प के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आंकड़ों से ही सुस्पष्ट है।

परिषद के स्थापना वर्ष अर्थात 1986–87 के दौरान हाथ से बुने कालीनों के अतिरिक्त हस्तशिल्प का निर्यात महज़ 387.00 करोड़ रुपए का था जो वर्ष 2014–15 में बढ़कर 18,639.14 करोड़ रुपए की ऊंचाई पर पहुँच गया, जो वर्ष 2013–14 के बाद 17.96% की वृद्धि दर्शाता है।

(करोड़ रुपए में)

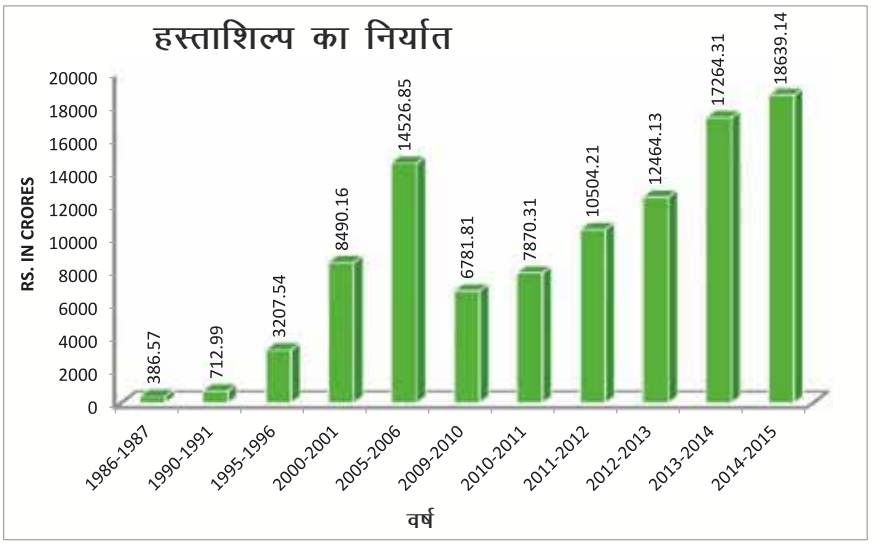

वर्ष '2009–10 के बाद से, 151 एच एस कोड पर निर्यात का आंकड़ा।

वर्ष 2015–16 के लिए निर्यात लक्ष्य तथा उपलब्धियों का पूर्वानुमान

वर्ष 2015–16 के लिए निर्यात का लक्ष्य 20368 करोड़ रुपए (3233 अमरीकी मिलियन डॉलर) है। अप्रैल – दिसंबर, 2015 तक निर्यात का ऑर्डर 14782.15 करोड़ रुपए है जो इसी अवधि की तुलना में वर्ष 2014–15 में 13460.23 करोड़ रुपए था जो 9.82 % की वृद्धि को दर्शाता है।

वर्ष 2015–16 में निर्यात के रुझान के अनुसार यह अपेक्षा है कि वर्ष 2015–16 अप्रैल–मार्च के दौरान निर्यात का लक्ष्य 20368 करोड़ रुपए (3233 अमरीकी मिलियन डॉलर) प्राप्त कर लिया जाएगा।

परिषद द्वारा की जा रही मुख्य गतिविधियां है :

1. भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेला (वसंत एवं शरद)
2. भारत में उत्पाद विशिष्ट कार्यक्रम
3. विदेशी मेलों में सहभागिता
4. लुप्तप्राय शिल्पों का पुनरुद्धार
5. डिजाइन एवं तकनीकी विकास कर्यशालाएं
6. इंडिया एक्स्पो केंद्र एवं मार्ट
7. उत्तर पूर्वी शिल्पों के विकास एवं संवर्धन के लिए आक्रामक अंतर्राष्ट्रीय विपणन परियोजना
8. सहारनपुर तथा जोधपुर में फोटो एवं पिक्चर फ्रेमिंग टेक्नोलोजी के लिए राष्ट्रीय केंद्र

9. सहारनपुर में प्रोद्योगिकी उन्नयन केंद्र
10. अंतर्राष्ट्रीय लेस व्यापार केंद्र की स्थापना
11. मुरादाबाद स्रोत केंद्र का गठन
12. जयपुर में हस्तशिल्प उत्पादकता केंद्र

विदेशों में प्रदर्शनियों में भागीदारी

1. 20–23 अप्रैल, 2015 के दौरान हांगकांग में 82 सदस्यों के साथ हांगकांग हाउसवेयर फेयर में भागीदारी सुनिश्चित की।
2. 20–23 अप्रैल, 2015 के दौरान हांगकांग में 35 सदस्यों के साथ हांगकांग होम टेक्सटाइल फेयर मे भागीदारी सुनिश्चित की।
3. 27–30 अप्रैल, 2015 के दौरान हांगकांग में 55 सदस्यों के साथ हांगकांग गिफ्ट एंड प्रीमियम फेयर में भागीदारी सुनिश्चित की।
4. 18–21 मई, 2015 के दौरान दुबई, यूएई में 12 सदस्यों के साथ इंटरनेशनल डिज़ाइन एक्जीबिशन में भागीदारी सुनिश्चित की।
5. 20–23 मई, 2015 के दौरान कुंशां, चीन में 19 सदस्यों के साथ चाइना ब्रांड प्रोडक्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शो में भागीदारी सुनिश्चित की।
6. 13–16 अगस्त, 2015 को फोर्मलेंड–2015 के दौरान हरनिंग, डेनमार्क में 22 निर्यातक सदस्यों के साथ क्रेता–विक्रेता बैठक आयोजित की ।
7. 19–22 अगस्त, 2015 को फोरमेक्स–2015 के दौरान स्टोकहोम, स्वीडन में 22 निर्यातक सदस्यों के साथ क्रेता–विक्रेता बैठक आयोजित की ।
8. 30 अगस्त से 01 सितंबर, 2015 के दौरान कोलोन, जर्मनी में 15 निर्यातक सदस्यों के साथ स्पोगा+गाफा 2015– द गार्डेन ट्रेड फेयर में भागीदारी सुनिश्चित की।
9. 16–19 सितम्बर, 2015 के दौरान हांगकांग में फैशन ज्वैलरी एंड एक्सेसरीज़ शो में भागीदारी। परिषद ने मेले में 56 निर्यातक सदस्यों के साथ भागीदारी की।
10. 12–13 अगस्त, 2015 के दौरान केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका में 15 निर्यातक सदस्यों के साथ क्रेता–विक्रेता बैठक आयोजित की ।
11. 06–10 अगस्त, 2015 को डेकोरेक्स–2015 के दौरान जोहांसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 15 निर्यातक सदस्यों के साथ क्रेता–विक्रेता बैठक आयोजित की ।
12. मेले में आने वाले दर्शकों को हस्तशिल्प उत्पादों, उनकी श्रेणी तथा स्रोत केन्द्रों के साथ–साथ आगामी आईएचजीएफ दिल्ली मेला –2015 की जानकारी प्रदान करने के लिए शो के दौरान एक प्रोमोशनल बूथ बनाया गया ताकि क्षेत्र में भारतीय हस्तशिल्पों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके।
13. 02–05 अगस्त, 2015 के दौरान वेगास, लास वेगास, यू एस ए में सोर्स डाइरेक्ट में भागीदारी सुनिश्चित की।
14. 06–09 सितम्बर, 2015 के दौरान बर्मिंघम, यू के में ओटम फेयर इन्टरनेशनल में भागीदारी। परिषद ने मेले में 15 निर्यातक सदस्यों के साथ भागीदारी की।
15. 13 अक्तूबर, 2015 के दौरान 21 वें जेंगजू नेशनल कोमोडिटी फेयर, जेंगजू, चीन में भागीदारी। परिषद ने मेले में 34 निर्यातक सदस्यों के साथ भागीदारी की।

16. 20–23 अक्तूबर, 2015 के दौरान हांगकांग में एशियन गिफ्ट्स एंड प्रीमियम शो में भागीदारी।
परिषद ने मेले में 109 निर्यातक सदस्यों के साथ भागीदारी की।
17. 30 नवंबर–01 दिसंबर, 2015 के दौरान लीमा, पेरु में क्रेता–विक्रेता बैठक आयोजित की। क्रेता–विक्रेता बैठक में 15 निर्यातक सदस्यों ने भाग लिया।
18. 22–25 दिसंबर, 2015 के दौरान जेद्दाह में जेद्दाह इन्टरनेशनल ट्रेड फेयर में 5 सिद्धहस्त शिल्पियों तथा 10 सदस्यों निर्यातक के साथ भागीदारी सुनिश्चित की।
19. 05–13 दिसंबर, 2015 के दौरान फिएरा, मिलान, इटली में अफ–अल आर्टिगीयनो में भागीदारी सुनिश्चित की।
20. 04–17 दिसंबर, 2015 के दौरान बगोटा, कोलंबिया में XXV एक्स्पोर्टेसनियस 2015 में 11 निर्यातक सदस्यों के साथ भागीदारी सुनिश्चित की।

घरेलू प्रदर्शन

- 16–18 अप्रैल, 2015 के दौरान होम एक्सपो इंडिया शो आयोजित किया गया जिसमें लगभग 250 निर्यातक सदस्यों सहित इंडिया एक्सपो मार्टए ग्रेटर नोएडा में इंडियन हाउसवेयर एवं डेकोरेटीव शो (आईएचडीएस), इंडियन फर्नीचर एंड एक्सेसरिस शो (आईएफएएस) और इंडियन फ्लोरिंग एंड फर्निशिंग टेक्सटाइल्स शो (आईएफएफटीईएक्स) ने भाग लिया।
- 10–12 जुलाई, 2015 को इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में 200 निर्यातक सदस्यों के साथ इंडियन फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज़ शो –2015 आयोजित किया गया।
- 14–27 नवंबर, 2015 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में इंडिया इन्टरनेशनल ट्रेड फेयर में भागीदारी। परिषद ने मेले में 16 निर्यातक सदस्यों के साथ भागीदारी की।
- 02–05 अक्तूबर, 2015 को जोधपुर, राजस्थान में इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर के दौरान क्रेता–विक्रेता बैठक आयोजित की। परिषद ने मेले में 40 कारीगरों के साथ भागीदारी की।
- 14–18 अक्तूबर, 2015 के दौरान इंडिया एक्स्पो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आई एच जी एफ दिल्ली फेयर–ओटम–2015 के 40 वें संस्करण का आयोजन। मेले में 1892 प्रतिभागियों ने भाग लिया और विश्व के सभी भागों से 7300 से अधिक दर्शकों ने मेले का दौरा किया साथ ही 2700 करोड़ रुपए का व्यापार भी सृजित हुआ।
- 14–18 अक्तूबर, 2015 के दौरान ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आई एच जी एफ दिल्ली फेयर–ओटम–2015 कारीगरों और उद्यमियों की सहभागिता से आयोजित किया गया। इस मेले में कुल 10 कारीगरों तथा उद्यमियों ने भाग लिया।

कार्यशाला/ सेमिनार/ सिंपोसियम/ जागरूकता कार्यक्रम

- हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने देशभर में 38 कार्यशाला/ सेमिनार/ सिंपोसियम/ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।

(II) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत हस्तनिर्मित कालीन एवं अन्य फर्श बिछावनों के निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से एक गैर–लाभकारी संगठन के रूप में वर्ष 1982 में की गई थी। परिषद ने आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ–साथ विपणन एवं सूचना सुविधाएं सृजित की हैं जिसका लाभ परस्पर सदस्य निर्यातकों एवं विदेशी आयातकों द्वारा लिया जा रहा है।

हस्तनिर्मित कालीन उद्योग

भारतीय हस्तनिर्मित कालीन एक पुरातन उद्योग है तथा वर्तमान में इसने महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह उद्योग कड़े श्रम से संबंधित है तथा सीधे 1.5 मिलियन कामगारों को तथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से विशेष रूप से औरतों को उनके घर पर ही रोज़गार मुहैया कराता है। चूंकि यह उद्योग पूरे भारतवर्ष जैसे उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है इसलिए इसके उत्पादन में वृद्धि तथा निर्यात के लिए अभी भी अत्यधिक सम्भावनाएं हैं। भारतीय कारीगर किसी भी डिज़ाइन तथा क्वालिटी के हाथ से बुने फर्श बिछावन बना सकते हैं तथा क्रेता की आवश्यकतानुसार समाज के प्रत्येक भाग की मांग को पूरा करने के लिए जैसे टर्की, टर्किश नॉट बनाता है, ईरान, ईरानियन नॉट्स बनाता है, नेपाल, नेपाली कालीन बनाता है चीन चाइनीज़ नॉट्स बनाता है पाकिस्तान, पकिस्तानी नॉट विशेषतया चौबे कालीन बनाता है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कालीन उद्योग मात्रा एवं मूल्य दोनों में ही प्रथम स्थान पर है तथा यह कुल उत्पाद का 75–80 % निर्यात करता है।

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद की मुख्य गतिविधियां

1. निर्यात को बढ़ाने और उसके विकास के लिए सदस्यों का वाणिज्यिक रुप से उपयोगी सूचना एवं सहायता मुहैया कराना।
2. प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता एवं डिजाइन सुधार, मानकों एवं विशेष विवरणों, उत्पाद विकास, नवीकरण आदि के क्षेत्रों में सदस्यों को व्यावसायिक सलाह एवं सेवाएं प्रदान करना।
3. विदेशी बाजारों में विपणन अवसरों की खोज में दल के सदस्यों की विदेशी यात्राओं का आयोजन करना।
4. हस्तनिर्मित कालीनों तथा अन्य फर्श बिछावनों के विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय विपणन मेलों में भागीदारी।
5. रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठकों (आर बी एस एम) के तहत वाराणसी एवं दिल्ली में इंडिया कार्पेट एक्सपो का आयोजन।
6. केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तर पर निर्यात करने वाले समुदाय एवं सरकार के बीच वार्तालाप, पारस्परिक क्रियाएं और केन्द्र तथा राज्य की लगभग सभी समितियों/पेनलों में प्रतिनिधित्व।
7. उद्दमियों तथा कालीन निर्यातकों को विभिन्न मुद्दों तथा ''निर्यात विपणन, प्रक्रियाओं एवं प्रलेखन'', डिजाइन

विकास, क्रेता–विक्रेता बैठक आदि पर कार्यशाला/सेमिनार, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के साथ वार्तालाप और विभिन्न अन्य मिलते जुलते कार्यक्रमों के माध्यम से जागरुकता का वातावरण तैयार करना।

8. परिषद के कार्पेट काउंसिल न्यूज जर्नल के माध्यम से सी ई पी सी के क्रियाकलापों, सरकारी आदेशों/अधिसूचनाओं, व्यापार मेलों पर जानकारियों और अन्य संबंधित सूचनाओं का प्रचार–प्रसार किया जाता है।

9. भारतीय हस्तनिर्मित कालीन एवं अन्य फर्श बिछावनों के नोडल एजेंसी के रुप में डोमोटेक्स इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, हेन्नोवर (जर्मनी) में राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सबसे लम्बे फ्लोर कवरिंग शो का आयोजन।

10. हस्तनिर्मित कालीनों तथा अन्य फर्श बिछावनों की सहभागिता/अंश को बढ़ाने के लिए मौजूदा बाजार के साथ–साथ नए बाज़ारों की खोज के लिए विपणन अध्ययन।

11. घरेलू बाजारों में हस्तनिर्मित कालीनों की ब्रांडिंग के लिए प्रदर्शनी–सह–बिक्री का आयोजन तथा भारत में घरेलू बाजारों एवं खुदरा विक्रेता/रिटेलर/अंतर्राष्ट्रीय बाइंग हाउसों की सोर्सिंग की खोज करना।

12. मेगा कलस्टर स्कीम की वृहत्त हस्तशिल्प कालीन कलस्टर विकास स्कीम (सी एच सी डी एस) के तहत भदोही–मिर्जापुर–वाराणसी के हस्त निर्मित एवं हेंड टफटेड कालीन बनाने वाले कारीगरों के लाभ के लिए भदोही–मिर्जापुर–वाराणसी में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना जिसमें वाराणसी जिले का जयापुर गाँव भी शामिल है।

वाराणसी जिले के जयापुर में ''हस्त–निर्मित कालीन बुनाई'' में '' कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों'' के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण

विकास प्रक्रिया को समावेशी तथा सहभागी बनाने के लिए ''सबका साथ सबका विकास'' के दृष्टिकोण के अनुसरण में, जयापुर गाँव की 95 महिलाओं को उपर्युक्त कालीन निर्माण क्षेत्रों में सीईपीसी ने हाथ से गुंथे तथा हस्त–टफटेड के क्षेत्र में हस्तनिर्मित कालीनों की बुनाई में सीईपीसी द्वारा चलाए जा रहे 7 प्रशिक्षण केन्द्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया है।

''उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिएए परिषद ने सीएचसीडीएस स्कीम के तहत मेगा कलस्टर में जयापुर गाँव की 36 प्रशिक्षित महिला प्रशिक्षुओं को उनके घरों में, हस्त निर्मित कालीन बुनाई हेतु लोहे के लूम प्रदान किए हैं तथा ''वर्क शेड का निर्माण किया है ताकि उन्हें स्वावलंबी बनाया जा सके।

हस्तनिर्मित कालीनों तथा अन्य फर्श बिछावनों का निर्यात

परिषद के स्थापना वर्ष अर्थात 1982–83 के दौरान हस्तनिर्मित कालीनों तथा अन्य फर्श बिछावनों का निर्यात 172.37 करोड़ रुपए था जो वर्ष 2014–15 में बढ़कर 8441.95 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुँच गया, जो वर्ष 2013–14 के ऊपर 18.73 % की वृद्धि दर्शाता है।

निर्यात के मुख्य देशः भारत विश्व के 70 से अधिक देशों में निर्यात करता है जिसमें मुख्यतः यू एस एए जर्मनीए कनाडा, यू के, आस्ट्रेलियाए दक्षिणी अफ्रीका, फ्रांस, इटली, ब्राजील, चीन आदि हैं।

वर्ष 2015–16 (नवम्बर, 2015 तक) के दौरान कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए:

1. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद ने अप्रैल 2015 से नवंबर, 2015 तक 2,07,550 कालीन लेबल जारी किए।
2. 20–23 अप्रैल, 2015 के दौरान हांगकांग इन्टरनेशनल टेक्सटाइल एंड फर्नीशिंग फेयर में 10 निर्यातक सदस्यों के साथ भागीदारी सुनिश्चित की।
3. 12–22 मई, 2015 के दौरान भदोही एवं मिर्जापुर में कालीन निर्माण क्षेत्रों में यू एस डिपार्टमेन्ट ऑफ लेबर (यूएसडीओएल) के एक प्रतिनिधिमंडल का दौरा आयोजित किया और वस्त्र मंत्रालयए श्रम मंत्रालय के साथ विभिन्न बैठकें तथा विभिन्न शिल्प संकेन्द्रण केन्द्रों का दौरा आयोजित किया।
4. 18–21 मई, 2015 के दौरान दुबई (यू ए ई) में मिडल ईस्ट कवरिंग में 16 निर्यातक सदस्यों के साथ भागीदारी सुनिश्चित की।
5. 13 एवं 14 जून, 2015 को श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में हस्तनिर्मित कालीनों के विकास एवं संवर्धन पर दो दिवसीय सेमिनार आयोजित किया।
6. 25–29 जून, 2015 के दौरान चीन, किंघई में इंटरनेशनल कार्पेट एक्जीबिशन में 41 निर्यातक सदस्यों के साथ भागीदारी सुनिश्चित की ।
7. 14–16 जुलाई, 2015 के दौरान मुम्बई में एचजीएचए इंडिया में 10 निर्यातक सदस्यों के साथ भागीदारी सुनिश्चित की।
8. 16–19 जुलाई, 2015 के दौरान मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया इन्टरनेशनल

फर्नीचर फेयर में 10 निर्यातक सदस्यों के साथ भागीदारी सुनिश्चित की ।

9. 06–10 अगस्त, 2015 के दौरान जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में डेकोरेक्स में 10 निर्यातक सदस्यों के साथ भागीदारी सुनिश्चित की।
10. 07–09 अगस्त, 2015 के दौरान शेनज़ेन, चीन में होम फर्नीशिंग एक्स्पो में 15 निर्यातक सदस्यों के साथ भागीदारी सुनिश्चित की ।
11. 06–09 सितंबर, 2015 के दौरान बर्मिंघम, यूके में ओटम फेयर इन्टरनेशनल में 10 निर्यातक सदस्यों के साथ भागीदारी सुनिश्चित की ।
12. 11–14 अक्तूबर, 2015 के दौरान वाराणसी में 30वां इंडिया कार्पेट एक्सपो आयोजित किया जिसमें 303 निर्यातक सदस्यों ने भाग लेकर आने उत्पादों को प्रदर्शित किया। कालीन के360 विदेशी खरीदारों तथा 290 क्रेता एजेंटों ने एक्स्पो का दौरा किया।
13. 27–29 अक्तूबर, 2015 को टोक्यो, जापान में इंडिया ट्रेंड फेयर में भागीदारी सुनिश्चित की।
14. 28 एवं 29 अक्तूबर, 2015 को जयपुर,

राजस्थान में हस्तनिर्मित कालीनों के विकास एवं संवर्धन पर दो दिवसीय सेमिनार आयोजित किया।

15. डॉ. संजय कुमार पांडाए भा.प्र.से.एसचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक प्रतिनिधिमंडल ने 21–23 अक्तूबर, 2015 को न्यूयॉर्क सिटी (यूएसए) का दौरा किया।

III) राष्ट्रीय डिजाइन एवं उत्पाद विकास केन्द्र (एनसीडीपीडी)

एन सी डी पी डी द्वारा संचालित क्रियाकलापों का ब्यौरा

1. हाशिये पर आए अनुसूचित जाति श्रेणी के कारीगरों के सशक्तिकरण के लिए, एनसीडीपीडी के सुझावानुसार विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 20–28 जून, 2015 के दौरान इथोपिया मॉल, पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित एक विशिष्ट प्रदर्शनी में इस समूह के कारीगरों के शिल्प प्रदर्शित किए गए।

2. 14–27 नवम्बर, 2015 के दौरान इंडिया इन्टरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) में कशीदाकारीए बांस एवं बेंत तथा अन्य प्राकृतिक रेशा शिल्प और भारतीय हस्तशिल्प पर थिमेटिक डिसप्ले पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प आदान–प्रदान कार्यक्रम।

3. 26–28 अक्तूबर, 2015 को प्रगति मैदान में शिल्प संग्रहालय में इंडिया–अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों के दौरे के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों का थिमेटिक डिसप्ले तथा सिद्धहस्त शिल्पियों द्वारा सजीव प्रदर्शन।

4. राष्ट्रीय डिजाइन एवं उत्पाद विकास केन्द्र (एनसीडीपीडी) ने विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से पूरे भारत के विभिन्न शिल्प कलस्टरों में 5 माह के एकीकृत डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यक्रम तथा 2 माह के डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला संचालित कर रहा है। एनसीडीपीडी के डिजाइनर कारीगरों को नए डिजाइन प्रदान कर रहे हैं और उनके कौशल को तराशने के लिए विभिन्न आधुनिक तकनीकें सीखा रहे हैं।

5. डिजाइन मेंटरशिप एक्टीवेशन कार्यक्रम (डीएमएपी): डीएमएपी विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के संमर्थन के तहत व्यापार एवं उद्योग के लिए एनसीडीपीडी द्वारा आरंभ की गई एक अत्यधिक महत्वपूर्ण योजना है। डिजाइनरों को निर्यातकों की मांग एवं जरूरत के अनुसार उत्पाद विकास के लिए हस्तशिल्प निर्यातकों के साथ रखा जाता है।

6. कारीगरों/ शिल्पियों तथा उद्यमियों के लिए सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम : एनसीडीपीडी ने देशभर में 195 कार्यक्रम संचालित किए हैं और 2720 कारीगरों को प्रशिक्षित किया है।

(IV) धातु हस्तशिल्प सेवा केन्द्र (एम एच एस सी), मुरादाबाद

मुरादाबाद में धातु हस्तशिल्प सेवा केन्द्र की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी जिसे बाद में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया और यह विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इस केन्द्र को कलात्मक धातुपात्रों की फिनिशिंग और सम्बद्ध प्रक्रियाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाने का विचार है और आशा है कि यह कलात्मक धातुपात्रों के निर्यातकों को कौशल एवं तकनीकी उन्नयन की आवश्यक और सुविज्ञ सेवाएं मुहैया करा सकेगा ।

केंद्र के मुख्य उद्देश्य हैं:–

1. कलात्मक धातुपात्रों के उत्पादन में उत्तम सुधार लाना और उनकी निर्यात योग्यता को बढ़ाना।
2. शिल्पियों के कौशल में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं और कलात्मक धातुपात्र उद्योग से जुड़ी तकनीकों को मुहैया कराना।
3. हस्तशिल्प उत्पादों की फिनिशिंग में सुधार लाने में निर्यातकों की मदद हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र (सी एफ सी) की स्थापना।
4. एनएबीएल द्वारा प्रत्यापित अपनी परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुसार गुणवत्ता से जुड़े पहलुओं के संबंध में परीक्षण सुविधाएं मुहैया कराना।
5. मेटल फिनिशिंग तथा धातु हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े क्रियाकलापों के क्षेत्र में सतत अनुसंधान एवं विकास मुहैया कराना।

(V) भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई सी टी) – भदोही

भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा 1998 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रुप में की गई है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान ने वर्ष 2001 में बी–टेक (कालीन और वस्त्र प्रौद्योगिकी) डिग्री कार्यक्रम की शुरुआत से कार्य करना आरम्भ कियाए यह बी–टेक डिग्री कार्यक्रम अपनी तरह का एक अनूठा डिग्री कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 20 छात्रों से की गई और बाद में यह संख्या 60 तक पहुंच गई।

भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा की जा रही गतिविधियों का ब्यौरा –

- कालीन एवं वस्त्र टेक्नोलोजी में बी.टेक कार्यक्रम।
- बी.टेक कार्यक्रम में कुल 252 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं।
- 68 निर्गामी अंडरग्रेजुएट विद्यार्थियों में से, 62 को हस्तनिर्मित कालीन उद्योग सहित उद्योग में लगाया गया है और 6 विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए गए हैं।
- कुल 1210 प्रशिक्षुओं को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया है जो डिजाइनिंग एवं तकनीकी विकास (190), कालीन बुनाई (400) तथा सॉफ्ट स्किल (180), शिल्प जागरूकता (280), सूचना प्रोद्योगिकी (160) जैसे क्षेत्रों को कवर करता है।
- 1730 डिजाइनों का विकास किया गया है और कुछ डिजाइनों को वाणिज्यिक प्रयोजन से उद्योग द्वारा प्रयोग किया गया है।
- संस्थान उद्योग को अपनी विभिन्न प्रयोगशालाओं जैसे सीएडी लेब, डिजाइन स्टूडियो, वास्तविक एवं रसायन लेब तथा कालीन लेब के माध्यम से निरंतर तकनीकी सेवाएं प्रदान कर रहा है ताकि वैश्विक बाजार से प्रतिस्पर्धा हेतु उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। आईआईसीटी प्रयोगशालाएं एनएबीएल के साथ प्रत्यायित हैं अतः इसकी टेस्ट रिपोर्टें अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य हैं।

सचिव (वस्त्र) आईएचजीएफ दिल्ली फेयर स्प्रिंग 2016 का उदघाटन करते हुए।

अध्याय–12

कौशल विकास

12.1 एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस)

भूमिका: भारत वैश्विक वस्त्र अर्थव्यवस्था में वस्त्र के उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों के रुप में एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाने को तैयार है। भारतीय घरेलू वस्त्र और परिधान बाजार विश्व में तीव्रतम रुप से बढ़ने वाले बाजार में से एक है। यह सबसे महत्वपूर्ण वृद्धिकारक प्रबल आर्थिक वृद्धि है जो देशभर में देखी जा रही है। जीडीपी में वृद्धि को कायम रखने तथा इस ओर अपना सहयोग देने के लिए विनिर्माण क्षेत्र के भाग के रुप में वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक रहा है। सरकार द्वारा कुछ समय से उठाए गए कदमों से उद्योग को बढ़ने और वृद्धि की गति को बनाये रखने में मदद प्राप्त हुई है। इनमें कई स्कीमें शामिल हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित होती हैं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए वस्त्र एवं जूट उद्योग के कार्यसमूह की रिपोर्ट के अनुसार, वस्त्र क्षेत्र में लगभग 178 लाख में से मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी जिसमें से वस्त्र एवं पहनावे की मुख्य धारा में 110 लाख मानव संसाधनों की ज़रुरत होगी। कौशल विकास पर सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के एक भाग के रूप मेंए मंत्रालय एकीकृत कौशल विकास स्कीम (आईएसडीएस) को लागू कर रही हैए जो वस्त्र उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोज़गारपरक कार्यक्रम है। इस स्कीम का उद्देश्य एपरेल और परिधान, तकनीकी वस्त्र, बुनाई (पावरलूम, कम्पोजिट मिल्स) और कताई जैसे संगठित वस्त्र उद्योगों में एक गैर–कामगार

को रोज़गार से पारिश्रमिक पाने वाला बनाने के लिए 12वीं योजनावधि में 1900 के परिव्यय के साथ 15 लाख युवाओं का कौशल विकास का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम का नतीजा उन प्रशिक्षुओं की संख्या है जो प्रशिक्षण के पश्चात संबंधित व्यवसायों में लग गए हैं।

एकीकृत कौशल विकास योजना के उद्देश्य :

एकीकृत कौशल विकास योजना के निम्न लक्ष्य हैं :

;i) वस्त्र और संबद्ध भागों की प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्योग की आवश्यकताओं के आधार पर प्रशिक्षण के सुसंगत तथा एकीकृत फ्रेमवर्क विकसित करना। विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था में इस उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए इस आवश्यकता का समाधान महत्वपूर्ण है।

;ii) उपर्युक्त भागों में कौशल मुहैया कराते हुए लक्षित क्षेत्रों की स्थानिकों की नियोजनियता को बढ़ाना।

योजना का कार्यक्षेत्रः

आईएसडीएस का मांग आधारित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। ये पाठ्यक्रम हैंः प्रवेश स्तर का प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रति अभिरुचि तथा प्रबंधकीय कौशल। योजना में तीन संघटकों के माध्यम से कार्यान्वयन की योजना बनाई गयी हैः संघटक I : वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत संस्थान/ टीआरएए संघटक II : पीपीपी मॉडल के माध्यम से निजी क्षेत्र के भागीदारए संघटक III : राज्य सरकारों के अभिकरण। प्रत्येक संघटक हेतु पांच लाख लोगों के प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वित्त पोषण की प्रकियाः

इस योजना के अंतर्गत प्रति प्रशिक्षु जो प्रशिक्षण पूर्ण करता है और प्रमाणपत्र प्राप्त करता हैए के लिए 10000/– रुपये की समग्र सीमा के भीतर परियोजना की लागत के 75% तक की सहायता प्रदान की जाती है। शेष 25% कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा वहन किए जाने की योजना है।

वर्ष 2015–16 के लिए (1–4–2015 से 31–12–2015 तक) भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां।

संघटक	भौतिक उपलब्धियां व्यक्ति	वित्तीय उपलब्धियां (करोड़ ₹ में)
संघटक-I	18983	0.532
संघटक-II	91336	70.010
*संघटक-III	13494	3.230
कुल	123813	73.78

प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए तंत्रः मंत्रालय द्वारा इस योजना के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं के साथ–साथ मूल्याकन और निगरानी का कार्य प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) के द्वारा किया जा रहा है, जिसे योजना की समग्र अवधारणा के लिए नियुक्त किया गया है। मंजूर की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्यान्वयन के सभी पक्षों की निगरानी के लिए एक वेब–आधारित केंद्रीकृत प्रबंध सूचना तंत्र (एमआईएस) को प्रचालित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है जिसे सम्पूर्ण कार्यक्रम की वास्तविक समय में निगरानी

के लिए ऑनलाइन एमआईएस से संबद्ध किया गया है।

योजना के तहत सांस्थानिक प्रणाली:

क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी): राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर की एपेक्स संस्था क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) का प्रचालन आरम्भ हो चुका है, इसमें एपेरल, वस्त्र (हथकरघा एवं हस्तशिल्प सहित) शामिल हैं। एसएससी में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु टैक्सटाइल वेल्यू चेन के सभी पणधारियों से विशेषज्ञ, व्यापार निकाय, केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के पदाधिकारी, अध्येता और अनुसंधानकर्ता शामिल होंगे।

संसाधन सहायता एजेंसी (आरएसए) : संसाधन सहायता एजेंसी (आरएसए) आईएसडीएस के तहत परिकल्पित अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र है जो आईएसडीएस के तहत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एक बैंचमार्क के रुप में कार्य करता है। आरएसए के प्रमुख कार्यों में शामिल है: कौशल के अभाव (स्किल गैप) की जांच कराना, करिकुलम/पाठ्यक्रम का विकास तथा मानकीकरण और जांच एजेंसियों का पैनल निर्माण। वस्त्र समिति में आरएसए को चालू कर लिया गया है।

क्षेत्रीय संसाधन सहायता एजेंसी (आरआरएसए): विभिन्न सैक्टरों एवं क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 12 आर आरएसए स्थापना करने को मंजूरी दी गई है जिनका उद्देश्य है कार्यान्वयन अभिकरणों के कार्य निष्पादन की निगरानी करना, लागत सामग्री को स्थानीय भाषाओं के अनुसार पेश किया जाना तथा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना।

योजना का मध्य–मार्ग में सुधार: प्रायोगिक चरण (पायलट फेज़) के दौरान मंजूर की गयी सभी परियोजनाओं का तृतीय पक्ष के द्वारा मूल्यांकन कराया गया है। तृतीय पक्ष मूल्याकन एवं योजना के कार्यान्वयन के अनुभव के आधार पर उद्योग की प्रत्यक्ष प्रतिभागिता सुनिश्चित कराने के लिए और प्लेसमेंट के रूप में योजना को परिणामोन्मुख बनाने, मांग आधारित बनाने के लिए भी तथा वस्त्र उद्योग की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित मध्य–मार्गी सुधार किए गए हैं :

(i) उचित वेतन वाले प्लेसमेंट को योजना का एक प्रमुख मानदंड बनाया गया है। सभी प्लेसमेंट अभिकरणों के 70% प्रशिक्षुओं को उनके कौशल वर्ग के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम वेतन के अनुरूप रोजगार में लगाना होगा।

(ii) अपैरल एवं परिधान, तकनीकी प्रौद्योगिकी, बुनाई और कताई जैसे संगठित वस्त्र उद्योग में एक गैर–कामगार को कामगार बनाने के लिए कौशल विकास को वरीयता दिया जाना।

(iii) आईएसडीएस के प्रशिक्षुओं के लिए ऐसे ग्रामीण युवाओं को चुना जा सकता है जिनकी शैक्षिक योग्यता प्राथमिक रूप से 10+2 से कम हो। रोजगार केंद्रों के पास उपलब्ध सूचना की सहायता प्रशिक्षुओं की पहचान के लिए ली जा सकती है।

(iv) संपूर्ण योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बिना किसी अपवाद के एमआईएस प्रणाली का पालन करना होगा। आईएसडीएस के तहत प्रशिक्षण के लिए एमआईएस डेटा ही एकमात्र स्रोत है। कार्यान्वयन अभिकरणों (आईए) को सिस्टम उत्पादित प्रतिवेदनों के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा।

(v) एक वेब–इनेबल्ड प्रमाणन तंत्र का आरंभ जिसमें आईए मूल्यांकन अभिकरणों द्वारा एमआईएस में डेटा प्रवेश करते ही सिस्टम जनरेटेड प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सके।

(vi) आईए पंजीकरण हेतु प्रशिक्षुओं को अपनी

आधार संख्या प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि प्रशिक्षु के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो आईए को आईएसडीएस के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए नामांकन से पूर्व इसकी प्राप्ति की व्यवस्था करनी चाहिए।

(vii) भारत सरकार की सहायता के व्यय संबंध सभी शीर्षों को परिभाषित किया गया है और प्रशासनिक व्यय को परियोजना में भारत सरकार के 10% अंश के भीतर रोका गया है।

आईएसडीएस में डिजिटल इंडिया पहल

डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत आईएसडीएस के एनआईएस की योजना के तहत सफलतापूर्वक प्रशिक्षित और परीक्षित अभ्यर्थियों को सिस्टम उत्पादित प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए सक्षम बनाया गया हे। प्रत्येक ई–सर्टिफिकेट के ब्यौरे ई–वेरिफिकेशन पोर्टल के लिए उपलब्ध होंगे तथा एक यूनीक क्यू.आर. कोड को समाहित किए होंगे। इससे संभावित नियोक्ताओं को क्यू.आर. प्रौद्योगिकी अथवा ऑनलाइन ई–सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पोर्टल की प्रामाणिकता जाँचने में मदद मिलेगी।

12.2 राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट)

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान फैशन शिक्षा, ज्ञान समामेलन, अकादमिक स्वतंत्रता, आलोचनात्मक आज़ादी और सृजनात्मक सोच के क्षेत्र में अग्रणी है। 28 वर्षों से इसकी सुदृढ़ उपस्थिति और विकास इसके मौलिक विचारों के साक्षी हैं जहां अकादमिक उत्कृष्टता की केंद्रीय भूमिका होती है। यह संस्थान गंभीर आलोचनात्मक विमर्श और कुशल पेशेवरों के विकास को संभव बनाने में प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा रहा है।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में 1986 में हुई थी, यह राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम के अधीन शासित होने वाला सांविधिक संस्थान है। यहाँ विविध श्रेणी के सौंदर्यबोध और बौद्धिक अभिरूचियों को स्थान दिया गया और इसके प्रारंभिक दिग्दर्शकों में फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यूयॉर्क अमेरिका के प्रगतिशील विद्वान सम्मिलित थे। स्थानीय संकाय विशिष्ट बौद्धिक समूह से

संबंधित थे जिन्होंने प्रभावी शिक्षा के लिए व्यापकता के भाव को प्रधानता देते हुए मार्ग प्रशस्त किया। नई दिल्ली स्थित निफ्ट मुख्यालय में पुपुल जयकर हॉल उन कई शिक्षा विचारकों और दूरदर्शियों की याद दिलाता है जिन्होंने संस्थान की सफलता की रूपरेखा बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। अकादमिक समावेशन संस्थान की विस्तार संबंधी योजनाओं का कारक रहा है। इस दौरान निफ्ट ने देश के हर हिस्से में अपनी पहुँच बनाई है। पेशेवर तरीके से प्रबंधित अपने 15 परिसरों में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यह सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा निर्माण करता है कि देश के विभिन्न भागों से अपने वाले संभावित विद्यार्थी उन्हें पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी उच्चतम क्षमता को प्राप्त करें। अपनी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों से संस्थान ने डिजाइन, मैनेजमेंट और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों ने फैशन शिक्षा में मजबूत बुनियाद प्रदान की है। तभी से निफ्ट ने उच्च अकादमिक मानक अर्जित किये हैं। संस्थान के शिक्षक अग्रणी प्रैक्टिशनर्स, शिक्षा उत्साही, उद्यमी; सृजनशील विचारक, शोधकर्मी और विश्लेषकों के एक समुदाय के रूप में विकसित हो चुके हैं।

अपनी यात्रा में निफ्ट ने अपनी अकादमिक रणनीति सुदृढ़ की है। विचारपरक नेतृत्व की मजबूती, शोध प्रोत्साहन, उद्योग फोकस, सृजनशील उद्यम और पियर लर्निंग ने संस्थान के अकादमिक आधार को मजबूती प्रदान की है। संस्थान सृजनशील विचारकों की एक नई पीढ़ी को पुष्पित पल्लवित कर रहा है और उसे स्नातक, परास्नातक और पीएचडी अध्ययन के लिए डिग्रियां देने की शक्ति प्राप्त है। विश्व–स्तरीय शिक्षा कार्यों की विचारधारा का प्रतिपादन करते हुए संस्थान ने अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ रणनीतिक समझौते किए हैं।

निफ्ट फैशन शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान का विज़न चुनौतियों को स्वीकार करता है और उच्चतम अकादमिक मानदंड स्थापित करने के लिए गति प्रदान करता है। निफ्ट सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रयास करता है।

कनवर्ज–2015

कनवर्ज निफ्ट की एक अन्तर–कैम्पस सांस्कृतिक एवं खेल प्रतिस्पर्धा है जो प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य निफ्ट के विभिन्न कैम्पसों में विद्यार्थियों के बीच संपर्क को बढ़ाने सहित एक चहुँमुखी होलिस्टिक विकास मुहैया कराना है। कनवर्ज–2015, 16 से 18 दिसंबर, 2015 के बीच पटना कैम्पस द्वारा आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम निफ्ट के सभी कैम्पसों के विद्यार्थियों के हृदय में "एक" अलमा मेटर की मनोवृत्ति को बैठाने की दिशा में एक प्रमुख कदम था। इस कार्यक्रम में 15 निफ्ट कैम्पसों के प्रत्येक कैम्पस से 50 विद्यार्थियों ने जोश और उमंग के साथ भाग लिया। कल्चरल क्लब, खेल, एडवेंचर तथा फोटोग्राफी (एसएपी) क्लब, लिटररी क्लब, एथिक्स, सोशल सर्विस एण्ड एनवायरनमेंट (ईएसएसई) क्लब के तहत विभिन्न क्रियाकलाप आयोजित किए गए। प्रत्येक कैम्पस में किए गए प्राथमिक चयन यह सुनिश्चित करते हैं कि इस कार्यक्रम में प्रत्येक कैम्पस के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।

दीक्षान्त समारोह

प्रत्येक वर्ष दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें उसी वर्ष स्नातक हो रहे छात्रों को डिग्री प्रदान की जाती है। 2015 में मई–जून के महीनों में अलग–अलग कैम्पसों ने दीक्षान्त समारोह आयोजित किए गए। दीक्षान्त समारोह उसी शैक्षिक वर्ष के अंदर ही पूर्ण हुआ जिससे निरंतरता बनी और स्नातकों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित हुई।

2015 में कुल 2114 स्नातकों ने डिग्रियां प्राप्त कीं। कैम्पस–वार और कार्यक्रम–वार ब्यौरा तालिका 1 में नीचे दिया गया है।

तालिका 1: कन्वोकेशन 2015: स्नातक हो रहे विद्यार्थियों का कैम्पस–वार और कार्यक्रम–वार ब्यौरा

विभाग / परिसर	बैंगलूरू	भोपाल	भुवनेश्वर	चेन्नई	गांधीनगर	हैदराबाद	जोधपुर	कांगड़ा	कोलकाता	कन्नूर	मुंबई	नई दिल्ली	पटना	रायबरेली	शिलांग	कुल
एडी	27	33			30	30		31				31		26	21	229
एफसी	33					31		24			34	34				156
एफडी	24			34	40	30		30	36		31	30	32	29	20	336
केडी	20			19		24			33	24	27	31				178
एलडी				22					23			33		24		102
टीडी	26	31	30	28	24	23		27	26	34	28	34				312
बीएफटेक	27			25	25	25	26	34	23	25	21	26				257
एम.डेसी										35	31	35				101
एमएफएम	32	17	26	26	29	35	32		33	25	33	33	23		19	363
एमएफटेक	28			15	17							21				82
कुल	217	81	56	169	165	198	58	146	174	143	205	308	55	79	60	2114

दिल्ली कैम्पस में दीक्षान्त 2015 में प्रो. वर्षा गुप्ता, प्रो. सुहैल अनवर, प्रो. शालिनी सूद और सुश्री सुरूचि मित्तर को डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी डिग्री प्रदान की गई।

निफ्ट द्वारा चलाई जा रही परामर्शी परियोजनाओं पर प्रतिवेदन

निफ्ट विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के साथ परामर्शी परियोजनाओं पर कार्य करता है। ये परियोजना अध्यापक–वर्ग को एक्सपोज़र और विद्यार्थियों को अनुभवात्क सीख देती है। इससे तकनीकी कौशल के उन्नयन से और डिजाइन मूल्य संवर्धन से विभिन्न पणधारी लाभान्वित होते हैं। निफ्ट द्वारा हाल ही में अपने हाथों में ली गई 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य की बड़ी परामर्शी परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. खादी बोर्ड, बिहार सरकार के लिए खादी बिहार का व्यापक डिजाइन कार्य, पोजीशनिंग और ब्रांडिंग।
2. कर्नाटक राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, कर्नाटक सरकार के लिए केएसके और वीआईवी ब्रांड को इंटीग्रेटेड प्रौडक्ट मैपिंग, डिजाइन इंटरवेंशन, उत्पाद विविधीकरण तथा विकास, प्रशिक्षण एवं विपणन कार्यकलापों के माध्यम से मजबूत किया जाना।
3. जोधपुर मेगा क्लस्टर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के लिए व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर योजना के अंतर्गत प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट एण्ड इनोवेशन सेंटर की स्थापना।
4. राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के लिए जूट पर

एकीकृत कौशल उन्नयन, डिजाइन विकास एवं उत्पाद विविधीकरण।

5. 04 डिप्लोमा कार्यक्रम– डीपीएफजे, डीपीएफएस–सीएम एण्ड डीपीएपीएण्डएम तथा डीओएनईआर मंत्रालय के लिए 04 प्रमाण पत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम – सीपीटीपीडीडी, सीपीएफपीआरएम, सीपीआईडी एण्ड सीपीएफएमएसएम।
6. वाणिज्य और उद्योग निदेशालय के लिए अपैरल एक्सैसरी डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट स्किल
7. भागलपुर मेगा क्लस्टर परियोजना – वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

निफ्ट द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रम

निफ्ट द्वारा उद्योग की सहायता के साथ–साथ महत्वाकांक्षी और कार्यरत व्यावसायिकों के ?लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। निफ्ट द्वारा एंट्री लेवल के लिए आकांक्षा रखने वाले व्यावसयिकों को प्रशिक्षित करने के ?लिए विभिन्न अवधि के बहुत से विशिष्ट कार्यक्रम मुहैया कराए जाते हैं। एंट्री लेवल के व्यावसायिकों को उन्नत प्रशिक्षण दिया जाता है, मिड लेवल व्यावसायिकों को भी उन्नत किया जाता है और कई बार उद्योग के कार्यबल में वापस लौटने में व्यावसायिकों की मदद की जाती है।

वर्ष 2014–15 के दौरान 11 निफ्ट केंन्द्रों में 43 जारी शैक्षिक पाठ्यक्रम मुहैया कराए गए।

वर्ष 2013–14 के दौरानए 10 निफ्ट केंन्द्रों में 33 जारी शैक्षिक पाठ्यक्रम मुहैया कराए गए जिसमें 4,86,65,200/– रुपये का कुल राजस्व सृजित हुआ। वर्ष 2014–15 के दौरान, 11 निफ्ट केन्द्रों में 41 पाठ्यक्रम मुहैया कराने का प्रस्ताव है जिनसे कुल 5,70,35,475/– रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार जारी शैक्षिक कार्यक्रमों से राजस्व सृजन में 15 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

मुहैया कराए जाने वाले इन जारी शैक्षिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त निफ्ट ने शैक्षिक वर्ष 2014 में पहली बार डिप्लोमा कार्यक्रम कराने आरम्भ किए थे जिनका उद्देश्य केन्द्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए वित्तीय रुप में व्यवहार्य बनाना है। डिप्लोमा कार्यक्रमों का उद्देश्य उस राज्य के स्थानीय विदयार्थियों को मूल्य वर्धित कार्यक्रम मुहैया कराना है वहां नये निफ्ट कैम्पस स्थापित हैं और साथ ही निफ्ट के मौजूदा डिग्री कार्यक्रमों के लिए लेटरल एंट्री सरल बनाना है। अभी तीन निफ्ट कैम्पसों में डिप्लोमा कार्यक्रम कराए जा रहे हैं।

उद्योग एवं पूर्व छात्र मामले– निफ्ट कैम्पस प्लेसमेंटस – 2015

निफ्ट कैम्पस प्लेसमेंटस – 2015 निफ्ट के 11 कैम्पसों अर्थात नई दिल्ली, मुम्बई, बैंगलूरू, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, हैदराबाद, भोपाल, जोधपुरए कन्नूर, कांगड़ा में 20 अप्रैल, 2015 से 10 मई, 2015 तक के दौरान आयोजित किया गया। कैम्पस प्लेसमेंट के लिए पंजीकृत कुल 421 कम्पनियों ने विभिन्न कार्यक्रमों/कैम्पसों में 1640 नौकरियां पेश की।

प्लेसमेंट के लिए कुल 1573 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए जिसमें से 1310 विद्यार्थियों को

प्लेसमेन्ट के स्थान पर ही नौकरी पर रख लिया गया अर्थात कुल पंजीकृत विद्यार्थियों के 83% को कैम्पस प्लेसमेंट में नौकरी पर रख लिया गया।

प्लेसमेंट 2015 का पाठ्यक्रमानुसार विश्लेषण सारणी–1 में दिया गया है:–

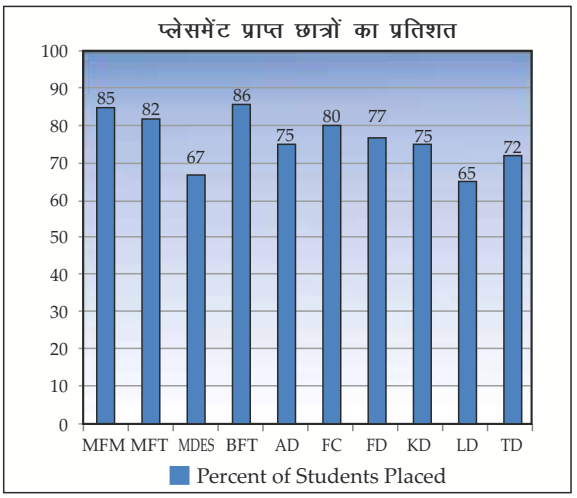

कैम्पस प्लेसमेंट 2015 के दौरान मास्टर्स कार्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए औसतन वार्षिक वेतन 4.70 लाख रुपये प्रति वर्ष रहा जबकि स्नातक कार्यक्रम के लिए 3.85 लाख रुपये प्रति वर्ष रहा।

कैम्पस प्लेसमेंटस 2015 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक वेतन (लाख रुपये में) सारणी–2 में दिया गया है:–

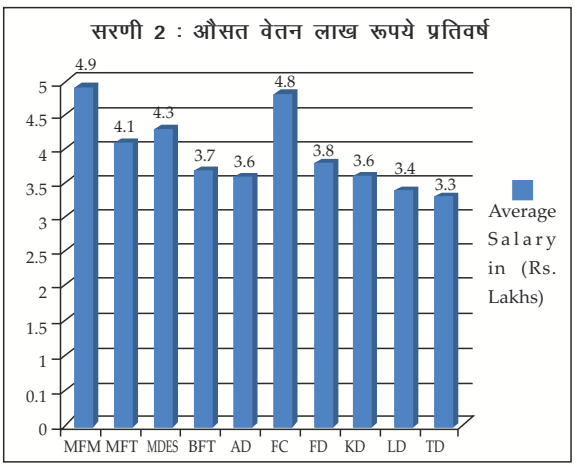

भर्ती करने वाली कम्पनियां विभिन्न सेग्मेंट्स जैसे डिज़ाइनर्स, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स, बायिंग एजेंसीज़, कंसल्टेंट्स, रिटेलर्स, फैशन ब्रांड्स, ई–रिटेलर्स, होम फर्निशिंग्स, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रदाता से थीं इनके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स भी आये हुए थे। अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार प्रमुख कम्पनियां थीं: आदित्य बिड़ला नूवो लिमिटेड (जयश्री टेक्टाइल्स), एमेजॉन, एंड डिज़ाइन इंडिया लिमिटेड, अर्चना कोचर, अरविंद लाइफ स्टाइल ब्रांड्स, एवेन्यू सुपर मार्ट, डीमार्ट, भरतिया इंटरनैशनल, ब्लैकबेरी, कारवाले डॉट कॉम, सीटीए अपैरल्स, एक्स्क्लूसिवली डॉट कॉम, फ्यूचर ग्रुप, फ्यूचर लाइफ स्टाइल (सेंट्रल), इम्पल्स, इंडियन टिरेन फैशन लिमि., जयपुर रग्ज़, के.पी. संघवी इंटरनेशनल लिमिटेड, लैग्युना क्लोदिंग, लाइफस्टाइल इंटरनेशनल, मंधना इंडस्ट्रीज़, मॉडेलमा एक्सपोर्ट्स, मस्त गारमेंट, ओरिएंट क्राफ्ट, रेमंड लि., रिलायंस ब्रांड्स लि., सब्यसाची, टेक्नोपैक, ट्राइबर्ग, वरुण बहल इत्यादि.

रिटेल कंपनियों ने सबसे अधिक भर्तियां की थीं जबकि उनके बाद ब्रांड्स का स्थान था। भर्ती किए गए कुल स्नातक छात्रों में से 35 प्रतिशत रिटेल कंपनियों में गए। उसके बाद फैशन ब्रांड्स (20%), डिज़ाइनर्स/डिज़ाइन हाउस (18%), एक्सपोर्ट हाउसेस/बायिंग हाऊसेस और एजेंसियों (15%) का स्थान था।

इस बार कैम्पस भर्तियों में स्नातकों का रुझान स्टार्ट–अप कंपनियों की ओर दिखाई दिया। कैम्पस प्लेसमेंट के लिए ऑनलाइन रिटेल कम्पनियों की उपस्थिति निफ्ट कैम्पस प्लेसमेंट की एक प्रमुख विशेषता रही।

बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस, मीडिया और

मनोरंजन, टेलीविज़न प्रोडक्शन हाउसेस जैसे कुछ अपारम्परिक सेक्टरों में भी निफ्ट छात्रों को स्टाइलिंग, डिज़ाइन, मार्केटिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट, ग्राफिक्स/एनिमेशन जैसी प्रोफाइल्स पर नियुक्त करने में रूचि प्रदर्शित की।

अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू संपर्क अंतर्राष्ट्रीय संपर्क

निफ्ट की शैक्षिक नीति अंतर्राष्ट्रीयता को समाहित किए हुए है। संस्थान के प्रमुख क्रियाकलापों में अंतर्राष्ट्रीय स्पष्टता और समझ को बढ़ाया है। निफ्ट काउन 26 अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय फैशन संस्थानों एवं संगठनों के साथ नीतिगत सहमति है जिनकी शैक्षिकदिशा एक जैसी है। इससे निफ्ट केविद्यार्थी फैशन की वैश्विक मुख्य धारा से जुड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदान–प्रदान कार्यक्रमों की सहायता से विद्यार्थियों को 'स्टडी अब्राड' विकल्प का अनुभव लेने का अवसर प्रदान करता है। इस क्रियाकलाप से आदान–प्रदान कार्यक्रम के लिए चुने गए निफ्टविद्यार्थियों को विभिन्न भौगोलिकों के विद्यार्थियों के साथ सम्पर्क करने का उत्कृष्ट अवसर प्राप्त होता है जिससे वे अपनी सोच, अपने लक्ष्य को व्यापक बना पाते हैं और विभिन्न संस्कृतियों की समझ पाते हैं । 'स्टडी अब्राड' का विकल्प सभी निफ्ट केन्द्रों के विद्यार्थियों और सभी विषयों के लिए उपलब्ध है। शैक्षिक प्रवणता मुहैया कराने के प्रयोजन से संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं/संगोष्ठियों/अनुसंधान एवं अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अनुमत करते हैं।

नीतिगत संबंध फैकल्टी स्तर पर भी शैक्षिक वृद्धि को भी प्रोत्साहित करती है। फैकल्टी आदान–प्रदान और संयुक्त अनुसंधान क्रियाकलाप सुनिश्चित करते हैं कि संस्थान की अध्यापन विधियां और सुविधाएं विश्व के श्रेष्ठ संस्थानों के समकक्ष हैं। अध्यापन शिक्षा शास्त्र, अवधारणों तथा व्यावसायिक विचारों के आदान–प्रदान को सरल बनाने के लिए निफ्ट की फैकल्टी शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों और ट्रेड शो में भाग लेती हैं जिससे कि उनका पर्याप्त अनुभव विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके तथा निफ्ट कानोलेज पूल समृद्ध हो सके। कुछ महत्वपूर्ण संस्थान जिनसे निफ्ट का सम्बंध है वे हैं क्वीन्सलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेकनॉलोजी, आस्ट्रेलिया, द मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी, यूकेए स्विस टेक्सटाइल कॉलेज, स्विटज़रलैंड, मॉड आर्ट इंटरनेशनल, फ्रांस, ईएनएसएआईटी, अमेरिका; नाबा, इटली, स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन, यू के, द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयार्क कॉलेज, बफेलो, यू एस ए, मैनचेस्टर मेट्रोपोलटिन यूनिवर्सिटी, यू के, ईएसएमओडी, जर्मनी, सेक्सियॉन यूनिवर्सिटी ऑफआर्टस, नीदरलैंड्स, रॉयल अकैडमी ऑफ आर्टस, नीदरलैंड्स, बुनका फैशन कॉलेज, जापान; डोंगहुआ यूनिवर्सिटी, चीनए बीजीएमई, यूनिवर्सिटी ऑफ फैशन एंड टेकनॉलोजी (बीयूएफटी), बंगलादेश; एकोल डुपेर, फ्रान्स; यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थम्प्टन, यू.के.; पोलिटेक्निको दि मिलानो, इटली; शेनकर कॉलेज ऑफ़

एन्जीनियरिंग एन्ड डिज़ाइन एन्ड आर्ट, इज़राइल एवं अन्य कई संस्थान।

पार्टनर संस्थानों से विद्यार्थियों का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है। 2015–16 में जबकि निफ्ट के 63 छात्र इन्सेट, फ्रांस; मोड आर्ट इंटरनेशनल, फ्रांस; क्वींसलेंड यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी, आस्ट्रेलिया; स्विस टैक्सटाइल कॉलेज, स्विजरलैंड; यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्पटन, यूके; रॉयल अकेडमी ऑफ आर्ट्स, नेदरलैंड्स; एम्सटर्डम फैशन इंस्टिट्यूट, नेदरलैंड्स; सैक्सियोन यूनिवर्सिटी, नेदरलैंड्स; एस्मॉड, जर्मनी; नाबा, इटली; बीजीएमईस यूनिवर्सिटी ऑफ फैशन टैक्नोलॉजी (बीयूएफटी), ढाका, बांग्लादेश जैसे विदेशी संस्थानों में अध्ययन के लिए गए। वहीं अतंरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के 23 छात्र निफ्ट के विनिमय कार्यक्रम के तहत अध्ययन हेतु आए।

निफ्ट के सभी केन्द्रों के छात्रों को अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। छात्रों ने कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं में भाग लिया है और पुरस्कार जीते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रतियोगिताएं हैं: मिटेलमोडा प्रेमियो, वर्ल्ड ऑफ़ वेयरेबल आर्ट, न्यूज़ीलैंड; आर्ट्स ऑफ़ फैशन फाऊनडेशन, यूएसए; ट्रायम्फ इंटरनैशनल अवार्ड्स, मेडलिन कोलंबिया में आईएएफ डिजायनर अवार्ड्स; ईएटी एक्सपोर्टिंग आर्ट टुगेदर। संस्थान अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भी आकर्षित करता है जो यहाँ आकर अकादमिक और सांस्कृतिक सम्पन्नता को अनुभव करते हैं। अपने विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से विदेशी संस्थानों के छात्रों ने न केवल भारतीय संस्कृति, कला और शिल्प से जुड़ा अमूल्य ज्ञान अर्जित किया है बल्कि भारत के बाज़ार और इसकी व्यापकता को समझा है। प्रबंध एवं प्रौद्योगिकी के छात्रों को प्रोडक्शन तकनीकों से बहुत महत्वपूर्ण जान पहचान होती है जो वैश्विक बाज़ार की उच्च फैशन मांगों को पूरा करती है।

दोहरी डिग्री अवसर

निफ्ट फैशन इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी (एफआईटी) न्यूयॉर्क, यूएसए रणनीतिक साझेदारी से निफ्ट के चुनिंदा छात्रों को निफ्ट और एफआईटी दोनों से दोहरी डिग्री प्राप्त करने का अनूठा अवसर निर्मित होता है। निफ्ट के छात्र गृह संस्थान में दो वर्षों के लिए अध्ययन करते हैं। उसके बाद एक साल के लिए उन्हें एफआईटी में पढ़ाई करने का मौका मिलता है। तत्पश्चात छात्र निफ्ट में वापस अध्ययन जारी रखते हैं जिससे उन्हें दोनों संस्थानों से डिग्री मिलती है। विगत तीन वर्षों के दौरान 22 छात्रों ने दोहरी डिग्री कार्यक्रम पूरा किया है और 2015–16 के दौरान विभिन्न विषयों से संबंधित 10 छात्र एफआईटी में दोहरी डिग्री के अवसर का लाभ उठा रहे हैं। निफ्ट और एफआईटी अगस्त 2016 में समाप्त हो रहे समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण की प्रक्रिया में

लगे हैं जिसके अंतर्गत भावी अकादमिक समन्वय हेतु और क्षेत्र शामिल किए जाएंगे।

वर्ष 2015–16 में निफ्ट का दौरा करने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल

- भूटान की महारानी ग्यालुम शेरिंग पेम वांग्चुक और रानी आशी चिमी आंग्जोम

वांग्चुक की यात्रा 1 मई, 2015 निफ्ट, दिल्ली।

- प्रो0 राजशेखर, रजिस्ट्रार (एडमिशन), एफआईटी, न्यूयॉर्क की 8 जून, 2015 को निफ्ट, मुम्बई और 3 जुलाई, 2015 निफ्ट, दिल्ली की यात्रा।
- द बोर्ड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एन्डो हाजीम एंड बुंका जापान के डिपार्टमेंट ऑफ फैशन टैक्नोलॉजी 8 सितम्बर, 2015 निफ्ट, नई दिल्ली की यात्रा।
- टिमोशी क्रॉफ्ट, अंतरराष्ट्रीय परामर्शदाता, कॉलेज ऑफ क्रियेटिव आर्ट, मैसी यूनिवर्सिटी, न्यूजीलैंड – 28 अगस्त, 2015 निफ्ट, नई दिल्ली की यात्रा।
- टैक्नोलॉजिकल ताजिकिस्तान यूनिवर्सिटी के शिष्टमंडल की 15 अक्तूबर, 2015 को निफ्ट, नई दिल्ली।

घरेलू संपर्क

निफ्ट भारत में डिजाइन शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए कटिबद्ध हैं और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निफ्ट विभिन्न महत्वपूर्ण संगठनों/संस्थाओं से जुडा हुआ है। निफ्ट का निम्न संगठनों/संस्थानों के साथ एमओयू है:

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन (निड), अहमदाबाद.अध्ययन के लिए पैन लिस्ट, ज्यूरीज़ और पी एच डी कार्यक्रमों के लिए गाइड्स के रुप में फैकल्टी शेयरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंगए जॉएंट स्टयूडेंटस फील्ड ट्रिप्स, डिजाइन एजुकेशन एंड प्रमोशन के क्षेत्रों में दो संस्थाओं के बीच सहयोग।

स्कूल ऑफ फैशन टेक्नालोजी (सॉफ्ट)ए पुणे एंड सेंटर फॉर कॉन्टिनियइंग ऐजुकेशन (सीसीई) केरलः पाठ्यक्रम डिजाइनए सिमेस्टर प्लानिंग, अकेडमिक शेड्युलिंगए परीक्षक एवं मूल्यांकन पद्धतियां फैकल्टी भर्ती कंडक्ट

ओरियंटेशनकार्यक्रम, फैकल्टी प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण रिसोर्स केन्द्र की स्थापना, मशीनरी/उपस्कर खरीद में सहायता ऐसे क्षेत्र हैं जहां एमओयू के माध्यम से विशेषज्ञता हासिल की जाती है।

फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट (एफडीडीआई)– निफ्ट ने एफडीडीआई, दिल्ली के साथ दिसम्बर, 2013 में एमओयू पर हस्ताक्षर किए। दोनों संस्थानों ने अध्यापन, पैनलिस्ट, ज्युरीज़ और पी एच डी कार्यक्रमों के लिए गाइड, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, जोएंट स्टयूडेंट्स फील्ड ट्रिप्स, डिजाइन एजुकेशन एंड प्रमोशन के क्षेत्रों में सहयोग स्थापित किया है।

सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईसी)

निफ्ट ने सीसीआईसी, दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों संस्थानों के बीच निम्नलिखित प्रकार का सहयोग है:

1. निफ्ट, नई दिल्ली डिजाइनों तथा उत्पाद विकास की तकनीकों पर कार्य करेगा और उन्हें सीसीआई को भेजेगा और फिर निफ्ट और सीसीआईसी उन डिजाइनों का प्रयोग करते हुए नमूने तैयार करेंगे।
2. इसके करने में सीसीआईसी उन नमूनों को

अपने ऑर्डर बुक करने के उद्देश्य से शोरूमों/विभिन्न प्रदर्शनियों में प्रदर्शित करेगा और इस आधार पर ऑर्डर के रूप में अलग–अलग क्लस्टरों में रखेंगे।

निफ्ट पीएचडी कार्यक्रम

पीएचडी और शोध

पीएचडी कार्यक्रमः निफ्ट फैशन एंड लाइफस्टाइल, टेक्सटाइल एंड अपेरल सैक्टर तथा क्राफ्ट कलस्टरों के व्यापक संदर्भ में सहित प्रयुक्त डिजाइनए प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पी एच डी प्रदान करता है। यह कार्यक्रम बड़े स्तर पर अकेडमियों और उद्योग के प्रयोग के लिए मूल ज्ञान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार किया गया है।

पीएचडी कार्यक्रम की दाखिला प्रक्रिया प्रति वर्ष परीक्षाफल की घोषणा के साथ अप्रैल माह में आरम्भ की जाती है और जुलाई माह के दौरान पंजीकरण किया जाता है। पी एच डी कार्यक्रम के दाखिले हेतु पात्रता मानदंड पी एच डी कार्यक्रम के लिए विनियमों में विनिर्दिष्ट हैं।

वर्ष 2009 में 7 पंजीकृत विद्यार्थियों के साथ पी एच डी कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इस समय निफ्ट से कुल 30 छात्र पी एच डी कर रहे हैं। कार्यक्रम की समयावधि के संबंध में अभ्यर्थी से उम्मीद की जाती है कि वह पांच वर्षों के भीतर पर्यवेक्षित अध्ययन पूरा कर ले, जिसे निफ्ट के महानिदेश की सात वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। आज तक कुल पांच छात्रों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है।

क्लस्टर विकास संबंधी कार्यकलाप

भारत का शिल्प इतिहास और धरोहर की दृष्टि से बहुत विविध है और संपन्न है। भारत संभवतः उन चंद देशों में शुमार है जहां गांवों में अभी शिल्प कार्य होता है और अभी भी उससे लाखों लोग आजीविका कमाते हैं। भारत का हथकरघा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है तथा कृषि के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। दूसरे सबसे बड़े गैर–कृषि ग्रामीण रोजगार होने के साथ–साथ हथकरघा और हस्तशिल्प भारतीय अर्थव्यवस्था में एक विशिष्ट और अद्वितीय स्थान रखते हैं। यह क्षेत्र प्रमुख रूप से कुटीर आधारित है जिसमें संपूर्ण परिवार के द्वारा कुशलता प्राप्त श्रम का योगदान

दिया जाता है। यह बिखरा हुआ है और देश के हजारों गांवों और कस्बों तक फैला हुआ है। बुनकरों और शिल्पियों की कारीगरी के साथ–साथ भारतीय हथकरघा तथा हस्तशिल्प उद्योग भारतीय संस्कृति की संपन्नता और विविधता को दर्शाता है। शिल्प में लगे हुए बुनकरों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके इस क्षेत्र को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

संस्थान की शिल्प क्लस्टर पहल को शिल्प क्षेत्र को विकसित करने के लिए डिजाइन, प्रौद्योगिकी, विपणन तथा प्रबंधन के क्षेत्रों में निफ्ट की पेशेवर क्षमताओं को सम्मिलित करने की मंशा से सावधानपूर्वक निर्मित किया गया है। इस पहल के माध्यम से निफ्ट शिल्प को फैशन के साथ मिश्रित करने में व्यापक जागरूकता एवं संवेदनशीलता का निर्माण करने में सफल रहा है। क्लस्टरों के शिल्पियों की क्षमताओं को

सहारा देने और बढ़ावा देने के लिए संकाय, छात्र तथा पूर्व–छात्रों के रूप में विशाल संसाधन उपलब्ध हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान क्लस्टर विकास पहल के तहत निफ्ट के 1396 छात्रों ने अध्यापकों की निगरानी में निफ्ट के सभी परिसरों में जून से दिसम्बर, 2015 तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हथकरघा एवं हस्तशिल्प का प्रलेखन और सर्वेक्षण किया।

वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार अकादमिक क्लस्टर इंटरवेंशन के हिस्से के रूप में द्वितीय वर्ष के अंत में निफ्ट हस्तशिल्प के क्लस्टर्स के प्रति सुग्राही बनाया जाता है। क्लस्टर इंटरवेंशन एक 3 क्रेडिट पाठ्यक्रम है जो सभी डिजाइन और परास्नातक डिजाइन तथा प्रबंधन के लिए अनिवार्य है। छात्र दो हफ्तों की अवधि के लिए क्लस्टर्स की यात्रा करते हैं तथा शिल्प प्रलेखन

का कार्य करते हैं। आगे चलकर आठवें सैमेस्टर में इच्छुक छात्र अपनी स्नातक परियोजना के हिस्से के रूप में क्लस्टर आधारित डिजाइन परियोजना पर कार्य करते हैं जिसमें वे शिल्पियों के साथ डिजाइन संग्रहीत करते हैं।

यह अध्ययन क्लस्टर के आकार के बाद, कलाकारों/उत्पादकों के शिल्प का स्तर, उत्पादन प्रक्रिया, विपणन तथा शिल्पियों द्वारा वहन की जा रही चुनौतियों की जानकारी भी उपलब्ध कराता है। निफ्ट छात्रों द्वारा प्रलेखित कुछ शिल्प हैं: छत्तीसगढ़ के परिधान, वस्त्र एवं शिल्प, महाराष्ट्र की बिप्पिकला, पैठाणी साड़ियां, जयपुर की गोटा पट्टी एवं मुद्रण, किन्नौर की धातु शिल्प, स्पीति की थांका चित्रकला, मध्य प्रदेश के चंदेरी हस्तशिल्प तथा भैरवगढ़ बाटिक प्रिंटिंग, होशंगाबाद के पिपरिया स्थित लकड़ी पर नक्काशी का क्लस्टर, मधुबनी की मिथिला पेंटिंग्स तथा मुजफ्फरपुर की सुजानी कढ़ाई। वायानाड, कन्नूर, कासरगोड, मेंगलोर, मल्लपुरम तथा कोझिकोड जिले में कुछ अन्य कार्यशालाएं आयोजित हुईं। इनके साथ–साथ अन्य हैं: जवाजा की तंगालिया, धाबला, चर्मशिल्प (थैले एवं बटुए) अलीगढ़ एवं लखनऊ की जरदोजी, एप्लिके, पट्टिया का काम, कच्छ का प्रिंटिड टैक्सटाइल्स (अजरख, सीधी प्रिंटिंग, रोगन), हाई–डाई टैक्सटाइल (बांधनी), एम्ब्रॉइडर्ड टैक्सटाइल्स एंड बीड्स एम्ब्रॉडयरी, वाराणसी की जरी और लकड़ी के खिलौने, जोधपुर की काष्ठ शिल्प, रॉट आयरन शिल्प, मदर ऑफ पर्ल शिल्प, चर्म शिल्प, मधुबनी की मिथिला पेंटिंग्स और मुजफ्फरपुर की सुजानी कढ़ाई, कूचबिहार की शीतलपति शिल्प, बीरभूम की कांथा स्टिच, बुर्दवान की लकड़ी की गुड़ियां, बांकुडा का टेराकोटा, पश्चिमी मिदनापुर का पट चित्र, दक्षिण दिनाजपुर का वुडन मस्क, महाराष्ट्र का कोल्हापुरी, कर्नाटक की रेशम बुनाई अनेकल, गोट्टिकेरे एंड डोमासेन्ड्रा, बैंगलोर की रेशम हथकरघा बुनाई, मैसूर की रोजवुड इनले कार्ड, टर्न्ड वुड लैकर, चन्नपटना, शिवरापटना, चेसकुपल्ली, पटुरू, श्रीकलाहस्ती एवं वेंकटगिरि, नारायणपेट, गडवल, माधवरन एवं मंगलगिरि, नरसापुरम का शैल कार्य, पंचकार्य, एम्ब्रॉडयरी एंड नेचुरल डाई ब्लॉक प्रिंटिंग, बीदरी शिल्प, हिमरू, पैठाणी, क्रोशे, लंबानी एम्ब्रॉयडरी, परवाल

पेंटिंग, कालीन बुनाई, वारली एम्ब्रॉयडरी, मोती कार्य, कोसा वस्त्र, पॉटरी लातूरा, भंडारा, कुडाल एवं संगालिया शिल्प।

7 अगस्त, 2015 को चैन्नई में हथकरघा दिवस मनाया गया था। भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था और इस कार्यक्रम की खास बात "प्रयास" नामक पुस्तक थी। यह पुस्तक विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय के लेखों का संकलन थी।

15 जुलाई, 2015 से 19 जुलाई, 2015 तक कलस्टर पहल कार्यक्रम तथा अपने कैम्पसों में अन्य शिल्प संबंधी परियोजनाओं को संभालने वाले निफ्ट के अध्यापकों के लिए पांच दिवसीय ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। "शिल्प कार्य एवं परम्पराएं" नामक प्रशिक्षण का उद्देश्य था अध्यापकों को शिल्प क्षेत्र की वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील बनाना तथा शिल्पकर्मियों के उत्थान के लिए आवश्यकता आधारित संभाव्यता अध्ययन की प्रक्रिया को समझना। प्रशिक्षण के दौरान प्रोजेक्ट प्लांस के निर्माण तथा प्रतिवेदन लेखन के कौशल पर विचार–विमर्श हुआ।

फेकल्टी ओरिएंटेशन प्रशिक्षण एवं विकास, फेकल्टी विकास तथा ब्रिज कार्यक्रम गतिविधियां

तेजी से बदलते फैशन बिज़नेस शिक्षा के प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण और गतिशीलता में विश्व में श्रेष्ठ की तुलना में सर्वोत्तम शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मानकों की आवश्यकता है। आगे रहने के क्रम में, आवश्यक क्षमताओं को संस्थागत मेकेनिज़्म और प्रक्रिया द्वारा निरंतर विकसित एवं अपग्रेड करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण में मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व शामिल है जो निफ्ट के विभिन्न विभागों और कैम्पसों के मध्य अंतर विभागीय नेटवर्क तथा लिंकेजेस उपलब्ध कराने के द्वारा शैक्षणिक कार्मिकों का वैयक्तिक/संस्थागत विकास तथा सशक्तिकरण करता है। यह निफ्ट परिवार के मध्य एक दृष्टि तथा एक लक्ष्य की भावना को भी समाहित करता है।

ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर (टीओटी) कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य, किसी सेमेस्टर के आरंभ से पहले कैम्पसों को आत्मनिर्भर बनाना और बाहरी स्रोतों पर न्यूनतम निर्भरता सुनिश्चित करना है। टीओटी में सामान्यतः निफ्ट पाठ्यक्रम से संबंधित विषय होते है। 4 से 7 दिनों की अवधि के 17 कार्यक्रम संचालित किए गए। कुल 148 फेकल्टी लाभार्थी थे। कवर होने वाले मुख्य क्षेत्रों में शामिल हैं पैटर्न निर्माण के द्वारा डिज़ाइन विकास, अकादमिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान हेतु उन्नत विश्लेषण, भारतीय शिल्प, शिल्प कार्य तथा परम्पराओं के सन्दर्भ में शोध कार्य–प्रणाली, डेटाटेक्स नाउ, प्रिंट डिज़ाइन इत्यादि। अंतर–विषयिक क्षेत्रों जैसे अध्यापन–कला प्रशिक्षण, कोर्स करिकुलम डेलिवरी, शिक्षण सहायता सामग्री, केस स्टडीज़,

मुख्यधारा के फैशन उद्योग को समझना इत्यादि पर विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। विशेष कार्यशालाओं की अवधि 4 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होती है। कुल 39 अध्यापक लाभार्थी हुए हैं। कुछ विशेष जिनको प्रशिक्षण के दायरे में लाया गया था, वे हैं: इफेक्टिव करिकुलम डेलिवरेंस, क्वालिटेटिव रिसर्च

मेथड्स इत्यादि।

निफ्ट फेकल्टी को माइक्रो लेवल पर उद्योग की कार्यप्रणाली से अदद्यतन करने या उद्योग की होलिस्टिक समझ रखने और उनके अंतरसंबंध में समर्थ बनाने के उद्देश्य से, फेकल्टी उद्योग अटेचमेंट्स को सरल बनाया जाता है जो फेकल्टी को नवीनतम पद्धतियों की जानकारी देता है ताकि उक्त

जानकारी को क्लास रूम में बताया जा सके। जून–जुलाई 2015 के दौरान कुल 53 फेकल्टी सदस्य मेट्रिक्स क्लोदिंग प्रा. लि., एलवाईएसएस, बवसवनतेवबितंजि. बवउ, ब्रास टैक्स, वेयरवेल इंडिया, सीओन अपैरल (जकार्ता), इत्यादि प्रतिष्ठित संगठनों/कंपनियों में उद्योग से जुड़े। फेकल्टी द्वारा 24 प्रकाशन/पेपर/अनुसंधान लेख संकलित कर सभी निफ्ट कैम्पसों की फेकल्टी के मध्य व्यापक रूप से परिचालित किए गए।

12.3 सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाल्स एंड मैनेजमेंट (एसवीपीआईएसटीएम)

सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाल्स एंड मैनेजमेंट (एसवीपीआईएसटीएम) वस्त्र और प्रबंधन शिक्षा के लिए फोकस करती है। इस संस्थान का उद्देश्य भारतीय वस्त्र उद्योग को विश्व वस्त्र की गैलेक्सी के शिखर तक ले जाने में समर्थ प्रतिभावान युवाओं को नई युग के व्यवसायिक प्रबंधकों के रूप में ढालना है। यह संस्थान प्रबंधन परास्नातक डिग्री (पीजीडीएम) अर्थात (i) वस्त्र प्रबंधन (ii) अपैरल प्रबंधन और (iii) खुदरा प्रबंधन की पेशकश करता है।

छात्रों को उनकी नियमित कक्षाओं के साथ उद्योग के उनन्यन और एक्सपोजर के लिए व्यक्तिगत संपर्क वाला अप्रोच प्रदान किया जाता है। वस्त्र प्रबंधन क्लब और छात्र कार्यकलाप क्लब सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और इनका प्रबंधन संकाय तथा छात्र समन्वयकों द्वारा किया जाता है। अतिथि व्याख्यान भाषा संबंधी कक्षाएं (हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच) नियमित रूप से चलती है।

अध्याय–13

सार्वजनिक उपक्रम

13.1 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रम वस्त्र क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास में सक्रियता से लगे हुए हैं :–

1. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि.(एनटीसी)
2. हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
3. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
4. भारतीय कपास निगम (सीसीआई)
5. सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., नई दिल्ली
6. ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (बीआईसी)
7. भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) लि., कोलकाता
8. राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण कारपोरेशन लि. (एनजेएमसी), कोलकाता

13.2 राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि. (एनटीसी) :

1. वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि. (एनटीसी) की स्थापना 1968 में की गई थी। इस कंपनी की स्थापना, मुख्य रूप से वर्ष 1974, 1989 और 1995 में तीन राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अपने कब्जे में लिए गए रूग्ण वस्त्र उपक्रमों के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए की गई थी। पुरानी प्रौद्योगिकी, अधिक जनशक्ति, खराब उत्पादकता आदि के कारण इसकी 9 सहायक कंपनी में से 8 को वर्ष 1992–93 में बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया गया था। बीआईएफआर ने सभी नौ सहायक कंपनियों के लिए पुनरूद्धार योजना अनुमोदित किया– उनमें से 8 को वर्ष 2002–03 में और 9वीं को वर्ष 2005 में अनुमोदित किया गया था। यह कंपनी तब से लेकर अभी तक पुनरूद्धार योजना को क्रियान्वित कर रही है। वर्ष 2002–03 की स्वीकृत मूल्य योजना (एसएस–02) को 53 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए आबंटित 736 करोड़ रुपए के संघटक के साथ कुल

3937 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित किया गया था। यह योजना 2 बार संशोधित की गई थी। पहली बार 5267 करोड़ रुपए की कुल संशोधित लागत से वर्ष 2006 (एमएस–06) में जिसमें 22 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 530 करोड़ रुपए का संघटक शामिल था। और दूसरी बार यह योजना 4 नए मिलों की स्थापना सहित बढ़ाई गई क्षमता के साथ 22 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 1155 करोड़ रुपए के संघटक के साथ 9102 करोड़ रुपए की कुल संशोधित लागत से वर्ष 2008 (एमएस–08) में संशोधित की गई थी। बीआईएफआर द्वारा इस योजना का विस्तार 31.03.2012 तक किया गया था।

2. निवल मूल्य सकारात्मक हो जाने के साथ एनटीसी, 28.10.2014 के बीआईएफआर के आदेश के माध्यम से एसआईसीए की धारा 3(1)(0) के आशय के भीतर रूग्ण औद्योगिक कंपनी नहीं रही। दिनांक 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी का निवल मूल्य 1219.80 करोड़ रुपए बनता है।

3. वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) कानून (संशोधन और वैधता) अधिनियम, 2014 संसद द्वारा 17.12.2014 को पारित कर दिया गया है। इसे एनटीसी के पास निहित 5825 करोड़ रुपए (लगभग) मूल्य वाली 960.85 करोड़ रुपए की लीज होल्ड परिसंपत्तियों की रक्षा की जाएगी। यह अनिवार्य था क्योंकि विभिन्न न्यायालय विभिन्न किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत एनटीसी को संरक्षा नहीं प्रदान कर रहे थे और सही तरीके से राष्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या नहीं कर रहे थे। इससे मंत्रालय/एनटीसी को लीज होल्ड भूमि जो एनटीसी के पास राष्टीयकरण के पश्चात प्राप्त हुई थी, को बनाए रखने और मध्यवर्ती लाभ के लिए सैंकडो करोड़ रुपए की देनदारी से बचने के लिए केंद्र सरकार/एनटीसी समर्थ होगी।

4. दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी का मिल वार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:–

(i) 119 मिलों उक्त अधिनियमों के अंतर्गत राष्ट्रीकृत किया गया और हसन में एक नई कंपोजिट मिल स्थापित की गई।

(ii) 78 मिलें बंद हो गई हैं (2 मिलें नामतः फिनले और न्यू मिनर्वा, पुनः आबंटित सहित)

(iii) 18 मिलों को आधुनिकीकृत किया गया है और 3 नई स्थापित की गई हैं।

(iv) जेवी की सूची से बाहर निकाली गई 2 मिलों को आंशिक रूप से आधुनिक बनाया गया है।

(v) एक मिल को राजस्थान में तकनीकी वस्त्र इकाई के रूप में स्थापित किऐ जाने का प्रस्ताव है।

(vi) दो मिलें पुद्दुचेरी सरकार को हस्तांतरित कर दी गई हैं।

(vii) 16 इकाइयां जेवी मार्ग के माध्यम से पुनर्जीवित किए जाने के लिए हैं, 5 इकाइयों को पुनर्जीवित किया गया है और शेष 11 इकाइयां जहां जेवी के लिए एमओयू हस्ताक्षर किया गया था, समीक्षा करने पर रद्द कर दिया गया है। इन 11 मिलों के मामला न्यायालय/मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष लंबित है।

5. एनटीसी ने 63451 कर्मचारियों जिन्होंने अप्रैल 2002 से एमवीआरएस का विकल्प चुना है, को मुआवजा देकर 31 दिसम्बर, 2015 तक 2384.95 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। एनटीसी ने खुदरा विपणन

डिवीजन के अव्यवहार्य 193 शोरूम को भी बंद कर दिया है।

6. वर्तमान में एनटीसी, खुदरा विपणन प्रभाग के माध्यम से अपने फैब्रिक की ब्रांडिग और खुदरा बिक्री, आगामी दिनों में संस्थागत बिक्री की अपनी मात्रा में वृद्धि करने और तकनीकी वस्त्रों, एक ऐसा क्षेत्र जहां अपने कारोबार और लाभप्रदता में सुधार लाना लिए कंपनी के लिए पर्याप्त गुंजाइस है, पर प्रभावशाली ढंग से फोकस कर रही है।

7. ई–नीलामी पद्धति के माध्यम से यार्न की बिक्री 10.12.2015 से क्रियान्वित की गई।

8. विगत साढे पांच वर्षों के दौरान एनटीसी ने 24 लाख किग्रा. से अधिक यार्न और लगभग 760 लाख मीटर फैब्रिक का उत्पादन किया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

उत्पादन	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल–दिस., 15
यार्न (लाख किग्रा.)	346.03	350.20	427.98	489.11	518.54	415.12
फैब्रिक (लाख मीटर)	89.91	120.25	127.29	147.78	171.70	143.30

9. एनटीसी ने अभी तक बीआईएफआर/वस्त्र मंत्रालय द्वारा गठित परिसंपत्ति बिक्री समिति के माध्यम से परिसंपत्तियों की ब्रिकी करके 6584.08 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं।

10. प्रचालनशील मिलों में प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने के लिए नार्दन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च ऐसोशिएसन (निटरा) के सहयोग से कंपनी को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आधुनिकीकरण, विस्तार और विविधीकरण योजनाओं को तैयार किया गया। एनटीसी के बोर्ड द्वारा 1064 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से योजना के पहले चरण को अनुमोदित किया गया है।

11. कंपनी की, स्वयं को उनकी वस्त्र में विविधीकृत करने के अलावा स्पिनिंग, विविंग, प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग के साथ एकीकृत वस्त्र कंपनी के रूप में परिवर्तित करने की योजना है।

12. एमओयू के अनुसार वर्ष 2014–15 ओर 2015–16 के प्रमुख मापदंडों के लक्ष्य नीचे दिए अनुसार हैं:

प्रमुख मापदंड	2014-15	2015-16	अनंतिम उपलब्धि 2015-16
बिक्री कारोबार (प्रचालनशील आय) (करोड़ रुपए में)	1300	1400	1150
गैर–निष्पादन परिसंपत्तियों से निधियों की प्राप्ति (करोड़ रुपए में)	400	0	0
उपयोग (स्पिनिंग) %	85	90	84
उत्पादन			
यार्न (लाख किग्रा.)	541	565	550
फैब्रिक (लाख मीटर)	213	225	206

13. डीपीई द्वारा कंपनी को पांच वर्षों के लिए दिया गया दर निर्धारण नीचे दिए अनुसार है:

वर्ष	दर निर्धारण
2010-11	उचित
2011-12	अच्छा
2012-13	बहुत अच्छा
2013-14	अच्छा
2014-15	प्रस्तावित अच्छा (मूल्यांकनाधीन)

14. हालांकि कंपनी आरंभ के समय से ही बजट आबंटन के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। तथापि, वेतन के लिए भी, वर्ष 2009–10 से कोई बजटीय सहायता नहीं प्राप्त की गई है।

15. एनटीसी के दो क्षेत्रीय कार्यालय और 21 मिलों ने आईएसओ प्रमाणन प्राप्त किया है। इसके अलावा इसकी इकाइयों में से 5 को ओइकोटेक्स प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

16. एनटीसी ने देश भर में एनटीसी मिलों में स्थापित 10 पहचान किए गए केंद्रों से 01 अप्रैल 2015 से यार्न निर्माण, वाइंडिंग,विविंग और परीक्षण पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करना आरंभ कर दिया है। आज की तारीख तक सभी 10 केंद्रों को मंत्रालय के आईएसडीएस पोर्टल पर ऑनलाइन बनाया गया है। अभी तक 455 व्यक्तियों को प्रशिक्षत किया गया है और 541 व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया है और इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

17. एनटीसी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री की पहल पर स्वच्छ भारत के अभियान के अंतर्गत देश भर में फैली 6 मिलों के आसपास 15 सरकारी स्कूलों में 34 शौचालयों का निर्माण कराया है।

18. संगठन को व्यवसायिक तरीके से अधिक कुशलतापूर्वक प्रचालित करने के प्रयास के साथ देशभर में स्थित अपनी सभी मिलों में निम्नलिखित एचआर नीतियों का समान रूप से क्रियान्वयन करने के अलावा सीए/सीडब्ल्यूए संस्थान के माध्यम से कैंपस भर्ती सहित लगभग 127 व्यवसायियों की भर्ती की गई है:–

क) भर्ती नीति

ख) पदोन्नति नीति

ग) निष्पादन प्रबंधन प्रणाली

घ) संशोधित चिकित्सा नियमावली आदि

19. उच्च मूल्य संव्यवहार्य में उच्च पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए नैशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (एनटीसी) ने निष्ठा समझौते के क्रियान्वयन के लिए 03.12.2015 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है।

20. श्री कल्याण चंद, आईआरएस (सेवानिवृत्त) और श्री अशोक कुमार त्रिपाठी (सेवानिवृत्त) जिला और सेशन जज को निष्ठा समझौता के अंतर्गत शामिल संव्यवहारों की देखरेख के लिए सीवीसी द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर (आईइएमएस) के रूप में नियुक्त किया गया है।

21. भारत के माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इंदु संख्या 6, मुम्बई की लगभग 12 एकड़ भूमि पर भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर की स्मृति में उपुर्यक्त स्मारक का निर्माण करने के लिए भारत सरकार,

एनटीसी और महाराष्ट्र सरकार के बीच 5.4.2015 को एमओयू हस्ताक्षर किया गया। इसके पश्चात माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 11.10.2015 को भारत रत्न डा. भीम राव अम्बेडकर के स्मारक का निर्माण करने के लिए उसमें शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया था।

13.3 हैंडीक्राफ्टस एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.

दि हैंडीक्राफ्टस एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (कॉरपोरेशन) वस्त्र मंत्रालय के शासकीय नियंत्रण में भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में "इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि." के रूप में दो उद्देश्यों के साथ हुई (प) निर्यात प्रोत्साहन तथा (पप) हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम उत्पादों का व्यापार विकास, वर्ष 1962 में इसका नामकरण "दि हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि." के रूप में किया गया। कॉरपोरेशन वर्तमान में दो सितारा निर्यात घर है जो सोना एवं चाँदी के आभूषण/वस्तुओं का निर्यात करने के अतिरिक्त हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों (हाथ से बुने हुए वूलन कारपेट एवं सिले सिलाए वस्त्र सहित) के कार्य में लगा है। कोपोरेशन को वर्ष 1997–98 में सोने–चाँदी के आयात तथा घरेलू बाजार में बिक्री के लिए नामित किया गया था। वर्ष 2014–15 में प्रमुख सूचक के संबंध में कारपोरेशन का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है:–

कुल बिक्री– 2738.19 करोड़ रुपए

कर पश्चात लाभ/(हानि) –3.40 करोड़ रुपए

कॉरपोरेशन ने 3.84 करोड़ रुपए की तुलना में 17.52 करोड़ रुपए का प्रचालनशील लाभ अर्जित किया जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 356.25: की वृद्धि दर्शाता है। आरबीआई की 80:20 योजना के अनुसार इस वृद्धि का प्रमुख कारण लाभ की मात्रा में सुधार और सोने–चाँदी के व्यापार में गुंजाइश के साथ कोर ग्रुप बिक्री में वृद्धि होना है। इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेशन उपर्युक्त ने वर्ष में 1.69 करोड़ रुपए का कर पश्चात निवल लाभ दर्ज किया।

पूँजी

वर्ष 2014–15 के दौरान कॉरपोरेशन की प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूँजी अपरिवर्तित रहने के कारण क्रमशः 20.00 करोड़ रुपए तथा 13.82 करोड़ रुपए ही रही। संपूर्ण प्रदत्त पूँजी भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा अभिदत्त है।

लाभांश

मंडल ने वर्ष 2014–15 के लिए 0.35 करोड़ रुपए का अंतिम लाभांश (अर्थात कर पश्चात लाभ का 20%) की संस्तुति की है। प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर निगम लाभांश कर के लिए 0.07 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

कार्यशील परिणाम

कॉरपोरेशन की कुल बिक्री वर्ष 2013–14 में 2552.66 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष के दौरान 2738.19 करोड़ रूपए रही जो 185.53 करोड़ रुपए (7.27%) की वृद्धि दर्शाता है। इस वृद्धि के प्रमुख कारण हैं :–

- सोने–चाँदी का व्यापार एक अवसरवादी व्यवसाय है। वर्ष के दौरान सोने–चाँदी के आयात में 187.65 करोड़ रुपए (7.50%) की वृद्धि हुई क्योंकि जून, 2013 में वस्त्र मंत्रालय द्वारा निदेशित किया गया था कि कॉरपोरेशन के कोर बिजनेस को संकेंद्रित

रखते हुए बढ़ाया जाए। परिणामस्वरूप सरकार ने जनवरी, 2014 में सोने–चाँदी के आयात करने की अनुमति दी।

- यूरोपियन देशों में अधिक समय तक आर्थिक संकट होने के कारण कोर समूह के व्यवसाय में 2.12 करोड़ रुपए (4.19%) तक की कमी आई।

एचएचईसी की कोर ग्रुप पर अपना ध्यान केंद्रित करने की पहल जारी है और अब तक हमने 21 नए क्रेता जोड़े हैं और नए देशों से 4 नए क्रेता जोड़े हैं साथ ही घरेलू बाजार में विभिन्न विशिष्ट पहल की है।

पिछले वर्ष की तुलना में प्रचालन लाभ 3.84 करोड़ रुपए से बढ़कर 17.52 करोड़ रुपए हो गया है जो 13.68 करोड़ रुपए (356.25%) की वृद्धि है। यह वृद्धि मुख्य रूप से सोने चांदी के व्यवसाय में आरबीआई की 80:20 योजना की मार्जिन में वृद्धि के कारण है।

इसके अलावा, चालू कर देयता एवं अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हमने विगत वर्ष के 1.69 करोड़ रुपए के कर पश्चात निवल लाभ की तुलना में इस वर्ष 3.40 करोड़ रुपए का कर पश्चात निवल लाभ अर्जित किया ।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संपोषितताः

कॉरपोरेशन विभिन्न साधनों के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में समाज को उचित योगदान देने के लिए प्रयासरत है जैसे कारीगरों और बुनकरों के लिए रोजगार उत्पन्न करना मुख्यतः उनके लिए जो गरीबी रेखा के नीचे के हों, उनकी पारंपरिक कला और शिल्प को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना तथा नोएडा कॉम्प्लेक्स में उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने एवं बिक्री के लिए कारीगरों एवं बुनकरों को आयोजित कार्यक्रमों में निशुल्क जगह उपलब्ध कराना।कॉरपोरेशन कमजोर वर्ग के कारीगरों तथा बुनकरों के उत्पादों को बाजार मंच उपलब्ध कराकर तथा प्रोत्साहित कर एवं इनके प्रापण केंद्रों से कपड़ा और क्राफ्ट क्लस्टरों से प्राप्त कर उन्हें शक्ति प्रदान करने पर सदैव बल देता रहा है।

वर्ष 2014–15 के दौरान कॉरपोरेशन ने 10.64 लाख रुपए के कुल खर्चे पर सुलभ स्वच्छता मिशन फाउंडेशन के माध्यम से सफलतापूर्वक दो विशिष्ट परियोजनाएं आरंभ की हैं:–

- पं.बंगाल और बिहार के पिछड़े जिलों के स्कूलों में 7.34 लाख रुपए के खर्च से शौचालय परिसर की 3 यूनिट का निर्माण करके स्वच्छता सुविधा का निर्माण तथा
- पं.बंगाल और बिहार के पिछड़े जिलों के स्कूलों में 3.30 लाख रुपए के खर्च से 5 मार्क प्प के हैंडपंप स्थापित कर पेय जल की सुविधा की गई।

उपर्युक्त के अलावा सरकार के निदेशानुसार जम्मू एवं कश्मीर के बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को ऊनी कम्बल की आपूर्ति करने के लिए एचएचईसी की हिस्सेदारी के लिए 24.84 लाख रुपए।

इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, कॉरपोरेशन ने उन क्षेत्रों जहां इसके बुनकर और शिल्पकार काम करते हैं, में पेयजल सुविधा एवं स्वच्छता सुविधा का सृजन करने के लिए उन्हीं परियोजनाओं को जारी रखा है।

कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति) नियमावली 2014 के अनुसार सीएसआर के कार्यकलापों पर वार्षिक

रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध–प्ट के रूप में संलग्न है।

ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी अवशोषण का संरक्षण

ऊर्जा के संरक्षण के लिए कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 8(3) के पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अंतर्गत सूचना और ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	विवरण	
(I)	किए गए उपाय अथवा ऊर्जा के संरक्षण पर प्रभाव	एचएचईसी ने हरित पहलें की हैं और नोएडा में कारपोरेट ऑफिस के भवन में 50 केवी के एक सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है जो नोएडा के भवन में कारपोरेट कार्यालय और कारखाना में खपत के लिए प्रतिमाह औसतन 5000 केवीए का उत्पादन कर रहा है।
(ii)	ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा किए गए उपाय	
(iii)	ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश	0.51 करोड़ रुपए

निगम द्वारा शुरू किए गए कार्यकलाप प्रौद्योगिकी अवशोषण के लिए कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 8(3) के पठित कंपनी अधिनियम 2013की धारा 134(3)(एम) के अंतर्गत प्रकटीकरण के दायरे में नहीं आता है।

निर्यात संवर्धन एवं व्यापार विकास

कॉरपोरेशन ने विदेशी डिजाइनों एवं फैशन पर ज्ञान बढ़ाने के साथ ही साथ परम्परागत शिल्प और टैक्सटाइलस क्लस्टरों से नए नमूनों के विकास की प्रदर्शित करने के लिए भारत और विदेशों में विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लिया। वर्ष के दौरान, कॉरपोरेशन ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मेलों यथा चीन आयात एवं निर्यात मेला 2014 (गुंजाहू, चीन), हेमटैक्साइल 2015 (फ्रैंकफर्ट, जर्मनी) में भाग लिया। घरेलू मेलों में प्रतिभागिता में आईएचजीएफ (शरतकालीन)–2014 ग्रेटर नोएडा, आईएचजीएफ (बसन्त)–2015 ग्रेटर नोएडा, दीवाली मेला 2014 (नोएडा काम्प्लैक्स), टैक्स ट्रेंड्स इंडिया 2015 (प्रगति मैदान), इंडिया इंटरनेशनल हैंडवूवन फेयर–मार्च 2015 (चैन्नई), हथकरघा परिषद में प्रदर्शनी(नई दिल्ली) और रेशम और रेशमी उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी (चैन्नई)।

एचएचईसी की कोर ग्रुप कार्यकलापों पर केन्द्रित रहने एवं उन्हें जारी रखने की योजना है तथा उद्यमशील अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू बाजार नीतियों को उच्च स्तर पर प्रारंभ करने की आयोजना है।

- **नए खुदरा आउटलेट/संग्रहालय दुकानें खोलना**:–वर्ष 2014–15 के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली, बुद्धा स्मृति पटना, बिहार, हैंडलूम मार्किटिंग काम्प्लैक्स, नई दिल्ली में 3 नए खुदरा आउटलेट खोले गए हैं। उपर्युक्त के अलावा, सारनाथ संग्रहालय, सारनाथ, वाराणसी में एक अन्य दुकान 13 जुलाई 2015 को खोली गई।
- इसके अलावा, खुदरा आउटलेट/संग्रहालय की दुकान, कुतुबमीनार के लिए वस्त्र और हस्तशिल्प को पर्यटन के साथ जोड़ने के लिए एएसआई के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया गया। यह भी योजना है कि इंदिरा गांधी कला केंद्र, दिल्ली, बुद्ध स्मृति, बिहार तथा गया संग्रहालय, बिहार में नए फुटकर आउटलेट/संग्रहालय शॉप खोले जांए क्योंकि इनके लिए करार पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। भारत सरकार के टैक्सटाइल पर्यटक परियोजना में भारत के पर्यटक स्थलों पर अधिक

शोरूम जोड़ने के लिए आईटीडीसी और एएसआई के साथ वार्ता अग्रिम चरण पर है।

- **कारपोरेट संस्थागत बिक्रीः**– कॉरपोरेशन बड़ी संस्थाओं जैसे सीवीसी, पार्लियामेंट हाउस, विदेश मंत्रालय, एनटीपीसी, सेल, आईआरसीटीसी, ऑयल इंडिया भेल आदि के साथ निजी क्षेत्र के अन्य कॉरपोरेशनों पर विशेष फोकस करते हुए निगम संस्थागत बिक्री पर विशिष्ट ध्यान केंद्रित कर रहा है। वर्ष के दौरान,एचएचईसी अन्य निजी उद्योग के साथ इस कार्य को फैलाने की भी योजना कर रहा है ।
- **ई–मार्किटिंगः**– खरीदारी के आधुनिक तरीकों को ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेशन ने अपने वेबसाइट के माध्यम से हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों की बिक्री करने के लिए भारत में आनलाईन वेबसाइट स्नैपडील के साथ करार किया है। इससे न केवल ई–वाणिज्य पोर्टल पर एचएचईसी देखा जाएगा बल्कि यह शिल्पकारों एवं बुनकरों की रंगाई की कला/शिल्प के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा।
- **सामान्य सुविधा केन्द्र** : वाराणसी के हथकरघा बुककरों का उत्थान करने के लिए एचएचईसी कूड़ी एवं करघना, वाराण्सी के गांवों में 2 सामान्य सुविधा केन्द्रों का प्रबंधन कर रहा है जहां बुनकरों के लिए यार्न की रंगाई, कच्ची सामग्री बैंक और संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- **डिजाइन एवं तकनीकी कार्यशालाएंः** एचएचईसी ने उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नए तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को शुरू करके और पंरपरागत कौशल का प्रयोग करते हुए समकालीन बाजार की अधिमानता के अनुरूप नए प्रोटोटाइप विकसित करने के उद्देश्य से वाराणसी, बरेली, दिल्ली, मुरादाबाद, बस्तर, गोरखपुर और पटना में 7 डिजाइन और प्रौद्योगिकी कार्यशालाओं का आयोजन किया।
- **क्षमता का विस्तारः**– विशिष्ट बायरों की मांग को पूरा करने, अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं प्रौद्योगिकी को पूरा करने तथा सिले–सिलाए वस्त्रों के लिए माँग तथा क्रमशः बढ़ते हुए खरीदारों के लिए कॉरपोरेशन ने चेन्नई एवं नोएडा में नई मशीनों को जोड़ते हुए अपनी गारमेंट फैक्टरी में विस्तार की योजना की है तथा इसने यह भी योजना की है कि यह एचएचईसी की ओखला में पड़ी जमीन में सिले–सिलाए वस्त्रों की फैक्टरी के लिए आधारिक संरचना की स्थापना करे।
- **सार्क संग्रहालयः**– एचएचईसी ने परियोजना के विकास, इसके अनुरक्षण तथा प्रबंधन के लिए विदेश मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तदनुसार, एचएचईसी ने सार्क संग्रहालय के निर्माण कार्यों तथा विकास के लिए डीटीटीडीसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सार्क संग्रहालय में सिविल कार्य पूरा हो गया है। सार्क संग्रहालय के लिए इंटीरियर का काम करने के लिए डीटीटीडीसी को कार्य आबंटन किया जा रहा है।
- बदलते फैशन के साथ, क्रेताओं के प्रयोग और चिंताओं के साथ एचएचईसी ने प्राकृतिक उत्पाद श्रेणी को और बढ़ाया है तथा "प्राकृतिक उत्पादों" की उस नई विविध रेंज को जोड़ा है जो ताड़–पत्र,

समुद्री घास, पुआल घास, आदि से बनते हैं। इसके अलावा, इसकी यह भी योजना है कि वर्तमान पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की श्रेणी को नए फल फाइबर/घास से जोड़कर मजबूती प्रदान की जाए। फाइबर का अन्य प्राकृतिक फाइबर के साथ फ्यूजन का पता लगाया जाएगा।

- एचएचईसी ने नेशनल टैक्सटाइल्स कॉरपोरेशन के साथ उनकी योजना "ब्रांड इंडिया" एवं "सेतु" के अधीन "ब्रांड इंडिया" नामक एनटीसी के भंडार गृहों के माध्यम से अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा बेचने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। इस क्रम में एचएचईसी ने एनटीसी चर्नी रोड मुम्बई आउटलेट और एनटीसी, काला घोडा, मुम्बई स्थित शोरूम माड्यूल में शॉप का प्रचालन आरंभ किया है।
- एचएचईसी चेन्नई शाखा वर्तमान शिशु सदन, कार्यालय भवन के साथ लगभग दो एकड़ के क्षेत्र के प्लॉट में है। अब, एचएचईसी की योजना इस खाली पड़ी जमीन का उपयोग चेन्नई शाखा का आधुनिकीकरण कर वर्तमान भवन को तोड़े बिना प्रथम चरण में नए भवन का निर्माण करना है जिसके लिए वित्तीय सहायता के लिए शासकीय सहयोग लिया जाएगा। पैनलबद्ध वास्तुकारों/कंपनियों से इसकी संकल्पना डिजाइनें प्राप्त कर ली गई हैं और इनकी छंटनी तथा चयन किया जा रहा है।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम

भारतीय शिल्प और कौशल के उत्पादों को विस्तृत करने, संवर्धन करने और विदेश में आक्रमक तरीके से बिक्री करने के उद्देश्य से इस कारपोरेशन का निर्माण किया गया था। इस प्रकार यह शिल्पकारों और कारीगरों के लिए विपणन चैनल प्रदान कर रहा है तथा स्टेकहोल्डर को पर्याप्त लाभ प्राप्त कर रहा है। किंतु एक व्यापार कंपनी होने के कारण एचएचईसी अधिकांशतः अपने आवश्यकता के अनुसार अपने उत्पादन हमारे क्रेताओं मुख्य रूप से कारीगरों, बुनकरों और सोसाइटियों के माध्यम से खरीद करती है। हमारी प्रमुख खरीदों के संबंध में एचएचईसी निम्नलिखित का पालन करती है:

- **सोना चांदी की खरीद :** जहां तक सोना चांदी के व्यवसाय के लिए खरीद का संबंध है, सोने के आयात के लिए नामित एजेंसी होने के कारण यह निगम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार या तो एलबीएमए सदस्य अथवा बैंक से सोने का आयात करता है। इसलिए इन खरीदों को सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है।
- **कोर ग्रुप मर्चेंडाइज की खरीद :** हस्तशिल्प, हथकरघा, सिलेसिलाए परिधान और कालीनों आदि के मामले में क्रेता द्वारा उत्पाद के नमूनों का चयन किया जाता है और एचएचईसी करार और दिखाए गए नमूनों के अनुसार क्रेताओं के नामित आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर जारी करता है।

तथापि, वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान हमारी व्यापार खरीद (कोर समूह) 30.35 करोड़ रुपए है जिसकी तुलना में पंजीकृत एमएसई से खरीद 32: तक है।

मानव संसाधन विकास एवं औद्योगिक संबंध

- निगम अपने सभी स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए उचित महत्व देती है जिससे उनकी पूर्ण क्षमता को साकार किया जा सके तथा जिन क्षेत्रों में उनमें कमी है उन क्षेत्रों में सुधार लाया जा सके तथा वे उत्तरदायित्व के अत्यधिक बोध से

कार्य कर सकें। कर्मचारियों की पुनः तैनाती और प्रेरणा को भी इस दृष्टि से प्राथमिकता दी जाती है कि कर्मचारियों की आंतरिक शक्ति और और गुणों का विकास किया जा सके।

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सभी शाखाओं/इकाइयों में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे। कोई भी कार्य–दिवस हड़ताल या ताला बंदी से बर्बाद नहीं हुआ। सभी कर्मचारियों ने नए जोश और उत्साह से कार्य किया।
- कंपनी के किसी भी कर्मचारी ने कंपनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।
- निगम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़े वर्ग के साथ–साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का सख्ती से पालन करता है एससी/एसटी/ओबीसी के पदों के आरक्षण के लिए विधिवत रोस्टर बनाया जाता है ताकि इस विषय में नियमों/अनुदेशों का कोई भी उल्लंघन नहीं हो। समीक्षाधीन अवधि में एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षित कोई भी पद अनारक्षित नहीं किया गया।
- सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी मानव संसाधन प्रबंधन पर मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, निगम द्वारा विविध क्रियाकलाप आयोजित किये गए जैसे कैड/केम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, जोखिम प्रबंधन, गैर–वित्त अधिकारियों के लिए वित्त पोषण, मर्केंडाइजिंग, एमएस ऑफिस (एक्सेल), प्राथमिस सहायता प्रशिक्षण, भंडार प्रबंधन, आयात–निर्यात प्रक्रिया एवं प्रलेखन, ई–कामर्स पर कार्यशाला, कारखाना अधिनियम, 1948 एवं कानूनी मामलों संबंधी नियम आदि।
- अशक्त व्यक्तियों की नियुक्ति (पीड्ब्ल्यूडी): 31.3.2015 के अनुसार, ग्रुप "ए" और "बी" सहित कुल 119 व्यक्ति कार्यरत थे जिनमें से तीन कर्मचारी (एक–एक शारीरिक रूप से विकलांग (ओएच), दृष्टिबाधित विकलांग (वीएच) और श्रवण शक्ति से विकलांग (एचएच) अशक्त व्यक्तियों के लिए पदों पर नियुक्त थे जो 2.52% है। पूर्व में, आरक्षण केवल ग्रुप "सी" और "डी" में किया जाता था तथा कमी को एक श्रवण शक्ति विकलांग की नियुक्ति से किया जाता था।
- यौन उत्पीड़न के मामलेः एचएचईसी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रावधानों (रोकथाम, निषेध एवं निवारण), अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया है जो यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करती है। वर्ष 2014–15 के दौरान, न तो आईसीसी द्वारा और न प्रबंधन द्वारा ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

13.4 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लि., लखनऊ की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में भारत सरकार द्वारा फरवरी 1983 में की गई। एनएचडीसीलि. की प्राधिकृत पूँजी 2000 लाख रुपए है तथा इसकी प्रदत्त पूँजी रुपए 1900 लाख है। एनएचडीसी के

प्रमुख उद्देश्य हैं:–

- हथकरघा क्षेत्र के लाभ के लिए यार्न की सभी प्रकार की सप्लाई के व्यवसाय को चलाया।
- हथकरघा क्षेत्र के लिए आवश्यक गुणवत्ता रंगों तथा संबंधित सामग्री की आपूर्ति आयोजित करना।
- हथकरघा फैब्रिक को बाजार उपलब्ध कराना।
- आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, हथकरघा क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी सहित हथकरघा फैब्रिक के उत्पादन के साथ जुड़ी हुई परियोजनाओं को सहयोग, सहायता तथा अभिपूर्ति।

उक्त उद्देश्यों के अनुसरण में एनएचडीसी निम्नांकित कार्यों को कर रहा है:–

यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस) भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है जिसके अधीन एनएचडीसी द्वारा मिल गेट की दरों पर संपूर्ण भारत के पात्र हथकरघा बुनकरों को समस्त प्रकार की यार्न की आपूर्ति की जाती है और सूती, घरेलू रेशम तथा ऊनी यार्न पर 10: की आर्थिक सहायता दी जाती है। वाईएसएस के अधीन 3 वर्षों में आपूर्ति किए गए यार्न का विवरण निम्न है:

वर्ष	यार्न की आपूर्ति	
	मात्रा (लाख कि.ग्रा. में)	मूल्य (रूपये करोड़ में)
2012-13	1070.78	1318.56
2013-14	1262.09	1788.46
2014-15	1484.30	2160.77
2015-16 (दिसम्बर 2015 तक)	1068.49	1440.63

वाईएसएस के अंतर्गत भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है और डिपो प्रचालन एजेंसियों को 2: की दर से डिपो प्रचालन खर्चे दिए जाते हैं। वर्तमान में, सारे भारत में ऐसे 788 यार्न डिपो कार्यरत हैं। एनएचडीसी हथकरघा क्षेत्र को प्रतियोगी न्यून दरों पर गुणवत्ता रंग और रसायन की आपूर्ति भी करता है। 3 वर्षों में की गई आपूर्ति का विवरण निम्न है:–

वर्ष	रंग एवं रसायन	
	मात्रा (लाख कि.ग्रा. में)	मूल्य (रूपये करोड़ में)
2012-13	27.62	20.90
2013-14	36.31	35.69
2014-15	36.90	49.48
2015-16 (दिसम्बर 2015 तक)	25.85	32.16

इस योजना के अधीन नकद आधार पर प्रयोक्ताओं को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए एनएचडीसी ने सीतापुर एवं मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश), गुवाहाटी (असम), समुंद्रगढ़ (पश्चिम बंगाल), कन्नूर (केरल), चिराला एवं करीमनगर (आंध्र प्रदेश), अगरतला (त्रिपुरा), भुवनेश्वर (ओड़िशा) एवं रांची/गोड्डा (झारखंड) में 10 गोदाम खोले हैं।

2. हथकरघा फैब्रिक के बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए कॉरपोरेशन सिल्क फैब्स एवं वूल फैब्स नामक विशेष प्रदर्शनियाँ आयोजित करता है। भारत सरकार इन प्रदर्शनियों में निगम द्वारा खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति करता है। विगत 2 वर्षों के दौरान प्रदर्शनियों की संख्या, भागीदार एजेंसियाँ तथा की गई कुल बिक्री का ब्यौरा नीचे दिया गया है: –

वर्ष	कार्यक्रमों की संख्या	स्टॉलों की संख्या	कुल बिक्री (रूपये करोड़ में)
2012-13	19	1834	84.25
2013-14	23	2168	101.00
2014-15	24	1742	88.99

इसके अतिरिक्त, निगम ने जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, कानपुर, इंदौर, नवी मुम्बई तथा नई दिल्ली में 8 विपणन काम्प्लैक्स स्थापित किए हैं जहाँ हथकरघा एजेंसियाँ देश के विभिन्न भागों से हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करती हैं और विवेकी ग्राहकों को बेचती हैं ।

3. एनएचडीसी बुनकरों को नवीनतम रंगाई तकनीकों के विषय में शिक्षित करने के लिए तथा हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए एवं बुनकरों की जानकारी के लिए भारत सरकार की जारी योजनाओं के विषय में भी निम्नलिखित कार्यक्रम जारी है:–

- क्रेता–विक्रेता बैठकें
- एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम।
- विभिन्न प्रकार के यार्न प्रयोग करते हुए नए उत्पादों के विकास पर कार्यक्रम।

विगत 2 वर्षों के दौरान एनएचडीसी का कुल कारोबार, जारी किया गया लाभांश, रेटिंग इत्यादि का विवरण निम्न है:–

(रूपए लाख में)

वर्ष	कुल बिक्री	निवल लाभ	लाभांश	एमओयू रेटिंग
2012–13	137546.57	697.39	141.00	उत्कृष्ट
2013–14	184003.11	1203.28	241.00	उत्कृष्ट
2014–15	221696.30	2540.00	511.00	––

13.5 भारतीय कपास निगम (सीसीआई)

सीसीआई भारत सरकार द्वारा 1970 में कपास विपणन के क्षेत्र में एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के रूप में स्थापित की गई थी। अपनी शुरूआत से निगम निजी कपास व्यापारियों और अन्य संस्थागत खरीदार क्रेताओं से प्रतिस्पर्धा में चल रहा है। इसकी बाजार हिस्सेदारी एमएसपी अभियानों के अंतर्गत कुछ वर्षों को छोड़कर जब यह 31 प्रतिशत तक चली गई, 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत है।

बदलते कपास परिदृश्य के साथ निगम की भूमिका और कार्यों की समीक्षा की गई थी और समय–सयम पर संशोधित की गई। 1985 में मंत्रालय से प्राप्त हुए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीआई मूल्य समर्थन अभियान चलाने के लिए सरकार की एकमात्र एजेंसी है, जब कभी कपास का मूल्य (बीज कपास) न्यूनतम समर्थन स्तर पर पहुंचता है। हालांकि, मूल्य समर्थन अभियानों की अनुपस्थिति में निगम एनटीसी मिल, राज्य वस्त्र निगमों की इकाई मिलों, सहकारी कताई मिलों और निजी मिलों को कपास की आपूर्ति के लिए वाणिज्यिक अभियान चलाती है, इसके अतिरिक्त, निर्यात प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कपास की खरीद भी करती है। निगम को सौंपे गए कार्य संक्षिप्त में, निम्नानुसार है:

- जब कपास का बाजार मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन कीमत को छू जाए तब बिना किसी मात्रात्मक सीमा के कीमत समर्थन कार्यों को आरंभ करना।
- सीसीआई के अपने जोखिम पर केवल वाणिज्यिक कार्यों को प्रारंभ करना तथा
- निर्यात प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कपास की खरीद करना।

सीसीआई की उपरोक्त भूमिका वर्ष 2000 की नई वस्त्र नीति के अधीन जारी रही। तथापि, पूर्व उल्लिखित कार्य संगत नहीं हैं क्योंकि कपास का निर्यात अब मुक्त है और सरकार कोई कोटा जारी नहीं करती है। फिर भी, सीसीआई अब कपास का निर्यात करने के लिए कपास की खरीद करता है।

वित्तीय परिणाम

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम पिछले वर्ष के 4916.93 करोड़ रुपए के कुल कारोबार की तुलना में 5409.09 करोड़ रुपए का कारोबार प्राप्त कर सका।
- समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय परिणामों की विशेषताएं निम्नलिखित थीः

	2014-15	2013-14
घरेलू बिक्री (लाख गांठ में)	4.20	23.32
निर्यात बिक्री (लाख गांठ में)	0.00	0.03
कारोबार (करोड रूपये में)	5409.09	4916.93
कर पश्चात लाभ / (हानि) करोड़ रूपये में	22.59	59.84

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सीसीआई का अल्प कालीन ऋण की रेटिंग केयर ए1+(एसओ)ख्केसर ए1 प्लस, (संरचनात्मक दायित्व) अर्थात 4000 करोड़ रुपए की अल्प कालीन बैंक उधार के लिए इस श्रेणी में सौंपा गया उच्चतम क्रेडिट रेटिंग है जो अल्प कालीन ऋण दायित्व के समय से भुगतान के लिए सशक्त क्षमता को प्रदर्शित करता है और न्यूनतम ऋण जोखिम रखता है।

लाभांश

सीसीआई ने वित्तीय 2014–15 के दौरान कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी का 20 प्रतिशत अर्थात 5 करोड़ रुपए के लाभांश की अनुशंसा की है।

13.6 सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., नई दिल्ली

सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज एम्पोरियम की स्थापना वर्ष 1952 में दिल्ली में इण्डियन कोआपरेटिव यूनियन की प्रबंधकारिणी के अधीन किया गया। बाद में 1964 में सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा अधिकार में ले लिया गया तथा 4 फरवरी, 1976 को सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआईसी) के रूप में निगमित किया गया। सीसीआईसी वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

सीसीआईसी का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्ता भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा वस्तुओं का डीलर, निर्यातक, विनिर्माता तथा एजेंट होना है और भारत तथा विदेशों में इन उत्पादों के लिए बाजार विकसित करना है। कॉरपोरेशन के दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, बंगलौर, चैन्नई तथा हैदराबाद में शोरूम हैं।

पूँजी

कॉरपोरेशन की प्राधिकृत पूँजी 1200 लाख रुपए तथा प्रदत्त पूँजी 1085 लाख रुपए है ।

कार्यशील परिणाम

(क) कारोबार

निगम का कारोबार पूर्व वर्ष अर्थात 2013–14 में हुए 8,185.64 लाख रुपए के मुकाबले वर्ष 2014–15 में 8,284.09 लाख रुपए था।

(ख) निर्यात

वर्ष 2014–15 के दौरान निगम का कुल निर्यात पिछले वर्ष में 264.37 लाख रुपए की तुलना में 334.49 लाख रुपए था।

(ग) लाभप्रदता

वर्ष 2014–15 में सकल लाभ पूर्व वर्ष के 4130.75 लाख रुपए से बढ़कर 4395.58 लाख रुपए हो गया। निगम का उपरिव्यय पूर्व वर्ष में 4100.67 लाख रुपए से बढ़कर चालू वर्ष में 4357.86 लाख रुपए हो गया है। चालू वर्ष, पिछले वर्ष के 36.63 लाख रुपए के तदनुरूपी लाभ की तुलना में 166. 97 लाख रुपए के कर पूर्व लाभ के समाप्त हुआ।

सांख्यिकी

पिछले तीन वर्षों के कार्यशील परिणामों का संक्षिप्त विवरण निम्न लिखित में दिया गया है:–

(रूपए लाख में)

	2012-13	2013-14	2014-15	वास्तविक (अ.न.) दिसम्बर 2015 तक	2015–2016 के लिए एमओयू लक्ष्य
कारोबार	7776.33	8185.64	8284.09	6299.42	9600.00
कर पूर्व निवल लाभ (+)/हानि (–)	51.64	36.63	166.97	लागू नहीं	100.00
कर पश्चात निवल लाभ (+)/हानि (–)	24.57	12.85	93.31	लागू नहीं	68.00
लाभांश	4.92	2.57	18.67	लागू नहीं	13.60

डिजाइनों का विकास/प्रदर्शनियाँ

वर्ष 2014–15 के दौरान सीसीआईसी ने एम्पोरियमों में तथा बाहर विषय आधारित 58 प्रदर्शनियाँ आयोजित की जिनमें कॉरपोरेशन के ग्राहकों को बढ़ाने के लिए कॉरपोरेशन ने नए उत्पादों की नई रेंज प्रदर्शित की।

शो–रूमों के माध्यम से बिक्री करने के लिए विशिष्ट नए डिजाइनों तथा नए उत्पादों को विकसित करने की दृष्टि से सीसीआईसी ने वर्ष के दौरान विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय से वित्तीय सहायता लेकर धातु शिल्प, काष्ठ कला, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, चम्बा रूमाल, केन क्राफ्ट, ज्वैलरी आदि क्षेत्रों में तकनीकी डिजाइन विकास कार्यशालाओं का आयोजन किया।

इसके अतिरिक्त, सीसीआईसी के सभी शोरूमों में दीपावली के उपहार के रूप में जिन वस्तुओं की सर्वाधिक मांग होती है अर्थात चाँदी की कलात्मक वस्तुएं, पीतल, सफेद धातु के बर्तन, वुड क्राफ्ट तथा पॉटरी को नए आकर्षक रूप में प्रदर्शित किया गया।

ग्राहकों की खरीदारी के अनुभव को उन्नत बनाने की दृष्टि से, सीसीआईसी ने नई दिल्ली शोरूम के विन्यास में प्रमुख सुधार, दर्शनीय सज्जा, लाइटिंग और अंतरंग सज्जा का कार्य किया।

चोलापुर और रामनगर, वाराणसी में दो सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) की स्थापना

सीसीआई ने बुनकरों के लाभ के लिए जनवरी 2015 में चोलापुर और रामनगर, वाराणसी में दो सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) की स्थापना की है।

31 दिसम्बर, 2015 तक सीसीआईसी ने विभिन्न योजनाओं पर सूचना और सेवा प्रदान करने के लिए 1965 बुनकरों को सुविधा प्रदान की, 183 बुनकरों को कार्य सौंपा गया और सीसीआईसी एम्पोरिया के माध्यम से विपणन हेतु वाराणसी में बुनकरों के विभिन्न हथकरघा उत्पादों के लिए 202.86 लाख रुपए मूल्य का ऑर्डर किया।

उपर्युक्त सीएफसी में, रिचार्ज सर्विसेज, पासपोर्ट पंजीकरण सेवा, बैंकिंग सेवा, ट्रेवलिंग एवं टिकिटिंग, पैन–कार्ड, आधार कार्ड सेवा आदि जैसी विभिन्न सेवा प्रदान करने के लिए दो सीएससी ई–गवर्नेंस के माध्यम से दो सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) भी स्थापित किए गए हैं।

ऑन–लाइन शॉपिंग :–

सीसीआईसी की अपने मूल्यवान ग्राहकों के लिए www.thecottage.in नामक ऑनलाइन शॉपिंग वैबसाइट है। यह वैबसाइट ऑनलाइन शॉपिंग के लिए विवरण सहित 1000 हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करती है। उत्पादों की खरीद सुरक्षित भुगतान द्वारा क्रेडिट कार्ड से की जा सकती है जो बैंक द्वारा प्रमाणित होती है। खरीदा गया सामान विश्व के समस्त देशों में नौवहन से भेजा जा सकता है। इसकी विभिन्न सरकारी वैबसाइटों, अतुल्य भारत आदि से आदेश ट्रेकिंग प्रणाली और लिंक है।

13.7 ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (बीआईसी)

पृष्ठभूमि

ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (बीआईसी) को 24 फरवरी, 1920 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया। भारत सरकार द्वारा इसे 11 जून, 1981 में ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (शेयरों का अधिग्रहण) अध्यादेश के अंतर्गत अधिकार में लिया गया। बीआईसी लिमिटेड, कानपुर दो ऊनी मिलों को स्वामित्व में रखता है तथा उनका प्रबंधन करता है (1) कानपोर वूलन मिल्स शाखा, कानपुर (2) न्यू एजर्टन वूलन मिल्स शाखा, धारीवाल। इन दो मिलों के उत्पादों को क्रमशः 'लाल इमली' तथा 'धारीवाल' के ब्रांड नामों से जाना जाता है। ये इकाइयाँ ऊनी/ब्लेंडेड सूटिंग, ट्वीड, वरदी का कपड़ा, लोही, शॉलों गलीचों, कम्बलों आदि का निर्माण करती है ।

बीआईसी (लिमिटेड का आधुनिकीकरण/पुनर्वासन

वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर बी.आई.सी. लिमिटेड को 1992 में बीआईएफआर को सौंप दिया गया और एक रूग्ण कंपनी घोषित कर दिया गया। वर्ष 2002 में बीआईएफआर ने कुल 211 करोड़ रुपए की लागत से एक पुनर्वास योजना अनुमोदित की। योजना को समग्रतः लागू नहीं किया जा सका क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पट्टे की भूमि को पूर्ण स्वामित्व की सम्पत्ति में परिवर्तित कर मंजूरी प्रदान नहीं की गई। वर्ष 2008 में बीआईएफआर द्वारा 273 करोड़ रुपए की संशोधित पुनर्वास योजना मंजूर की गई जिसमें 273 करोड़ रुपए की बजट सहायता भारत सरकार द्वारा तथा शेष 116 करोड़ रुपए अधिशेष भूमि की बिक्री से विचार

योग्य थी। वर्ष 2010 में ब्यूटो फॉर रिकंस्ट्रक्सन ऑफ पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइजेज (बीआरपीएसई) की संस्तुति के आधार पर वर्ष 2011 में एक और संशोधित योजना रुपए 338 करोड़ की मंजूर की।

एक एमडीआरएस तैयार किया गया और बीआईएफआर के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तथा 14.02.2008 को हुई इसकी सुनवाई में 273.28 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी प्राप्त हुई जिसमें से 157.35 करोड़ रुपए की सरकारी बजट सहायता तथा शेष अतिरेक भूमि की बिक्री से रखी गई। बीआरपीएसई ने दिनांक 28.07.2010/18.12.2010 को हुई अपनी बैठक में 338.04 करोड़ की एक संशोधित योजना संस्तुत की। संशोधित योजना को कैबिनेट भारत सरकार ने 9.6.2011 को हुई अपनी बैठक में मूल रूप में इस शर्त पर अनुमोदित कर दिया था कि पहले उत्तर प्रदेश सरकार से अतिरेक भूमि की बिक्री की अनुमति प्राप्त कर ली जाए ।

विचारार्थ वित्तीय साधन निम्नवत हैं : –

(रूपए लाख में)

भारत सरकार वीआरएस से अनुदान	17.10
प्रचालन हानियाँ 9/10, 10/11 अनुदान	66.99
भूमि की बिक्री से ब्याज मुक्त ऋण	128.66
वेतन के लिए (2 वर्ष) भारत सरकार से हल्के ब्याज पर ऋण	78.00
परिवर्तन प्रभार भुगतान हेतु भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण	47.35
योजना की लागत	338.04

योजना का कार्यान्वयन अभी प्रारंभ होना है क्योंकि अतिरेक भूमि की बिक्री के लिए आवश्यक मंजूरी अभी उत्तर प्रदेश शासन से ली जानी है। इसका मुद्दा विविध स्तरों पर उठाया जा रहा है और अद्यतन रूप में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने डिवीजनल कमिश्नर, कानपुर की अध्यक्षता में कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25.11.2014 के द्वारा मुद्दे के त्वरित निपटान के लिए एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी की पहली बैठक 7.1.2015 को हुई जिसमें यह निर्णय हुआ था कि सरकार कानपुर स्थित बीआईसी की इकाई को वर्तमान प्रबंधन या पीपीपी माडल के अनुसार चलाना चाहती है। इसका प्रमुख उद्देश्य कानपुर के औद्योगिक परिदृश्य को पुनः प्राप्त करना तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना है।

बीआईएफआर तथा बीआरपीएसई दोनों ही योजनाएं पट्टे की भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में बदलने के लिए यूपी सरकार से पूर्व अनुमति लेकर अधिशेष भूमि की बिक्री से निधियों की प्राप्ति पर बल देती हैं। उत्तर प्रदेश शासन भूमि परिवर्तन के मामले की जांच कर रहा है।

बीआईसी लिमिटेड की सहायक कंपनियां

एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड कानपुर

एल्गिन मिल्स कंपनी लि. वर्ष 1864 में स्थापित की गई थी और यह वर्ष 1911 में दो इकाइ कों, एल्गिन नं.1 और एल्गिन नं.2 को मिलाकर पंजीकृत की गई थी। एक अध्यादेश नामतः ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि. (शेयरों का अधिग्रहण) अधिनियम 1981 द्वारा भारत सरकार ने बीआईसी लि. के सभी शेयरों को अधिप्राप्त किया और इस प्रकार 11 जून, 1981 को एक सरकारी कंपनी बनी। एल्गिन मिल्स कंपनी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी होने से सरकारी कंपनी का दर्जा प्राप्त किया। कंपनी सामान्य बाजार और रक्षा के लिए सूती और मिश्रित फैब्रिकों अर्द्धसैनिक बलों, सरकारी और अन्य संस्थानों को तौलिए, चादरें, सूटिंग एवं सर्टिंग्स, ड्रिल, सैल्यूलर आदि के उत्पादन में संलग्न हैं।

कंपनी द्वारा लगातार घाटा उठाए जाने के कारण एसआईसीए के प्रावधानों के अंतर्गत बीआईएफआर को सौंपी गई थी और रुग्ण घोषित की गई थी। बीआईएफआर में 1994 में कंपनी को बंद करने की सिफारिश की। एएआईएफआर ने 1997 में उक्त आदेश की पुष्टि की और तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने 1999 में बंद करने का आदेश पारित किया तथा सरकारी परिसमापक की नियुक्ति की। भारत सरकार ने जून, 2001 में स्वैच्छिक पृथककरण योजना कार्यान्वित की। मैसर्स एल्गिन मिल्स कंपनी लि. ने 1980 के आसपास कार्यशील पूंजी और आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया। इन ऋणों को निधियों की कमी के कारण पुनर्भुगतान नहीं किया जा सका और मैसर्स कोटक महिन्द्रा बैंक मैसर्स आईसीआईसीआई की संपत्ति–भागी ने वर्ष 2009 में अपने बकायों की वसूली के लिए माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर किया और वर्ष 2011 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने परिसमापन के आदेश पारित किए थे। कंपनी ने आईएफसीआई और कोटेक महिंद्रा बैंक को छोड़कर प्रतिपूर्ति ऋणदाताओं के बकायों का भुगतान कर दिया है। कंपनी की अधिकांश परिसंपत्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सरकारी परिसमापक के पास हैं।

मैसर्स एल्गिन मिल्स फिलहाल बंद किए जाने के लिए प्रतिभूति ऋणदाताओं द्वारा दायर मामलों का सामना कर रही है और आईएफसीआई एकमुश्त समाधान के अंतर्गत अपने बकाए की स्वीकृति के लिए अपने पेशकश को नया करने का अनुरोध किया है। जहां तक कोटेक महिंद्रा बैंक के बकाए का संबंध है, निपटारे की भावना और शर्त के अनुसार माननीय न्यायालय के समक्ष उनको करार की गई राशि का भुगतान कर दिया गया है। कंपनी माननीय न्यायालय के समक्ष केएमबी द्वारा अनापत्रित प्रमाणपत्र जारी करने के मामले का सामना कर रही है। पिछली सुनवाई में माननीय न्यायालय ने प्रतिभूति ऋणदाताओं के बकाए का निपटारा करने के लिए एल्गिन मिल की फ्री होल्ड संपत्ति की बिक्री करने के लिए सरकारी परिसमापक द्वारा जारी विज्ञापन का रद्द कर दिया था। उक्त समग्र संपत्ति का खाली करवाने और तीन महीने की अवधि के भीतर सूचित करने के लिए सरकारी परिसमापक को जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर से संपर्क करने का भी निदेश दिया गया है।

कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड, कानपुर

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि. वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार की एक कंपनी है। कानपुर टेक्सटाइल्स मिल्स बीआईसी लि. की एक सहायक कंपनी है और वर्ष 1990 में निगमित की गई थी। कंपनी घरेलू सामान्य बाजार और रक्षा, अर्द्धसैनिक बलों, सरकारी और अन्य संस्थाओं के लिए फैब्रिक और यार्न के उत्पादन में संलग्न हैं।

निरंतर नुकसान और कंपनी की निवल मूल्य कम/नकारात्मक होने के कारण कंपनी को एसआईसीए के प्रावधानों के अंतर्गत बीआईएफआर को सौंपी गया था और 1992 में कंपनी को रुग्ण घोषित किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1999 में बंद करने का आदेश पारित किया तथा सरकारी परिसमापक की नियुक्ति की। भारत सरकार ने 2001 में स्वैच्छिक पृथककरण योजना कार्यान्वित की। प्रतिभूति ऋणदाताओं ने माननीय उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया और कावटेक्स की मिल और आवासीय परिसरों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। सभी प्रतिभूति ऋणदाताओं को ओटीएस के अनुसार भुगतान किया गया और कंपनी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कंपनी को परिसमापन के बाहर लाने के लिए अनुमति मांगी है।

13.8 भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) लि., कोलकाता

भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) 1971 में स्थापित भारत सरकार का एक उद्यम है। जेसीआई वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) की सरकारी एजेंसी है जो पटसन उत्पादकों के लिए एमएसपी नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है और कच्चे पटसन बाजार में एक स्थिरकर्ता एजेंसी के रूप में कार्य करता है। जेसीआई वाणिज्यिक प्रचालन भी करता है, जैसे लाभ के सृजन के लिए वाणिज्यिक प्रतिफल पर एमएसपी से ऊपर मूल्य पर पटसन की खरीद करना। जेसीआई के मूल्य समर्थन संकार्यो में जब भी पटसन का प्रचलित बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे जाता है जो किसी मात्रात्मक सीमा के बिना छोटे और सीमांत किसानों से एमएसपी कर कच्चा पटसन खरीदना शामिल है। ये अभियान कच्चे पटसन के मूल्य में अंतर–मौसमी और अंतरा–मौसमी उतार–चढ़ाव को रोकने के उद्देश्य से अत्यधिक आपूर्ति करके बाजार में एक अनुमानिक प्रतिरोधक (बफर) के सृजन मे सहायता करते हैं। जेसीआई के विभागीय क्रय केन्द्र (डीपीसी), जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति है, किसानों से पटसन सीधे खरीदते हैं। जेसीआई के लगभग 171 डीपीसी हैं जिनमें से 101 पश्चिम बंगाल, 26 असम, 20 बिहार और शेष आंध्र प्रदेश, ओडिशा और त्रिपुरा के तीन अन्य पटसन उत्पादक राज्यों में हैं।

निगम की प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रूपए हैं और 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार निवल मूल्य 96.84 करोड़ रुपए है। संपूर्ण प्राधिकृत पूंजी को भारत सरकार द्वारा अभिदत्त किया गया है ।

मिशन/विजन

भारत सरकार की मूल्य समर्थन एजेंसी के रूप में कार्य करना और पटसन उत्पादकों को कच्चे पटसन का लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अभियान चलाना तथा घरेलू व्यापार में इसके बाजार हिस्से को धीरे–धीरे बढ़ाना।

मुख्य कार्य

1. जब भी कच्चे पटसन का मूल्य भारत सरकार द्वारा नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर को छूता है तो बिना किसी मात्रात्मक सीमा के सरकार की ओर से समर्थन मूल्य अभियान चलाना।
2. जब भी आवश्यकता हो अन्य प्रयोजन के लिए एनजेएमसी की पटसन मिलों के लिए वाणिज्यिक कार्य शुरू करना।
3. एनजेबी की इमदाद योजना के तहत पटसन के प्रमाणित बीजों का वितरण करना और किसानों को प्रमाणित पटसन के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ धीरे–धीरे मात्रा को बढ़ाना।
4. अन्य विस्तारित गति विधियों को संचालित करना जैसे कि पटसन उत्पादकों के लाभ जेटीएमएमएम–।।। और एनजेबी योजनाओं के तहत केन्द्रों के आवंटन द्वारा नई रैटिंग तकनीकी का प्रदर्शन करना और दैनिक बाजार दर को प्रदर्शित करना।
5. मिनीमिशन–।।। के लिए कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका निभाना और मिनीमिशन–प्ट तथा पटसन प्रौद्योगिकी मिशन के अन्य मिनी मिशन की गतिविधियों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना।
6. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत स्कीमों की योजना बनाना और उनकों कार्यान्वित करना।

भारतीय पटसन निगम के कार्य निष्पादन को निम्नवत स्पष्ट किया गया है:

विवरण मात्रात्मक) (गांठे / लाख में	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	अनुमानित (एमयू के अनुसार) 2015-16
कच्चे पटसन की खरीद	1.56	3.63	1.90	0.57	1.88
कच्चे पटसन की बिक्री	1.34	2.40	2.60	1.46	1.78
अंत शेष माल	0.47	1.75	1.07	0.17	0.07
वित्तीय (रूपये लाख में)					
कच्चे पटसन की बिक्री	5599.39	11135.58	12331.00	8027.07	9500.00
कर पश्चात कुल लाभ	546.42	132.65	227.13	895.44	500.00

13.9 राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. (एनजेएमसी), कोलकाता

राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. को निम्नलिखित 6 (छह) पटसन मिलों अर्थात पश्चिम बंगाल में नेशनल, किन्नीसन, खरदाह, एजेक्जेंडर, यूनियम और कटिहार, बिहार में आरबीएचएम इकाई को शामिल करते हुए भारत सरकार को पूर्ण स्वामित्व वाले एक उपक्रम के रूप में 3 जून, 1980 को पंजीकृत या निगमित किया गया था। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य सरकार के खाद्य प्रसंस्करण एजेंसियों को आपूर्ति के लिए पटयन की वस्तुओं(बोरों) के विनिर्माण का व्यवसाय करना है। इसके प्रारंभ से निरंतर हानि और निवल मूल्य के ह्रास के कारण 1992 में कम्पनी को बीआईएफआर को संदर्भित किया गया था। तथापि, वस्त्र मंत्रालय के हस्तक्षेप से 19 मार्च, 2010 और 25 नवम्बर, 2010 के मंत्रिमंडल के निर्णय को ध्यान में रखते हुए छह मिलों में से एनजेएमसी द्वारा अपनी तीन मिलों (पश्चिम बंगाल में किन्नीसन, खरदाह और कटिहार, बिहार में इकाईःआरबीएचएम) को चलाने के लिए बीआईएफआर ने 31.3.2011 को आयोजित अपनी बैठक में कम्पनी के पुनरूद्धार प्रस्ताव को अंततः मंजूरी दे दी । इन मिलों के प्रचालन को 2003–04 में रोक दिया गया था और सभी कामगारों और कर्मचारियों को इस वर्ष से पूर्व स्वीकृत योजना के अनुसार वीआरएस दे दिया गया था। ठेके के श्रमिकों की नियुक्ति के द्वारा वर्ष के दौरान उत्पादन शुरू करने के लिए एचटी विद्युत लाइनों को बहाल करने, कारखाने के शेड, भण्डार, कार्यालय की मरम्मत और संयंत्र और मशीनरी तथा अन्य अवसंरचना की मरम्मत और नवीकरण के लिए पूरे प्रयास किए गए और यह हर्ष की बात है कि वर्ष के दौरान उपर्युक्त तीनों मिलों में नियमित उत्पादन शुरू हो गया।

एनजेएमसी सैकिंग (पटसन के बोरों) का निर्माण कर रहा है जिनकी आपूर्ति पटसन आयुक्त के कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी पीसीओ के प्रति सरकार की खाद्य प्रापण एजेंसियों को की जा रही है। 2000 से अधिक ठेका मजदूर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और उनकी मजदूरी को

सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों के परामर्श से उत्पादन और उत्पादकता के आधार पर समय–समय पर नियत किया जाता है और पीएफ, ईएसआई तथा अन्य लाभों के साथ पारदर्शी तरीके से ठेकेदार के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

बीआईएफआर द्वारा पुनरूद्धार योजना को स्वीकृति

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने लम्बी सुनवाई के बाद 31 मार्च, 2011 को कम्पनी के पुनरूद्धार योजना को स्वीकृति दी। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:–

(i) एनजेएमसी सभी कर्मचारियों को वीआरएस एवं बकाया दायित्वों के भुगतान के लिए 645.07 करोड़ रूपए, देनदारियों और कार्यान्वयन हेतु निधियों की व्यवस्था करने के लिए 702.21 करोड़ रूपए और आधुनिकीकरण एवं शुरूआत खर्च के लिए 215.70 करोड़ रूपए सहित 1562.98 करोड़ रूपए की कुल लागत पर 3 मिलों (पश्चिम बंगाल में मिन्नीसन, खरदाह और बिहार में आरबीएचएम) को स्वयं चलाएगा और 3 मिलों (पश्चिम बंगाल में नेशनल, एलेक्जेंडर एवं यूनियन) को बंद करेगा।

(ii) एनजेएमसी को भारत सरकार से 483.60 करोड़ रूपए का नया ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होगा जिसे एनजेएमसी की 3 (तीन) मिलों (नेशनल, यूनियम एवं ऐलेक्जेंडर) की परिसम्पत्तियों और किन्नीसन एवं खरदाह और आरबीएचएम के तीन पुनरूद्धारमिलों की अधिशेष परिसम्पत्तियों की बिक्री के माध्यम से वापस किया जाना है।

(iii) 215.70 करोड़ रूपए की लागत पर पूर्ण आधुनिकीकरण के बाद स्थापित क्षमता 305 मीट्रिक टन प्रति दिन होगी।

(iv) छठे वर्ष अर्थात 2015–16 में निवलमूल्य के सकारात्मक होने की संभावना है।

(v) संयुक्त पैकेज के अंतर्गत अधिकारियों के वीआरएस का निपटारा।

(vi) आधुनिकीकरण पूरा होने तक शुरूआत में संविदा आधार पर कार्यबल की नियुक्ति ।

शेष 3 बंद मिलों नामतः (यूनियन, नेशनल और एलेक्जेंडरा मिल) की परिसंपत्तियों का उपयोग जहां सभी में 130 एकड़ भूमि को टेक्सटाइल हब, अपैरल पार्क आदि जैसे व्यवहार्य उत्पाद उपयोग के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए संव्यहार्य सलाहकार की नियुक्ति (मैसर्स प्राइस वाटर हाऊस कूपर्स लि.) की गई है और एक रूपरेखा तैयार किया गया है। मिलों को औपचारिक रूप से बंद करने के लिए भूमि सहित अधिशेष परिसंपत्तियों की बिक्री के संबंध में सहयोग के लिए मामले को श्रम मंत्रालय सहित पं. बंगाल सरकार के साथ उठाया जा रहा है। अंतरिम अवधि में, चल रही मिलों का लाभप्रदता के साथ प्रचालित करने और भूमि की परिसंपत्तियों के नकदीकरण के लिए समूचित मॉडूल की पहचान करने के लिए विकल्प तलाशे जा रहे हैं।

सभी 3 पुनरूद्धार मिलों में औसत उत्पादन क्रमिक रूप से बढ़ रहा है जिन्हें 8 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः शुरू किया गया है। रोजगार का वर्तमान स्तर उत्पादन और पुनरूद्धार योजना के आधुनिकीकरण के साथ बढ़ेगा।

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
डत्पादन (एमटी)	9379	9916	6313
	करोड़ रुपए में	करोड़ रुपए में	करोड़ रुपए में
बिक्री	49.73	58.12	37.70
अन्य आय	17.67	17.98	20.35
कुल	67.40	76.10	58.05
स्टॉक की वृद्धि	1.51	1.22	2.50
कच्ची सामग्री एवं स्टोर	29.27	36.24	24.28
विद्युत एवं ईंधन	4.71	5.24	3.75
ठेकेदार के माध्यम से वेतन	20.41	24.40	15.72
वेतन एवं लाभ	1.42	1.62	2.20
वीआरएस व्यय	0.00	–	–
अन्य व्यय	25.21	13.08	8.06
ब्याज	0.30	0.30	0.31
अवमूल्यन	0.57	0.55	1.72
कुल	83.40	82.65	58.54
कुल लाभ / हानि (–)	(–)16.00	(–) 6.55	0.48
नगद लाभ / हानि (–)	(–) 15.43	(–) 6.00	1.23

13.9.1 एनजेएमसी की एक सहायक कंपनी बड़र्स जूट एंड एक्सपोर्ट लि. (बीजेईएल)

बड़र्स जूट एंड एक्सपोर्ट लि. (बीजेईएल), पटसन वस्त्रों की एक संसाधन इकाई बड़र्सएंड कंपनी की एक सहायक कम्पनी थी जिसकी स्थापना 1904 में की गई थी। भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लि. (बीपीएमईएल) ने 1980 में राष्ट्रीयकरण होने पर इन परिसम्पत्तियों को अपने अधिकार में ले लिया था और यह बीजेईएल के 58.94 प्रतशित इक्विटी शेयरों की नियंत्रक बन गई। उसके बाद भारत सरकार ने 1986 में बीजेईएल शेयरों को एमजेएमसी में अंतरित करने का निर्णय लिया।

बीजेईएल ने पटसन तथा ब्लेंडेड वस्त्रों के विरंजन, रंगने और प्रिंटिंग के लिए प्रसंस्करण इकाई के रूप में कार्य किया। लगातार घाटे और प्रतिकूल निवल पूंजी के कारण इसे वर्ष 1999 में रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 3(1)(0) के तहत बीआईएफआर द्वारा रूग्ण घोषित कर दिया गया था। काफी समय पहले, उक्त अधिनियम की धारा 17(3) के तहत पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए आईडीबीआई बैंक लि. को प्रचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

बीजेईएल ने सरकार द्वारा सलाह के अनुसार संशोधन के पश्चात बीजेईएल की अधिशेष भूमि की बिक्री और ब्याज मुक्त भारत सरकार के ऋण से मुख्य रूप से वित्त पोषित किए जाने वाले 137.88 करोड़ रूपए की कुल योजना लागत के साथ उपार्जित प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत किया। बीजेईएल की अधिशेष भूमि की बिक्री और भारत सरकार के ब्याज मुक्त ऋण और नियंत्रक कम्पनी का ऋण, सामान्य दर पर प्रोद्भूत ब्याज के साथ लौटाए जाने का प्रस्ताव किया गया था। इस प्रस्ताव में 30.57 करोड़ रूपए की कार्यशील पूंजी सहित पूंजीगत व्यय से इसके विद्यमान संयंत्र का आधुनिकीकरण और नवीकरण भी शामिल है। उपर्युक्त प्रस्ताव बीआईएफआर को भेजा गया। बीआईएफआर ने 21.20 करोड़ रूपए की राशि के शुरूआती खर्च ब्रिज लोन के रूप में प्रदान करने हेतु वस्त्र मंत्रालय से सिद्धांत रूप से स्वीकृति के साथ बीजेईएल का संशोधित डीएसआर स्वीकार किया और इसे 3.11.2011 को स्टेकहोल्डरों में परिचालित करने का निदेश दिया।

कम्पनी की उत्पादकता गतिविधि को अक्टूबर 2002 से रोक दिया गया है और कम्पनी ने अपने सभी कामगारों और कर्मचारियों को वर्ष 2003 और 2004 में वीआरएस दे दिया है। पिछले तीन वर्षों के लिए वित्तीय कार्य निष्पादन नीचे तालिका में दिया गया है:–

वास्तविक	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
उत्पादन	————	————	————
वित्तीय परिणाम	(लाख रुपए में)	(लाख रुपए में)	(लाख रुपए में)
अन्य आय	8.76	8.78	8.89
कुल	8.76	8.78	8.89
वेतन एवं मजदूरी	–	–	–
वीआरएस व्यय	–	–	–
प्रशासनिक एवं अन्य ओवरहेड	75.02	80.61	139.93
जीओआई एवं एनजेएमसी ऋण पर ब्याज	778.72	400.57	419.02
अवमूल्यन	1.09	1.01	4.07
कुल	854.83	482.19	563.02
कर पूर्व हानि	865.57	265.10	584.64

अध्याय–14

वस्त्र अनुसंधान

14.1 वस्त्र अनुसंधान संघ

वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तथा प्रक्रियाओं की प्रगति में अनुसंधान एवं विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए मंत्रालय द्वारा वस्त्र अनुसंधान संघों, जो इस क्षेत्र की समग्रता को कवर करते हैं, को सक्रिय सहायता प्रदान की जा रही है। आठ टी.आर.ए. अनुसंधान एवं विकास कार्य में लगे हुए हैं:

1. अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ (एटीआईआरए)
2. बॉम्बे वस्त्र अनुसंधान संघ (बीटीआरए)
3. दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एसआईटीआरए)
4. उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एनआईटीआरए)
5. मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ (मंत्रा)
6. सिंथेटिक एवं आर्ट रेशम मिल्स अनुसंधान संघ (सस्मीरा)
7. भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (आईजेआईआरए)
8. ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यूआरए)

14.1.1 अनुसंधान एवं विकास

मौजूदा आर एंड डी स्कीम को अधिक परिणाम उन्मुखी बनाने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए हाल ही में संशोधित किया गया है। आर एंड डी की इस संशोधित स्कीम के तीन प्रमुख संघटक डिजाइन किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

संघटक–I: वस्त्र और संबद्ध क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़े वस्त्र अनुसंधान संघों सहित प्रतिष्ठित अनुसंधान एजेंसियों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, उद्योग संघों आदि द्वारा

अनुसंधान और विकास परियोजनाएं चलाई जाएंगी (कुल परिव्यय – 50 करोड़ रुपये)।

उद्देश्य :

- संविदा अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से उद्योगों के साथ सहयोग करके बाजार प्रेरित अनुसंधान को सुनिश्चित करना।
- नए उत्पादों और नई प्रक्रियाओं का विकास।
- अनुसंधान और विकास का क्षेत्र वस्त्र श्रृंखला के सभी क्षेत्रों और विशेषकर तकनीक जैसे अग्रणी क्षेत्रों में बुनियादी और प्रायोगिक अनुसंधान को शामिल करेगा।
- उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नए कारोबारी अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए बाजार में नए उत्पादों/प्रक्रियाओं को लाने के उद्देश्य से विकसित प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने/बाजारीकरण की भी इस संघटक में परिकल्पना की गई है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का वाणिज्यीकरण करना कि आर एंड डी प्रयास उस प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए लक्षित हो जो इस सेक्टर और उद्योग के विकास के लिए आवश्यक और प्रासंगिक हो।

संघटक–II: पटसन क्षेत्र में आर एंड डी का प्रोत्साहन; पटसन क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों का अंतरण और प्रसार के क्रियाकलाप (कुल परिव्यय–80 करोड़ रुपये)।

उद्देश्य: स्कीम में इस संघटक के उद्देश्य हैं:

- पटसन का उपयोग और विविध कार्यों में बढ़ाने के लिए आर एंड डी प्रयासों को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से जहां पटसन का उपयोग भारी मात्रा में होता हो।
- बारहवीं योजना में आर एंड डी प्रयासों का जोर पटसन का उपयोग पटसन–जियो––टेक्सटाइल, पटसन–एग्रोटेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, पेपर की लुगदी का निर्माण, ऑटोमोबाइल और अन्य क्षेत्रों में पटसन मिश्रित चीजों का उपयोग करने में होगा।
- अन्य टेक्सटाइल प्रयोगों में पहले से हासिल की गई प्रौद्योगिकी को (वुलेनाइजेशन, बलेंड्स, महीन धागा, सुगंधित कपड़े, अग्निरोधी और जलरोधी कपड़ा इत्यादि) पटसन में प्रयोग के लिए और आर एंड डी के माध्यम से सुग्राह्य बनाना।
- विकसित प्रौद्योगिकियों का अंतरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए औद्योगिक/क्षेत्रीय प्रदर्शन।

संघटक–III: मानकीकरण संबंधी अध्ययन, ज्ञान का प्रसार और आर एंड के माध्यम से हरित प्रयासों को प्रोत्साहित करना (कुल परिव्यय–15 करोड़ रुपये)।

उद्देश्य: स्कीम के इस संघटक का उद्देश्य है:

- औद्योगिक मानक और मानकीकरण तैयार करने के लिए अनुसंधान अध्ययन चलाना और उचित मानकीकरण हासिल करने के लिए चरणों की पहचान करना और उन्हें प्रलेखित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उद्योग हरित प्रयासों को कार्यान्वित कर सकें।

- इस प्रकार तैयार किए गए मानकीकरणों का प्रसार और इकाइयों को सजग करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना; और
- इस मानकीकरण को हासिल करने वाली इकाइयों को प्रत्यायन में सहयोग देना और बेहतर राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता के लिए प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता देना।

14.1.2 पात्र एजेंसियां:

वस्त्र अनुसंधान संगठनों सहित प्रतिष्ठित अनुसंधान एजेंसियां, विश्वविद्यालय, उद्योग संघ, सरकार अनुमोदित अनुसंधान केंद्र जैसे आईआईटी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाएं/मान्यता प्राप्त इंजिनियरिंग कॉलेज/डीएसटी/डीएसआईआर आदि से अनुमोदित संस्थान परियोजना प्रस्ताव देने के लिए पात्र होंगे।

14.1.3 कार्यान्वयन एजेंसी और नोडल अधिकारी:

(i) संघटक I और III के लिए वस्त्र आयुक्त का कार्यालय कार्यान्वयन एजेंसी होगा ओर संघटक II के लिए पटसन आयुक्त का कार्यालय कार्यान्वयन एजेंसी होगा।

(ii) भारत सरकार का अपर सचिव/संयुक्त सचिव रैंक का वस्त्र आयुक्त संघटक और सभी आर एंड डी क्रियाकलापों हेतु प्रत्यक्ष रूप से नोडल अधिकारी होगा और संघटक II के तहत सभी पटसन और पटसन संबंधी आर एंड डी क्रियाकलापों के लिए भारत सरकार का संयुक्त सचिव रैंक का पटसन आयुक्त नोडल अधिकारी होगा। परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन पीएएमसी करेगा और अपनी सिफारिशों को पीएसी को भेजेगा।

14.1.4 पात्र निधि सहायता:

(i) व्यावहारिक अनुसंधान से जुड़ी परियोजनाओं के मामलों में, परियोजना लागत की अधिकतम 70 प्रतिशत राशि का सहयोग दिया जाएगा और शेष राशि का प्रबंध संबंधित परियोजना अधिशासी एजेंसी/संस्थान द्वारा उद्योग से अथवा स्वयं के स्रोतों से किया जाएगा; जिसका ब्यौरा परियोजना प्रस्ताव जमा कराते समय दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अनुसंधान उद्योग की जरूरत के अनुसार होगा। यदि एजेंसी का पूर्ण या आंशिक योगदान सेवाओं के रूप में होगा तो इसका मूल्य निर्धारित करके परियोजना लागत में जोड़ा जाएगा।

(ii) बुनियादी अनुसंधान से जुड़ी परियोजनाओं के लिए पीएएमसी 100 प्रतिशत निधि तक की सिफारिश पुरजोर तर्क सहित केस–वार आधार पर कर सकती है।

स्कीम अवधि (2014–15 से 2018–19) के लिए कुल आवंटन राशि 149 करोड़ रुपये है।

14.2 वस्त्र समिति

वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 द्वारा स्थापित वस्त्र समिति का मुख्य उद्देश्य आंतरिक विपणन और निर्यात दोनों के लिए वस्त्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। इसके कार्यों में वस्त्रों की गुणवत्ता और वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देना, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में अनुसंधान करना, वस्त्रों और वस्त्र मशीनरी के लिए मानक स्थापित करना, प्रयोगशालाओं की

स्थापना, आंकड़ों का संग्रहण आदि शामिल है। समिति का मुख्यालय मुंबई में है और इसके 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उनमें 9 परिस्थितिकी–मानदंड परीक्षण प्रयोगशालाओं सहित 17 प्रयोगशालाएं हैं।

14.2.1 वर्ष 2015–16 के दौरान निष्पादनः

1.0 वस्त्र समिति की प्रयोगशालाएंः

1.1 वस्त्रों के अनिवार्य लदान–पूर्व गुणवत्ता निरीक्षण में सहायता करने के लिए वस्त्र समिति ने देश में प्रमुख वस्त्र केंद्रों में प्रयोगशालाएं स्थापित कीं।

1.2 आरंभ में, वर्ष 1969 के दौरान मुंबई स्थित वस्त्र समिति के मुख्यालय में एक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। बाद में, वर्ष 1973 से 2002 तक अहमदाबाद, बंगलौर, कन्नानूर, चेन्नई, कोयम्बटूर, गुंटूर, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, करूर, कोलकाता, लुधियाना, मदुरई (पीपीपीके अंतर्गत), मुम्बई, नई दिल्ली, पानीपत और तिरूपुर में भारत में प्रमुख वस्त्र केंद्रों में 17 और प्रयोगशालाएं स्थापित की गई थीं। 14 प्रयोगशालाएं आईएसओ/आईईसी/17025:2005 मानकों के अनुसार एनएबीसीएल से प्रत्यापित हैं और इनमें से बंगलौर, कन्नानूर, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, लुधियाना, करूर, मुंबई, नई दिल्ली और तिरूपुर स्थित 10 प्रयोगशालाओं में पारिस्थितिक जांच हेतु सुविधाएं भी हैं।

1.3 प्रयोगशाला स्कंध की संगठनात्मक संरचना में निदेशक शामिल है जिनकी सहायता संयुक्त निदेशकों, गुणवत्ता आश्वासन अधिकारियों, कनिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन अधिकारियों और अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा की जाती है।

1.4 जांच कार्यकलापः प्रयोगशालाओं द्वारा अधिसूचित जांच प्रभार लेकर वाणिज्यिक जांच योजना के अंतर्गत वस्त्रों के गुणवत्ता संबंधी पहलुओं के लिए तथा गुणवत्ता के सुधार हेतु उनके नमूनों की जांच कर वस्त्र क्षेत्र से जुड़े निर्यातकों, विनिर्माताओं, व्यापारियों और अन्य एजेंसियों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है।

1.5 अन्य कार्यकलापः

1.5.1 वस्त्र उद्योगों और संस्थानों के लाभार्थ वस्त्र समिति की प्रयोगशालाओं द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान वस्त्र समिति की विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा रंगो, रसायनों एवं वस्त्रों की जांच से संबंधित तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और 86 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया था। जो संस्थान समिति की प्रशिक्षण सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, उनमें से कुछ हैं – बीडी सोमानी इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलॉजी, रचना संसद, वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन का कार्यालय, उद्योग मंत्रालय, असम एंड राइट्स लि., हैदराबाद। इस मद पर 1.45 लाख रुपये की राजस्व आय का अनुमान है।

1.6 प्रत्यायन

वस्त्र समिति की 17 प्रयोगशालाओं में से 14 को एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित किया गया है। जयपुर, लुधियाना और नई दिल्ली में तीन प्रयोगशालाओं की पुनर्निर्धारण लेखा परीक्षा का कार्य पूरा हो

गया है। कन्नानूर, चैन्नई और हैदराबाद की तीन प्रयोगशालाओं की डेस्कटॉप लेखा परीक्षा पूरी हो गई है और इनके प्रत्यायन को जारी रखने की सिफारिश हुई है।

1.6.1 एनएबीएल द्वारा हैदराबाद, कानुपर, करूर, कन्नानूर, चेन्नई, कोयम्बटूर और मुंबई की पुनर्निर्धारण लेखा परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। लेखा परीक्षा के बाद एनएबीएल ने हैदराबाद, कानपुर, करूर, कन्नानूर, चेन्नई, कोयम्बटूर और मुंबई स्थित प्रयोगशालाओं के लिए प्रत्यायन स्थिति जारी रखने की सिफारिश की है।

1.6.2 प्रयोगशाला प्रबंधन प्रणाली पर परामर्शः मैसर्स लैबोरेट्री, पीएसजी टेक, सीओई इंदूटेक, कोयम्बटूर को आईएसओ/आईईसी/17025:2005 मानकों के अनुसार प्रयोगशाला के प्रत्यायन के लिए परामर्श जुलाई, 2014 में शुरू हुआ और अब पूर्ण होने की ओर है। वस्त्र समिति ने भी प्रयोगशाला के प्रत्यायन हेतु परामर्श देना आरंभ कर दिया है।

1.7 प्रवीणता जांच प्रदाता

अपनी 14 प्रयोगशालाओं की प्रत्यायन स्थिति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा की जाने वाली राउंड रोबिन जांच में भागीदारी के कारण होने वाले व्यय से बचने के लिए अप्रैल, 2007 में पीटी प्रदाता प्रकोष्ठ नाम से प्रयोगशाला के भीतर एक पृथक प्रतिष्ठान की स्थापना की गई है। यह प्रकोष्ठ वस्त्र समिति की प्रयोगशालाओं और भारत की अन्य प्रयोगशालाओं के लिए अंतर तुलनात्मक कार्यक्रम का आयोजन करता है और पड़ोसी देशों को भी इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वर्ष 2015–16 के दौरान, प्रकोष्ठ ने टेक्सटाइल के रसायनिक, पारिस्थितिक और यांत्रिक मानकों के लिए तीन प्रवीणता जांच स्कीमों का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में भारत से 58 प्रयोगशालाओं ने भाग लिया। इस मद से 5.95 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

1.8 कारोबार करने को सरल बनाने संबंधी नए प्रयास

1.8.1 कोचीन और जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी), मुंबई में प्रयोगशालाएं स्थापित करनाः त्वरित निकासी की सुविधा देने के लिए 'कारोबार करने को सरल बनाना के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय ने कोचीन पोर्ट पर नई वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिनांक 30 सितम्बर, 2015 के पत्र के तहत 97.20 लाख रुपये की पहली किस्त वस्त्र समिति को मंजूर की गई। इसी तरह, दिनांक 04.12.2015 को सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता वाली कस्टम निकासी सुविधा समिति की बैठक के दौरान जेएनपीटी, मुंबई पर वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। वस्त्र मंत्रालय ने जेएनपीटी, मुंबई पर नई प्रयोगशाला स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया और दिनांक 20 जनवरी, 2016 के पत्र के तहत 97.24 लाख रुपये की पहली किस्त वस्त्र समिति को मंजूर

की गई। दिनांक 29.01.2016 को अग्रणी समाचार पत्रों में दोनों वस्त्र परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए उपस्कर/उपकरणों की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापन दिए गए। कोटेशन प्राप्त होने पर इनका मूल्यांकन किया जाएगा और इन्हें शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।

1.8.2 वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय कम करने और उपभेक्ताओं की सुविधा के लिए "निर्यात में लेन देन की कीमत" के संबंध में गठित किए गए दूसरे कार्य समूह की सिफारिशों के अनुसार मुंबई स्थित प्रयोगशाला में आनलाइन भुगतान व्यवस्था आरंभ की गई है। यह सुविधा अन्य प्रयोगशालाओं में भी शुरू की जाएगी। वस्त्र समिति की प्रमुख प्रयोगशालाओं में कार्ड से भुगतान की सुविधा भी आरंभ की जाएगी।

1.8.3 त्वरित निकासी और नमूनों के परीक्षण और जांच पड़ताल में लगने वाले टर्न राउंड समय को घटाने के लिए नमूनों की जांच और परीक्षण के पश्चात् इसके नतीजे इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाते हैं। वस्त्र समिति, मुंबई की सहर एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, मुंबई स्थित प्रयोगशाला में कस्टम सॉफ्टवेयर आइस गेट को जांचा गया है। वस्त्र समिति और आइस गेट सर्वरों के मध्य सफलतापूर्वक वीपीएन संपर्क स्थापित किया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से नमूनों के नकली आंकड़े कस्टम और वस्त्र समिति के बीच अंतरित किए गए हैं। आइसगेट के प्रयोगशाला मोड्यूल में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जिन्हें महानिदेशक सिस्टम (एकल विंडो) देख रहे हैं। जब यह तकनीकी दिक्कतें हल हो जाएंगी तो वस्त्र समिति की अन्य प्रयोगशलाओं के बीच भी वही संपर्क उपलब्ध हो जाएगा।

1.8.4 वस्त्र समिति और जापानी वस्त्र उत्पाद गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी केन्द्र के बीच समझौता ज्ञापनः गत वर्ष, भारत सरकार ने भारत और जापान के बीच वस्त्रों और अपरैल के द्विपक्षीय व्यापार को व्यवस्थित करने का निर्णय लिया है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने जुलाई, 2015 में जापान की यात्रा के दौरान गुणवत्ता और व्यवस्थित तथा सतत तरीके से अनुपालन जैसे विभिन्न गंभीर मुद्दों पर बात की। जापान में गुणवत्ता संस्कृति, विशेषकर अन्य निर्यात के गंतव्यों से हटकर जापान में गुणवत्ता संस्कृति की बेहतर समझ के लिए भारतीय वस्त्र व्यापार और अपरैल्स को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। जापान जैसे महत्वपूर्ण बाजार के लिए भारतीय वस्त्रों की गुणवत्ता के सुधार कार्य का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने ओवरसीज कोलेब्रेशन का निर्णय लिया क्योंकि जापानी बाजार गुणवत्ता के प्रति अत्यधिक सचेत रहते हैं। यह जरूरी है कि जापानी बाजारों के अनुरूप परीक्षणों को विकसित किया जाए। जापान अपने बाजारों के लिए वस्त्रों और कपड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के विशिष्ट परीक्षण तरीके अपनाता है। जापानी बाजारों के लिए वस्त्रों और कपड़ों के निर्यात के लिए इसी प्रकार की परीक्षण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्यार्थ भारत

सरकार ने क्यूटीईसी (क्यूटेक) से सहायता लेने का निर्णय लिया है। इसलिए, वस्त्र समिति ने जापानी वस्त्र उत्पाद गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी केंद्र (क्यूटेक) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। यह गुणवत्ता अनुपालन क्रियाकलाप और वस्त्रों में परस्पर रूचि वाले क्षेत्रों में सहयोग क्षमता तैयार करने को स्थपित और प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत किया गया है। वस्त्र समिति द्वारा नवम्बर, 2015 में समझौता ज्ञापन का तैयार किया गया प्रारूप वस्त्र मंत्रालय को भेजा गया था। विदेश मंत्रालय के विधिक और करार प्रभाग ने इसकी समीक्षा के पश्चात् इसे अंतिम रूप से दिया है। विदेश मंत्रालय द्वारा सुझाए गए कतिपय सुझावों को समझौता ज्ञापन में शामिल किया गया है। बाद में इसे क्यूटेक, जापान को अनुमोदनार्थ भेजा गया। क्यूटेक, जापान से अनुमोदन की प्रतीक्षा है। क्यूटेक, जापान द्वारा अनुमोदन पश्चात संबंधित पक्षों द्वारा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

14.2.2 निर्यात संवर्धन एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रभागः

2.1 निर्यात संवर्धन एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग निम्नलिखित कार्य करता हैः

i) अधिनियम की धारा 4(2)(क) के अंतर्गत वस्त्र उद्योग में तकनीकी अध्ययन करना

ii) अधिनियम की धारा 4(2)(ख) के अंतर्गत वस्त्रों का निर्यात संवर्धन

iii) अधिनियम की धारा 4(2)(ग) के अंतर्गत वस्त्रों और पैकिंग सामग्री हेतु मानक विर्निदेशन स्थापित करना, उनका अंगीकरण करना और उन्हें मान्यता देना।

iv) अधिनियम की धारा 4(2)(घ) के अंतर्गत वस्त्रों पर लागू होने वाली गुणवत्ता नियंत्रण अथवा निरीक्षण की जरूरत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करना ।

v) अधिनियम की धारा 4(2)(घ क) के अंतर्गत वस्त्रों पर लागू होने वाले गुणवत्ता नियंत्रण की तकनीकों पर प्रशिक्षण देना ।

vi) अधिनियम की धारा 4(2)(ड.) के अंतर्गत वस्त्रों तथा वस्त्रों की पैकिंग में प्रयुक्त पैकिंग सामग्री के निरीक्षण और जांच की व्यवस्था करना

vii) अधिनियम की धारा 4(2)(झ) और 4(2)(जे) के अंतर्गत क्रमशः वस्त्र उद्योग के विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देना और ऐसे अन्य मामलों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, के लिए व्यवस्था करना ।

viii) एचटीएस और एचएस प्रणाली के अंतर्गत वस्त्रों का वर्गीकरण

2.2 इस प्रभाग का प्रमुख एक निदेशक होता है जिसकी सहायता मुख्यालय में तैनात प्रशासनिक कर्मचारियों के अलावा, संयुक्त निदेशकों, उप निदेशकों, सहायक निदेशकों और गुणवत्ता आश्वासन अधिकारियों द्वारा की जाती है । अधिकारी योग्य वस्त्र प्रौद्योगिकीविद होते हैं ।

2.3 निर्यात संवर्धन में सहायता के रूप में गुणवत्ता निरीक्षण करने के अलावा, यह प्रभाग विभिन्न द्विपक्षीय करारों/स्कीमों के अंतर्गत अपेक्षित निर्यातकों को

निम्नलिखित विशेष प्रमाण पत्र भी जारी करता है ।

(क) **सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली (जीएसपी) के अंतर्गत उद्गम प्रमाण पत्र** : सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली (जीएसपी) की योजना के अंतर्गत समिति निर्यातकों को वस्त्रों तथा वस्त्र मदों के लिए प्रपत्र–क में जीएसपी प्रमाण पत्र जारी करती है। इस प्रमाण पत्र से आयातक आयात स्थान पर शुल्क में अंतर का दावा कर सकते हैं।

(ख) **भारत–जापान व्यापक आर्थिक करार (आईजेसीईपीए) के अंतर्गत उद्गम प्रमाण पत्र** : वाणिज्य मंत्रालय ने दिनांक 15.5.2014 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 59/2009–2014 (आरई–2013) के तहत वस्त्र समिति जापान को निर्यात हेतु वस्त्रों एवं मेड–अप्स के लिए भारत–जापान व्यापक आर्थिक करार (आईजेसीईपीए) के अंतर्गत उद्गम प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया है।

(ग) **उद्गम प्रमाण पत्र (गैर अधिमानी)**: वस्त्र समिति को जुलाई, 2005 से उद्गम प्रमाण पत्र (गैर अधिमानी) जारी करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है ताकि निर्यातक निर्यातित सामग्री के उद्गम के देश की पुष्टि कर सकें ।

(घ) हथकरघा प्रमाण पत्रः विकसित देशों के साथ विभिन्न द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत समिति द्वारा पात्र वस्त्र मदों के हथकरघा उद्गम को सुनिश्चित करने के लिए सीमित निरीक्षण करने के बाद हथकरघा एवं कुटीर उद्योग प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं ताकि आयातक शुल्क रियायतों का दावा कर सकें ।

(ड.) टैरिफ दर कोटा प्रमाण पत्र (टीआरक्यूसी): निम्नलिखित देशों के लिए विशिष्ट वस्त्र मदों हेतु आयात कोटे की निगरानी करने के लिए टीआरक्यूसी पर पृष्ठांकन किया जाता है:

i) भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आईएसएफटीए) के अंतर्गत श्रीलंका से सिले–सिलाए वस्त्रों के लिए

ii) दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) के अंतर्गत बंगलादेश से परिधानों के लिए

iii) भारत–नेपाल व्यापार संधि के अंतर्गत नेपाल से एक्रीलिक यार्न के लिए

च) वस्त्रों का वर्गीकरणरू वस्त्र समिति सुमेलीकृत प्रणाली (एचएस)/संयुक्त राज्य एनोटेड की सुमेलीकृत टैरिफ अनुसूची (एचटीएसयूएसए)/संयुक्त नामावली (सीएन) कोड के अंतर्गत वस्त्रों और वस्त्र मदों के वर्गीकरण पर वस्त्र उद्योग एवं व्यापार जगत को सेवाओं की पेशकश करती है। इस सेवा का लाभ मुख्यतः वस्त्र निर्यातकों, आयातकों और भारतीय सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा उठाया जाता है ।

2.4 वर्ष 2015–16 (नवम्बर, 2015 तक) के दौरान इस प्रभाग द्वारा किए गए कार्य की मात्रा दिसंबर, 2015 से मार्च, 2016 तक प्रत्याशित आंकड़ों का उल्लेख निम्नानुसार है:

क्र. सं.	कार्यकलाप	(2015–2016 (अप्रैल से नवम्बर , 2015)	दिसम्बर, 2015 से मार्च, 2016 हेतु अनुमोदित
1.	आरएसओ–17020 के अंतर्गत गुणवत्ता निरीक्षण (लाटों कीसंख्या)	239	120
2.	(आईजेसीपीए) के अंतर्गत किए गए वास्तविक सत्यापन की संख्या	199	100
3.	जारी किए गए उद्गम प्रमाण पत्रों की संख्या	271939	135970
4.	जारी किए गए उद्गम प्रमाण पत्रों की (गैर–अधिमानी) संख्या	63894	31947
5.	जारी किए गए आईजेसीईपीए प्रमाण पत्रों की संख्या	1513	760
6.	हथकरघा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए करघे के उद्गम हेतु सीमित निरीक्षण के अंर्तगत जांच किए गए लाटों की संख्या	75	38
7.	जारी किए गए हथकरघा और अन्य विशेष प्रमाण पत्रों की संख्या	107	54
8.	एचएस कोड, विवरण आदि हेतु वर्गीकृत नमूनों की संख्या	3918	1960
9.	पंजीकृत नए निर्यातकों की संख्या	540	270
10.	नवीनीकृत पंजीकरणों की संख्या	2466	1240
11.	कोरे जीएसपी प्रपत्रों की संख्या	171296	85650
12.	कोरे उद्गम प्रमाण पत्र (गैर–अधिमानी) के प्रपत्रों की बिक्री	79329	39670
13.	सीओ (आईजेसीपीए) की बिक्री	1831	915
14.	द्विपक्षीय करार के अंतर्गत कोरे प्रमाण पत्रों की बिक्री	146	75
15.	आईएसएफटीए के अंतर्गत आरएमजी के आयात कोटे की निगरानी हेतु टीआरक्यूसी पर पृष्ठांकन	0	0
16.	भारत–नेपाल व्यापार संधि के अंतर्गत एक्रेलिक यार्न के आयात कोटे की निगरानी हेतु टीआरक्यूसी पर पृष्ठांकन (मी. टट. में)	3344	1680
17.	साफ्टा के अंतर्गत बंगलादेश से परिधान मदों के लिए टीआरक्यूसी पर पृष्ठांकन	0	0
18.	जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखानों की रेटिंग हेतु पंजीकृत इकाइयों की संख्या	33	16
	उपर्युक्त क्र.सं. 1 से 18 पर उल्लिखित कार्यकलापों के लिए सृजित कुल राजस्व (करोड़ रुपये में)	11.59	5.79

2.5 वर्ष के दौरान अप्रैल, 2015 से नवम्बर, 2015 तक निर्यात संवर्धन एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग द्वारा सृजित सेवा–वार राजस्व नीचे दर्शाया गया है:

सेवा–वार राजस्व का सृजन
ईपी एंड क्यूए प्रभाग (अप्रैल से नवम्बर, 2015)

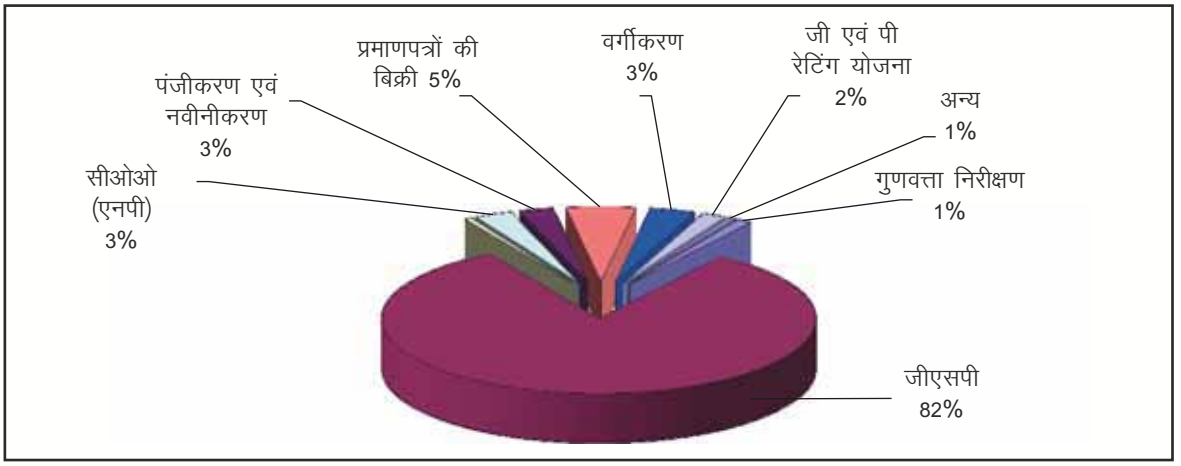

2.6 जीएसपी प्रमाण पत्रों के पृष्ठांकन से ईपीएंडक्यूए प्रभाग द्वारा सृजित राजस्व के एक बड़े भाग (82 प्रतिशत) का योगदान मिलता है, विभिन्न कोरे प्रमाणपत्रों की बिक्री से राजस्व के कुल संग्रहण में 5 प्रतिशत का योगदान मिलता है। अप्रैल, 2015 से नवम्बर, 2015 की अवधि के दौरान यद्यपि उद्गम प्रमाण पत्र (गैर–अधिमानी) जारी करने से प्राप्त राजस्व का योगदान 3 प्रतिशत और पंजीकरण तथा नवीनीकरण शुल्क का योगदान 3 प्रतिशत रहा तथापि, वर्गीकरण का हिस्सा 3 प्रतिशत, जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखानों के निर्धारण का हिस्सा 2 प्रतिशत, गुणवत्ता निरीक्षण का हिस्सा 12 प्रतिशत और अन्य सेवाओं अर्थात भारत–श्रीलंका एवं भारत–नेपाल मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत टीआरक्यूसी पृष्ठांकन का हिस्सा कुल राजस्व का 1 प्रतिशत रहा।

2.7 वर्ष 2012–13 वर्ष 2015–16 तक ईपीएंडक्यूए प्रभाग द्वारा सृजित राजस्व (अनुमानित) निम्नलिखित चार्ट में दिया गया है।

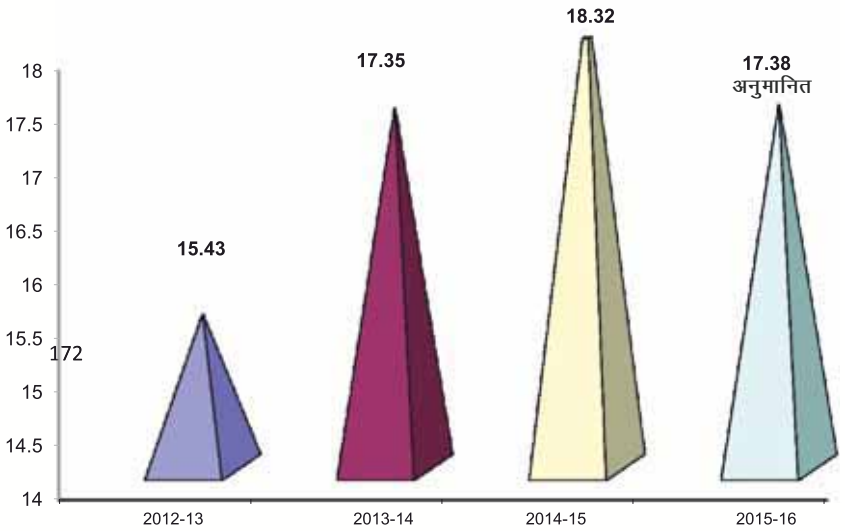

2.8 उपर्युक्त चार्ट से वर्ष 2012–2015 से ईपीक्यूए प्रभाग की राजस्व वसूली में रूझानों का पता चलता है। तीन वित्त वर्षों के दौरान प्रभाग के राजस्व सृजन में रूझान क्रमशः –2.27: (2012–13), +12. 44% (2013–14) और +5.59% (2014–15) रहे हैं।

2.9 विकास गतिविधियां:

जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखानों के मूल्यांकन एवं रेटिंग संबंधी विकास कार्यकलाप योजना

वस्त्र मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.4.2008 के पत्र के तहत वस्त्र समिति को "जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखानों के मूल्यांकन एवं रेटिंग" का कार्य सौंपा गया था। इकाइयों का मूल्यांकन नवम्बर, 2009 से शुरू हुआ था। रेटिंग हेतु 1028 इकाइयां पंजीकृत गई थीं और 972 इकाइयों का निर्धारण पूरा हो गया है।

नवम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार निर्धारण एवं रेटिंग की स्थिति से संबंधित आंकड़े:

नामांकित आवेदन	1028
मूल्यांकित इकाइयों की संख्या	972
रेटेड इकाइयों की संख्या	972
5 स्टार रेटेड इकाइयां	024
4 स्टार रेटेड इकाइयां	110
3 स्टार रेटेड इकाइयां	256
2 स्टार रेटेड इकाइयां	406
1 स्टार रेटेड इकाइयां	057
1 स्टार (सीमित अवधि के लिए)	075
अनंतिम रूप से रेटेड इकाइयों की संख्या	044

14.2.3 टीक्यूएम सेवाएं :

3.1 वस्त्र समिति ने अपनी भूमिका विनियामक से बदलकर विकासात्मक कर ली है। इस प्रक्रिया में यह उद्योग हितैषी संगठन के रूप में उभरी है। विकास कार्यकलाप शुल्क आधार पर इच्छुक वस्त्र इकाइयों को आईएसओ–9000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों, आईएसओ–14000 पर्यावरणिक प्रबंधन प्रणालियों, एसए–8000 (सामाजिक जिम्मेवारी संबंधी प्रबंधन प्रणालियां), ओएचएसएएस–18000 (व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा निर्धारण श्रंखला), सेडेक्स, बीएससीआई, सीटीपीएटी आदि जैसे कोड अनुपालनों पर परामर्श प्रदान करने में शुरू किए गए थे।

3.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आईएसओ 9000/आईएसओ 14000/एसए 8000/ओएचएसएएस 18000/सेडेक्स, बीएससीआई, सीटीपीएटी आदि के अंतर्गत परामर्श सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कुल 5 इकाइयां आगे आईं। अब तक परामर्श के अंतर्गत इकाइयों की कुल संख्या बढ़कर 677 हो गई है। वस्त्र समिति देश में एकमात्र ऐसा संगठन है जो कई वस्त्र इकाइयों को परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। चालू वर्ष में विभिन्न मानकों के अंतर्गत परामर्श सेवाओं के लिए अन्य 4 इकाइयों की आशा है।

3.3 अप्रैल, 2015 से नवम्बर, 2015 तक वस्त्र समिति ने जागरूकता कार्यक्रमों, सांख्यिकीय तकनीकों एवं आंतरिक लेखा परीक्षा जैसे गुणवत्ता प्रबंधन और गुणवत्ता

आश्वासन प्रणालियों से संबंधित विषयों में 155 उद्योगों से जुड़े व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। मार्च, 2016 तक 200 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की आशा है।

3.4 **प्रमाणन पश्चात कार्यकलाप:** लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के विकास में वस्त्र समिति की सतत प्रासंगिकता का प्रदर्शन करने के लिए समिति ने प्रमाणन पश्चात् कार्यकलाप शुरू किए हैं। दिनांक 30.11.2015 की स्थिति के अनुसार रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 6 कंपनियों ने वस्त्र समिति से प्रमाणन पश्चात सहायता सेवाओं का लाभ उठाया है।

3.5 **हैण्डलूम मार्क:** वस्त्र समिति को विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के रूप में नियुक्त किया गया है। हथकरघा चिन्ह की शुरूआत 28.06.2006 को की गई थी। अप्रैल–2015 से नवम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार हथकरघा चिन्ह योजना में निष्पादन रिपोर्ट नीचे दी गई है:

क्र. सं.	कार्यकलाप का नाम	लक्ष्य	उपलब्धियाँ (अप्रैल, 2015 से नवम्बर, 2015)	मार्च, 2016 तक शेष 3 महीनों की उपलब्धियों का अनुमान
1.	पंजीकरणों की संख्या	1500	955	545
2.	बेचे गए लेबल की संख्या	1.25 करोड़	1.10 करोड़	15 लाख

3.6 घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय प्रचार के जरिए चिन्ह को लोकप्रिय बनाना:

हथकरघा चिन्ह योजना की सफलता इसे लोकप्रिय बनाने के लिए की गई कार्रवाई पर निर्भर करती है। इसे न केवल जानकारी प्रदायी सेमिनारों के जरिए अपितु, प्रचार के अन्य उपायों के जरिए भी हासिल किया गया है। प्रचार उपायों को मोटे तौर पर एटीएल (लाइन से ऊपर) कार्यकलापों और बीटीएल (लाइन से नीचे) कार्यकलापों जैसी दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एटीएल कार्यकलापों में प्रिंट तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया के साधनों के जरिए प्रकाशन शामिल है जबकि बीटीएल कार्यकलापों में प्रदर्शनियों, मेलों, सेमिनारों आदि में भागीदारी जैसे क्षेत्र स्तर पर कार्यकलाप शामिल हैं।

3.7 एटीएल कार्यकलाप के जरिए प्रचार:

3.7.1 पत्रिकाओं के जरिए विज्ञापन: विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय ने 2,30,000/– रुपये की कुल लागत से अब तक 3 पत्रिकाओं अर्थात दि अपैरल टाइम्स, टाइम इंटरनेशनल और एचईपीसी में हथकरघा मार्क पर विज्ञापन जारी किए हैं। उनके निर्देश के अनुसार समिति ने हथकरघा चिन्ह खाते से फंड जारी किया है।

3.8 बीटीएल कार्यकलापों के माध्यम से प्रचारः

3.8.1 जागरूकता/प्रचार–प्रसार संबंधी बैठकें: उद्योग के हितधारकों के बीच सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए समिति ने बुनकर सेवा केन्द्र, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम आदि जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों/प्रचार–प्रसार बैठकों में सह–भागीदारी की है। अब तक वस्त्र समिति ने 18 कार्यक्रमों में भाग लिया है। जागरूकता/प्रचार–प्रसार बैठकों में 3175 भागीदारों ने भाग लिया था।

14.2.4 बाजार अनुसंधान विभागः

4.1 बाजार अनुसंधान प्रभाग को वस्त्र एवं कपड़ा क्षेत्र का डाटाबेस तैयार करने के लिए वस्त्रों संबंधी आर्थिक अनुसंधान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह प्रभाग वैश्वीकरण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण, डाटाबेस तैयार करने के अतिरिक्त घरेलू मांग के आकलन का अध्ययन अर्थात् "मार्केट फॉर टेक्सटाइल एंड क्लॉदिंग" का नियमित आधार पर प्रकाशन जैसे संबंधित विषयों पर गहन अध्ययन का कार्य करता है। वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, प्रभाग ने वस्त्र बाजार आसूचना (एमआईटी), प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण, भारत के निर्यात पर नॉन टैरिफ बैरियर (एनबीटी), डब्ल्यूटीओ मुद्दे, व्यापार सुविधाएं, मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए), क्षेत्रीय व्यापार समझौते (आरटीए)/ प्रतिस्पर्धी आर्थिक सहभागिता समझौता (सीईपीए) आदि और व्यापार संबंधी क्षमता निर्माण (टीआरसीबी) के क्षेत्रों में भी नई पहल आरंभ की है।

4.2 क्रियाकलापों की प्रगतिः

(i) टेक्सटाइल और क्लॉदिंग सर्वेक्षण (एमटीसी) के लिए बाजारः

यह एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना है जो वर्ष 1969 से बाजार अनुसंधान प्रभाग के तत्वाधान में चल रही है। राष्ट्रीय स्तर का यह नमूना सर्वेक्षण घरेलू मांग संबंधी आंकड़े जुटाता है और उपभोक्ताओं की पसंद के रूझानों की निगरानी करता है। वर्ष 2015 की रिपोर्ट जनवरी, 2016 में प्रकाशित की जाएगी।

(ii) भौगोलिक संकेतन (जीआई) विशिष्ट वस्त्र उत्पादों का पंजीयनः

वस्त्र समिति भौगोलिक संकेतन अधिनियम, 1999 के माध्यम से देश में विशिष्ट वस्त्रों और शिल्पकलाओं के आईपीआर संरक्षण की सुविधा प्रदान करने का अग्रणी कार्य कर रही है। अभी तक, समिति ने देश में 25 पारम्परिक उत्पादों के जीआई पंजीयन की सुविधा मुहैया कराई है। इसके अतिरिक्त, वस्त्र समिति 21 शिल्पों के लिए लोगो का पंजीकरण कराने के लिए भी कार्य कर रही है और 1009 शिल्पकारों और उनके संघों को इन शिल्पों के प्रमाणिक उपयोगकर्ता के रूप में पार्ट बी पंजीयन की सुविधा प्रदान कर रही है। समिति ने उत्पादकों की क्षमता सृजन के कार्य के रूप में पिछले कुछ वर्षों के दौरान 105 से अधिक कार्यशालाओं/ सम्मेलनों का आयोजन किया है।

वस्त्र एवं कपड़ा क्षेत्र में जीआई के योगदान को महत्व देते हुए, वस्त्र समिति को वर्ष 2015 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) माननीया श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विश्व आईपी दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में 24 अप्रैल, 2015 को हुए एक कार्यक्रम में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आईपी सम्मान प्रदान किया गया। डा. पी नायक, सचिव, वस्त्र समिति ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त बाजार अनुसंधान प्रकोष्ठ 9 राज्यों के विशिष्ट वस्त्रों के अध्ययन और प्रलेखन का कार्य भी कर रहा है।

(iii) वस्त्रों में बाजार आसूचना (एमआईटी):

एमआईटी वस्त्र एवं कपड़ा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर संदर्भ बिंदु का कार्य करेगा और उत्पादन, घरेलू मांग, निर्यात एवं आयात, मूल्य और इसका निर्धारण, प्रतिस्पर्धा एवं प्रतिस्पर्धी लागत मानकीकरण, सरकारी नीति निर्माण, कर संरचना, आरटीए/पीटीए, उद्योग हितधारकों और नीति निर्माताओं संबंधी अन्य मुद्दों के लिए व्यापक (मैक्रो) स्तर पर जानकारी उपलब्ध कराता है। इस के अंश के रूप में में, वस्त्र समिति ने आंकड़ों की तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं प्रकाशित की हैं। इनके नाम हैं –

(i) सूती वस्त्रों का वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण

(ii) सिंथेटिक फाइबर का वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण

(iii) सेलूलोसिक वस्त्रों का वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण

(iv) आरएसए के अंतर्गत भारत के वस्त्र एवं

परिधान क्षेत्र में दक्षता की कमी का विश्लेषणः

वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में प्रत्येक कार्य के लिए दक्ष कामगारों की जरूरत और श्रम बाजार में वर्तमान उपलब्धता संबंधी रक्षता की कमी के विश्लेषण का अध्ययन करने का काम किया गया है। दक्षता कमी संबंधी यह विश्लेषण प्रत्येक कार्य की भूमिका, उद्योग की जरूरतों और भविष्य की जरूरतों का अनुमान लगाने के लिए व्यापक जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसी के अनुसार, दक्ष कारीगरों की मांग और आपूर्ति में अंतर की पहचान करके कौशल विकास के माध्यम से इस अंतर को पाटा जा सकता है। कमी संबंधी यह विश्लेषण मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने के लिए उपाय करने के सुझाव देने और 2024–25 तक कामगारों की आवश्यकता संबंधी विकास अनुमानों का पता लगाने में मदद करेगा।

(v) भारत में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र की प्रशिक्षण अवसंरचना संबंधी जरूरतें:

भारत में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र की प्रशिक्षण अवसंरचना संबंधी जरूरतों के आकलन के अध्ययन के लिए एक परामर्शक फर्म की सेवाओं हेतु आरएफपी जारी किया गया है और तकनीकी एवं वित्तीय निविदाओं के मूल्यांकन के लिए गठित परामर्शक मूल्यांकन समिति (सीईसी) के आधार पर यह परियोजना न्यूनतम बोलीदाता को दी गई और यह उम्मीद है कि यह कार्य जून, 2016 के अंत तक पूरा हो जाएगा।

(vi) इंडिया हैंडलूम ब्रांडः

माननीय प्रधान मंत्री के राष्ट्र को 'मेक इन इंडिया' के आह्वान से प्रेरणा लेते हुए शून्य त्रुटियों वाले उत्पाद और पर्यावरण पर शून्य प्रभाव आधारित ब्रांड विकसित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने उच्च गुणवत्ता युक्त, विशिष्ट हथकरघा उत्पादों के ब्रांड का कार्य आरंभ किया है जो 'इंडिया हैंडलूम ब्रांड' स्कीम के माध्यम से अवसरों से भरपूर बाजार की जरूरतों को पूरा करेगा। इससे यार्न, बुनाई डिजाइन जैसी गुणवत्ता और उपभोक्ता संतुष्टि जैसे ब्रांड संबंधी अन्य मानक सुनिश्चित होंगे।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 7 अगस्त, 2015 को हैंडलूम दिवस के अवसर पर 'इंडिया हैंडलूम ब्रांड' की शुरूआत की है। अभी तक, वस्त्र समिति ने 350 से भी अधिक आवेदनों को निपटाया है और इस स्कीम के तहत 63 उत्पादों को पंजीकृत किया गया है।

14.2.5 समिति का वित्त :

समिति जांच और प्रमाणन प्रभारों, परामर्श शुल्क आदि जैसे प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में आंतरिक राजस्व का सृजन करती है। वर्ष 2015–16 के दौरान वसूली गई राजस्व प्राप्तियों और अनुमानित प्राप्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है: –

वर्ष 2015–16 के दौरान वसूली गई राजस्व प्राप्तियों और अनुमानित प्राप्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है: –

लेखा शीर्ष	2015–16 नवम्बर, 2015 तक (8 महीने)	दिसम्बर, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान अनुमानित (4 महीने)
सेवा प्रभार:		
निर्यातकों को प्रमाणन पंजीकरण, जीएसपी सेवा प्रभार, उद्गम का प्रमाण पत्र (एनपीए) अन्य प्रमाणन प्रभार, एक्रलिक यार्न / भारत–नेपाल संधि / बांगलादेश / श्रीलंका के लिए हैंडलूम प्रमाणन शुल्क, रेटिंग शुल्क, पंजीयन प्रभार, जिनिंग और प्रेसिंग कारखानों के नवीनीकरण शुल्क, जीएसपी सेवा प्रभार (जापान) आईएसडीएस संघटक–II के तहत उम्मीदवारों को सहयोग और प्रमाणन के लिए प्रभार, इंडिया हैंडलूम ब्रांड के लिए पंजीयन शुल्क)	846.15	423.08
गुणवत्ता निरीक्षण गुणवत्ता मूल्यांकन, बुने गए वस्त्रों का वर्गीकरण / आरएमजी अभिप्रमाणन	13.54	6.77
गुणवत्ता मूल्यांकन (जापान) (प्रयोगशाला परीक्षण नमूनो के परीक्षण हेतु प्रभार, प्रयोगशाला परामर्श संबंधी शुल्क)	871.57	217.89
संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन (आईएसओ)	3.43	1.71

लेखा शीर्ष	2015–16नवम्बर, 2015 तक (8 महीने)	दिसम्बर, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान अनुमानित (4 महीने)
प्रकाशनों की बिक्री	0.24	0.12
परीक्षण शुल्क	2.16	1.08
फार्मों की बिक्री (जी.एस.पी., उद्गम प्रमाणन (एन.पी.) जीएसपी (जापान)	55.90	27.95
अन्य		
स्व संपत्ति से आय	3.74	1.87
हैंडलूम मार्क स्कीम	30.00	15.00
टीटीडीसी, मदुरै		
(वस्त्र परीक्षण और विकास केंद्र)	13.40	शून्य
कुल योग	1840.13	695

अध्याय–15

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र

15.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र विकास हेतु आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 7 नवंबर, 2013 को पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीवीएस) को अनुमोदित किया। इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना में 1038.10 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय किया गया है। भौतिक अवसंरचनाओं की कमी तथा भौगोलिक रूप से अलग–अलग होने के कारण, पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में संगठित वस्त्र उद्योग की कम उपलब्धता के मद्देनजर वस्त्र मंत्रालय ने परियोजना आधारित अनुपालन रणनीति की परिकल्पना की है ताकि परियोजनाओं के डिजाइन तथा कार्यान्वयन में क्षेत्रवार लचीलापन अपनाया जा सके।

15.1.1 योजना के उद्देश्यः पूर्वोत्तर वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) का व्यापक लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग का विकास तथा आधुनिकीकरण करना है। यह कच्ची सामग्री, बीज बैंक, मशीनरी, साझा सुविधा केन्द्र, कौशल विकास, डिजाइन सहायता इत्यादि अपेक्षित सरकारी सहायता द्वारा हासिल किया जाएगा। इस योजना के विशेष उद्देश्यों में वस्त्र उत्पादन का मूल्य–संवर्धन, तकनीकी उन्नयन, डिजाइन क्षमता में सुधार, उत्पाद का विविधीकरण, मूल्य संवर्धन, घरेलू तथा निर्यात बाजारों की बेहतर उपलब्धता, संकुलीकरण तथा श्रम उत्पादकता में सुधार शामिल हैं।

15.1.2 योजना का कार्यक्षेत्रः इस योजना में सभी वस्त्र उप–क्षेत्र, पारंपरिक गांव, हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन, जूट, संबंधित तंतु (फाइबर), विद्युत चालित

करघा, गारमेंट तथा मेड–अप क्षेत्र जैसे लघु उद्यम सम्मिलित हैं। ऐसी अवसंरचना, जो इस परियोजना का अभिन्न अंग हो या इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए अहम हो, की अनुमति दी जाएगी जबकि सड़क, बिजली, जलापूर्ति, कार्यालय भवन निर्माण जैसी अवसंरचना को इस योजना/परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।

संभावित प्रभावः अतः एनईआरटीपीएस से यह अपेक्षा है कि यह इस क्षेत्र में प्रधानतः घरेलू वस्त्र क्षेत्र संबंधी क्रियाकलापों को व्यावसायिक तरीके पर पुनर्गठित करेगी और इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में संगठित वस्त्र उद्योग को भारी उछाल मिलेगा।

फंडिंग का पैटर्नः आमतौर पर खर्च का वहन 90:10 के अनुपात में भारत सरकार तथा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा। तथापि अंशदान के इस तरीके को ऐसी किसी परियोजना की कुल लागत के 100 फीसदी सरकारी सहायता तक भी संशोधित किया जा सकता है, जहां कार्यान्वयन केन्द्रीय स्वरूप वाले तरीके से जुड़ा हो।

15.2 एनईआरटीपीएस के तहत नई पहलः इस योजना के तहत, मंत्रालय ने रेशम उत्पादन परियोजना, हस्तशिल्प, हथकरघा इत्यादि जैसे विभिन्न वस्त्र क्षेत्रों वाली परियोजनाओं को संस्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं से पूर्वोत्तर राज्यों के वस्त्र उद्योग के पारंपरिक क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठ राज्यों में वस्त्र तथा परिधान निर्माण केन्द्रों की स्थापना हेतु एक उल्लेखनीय कदम उठाया गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 1 दिसम्बर, 2014 को इस योजना की घोषणा की थी।

इन आधुनिक वस्त्र तथा परिधान निर्माण केन्द्रों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ स्थापित किया जा रहा है। प्रत्येक वस्त्र तथा परिधान निर्माण केन्द्र में 3 इकाइयों सहित 100 मशीनें लगाई गई हैं तथा वस्त्र/फैशन क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उद्यमियों को 'प्लग एंड प्ले' मोड में अपनी स्टार्ट–अप इकाई लगाने हेतु सुविधाएं दी जाएंगी। परियोजना की पूरी फंडिग मंत्रालय द्वारा की जाएगी तथा प्रत्येक राज्य में इस पर 18.18 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय होगा। केन्द्रीय सहायता अगले तीन वर्षों तक वास्तविक अवसंरचना के विनिर्माण की लागत, इकाइयों के लिए मशीनरी की खरीद तथा क्षमता निर्धारण के लिए लागत वहन हेतु इस्तेमाल की जाएगी। राज्य सरकार 1.5 एकड़ भूमि के रूप में अंशदान देगी। इन केन्द्रों का उपयोग स्थानीय हथकरघा उत्पादों को फैशन परिधान बनाने में होगा। हर केन्द्र से सीधे तौर पर 1200 रोजगार मिलेगा।

इन केन्द्रों का विनिर्माण पूरा होने वाला है तथा यह संभावना है कि वे वर्ष 2016–17 की पहली तिमाही में काम करना शुरू कर देंगे।

15.2.1 रेशम उत्पादन

(क) बारहवीं योजना के अंतर्गत रेशम उत्पादन हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र–वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने "पूर्वोतर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना" नामक एक व्यापक योजना वाली परियोजना आधारित रणनीति का अनुमोदन किया है। इस

योजना के अंतर्गत होने वाला व्यय पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आंवटित 10 फीसदी बजट परिव्यय से लिया जाएगा।

पूर्वोत्तर वस्त्र संवर्धन योजना का व्यापक उद्देश्य है – कच्ची सामग्री, बीज बैंक, मशीनरी, साझा सुविधा केन्द्र, कौशल विकास, डिजाइन, विपणन सहायता इत्यादि के रूप में अपेक्षित सरकारी सहायता प्रदान कर पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र को विकसित करना तथा उसे आधुनिक बनाना। 'एनईआरटीपीएस' के तहत रेशम उत्पादन क्षेत्र (शहतूत तथा वान्या) के अंतर्गत लागू होने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

(ख) समेकित रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईएसडीपी)

पूर्वोत्तर क्षेत्र–वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) के अंतर्गत, भारत सरकार ने 483.35 करोड़ रुपये (भारत सरकार का हिस्सा 385.17 करोड़ रुपये) की कुल लागत वाली 11 रेशम उत्पादन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसे पूर्वोत्तर राज्यों यथा असम, बीटीसी, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड तथा त्रिपुरा में 2014–15 से 2016–17 की तीन वर्ष की अवधि हेतु लागू किया जाएगा और इसमें त्रिपुरा के लिए एक सिल्क प्रिंटिंग तथा प्रोसेसिंग इकाई भी शामिल है। जहां 10 परियोजनाओं का लक्ष्य चिह्नित क्षेत्रों में किसानों/कोकून बीज उत्पादकों/रीलर/बुनकरों के स्तर पर अवसंरचना का निर्माण करने सहित विद्यमान सुविधाओं को पुख्ता करने के लिए राज्य स्तरीय प्रयासों को क्रियान्वित करना है, वहीं एक परियोजना 37.71 करोड़ रुपये की लागत के साथ राज्यों तथा हितधारकों को सहयोग देकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुणवत्ता वाली बीजों के उत्पादन हेतु सीएसबी के लिए बीज अवसंरचना को तैयार करेगी। (शहतूत, एरी तथा मूंगा क्षेत्र)

(ग) इंटेसिव बाइवोल्टाइन सेरीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (आईबीएसडीपी)

अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले बाइवोल्टाइन रेशम के उत्पादन के लिए 236.78 करोड़ रुपये की कुल लागत (भारत सरकार का अंशदान 210.41 करोड़ रुपये) के साथ सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए (मणिपुर को छोड़कर) सघन बायवोल्टिन रेशम उत्पादन विकास (आईबीएसडी) संबंधी नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इस परियोजना में प्रत्येक कलस्टर के 2 ब्लॉक में शहतूत रोपण के अंतर्गत 500 एकड़ क्षेत्र को शामिल करने का लक्ष्य है, जिसमें बुनकरों सहित प्रत्येक राज्य से लगभग 1100 महिला लाभार्थी होंगी। कुल मिलाकर इसमें शहतूत उत्पादन हेतु 4,000 एकड़ क्षेत्र, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के 8 कलस्टर के अंतर्गत लगभग 9000 महिलाएं भी होंगी, कवर करने का लक्ष्य है। रोपण विकास तथा अवसंरचना निर्माण हेतु सहायक साधनों के साथ–साथ सामाजिक जागरूकता तथा महिला समूह निर्माण भी परियोजना के अभिन्न अंग है। संवंधित राज्यों में यह परियोजनाएं अभी कार्यान्वयन के चरण में हैं।

15.2.2 तकनीकी वस्त्र

तकनीकी वस्त्र उच्च निष्पादन वाले वस्त्र हैं जिनमें पूर्वोत्तर के लिए व्यापक संभावना है और इन्हें कृषि, अवसंरचना विकास, ढलान अपर्दन नियंत्रण, पहाड़ों के साथ तटबंध लगाने, नदी के किनारों के कटाव को रोकने आदि जैसे क्षेत्रों में प्रयोग में

लाया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रासंगिकता और संभावना को स्वीकार करते हुए 5 वर्षों के दौरान 482 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय से जियो टैक्निकल वस्त्रों तथा कृषि वस्त्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने के विशेष फोकस के साथ दो नई प्रायोगिक योजनाओं की परिकल्पना की गई है। योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रोटैक्सटाइल्स के प्रयोग के लिए योजना

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने 55 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि वस्त्रों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए एक योजना आरंभ की है। इस योजना को दिसम्बर, 2012 में अनुमोदित किया गया था तथा यह जून 2013 से प्रभावी हुआ। योजना का उद्देश्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि, बागवानी, पुष्पोत्पादन उत्पादों में सुधार लाने हेतु कृषि वस्त्रों के उपयोग को प्रोत्साहन देना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रयोग के लिए ग्राहकोन्कूल कृषि वस्त्र उत्पादों का विकास करना और कृषि वस्त्र उत्पादों के प्रयोग–लाभों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी–सेटअप तैयार करना है। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत किसानों को कृषि वस्त्र किट दिए जा रहे हैं, जिसमें कृषि वस्त्र सामग्री, अनुदेश, सही विधियां तथा तरीके संबंधी जानकारी इत्यादि शामिल हैं। कृषि वस्त्रों की बढ़ती मान्यता को देखते हुए यह अपेक्षित है कि उद्यमी देश में, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि वस्त्र उत्पादन इकाइयां स्थापित करेंगे।

अब तक 8.17 करोड़ रुपये की कुल लागत से कुल 44 प्रदर्शनी केन्द्र अनुमोदित किए गए हैं और उनमें से 23 केन्द्र चालू हो चुके हैं। शेष 21 प्रदर्शनी केन्द्रों के लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति में है। मणिपुर तथा मिज़ोरम में वितरण हेतु 531 कृषि वस्त्र किट अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें 176 किट वितरण के चरण में हैं।

(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियो टैक्सटाइल्स के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना:

यह योजना 427 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2014–15 से वर्ष 2018–19 (पाँच वर्षों) तक की अवधि के लिए 24.03.2015 को शुरू की गई। इस योजना का लक्ष्य पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना विकास में जियो टैक्सटाइल्स का संवर्धन करना तथा उसे प्रयोग में लाना है। इसमें सड़क, पहाड़/ढलान संरक्षण तथा जलाशय संबंधी विद्यमान/ नई परियोजनाओं में जियो टेक्स्टाइल्स के प्रयोग स्वरूप किसी अतिरिक्त लागत, कोई हो तो, हेतु तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग मुहैया कराना है। राज्य सरकारों तथा संबंधित हितधारक एजेंसियों के परामर्श से परियोजनाओं को चिह्नित किया जाएगा। योजना अपने प्रारंभिक चरण में है। इस योजना में दो घटक हैं:

घटक I: जियो टेक्निकल टेक्स्टाइल सोल्यूशन (हार्ड इंटरवेंशन) का कुल परिव्यय 374 करोड़ रुपया है। यह घटक उन चिह्नित, जारी या नई परियोजनाओं के प्रायोगिक खण्ड में आने वाली लागत वृद्धि का वित्तयन करेगा, जिनमें जिओटेक्निकल टेक्सटाइल सोल्यूशन का अनुप्रयोग हुआ हो, तथा इसकी प्रतिपूर्ति चिह्नित परियोजनाओं हेतु राज्य/केन्द्रीय परियोजना प्राधिकारियों को की जायेगी। इस घटक में मुख्य तौर

से पूर्वोत्तर क्षेत्र के तीन प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाएं शामिल होंगी:

- सड़क निर्माण
- पहाड़ ढलान संरक्षण
- जलाशयों की लाइनिंग

घटक II: (सॉफ्ट इंटरवेशन) का कुल परिव्यय 43 करोड़ रुपया है। इस घटक में उन क्रियाकलापों को सहयोग दिया जाएगा जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा चिह्नित एजेन्सियां निष्पादित करेंगी। ये क्रियाकलाप हैं: कार्यस्थल निरीक्षण, तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता, डिजायन समाधान, डीपीआर निर्माण, कार्य–स्थल पर निगरानी तथा परीक्षण, अभिवर्णन, निर्माण, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, जागरूकता अभियान, विपणन विकास सहयोग तथा मूल्यांकन अध्ययन इत्यादि।

इस योजना के अंतर्गत, मणिपुर सरकार के 2.2 किलोमीटर वाली एक सड़क परियोजना तथा 2 जलाशय परियोजना को अनुमोदन दिया गया है और ये कार्य पूरे होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त शीर्ष निगरानी समिति (एएमसी) ने कुल 4.76 करोड़ रुपये लागत की नौ सड़क परियोजनाओं तथा नौ जलाशय परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

15.2.3 हथकरघा

हथकरघा जनगणना 2009–10 के अनुसार हथकरघा क्षेत्र देश में 23.77 लाख हथकरघों पर कार्य कर रहे 43.31 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है जिनमें से 21.60 लाख बुनकर और 15.50 लाख हथकरघे पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं। राष्ट्रीय रूझान की तुलना में, पूर्वोत्तर राज्यों में बुनकरों की संख्या 14.60 लाख बुनकर (1995 में) से बढ़कर 15.10 लाख बुनकर हो गयी (जनगणना 2009–10)। पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकांश करघे घरेलू उपयोग के लिए लगाए जाते हैं जबकि अत्यंत कम करघों को घरेलू एवं वाणिज्यिक उपयोग, दोनों के लिए लगाया जाता है। इसका कारण यह है कि हथकरघा बुनाई पूर्वोत्तर के सभी सामाजिक वर्गों की संस्कृति का साझा तत्व है। वर्ष 2009–10 की जनगणना के अनुसार, कुल बुनकरों की संख्या में महिला बुनकरों की संख्या पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक है।

क्षेत्र में डिजाइन–विकास तथा बुनकरों को सूचना प्रदान करने के लिए गुवाहाटी, अगरतला तथा इम्फाल में तीन बुनकर सेवा केन्द्र (डब्ल्यूएससी) कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, नगालैंण्ड तथा मिज़ोरम में दो नए बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। गुवाहाटी स्थित भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) तकनीकी रूप से प्रशिक्षित श्रमशक्ति मुहैया कराता है।

(i) **हथकरघा क्षेत्र हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना**

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1038.10 रुपये के कुल परिव्यय पर पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।

हथकरघा क्षेत्र संबंधी 'एनईआरटीपीएस' का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथकरघा क्षेत्र का विकास तथा आधुनिकीकरण करना है। इसमें तकनीकी उन्नयन, डिजाइन क्षमता में सुधार, प्रोडक्ट लाईन का विविधीकरण, मूल्य संवर्धन, घरेलू तथा विदेश बाजार तक सुगमता, संकुलीकरण

तथा श्रम उत्पादकता में सुधार के जरिए रोजगार तथा वस्त्र उत्पादों के मूल्य में संवर्धन हेतु अपेक्षित सरकारी सहायता मुहैया कराना है। इस योजना में पूर्वोत्तर राज्य सरकारों की महती भूमिका की परिकल्पना की गई है, जिसके तहत योजना का प्रचार, हितधारकों की बैठक, परियोजना प्रस्ताव का निर्माण, प्रगति की निगरानी, अपेक्षित मंजूरी प्रदान करना, भू–प्रापण तथा अपेक्षित श्रम वातावरण उपलब्ध कराने जैसे कार्यकलाप सम्मिलित हैं। इस योजना से यह प्रत्याशा है कि इसका प्रभाव अच्छा होगा तथा परिणाम भी बेहतर होंगे क्योंकि यह योजना वस्त्र मंत्रालय की पूरे भारत के लिए लागू होने वाली कोई योजना न होकर एक ऐसी योजना है, जिसमें विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए थोड़ी छूट दी गई है। 'एनईआरटीपीएस' में परिकल्पित रणनीति आधारित परियोजना के कार्यान्वयन से पूर्वोत्तर क्षेत्र में न केवल आवंटित निधि का बेहतर उपयोग होगा बल्कि इससे हथकरघा क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास भी होगा।

प्रस्तावित योजना में तीन प्रमुख श्रेणी के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगीः (i) तकनीकी उन्नयन; (ii) डिजाइन विकास सहित क्लस्टर विकास परियोजना तथा (iii) पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथकरघा क्षेत्र के संपूर्ण विकास हेतु हथकरघा उत्पादों का विपणन। साथ ही, ऐसी परियोजनाओं के लागू होने से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार तथा आय सृजन के काफी अवसर मिलेंगे।

परियोजना अनुमोदन तथा निगरानी समिति (पीएएमसी) ने हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए श्रेणीवार लागत का अनुमोदन किया है, जैसे क्लस्टर विकास परियोजना रुपये 135.56 करोड़ रुपये, तकनीकी उन्नयन 47.63 करोड़ रुपये तथा हथकरघा उत्पादों का विपणन हेतु 67.50 करोड़ रुपये।

(ii) विपणन सहायता

विपणन सहायता के लिए, भारत सरकार विभिन्न श्रेणियों के लिए विपणन कार्यक्रम आयोजन हेतु वित्तीय सहायता देती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में विपणन तथा निर्यात संवर्धन योजना के तहत विभिन्न संस्वीकृत विपणन कार्यक्रमों यथा राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो, विशेष हथकरघा एक्सपो, जिला स्तर कार्यक्रम तथा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य नाम राज्य	2012–13 वास्तविक	2012–13 वित्तीय	2013–14 वास्तविक	2013–14 वित्तीय	2014–15 वास्तविक	2014–15 वित्तीय	2015–16 वास्तविक	2015–16 वित्तीय
1	अरूणाचल प्रदेश	08	-	-	0.00			0	0
2	असम	65	3.48	32	4.98	36	2.52	42	0.83
3	मेघालय	01	0.05	-	0.19	01	0.05	0	0
4	मणिपुर	16	1.62	10	1.17	12	0.05	04	0
5	मिजोरम	-	0.00	06	0.30	08	0.22	08	0.10
6	नागालैंड	54	1.77	20	1.94	20	2.60	13	0.09
7	त्रिपुरा	23	0.54	16	1.01	18	0.96	09	0
8	सिक्किम	10	0.57	09	0.72	07	0.48	09	0.17
	कुल	177	8.03	93	10.31	102	6.88	85	1.19

(iii) यार्न आपूर्ति योजना

पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित पूरे देश में यार्न आपूर्ति योजना को लागू किया गया है। इस क्षेत्र के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र को यार्न आपूर्ति योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा विशेष सुविधा प्रदान की जाती है जहां भाड़ा प्रतिपूर्ति की दर इस क्षेत्र में दुर्गम भू–भाग के मद्देनजर अन्य राज्यों की तुलना में उस स्थिति में अधिक होती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में ढुलाई हेतु यार्न आपूर्ति योजना के अंतर्गत अनुमत्य प्रतिपूर्ति की दर निम्नानुसार है:

(आपूर्त यान के मूल्य का %)

क्षेत्र	भाड़ा		
	रेशम / पटसन यार्न से इतर	रेशम यार्न	पटसन / पटसन मिश्रित यार्न
मैदानी क्षेत्रों में	2.5%	1%	10%
पहाड़ी / दूर–दराज के क्षेत्रों में	2.5%	1.25%	10%
पूर्वोत्तर क्षेत्र में	5%	1.50%	10%

- यार्न आपूर्ति योजना के तहत 2012–13 से आगे पूर्वोत्तर क्षेत्र में यार्न की आपूर्ति निम्न प्रकार से रही है:

वर्ष	मात्रा (लाख किलोग्राम)	मूल्य (करोड रूपये में)
2012-13	2.696	12.46
2013-14	2.966	11.75
2014-15	2.69	14.30
2015-16 (जनवरी 2016 तक)	1.90	11.22

(iv) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई)

इस योजना में हथकरघा बुनकरों को स्वाभाविक तथा दुर्घटना वाली मृत्यु की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है तथा संपूर्ण और आंशिक विकलांगता की स्थिति में भी बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2014–15 में बुनकरों के नामांकन का लक्ष्य 7,00,000 था जिसमें 5,92,000 आम राज्यों से तथा 1,08,000 पूर्वोत्तर राज्यों से हैं। लाभों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

स्वाभाविक मौत 60,000 / – रूपये
दुर्घटना से मृत्यु 1,50,000 / – रूपये
संपूर्ण विकलांगता 1,50,000 / – रूपये
आंशिक विकलांगता 75,000 / – रूपये

इस योजना के तहत वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 (30.11.2015 तक) के दौरान बुनकरों का नामांकन क्रमशः 5.99 लाख, 5.75 लाख तथा 2.02 लाख रहा। इसके अतिरिक्त 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए प्रति छात्र प्रति तिमाही 300 रुपये की भी छात्रवृत्ति दी जाती है। इस लाभ को किसी सदस्य के दो बच्चों तक ही सीमित रखा जाता है। वर्ष 2013–14 के दौरान, 8.59 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति 1.42 लाख लाभार्थियों के लिए वितरित की गई, जबकि 2014–15 के दौरान 9.26 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति 1.37 लाख लाभार्थियों को दी गई तथा 2015–16 (30.11.2015 तक) के दौरान 0.59

लाख लाभार्थियों में 3.98 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया।

(v) **स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस)**

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया गया था। इस बीमा में न केवल बुनकर बल्कि उसकी पत्नी सहित दो बच्चों को भी शामिल किया गया था। वार्पिंग, वाइन्डिंग, डायिंग, प्रिंटिंग, सायजिंग, झाला मेकिंग, जैकर्ड कटिंग इत्यादि कामों में लगे सहायक हथकरघा कामगारों को भी इस योजना में शामिल किया गया था। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी में पहले से विद्यमान रोग तथा नए रोगों को भी कवर प्राप्त है तथा बहिरोगी (ओपीडी मरीजों) के लिए एक अच्छी धनराशि का प्रावधान किया गया है। प्रति परिवार की वार्षिक सीमा 15,000 रुपये है जिसमें 7,500 रुपये ओपीडी खर्च अंतर्गत आएंगे। वर्ष 2013–14 के दौरान बुनकरों के नामांकन का लक्ष्य 17,49,452 रहा, जिसमें आम राज्यों से 12,23,239 तथा पूर्वोत्तर राज्यों से 5,26,213 बुनकर हैं। 30.09. 2014 से स्वास्थ्य बीमा योजना बंद कर दी गई है और यह योजना अब श्रम और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से आरएसबीवाई के तहत प्रदान की जाएगी। इसमें ओपी उपचार की सुविधा होगी, जिसे श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हथकरघा बुनकरों के लिए आरएसबीवाई से संबद्ध किया है।

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना और स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नामांकित बुनकरों की राज्य–वार संख्या

राज्य का नाम	महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना						स्वास्थ्य बीमा योजना				
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (31.10.2015 तक)	पॉलिसी वर्ष 2009-10	पॉलिसी वर्ष 2010-11	पॉलिसी वर्ष 2011-12	2013-14	2014-15 (सितंबर 2014 तक)
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0		855	1787	6000	6000	6000
असम	34322	54811	58607	58323	54627	24753	352124	355322	387563	387563	387563
मणिपुर	1062	16235	9334	5015	5368	2174	29991	34587	51135	51135	51135
मेघालय	2920	14000	0	15500	15837		35250	30000	30919	30919	30919
मिजोरम	59	59	0	0	0		110	1129	1386	1386	1386
नागालैंड	0	0	0	0	0		32820	50000	39501	39501	39501
सिक्किम	0	104	180	262	129	1558	55	400	342	342	342
त्रिपुरा	1548	0	1000	2000	1266	217	25250	21851	9367	9367	9367
योग	39911	85209	69121	81100	77227	28702	476455	495076	526213	526213	526213

15.2.4 हस्तशिल्प

दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 के बीच भारत सरकार ने देश में हस्तशिल्प क्षेत्र के सर्वांगीण विकास तथा उन्नति के लिए सात केन्द्रीय (सेक्टर) योजनाओं को लागू किया है।

योजनाओं की प्रमुख बातें निम्न प्रकार से हैं:–

योजनाओं का ब्यौरा

पूर्वोत्तर क्षेत्र में हस्तशिल्प विकास हेतु निम्नलिखित सात योजनाएं चलायी जा रही हैं। योजनाओं के प्रमुख बिंदुओं का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

(i) बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

इस योजना का लक्ष्य हस्तशिल्प कलस्टरों को पेशेवर रूप में विकसित करने तथा उन्हें स्व–निर्भर सामुदायिक उद्यम बनाने के माध्यम से भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। यह सदस्यों की प्रभावी भागीदारी तथा पारस्परिक सहयोग के सिद्धान्त पर है। इस योजना का बल है:– परियोजना आधारित, हस्तकारों की भागीदारी के माध्यम से हस्तशिल्प क्षेत्र के सतत विकास हेतु आवश्यकता आधारित समेकित उपाय, जिससे हस्तकारों का सशक्तीकरण हो।

शेष बची धनराशि 31 मार्च, 2016 तक व्यय होने की प्रत्याशा है।

(ii) डिजाइन तथा तकनीकी उन्नयन

इस योजना का लक्ष्य है:– अभिनव डिजाइन का विकास, विदेशी बाजारों के लिए प्रोटोटाईप उत्पाद, जीर्ण–शीर्ण पड़े शिल्प का पुनरूद्धार, धरोहर संरक्षण उपाय इत्यादि के माध्यम से शिल्पकारों के कौशल का विकास। योजना में निम्नलिखित घटक हैं:–

1. शिल्प जागरूकता कार्यक्रम।
2. औजारों, सुरक्षा उपकरणों इत्यादि की आपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता।
3. डिजाइन तथा तकनीकी उन्नयन विकास संबंधी कार्यशाला
4. समेकित डिजाइन तथा तकनीकी विकास परियोजना
5. शिल्प गुरू पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय मेधा प्रमाण पत्र।
6. डिजाइन प्रोटोटाईप हेतु निर्यातकों तथा उद्यमियों को सहायता।
7. डिजाइन, रूझान तथा तकनीकी रंग पूर्वानुमान के जरिए व्यावसायिक बाजार जानकारी।

(iii) विपणन सहायक सेवाएं

विपणन सहायक सेवाओं का लक्ष्य शिल्पकारों तथा निर्यातकों को विभिन्न बाजार तथा विपणन मंच मुहैया कराना है तथा साथ ही घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपभोक्ताओं तथा जनता को हस्तशिल्प के बारे में जागरूक करना है।

इस योजना के तीन घटक हैं:

- घरेलू विपणन
- अंतर्राष्ट्रीय विपणन
- प्रचार तथा ब्रांड को बढ़ावा देना।

(iv) मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) योजना का लक्ष्य हस्तशिल्प क्षेत्र को योग्य तथा प्रशिक्षित श्रमबल मुहैया कराना है। यह श्रमशक्ति उत्पादन आधार को मजबूती देगी, जिससे आज के बाजार की जरूरतों के हिसाब से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण होगा। यह योजना अपने घटकों के माध्यम से प्रासंगिक जानकारी प्रदान कर हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए एक प्रशिक्षित डिजाइनर वर्ग तैयार कर मानव पूंजी का सृजन करने का लक्ष्य रखती है। इसमें शिल्पकारों को आवश्यक कौशल प्रशिक्षण दिए जाने की भी व्यवस्था है जिससे वे अपना व्यवसाय चलाने में कुशल हो सकें।

(v) अनुसंधान और विकास

अनुसंधान और विकास योजना महत्वपूर्ण शिल्पों के बारे में सर्वेक्षण तथा अध्ययन करने और हस्तशिल्प के विनिर्दिष्ट पहलुओं और समस्याओं का गहन विश्लेषण करने के लिए शुरू की गई थी ताकि नीतिगत आयोजना में सहायता प्रदान करने के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान की जा सके और जारी पहलों के संबंध में बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके और इस कार्यालय द्वारा कार्यान्वित योजनओं का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सके।

(vi) हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजना

शिल्पकारों के कल्याण हेतु इस योजना का परिकल्पना की गई है। इसमें निम्नलिखित घटक हैं:

राजीव गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना (आरजीएसएसबीवाई)

- आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाय)
- बीमार होने की दशा में शिल्पकारों को सहायता
- साख गारंटी योजना
- ब्याज सबवेंशन योजना
- पहचान पत्र जारी करना तथा डेटा–बेस तैयार करना।

दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 तक की वास्तविक तथा वित्तीय उपलब्धियां निम्न प्रकास हैं:–

(रूपये लाख में)

		2015-16				
	घटक	वास्तविक		वित्तीय		
क्र. सं.		लक्ष्य	उपलब्धि	वित्तीय आवंटन	संस्वीकृत राशि	व्यय
1.	राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य योजना	5.00 लाख शिल्पकार	–	–	–	–
2.	आम आदमी बीमा योजना	2.00 लाख शिल्पकार	83,690		–	–
3.	बीमारी की अवस्था में शिल्पकारों को सहायता	300 शिल्पकार	254		111.73	
4.	साख गारंटी योजना	–			–	–
5.	ब्याज सबवेंशन योजना	12000 शिल्पकार	शून्य		–	–
6.	पहचान पत्र जारी करना	2.00 लाख	–		69.86	41.36
7.	विज्ञापन तथा प्रचार	–	विज्ञापन तथा प्रचार	100	50.00	50.00

(vii) अवसंरचना तथा प्रौद्योगिकी विकास योजना

इस योजना का लक्ष्य देश में विश्वस्तरीय ढांचा तैयार करना है ताकि हस्तशिल्प उत्पादन को सहयोग मिले और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़े तथा विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी लागत की स्थिति हो।

अध्याय–16

नागरिकों / ग्राहकों का चार्टर

16.1 विजनः

हथकरघा और हस्तशिल्प सहित एक आधुनिक, जीवंत, एकीकृत और विश्व–स्तरीय वस्त्र क्षेत्र का सृजन करना।

16.2 मिशनः

योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित वृद्धि करना ताकि वस्त्र एवं अपैरल उत्पादन, तकनीकी वस्त्र, पटसन, रेशम और ऊन सहित वस्त्र की सभी किस्मों का प्रौद्योगिकी उन्नयन करने, पांच वर्षों में 15.00 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ सभी वस्त्र कामगारों, हथकरघा बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों के कौशल का विकास करने, सभी बुनकरों और कारीगारों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और बीमा सुरक्षा आसानी से प्रदान करने, वस्त्र और हस्तशिल्प की सभी किस्मों का निर्यात करने में 12% का सीजीएआर प्राप्त किया जा सके ताकि 15 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की जा सके और वस्त्र और अपैरल के विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि की जा सके।

16.3 मुख्य सेवाएं / संव्यवहार और सेवा मानक

वस्त्र मंत्रालय वस्त्र उद्योग के विकास और वृद्धि के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं को नीतिगत सहायता प्रदान करता है और उन्हें कार्यान्वित करता है। हम निम्नलिखित सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं:

(I) **मुख्य सेवाएं / संव्यवहार**

क्र. सं.	सेवाएं / संव्यवहार	अधिमान (%)	उत्तरदायी अधिकारी और पदनाम	ईमेल	मोबाइल फोन नं0	शामिल प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	भुगतान किया जाने वाला शुल्क
1	वस्त्र मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के भीतर अधिकारियों की नियुक्ति	2.0	श्री एस.पी.कतनौरिया निदेशक	एस.पी.कतनौरिया @nic.in	011-23061142	i) मंत्रालय द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत ii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति	http://ministry oftextiles. gov.in पर उपलब्ध जांच सूची के अनुसार	लागू नहीं
2	(i) केन्द्रीय रेशम बोर्ड का गठन / पुनर्गठन (ii) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य क्षेत्र के भीतर अध्यक्ष / निदेशक (वित्त) / अधिकारियों की नियुक्ति।	2.0	श्री नीरव कुमार मलिक, निदेशक	neeravkr @nic.in	011-23063728	i) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत । ii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति ।	http://ministry oftextiles. gov.in पर उपलब्ध जांच सूची के अनुसार	लागू नहीं
3	i) सीसीआईसी बोर्ड / समितियों / निदेशक मंडल का गठन / पुनर्गठन। (ii) सीसीआईसी के कार्य क्षेत्र के भीतर महानिदेशक / सीवीओ / प्रबंध निदेशक / सचिव / अधिकारियों की नियुक्ति	4.0	श्रीमती ए.के. शर्मा, उप निदेशक	ak.sharma59 @nic.in	011-23063736	i) सी सी आई सी द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत । ii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति ।	http://ministry oftextiles. gov.in पर उपलब्ध जांच सूची के अनुसार	लागू नहीं
4	i) एसवीपीआई–एसटीएम के बोर्ड / समितियों / निदेशक मंडल का गठन / पुनर्गठन। (ii) एसवीपीआई–एसटीएम के कार्यक्षेत्र के भीतर (महानिदेशक / सीवीओ / प्रबंध निदेशक / सचिव / अधिकारियों की नियुक्ति	4.0	सुश्री एस.आर. गायकवाड, निदेशक	sushil.rg @nic.in	23061003	i) एसवीपीआई–एसटीएम द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत । i) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति.	http://ministry oftextiles. gov.in पर उपलब्ध जांच सूची के अनुसार	लागू नहीं

क्र. सं.	सेवाएं / संव्यवहार	अधिमान (%)	उत्तरदायी अधिकारी और पदनाम	ईमेल	मोबाइल फोन नं0	शामिल प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	भुगतान किया जाने वाला शुल्क
5	i) वस्त्र समिति के बोर्ड / समितियों / निदेशक मंडल का गठन / पुनर्गठन.	2.0	सुश्री एस.आर. गायकवाड, निदेशक	sushil.rg @nic.in	23061003	i) वस्त्र समिति द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत ii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति ।	http://ministry oftextiles. gov.in पर उपलब्ध जांच सूची के अनुसार	लागू नहीं
5a	(ii) वस्त्र समिति के कार्य क्षेत्र के भीतर महानिदेशक / सीवीओ / प्रबंध निदेशक / सचिव / अधिकारियों की नियुक्ति ।		एस.पी. कतनौरिया, निदेशक	sp.katnauria @nic.in	011-23061142	i) वस्त्र समिति द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत ii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति ।	http://ministry oftextiles. gov.in पर उपलब्ध जांच सूची के अनुसार	लागू नहीं
6.	(i) निफ्ट के बोर्ड / समितियों / निफ्ट के शासक मंडल (बीओजी) निदेशक मंडल का गठन / पुनर्गठन (ii) निफ्ट के कार्यक्षेत्र के भीतर महानिदेशक / सीवीओ / प्रबंधक निदेशक / सचिव / अधिकारियों की नियुक्ति.	2.0	Ms. Indrani Kaushal, Addl. Economic Advisor	indrani.k @nic.in	23063625	i) निफ्ट द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत ii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति ।	http://ministry oftextiles. gov.in पर उपलब्ध जांच सूची के अनुसार	लागू नहीं
7	(I) पटसन क्षेत्र के निदेशक मंडल का गठन / पुनर्गठन (ii) जेटीएम के कार्यक्षेत्र के भीतर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति	2.0	सुश्री एस.आर. गायकवाड, निदेशक	sushil.rg @nic.in	23061003	i) जेटीएम द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत। ii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति ।.	http://ministry oftextiles. gov.in जांच सूची के अनुसार	लागू नहीं
8	बीआईसी के कार्य क्षेत्र के भीतर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / निदेशक– (तकनीकी / (विपणन) / वित्त / (मानव संसाधन) / सीवीओ एवं अन्य निदेशकों की नियुक्ति	1.0	श्री राम सिंह, निदेशक	ram.singh94 @nic.in	011-23063446	i) बीआईसी द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत. ii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति ।	http://ministry oftextiles. gov.in जांच सूची के अनुसार	लागू नहीं

क्र. सं.	सेवाएं / संव्यवहार	अधिमान (%)	उत्तरदायी अधिकारी और पदनाम	ईमेल	मोबाइल फोन नं0	शामिल प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	भुगतान किया जाने वाला शुल्क
9	एनटीसी के कार्यक्षेत्र के भीतर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / निदेशक (तकनीकी / (विपणन) / (वित्त) मानव संसाधन) / सीवीओ एवं अन्य निदेशकों की नियुक्ति	1.0	श्री राम सिंह, निदेशक	ram.singh94@nic.in	011-23063446	i) एनटीसी द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत. ii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति ।	http://ministryoftextiles.gov.in में उपलब्ध जांच सूची के अनुसार	लागू नहीं
10	अनुदान प्राप्तकर्ताओं को सहायता अनुदान जारी करना	2.0	श्रीमती पुष्पा सुब्रह्मण्यम, अपर सचिव	pushpa.s@nic.in	011-23062326	निधियों को जारी करने के लिए आईएफडी की सहमति से संस्वीकृति आदेश जारी करना ।	अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति	लागू नहीं
11	जूट पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (जेपीएम अधिनियम) के तहत मंदन (डाइल्यूशन) आदेश	10.0	सुश्री एस.आर. गायकवाड, निदेशक	sushil.rg@nic.in	23061003	(I) पटसन आयुक्त से टिप्पणियां / निविष्टि प्रदान करना (ii) प्रस्ताव की जांच (iii) आदेश जारी करना	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से प्रस्ताव	लागू नहीं
12	(i) विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदनों की प्रोसेसिंग (ii) एकीकृत वस्त्र पार्कों के लिए योजना (एसआईटीपी) के तहत अनुमोदित प्रस्तावों की संस्वीकृति जारी करना ।	10.0	सुश्री जया दुबे, निदेशक	Jaya.dubey@nic.in	011-23061865	i) प्रत्युत्तर में आवेदनों की प्रोसेसिंग ii) स्वीकृत प्रस्तावों की संस्वीकृति जारी करना	एसपीवी से प्रस्तावों की प्राप्ति	लागू नहीं
13	एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) के तहत आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए लिया गया अधिकतम समय और अनुमोदित पाठ्यक्रमों की स्वीकृति जारी करना ।	10.0	सुश्री जया दुबे, निदेशक	Jaya.dubey@nic.in	011-23061865	i) कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए आवेदनों की प्रोसेसिंग हेतु लिया गया अधिकतम समय ii) अनुमोदित पाठ्यक्रमों की स्वीकृति जारी करना iii) जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने में लिया गया औसत समय.	अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति।	लागू नहीं

क्र. सं.	सेवाएं / संव्यवहार	अधिमान (%)	उत्तरदायी अधिकारी और पदनाम	ईमेल	मोबाइल फोन नं0	शामिल प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	भुगतान किया जाने वाला शुल्क
14	बैंकों को टीयूएफएस के तहत सब्सिडी जारी करना.	10.0	एस.पी. कतनौरिया, निदेशक	sp.katnauria @nic.in	011-23061142	(i)वस्त्र आयुक्त के कार्यालय से प्राप्त दावों की प्रोसेसिंग (ii)बैंकों को संस्वीकृति जारी करना (iii)वेतन एवं लेखा अधिकारी को बिल भेजना (iv) आर जी टी एस के माध्यम से निधियों का अंतरण	अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति ।	लागू नहीं
15	तकनीकी वस्त्र उत्पादों के रूप में मान्यता दिए जाने हेतु डीजीएफटी को एचएस कोड भेजना.	10.0	श्रीमती गीता नारायण, संयुक्त सचिव	geeta.n @nic.in	011-23063310	(I) संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एचएसएन उप समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार करना जो एचएस कोड की सूची को अनुमोदन और मान्यता देती है और कूटों को व्यापार डाटा के उद्देश्य से निगरानी हेतु मान्यता के लिए डीजीएफटी को संस्तुत करती है ।	(I) पणधारकों जैसे कि वस्त्र समिति, सीईओ, उद्योग के व्यापारियों, आदि से प्रस्ताव	लागू नहीं
16	संबंधित मंत्रालयों को एसएफसी / ईएफसी टिप्पणियों / मंत्रिमंडल टिप्पणियों पर राय	10.0	श्री ए.के.शर्मा, उप सचिव	ak.sharma59 @nic.in	011-23063736	प्रशासन प्रभाग से प्रस्तावों की प्राप्ति । प्रस्ताव की एकीकृत वित्त खंड में जांच और यदि कोई कमी है तो उसके बारे में पूछताछ करना।	समय–समय पर योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार	लागू नहीं
17	वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा बिलों का भुगतान	2.0	नीलम एस. कुमार, मुख्य लेखा नियंत्रक	neelams kumar@ hotmail.com	011-23061622	बिलों की जांच, चेक / डिमांड ड्राफ्ट जारी करना	अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति	लागू नहीं
18	सीपीएओ को पेंशन प्राधिकार का प्रेषण	2.0	नीलम एस. कुमार, मुख्य लेखा नियंत्रक	neelams kumar@ hotmail.com	011-23061622	सेवा पुस्तिकाओं की जांच, पेंशन की गणना, पीपीओ तैयार करना और जारी करना	सेवा पुस्तिका, सतर्कता अनापत्ति, पेंशन के कागजात आदि	लागू नहीं

क्र. सं.	सेवाएं / संव्यवहार	अधिमान (%)	उत्तरदायी अधिकारी और पदनाम	ईमेल	मोबाइल फोन नं0	शामिल प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	भुगतान किया जाने वाला शुल्क
19	जीपीएफ खाते का वार्षिक विवरण जारी करना	2.0	श्रीमती पुष्पा सुब्रह्मण्यम, अपर सचिव	pushpa.s@nic.in	011-23062326	तय समय पर प्रविष्टि, ब्याज की गणना, वार्षिक विवरणों को तैयार करना और जारी करना		लागू नहीं
20	मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों का निवारण	16.0	श्री ए.के.शर्मा, उप सचिव	ak.sharma59@nic.in	011-23063736 ;	i) शिकायतों की पावती के लिए लिया गया समय ii) केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की पावती में लिया गया समय iii) शिकायत को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को भेजने के लिए लिया गया समय iv) आवेदक को उत्तर देने के लिए लिया गया समय	अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण शिकायत प्रस्ताव की प्राप्ति	लागू नहीं

(ii) सेवा मानक

क्र. सं.	सेवाएं / संव्यवहार	महत्व	सफलता संचेतक	सेवा मानक	इकाई	महत्व	आंकड़ों का स्रोत1
1	वस्त्र मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के भीतर अधिकारियों की नियुक्ति	2.0	i) मंत्रालय द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत	30	दिन	1.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
			ii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से लिया गया अधिकतम समय।	15	दिन	1.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
2	(i) केन्द्रीय रेशम बोर्ड का गठन / पुनर्गठन	2.0	i) विद्यमान बोर्ड / समिति की समाप्ति से 6 माह पूर्व विभिन्न बोर्डों / समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करना ।	180	दिन	1.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर

क्र. सं.	सेवाएं/संव्यवहार	महत्व	सफलता संचेतक	सेवा मानक	इकाई	महत्व	आंकड़ों का स्रोत1
	(ii) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यक्षेत्र के भीतर अध्यक्ष/ निदेशक (वित्त/ अधिकारियों की नियुक्ति		ii) नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू करना	30	दिन	0.50	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
			iii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से लिया गया अधिकतम समय।	60	दिन	0.50	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
3	(i) बोर्डों/समितियों/ निफ्ट के शासक मंडल (बीओजी/ सीसीआईसी के निदेशक मंडल/ वस्त्र समिति/ एसवीपीआईएसटीएम का पुनर्गठन	8.0	i) विभिन्न बोर्डों/समितियों के गठन की प्रक्रिया मौजूदा बोर्ड/समिति की अवधि समाप्त होने से छः माह पूर्व शुरू करना.	180	दिन	4.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
	(ii) निफ्ट/सीसीआई सी/ वस्त्र समिति/ एसवीपीआईएसटीएम के कार्यक्षेत्र के भीतर महा निदेशक/ सीवीओ/प्रबंध निदेशक/सचिव/ अधिकारियों की नियुक्ति		ii) नियुक्तियों के लिए कार्रवाई आरंभ करना	30	दिन	2.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
			iii) अनुमोदन के साथ सभी तरह से पूर्ण प्रस्ताव के प्राप्त होने की तारीख से लिया गया अधिकतम समय।	60	दिन	2.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
4	(i) पटसन सेक्टर के निदेशक मंडल का गठन/पुनर्गठन	2.0	i) मौजूदा बोर्ड/समिति की अवधि समाप्त होने से 6 माह पूर्व विभिन्न बोर्डों/समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ करना	180	दिन	1.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर

क्र. सं.	सेवाएं / संव्यवहार	महत्व	सफलता संचेतक	सेवा मानक	इकाई	महत्व	आंकड़ों का स्रोत1
	(ii) जेटीएम के कार्यक्षेत्र के भीतर एनजेएमसी में मुख्य प्रबंधक निदेशक / अधिकारियों की नियुक्ति		ii) नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया आरंभ करना	30	दिन	0.50	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
			iii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से लिया गया अधिकतम समय	60	दिन	0.50	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
5.	एनटीसी / बीआईसी के कार्य क्षेत्र के भीतर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / निदेशक निदेशक / निदेशक (तकनीकी / (विपणन / (वित्त / एचआर / सीवीओ और अन्य निदेशकों की नियुक्ति	2.0	i) नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया आरंभ करना	30	दिन	1.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
			ii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव के प्राप्त होने की तारीख से लिया गया अधिकतम समय.	60	दिन	1.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
6.	अनुदान ग्राहियों के सहायतार्थ अनुदान जारी करना	2.0	निधियों को जारी करने के लिए आईएफडी की सहमति के बाद स्वीकृति आदेश जारी करना	30	दिन	2.0	
7.	जूट पैकेज सामग्री (वस्तु) पैकिंग का अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (जेपीएम अधिनियम) के अंतर्गत मंदन आदेश	10.0	सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से लिया गया अधिकतम समय	15	दिन	10.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
8.	(i) विज्ञापन के उत्तर में आवेदन को प्रोसेस करना	10.0	i) विज्ञापन के उत्तर में आवेदन को प्रोसेस करना	40	दिन	5.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
	(ii)एकीकृत वस्त्र पार्क के लिए योजना (एसआईटीपी) के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्तावों की स्वीकृति जारी करना		ii) अनुमोदित प्रस्तावों की स्वीकृति जारी करना	30	दिन	5.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर

क्र. सं.	सेवाएं / संव्यवहार	महत्व	सफलता संचेतक	सेवा मानक	इकाई	महत्व	आंकड़ों का स्रोत1
9	एकीकृत कौशल विकास योजनाओं (आईएसडीएस) के अंतर्गत आवेदन को प्रोसेस करने और अनुमोदित पाठ्यक्रम की स्वीकृति जारी करने के लिए लिया गया अधिकतम समय	10.0	i) कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए आवेदन को प्रोसेस करने हेतु लिया गया अधिकतम समय	90	दिन	6.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
			ii) अनुमोदित प्रस्तावों की स्वीकृति जारी करना	30	दिन	2.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
			iii) जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए लिया गया औसत समय	30	दिन	2.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
10	बैंकों को टीयूएफएस के अंतर्गत सब्सिडी जारी करना	10.0	सब्सिडी जारी करने में लिया गया औसत समय	90	दिन	10.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
11	तकनीकी वस्त्र उत्पादों के रूप में मान्यता दिए जाने हेतु डीजीएफटी को एचएस कोर्ड अग्रेषित करना	10.0	प्रस्तावों पर विचार करने हेतु लिया गया औसत समय	30	दिन	5.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
			वस्त्र समिति, सीओई,उद्योग व्यापारियों आदि जैसे स्टेक होल्डरों से प्रस्ताव	15	दिन	5.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
12	संबंधित मंत्रालयों को एसएफसी / ईएफसी टिप्पणियों / मंत्रिमंडल टिप्पणियों पर अभिमत	10.0	प्रस्ताव प्राप्त होने पर लिया गया अधिकतम समय	15	दिन	10.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
13	वेतन तथा लेखा कार्यालय द्वारा बिलों का भुगतान	2.0	सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों को प्राप्त होने की तारीख से लिया गया अधिकतम समय	7 दिन	2.0		अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
14	सीपीएओ को पेंशन प्राधिकार का प्रेषण	2.0	सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों को प्राप्त होने की तारीख से लिया गया अधिकतम समय	30	दिन	2.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
15	जीपीएफ खाते का वार्षिक विवरण को जारी करना	2.0	विवरण को जारी करने की अंतिम तारीख	अगले वर्ष के अगस्त माह की 31 तारीख	–	2.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
16	मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों का निवारण	16.0	i) शिकायतों की पावती भेजने के लिए लिया गया समय	4	दिन	4.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर

क्र. सं.	सेवाएं/संव्यवहार	महत्व	सफलता संचेतक	सेवा मानक	इकाई	महत्व	आंकड़ों का स्रोत1
			ii) केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और मानीटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की पावती देने के लिए लिया गया समय	2	दिन	4.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
			iii) आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारी को शिकायत अग्रेषित करने हेतु लिया गया समय	7	दिन	4.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
			iv) आवेदक को उत्तर देने के लिए लिया गया समय	60	दिन	4.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर

टिप्पणीः जहां कहीं सेवा मानकों को 7 दिन या इससे कम के रूप में सूचित किया जाता है, वहां केवल कार्य दिवसों को ही गिना जाएगा ।

समग्र वस्त्र उद्योग को शामिल करते हुए उप क्षेत्रों के बारे में नागरिकों को सेवाएं जिम्मेवार केन्द्रों द्वारा तैयार किए गए नागरिक चार्टरों के माध्यम से जिम्मेवार केन्द्रों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। किसी भी कमी/विवाद के मामले में नागरिक जिम्मेवार केन्द्रों में जा सकते हैं और यदि वे संतुष्ट न हों तो उपरोक्त सेवा मानकों के अनुसार मंत्रालय से आवेदन कर सकते हैं ।

16.4 शिकायत निवारण तंत्रः

वस्त्र मंत्रालय ने जनता की शिकायतों को ऑन लाइन प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए अपनी वैबसाइट http://ministryoftextiles.gov.in पर एक शिकायत निवारण पोर्टल (सीपीजीआरएएम) विकसित किया है । इस प्रणाली को इस ढंग से तैयार किया गया है ताकि जनता की शिकायतों पर कार्रवाई करने वाले संगठनों की ओर से कम कागजी कार्य शामिल हो ।

प्रणाली के अनुसार कोई नागरिक ''लोक शिकायत'' लिंक के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय की वैबसाइट का अवलोकन कर सकता है और अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है । मंत्रालय में नोडल अधिकारी अपने प्रयोक्ता एकाउंट में लॉग इन कर अपने विषयों से संबंधित शिकायतों को हासिल करता है और निवारण हेतु कार्रवाई करता है । यदि शिकायत मंत्रालय के अधीन किसी संगठन से संबंधित होती है, तो नोडल अधिकारी उसे संबंधित संगठन को ऑन लाइन अंतरित कर देता है । इस समय मंत्रालय के अधीन निम्नानुसार 18 संगठनों को शिकायत निवारण तंत्र में शामिल किया गया है :

क्र. सं.	कार्यालय का नाम
1.	विकास आयुक्त (हथकरघा)
2.	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
3.	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई
4.	भारतीय पटसन निगम, कोलकाता
5.	पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता

6.	भारतीय पटसन निगम, कोलकाता
7.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कॉर्पोरेशन, कोलकाता
8.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन, कानपुर
9.	नेशनल टैक्सटाइल्स कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली
10.	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोशन ऑफ इंडिया लि0, नई दिल्ली
11.	भारतीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प निर्यात निगम लि0, नई दिल्ली

12.	कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0, मुंबई
13.	नेशनल हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि0, लखनऊ
14.	केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर
15.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर
16.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
17.	सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं प्रबंधन स्कूल, कोयम्बटूर
18.	वस्त्र समिति, मुंबई

जिम्मेवार केन्द्रों द्वारा प्रतिबद्धता को पूरा न किए जाने/शिकायतों का निवारण न किए जाने की स्थिति में प्रयोक्ता उचित कार्रवाई हेतु निम्नलिखित पते पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं अथवा व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं:

क्र. सं.	कार्यालय	लोक/कर्मचारी शिकायत अधिकारी	पता एवं दूरभाष
1.	वस्त्र मंत्रालय	श्री ए. मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव (लोक शिकायत)	कमरा नं. 270 , उद्योग भवन, नई दिल्ली फोनः 011– 23061450, ई–मेल : reddy.am@nic.in
2.	विकास (हस्तशिल्प)	श्री पी.के. ठाकुर, निदेशक (हस्तशिल्प)	वेस्ट ब्लॉक–7, आर.के.पुरम, नई दिल्ली –110066 फोन;– 011–26191569, 26106902, 26103562 Email : dchejs@nic.in
3.	विकास आयुक्त (हथकरघा)	श्री सुरेश चन्द्र, (मुख्य प्रवर्तन अधिकारी)	विकास आयुक्त (हथकरघा) उद्योग भवन, नई दिल्ली– 110011 फोन– 011– 23061976 (का.) फैक्सः 011–23063866 Email: suresh.chandra57 @nic.in

क्र. सं.	कार्यालय	लोक/कर्मचारी शिकयत अधिकारी	पता एवं दूरभाष
4.	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई	श्री एस.बालाराजू, अपर वस्त्र आयुक्त	नयू सी.जी.ओ. बिल्डिंग, 48, न्यू मैरीन लाइन्स मुंबई–400 020. ई–मेलः textilec@gmail.com फोन–22–22014554 फैक्सः 22–22034134
5.	पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता	श्रीमती चन्द्रानी गुप्ता, आईईएस, उप–निदेशक (ईएंडएफ)	सीजीओ कॉम्पलैक्स, तीसरी एमएसओ बिल्डिंग, चौथा तल, डीएफ ब्लॉक, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता – 700 064 फोनः(033) 2337–6971 (033) 2337–6970 फैक्सः 033–2337–6972, 6973, 6974/75 e-mail: jcoffice@jutecomm.gov.in Website:www.jutecomm.gov.in
6.	राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता	श्री एन. सेनगुप्ता, प्रधान वित्त अधिकारी एवं सहयक सचिव	3क तथा 3ख, पार्क प्लाजा, 71 पार्क स्ट्रीट, कोलकाता–700 016 फोनः033–2226–3438 / 2217–2107 फैक्सः033–2217–2456 e-mail: jute@njbindia.in Website: www.jute.com www.njbindia.com
7.	जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (जेसीई) कोलकाता	श्री अनिंदा मजूमदार, व्यापार विकास प्रबंधक	15 एन नेल्लई सेनगुप्ता सरनी कोलकाता : 700087 फोनः033–22527027 / 7028 / 6770 फैक्सः033–2252 6771 / 6890 e-mail jutecorp@vsnl.net Website:www.jci.gov.in
8.	नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन (एनजेएमसी) कोलकाता	श्री कुशल बहादुरी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, दूसरा तल, 4, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता – 700001. फोनः033– 22306434 फैक्सः033–22305103 e-mail- njmc_corp@yahoo.co.in Website:www.njmc.gov.in

क्र. सं.	कार्यालय	लोक/कर्मचारी शिकयत अधिकारी	पता एवं दूरभाष
9.	सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं प्रबंधन स्कूल, कोयम्बटूर	डॉ. सी. रमेशकुमार, निदेशक	1483, अवनाशी रोड, पीलामेडू, कोयम्बटूर – 641 004. फोनः 0422–2571675, 2592205 e-mail- director@svpitm.ac.in Web: www.svpistm.ac.in
10.	नेशनल टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली	श्री मैथ्यू फिलिप, संयुक्त प्रबंधक (एचआर)	नेशनल टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन लि., स्कोप कॉम्पलैक्स, कोर–प्ट, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003 फोनः 011–24360892 मो0.9654642685 e-mail- ntcqnd@de12.vsnl.net.in
11.	कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई	श्री बी.के.मिश्रा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कपास भवन, प्लाट सं.. 3 ए, सेक्टर 10, पो.बा.नं. 60 सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई – 400 614 फोनः 022–2757 9217 फैक्सः 022–2757 6030 e-mail-headoffice@cotcorp.com Website:www.cotcorp.gov.in
12.	केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर	श्री गिरीराज कुमार मीणा, कार्यकारी निदेशक	सी – 3, नजदीक शास्त्री सर्किल, शास्त्री नगर, जोधपुर– 342003 राजस्थान (भारत) फोनः 0291–2433967 / 2616328 email: woolindiajodhpur@dataone.in
13..	केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर	डां. जयप्रकाश, निदेशक (तकनीकी) अतिरिक्त प्रभार	सीएसबी काम्पलैक्स, बीटीएम लेआउट, माडीवाला, बंगलौर–560068, कर्नाटक फोनः080 – 26282699, 26282503 फैक्सः080–26681511 e-mail: ms.csb@nic.in Website:http://www.csb.gov.in
14.	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0, नई दिल्ली	श्री प्रमोद नागपाल, प्रबंध निदेशक	जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली–110001 फोनः 011 23323825, 23730374 e-mail-md@cottageemporium.in

Sl. No.	Offices	Public /Staff	Address & Telephone Grievances Officers
15.	राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान, नई दिल्ली	सुश्री नीनू टेकचंदानी, रजिस्ट्रार (पूर्व),	निफ्ट कैम्पस, हौज खास, नजदीक गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली –110016 फोन:011–26542065 011–26542100 फैक्स: 011–26542151 26522212 Email: registrar.estt@nift.ac.in, registrar.estt@gmail.com
16.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर	श्री निर्मल सिन्हा, सीएमडी (बीआईसी) का अतिरिक्त प्रभार)	11/6, श्रीमती पार्वती बागला रोड, पो.बा.सं. 77, कानपुर–208001 फोन : 0512– 2530196 e-mail bicltdsps@yahoo.co.in
17.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ	श्री सर्वपल्ली श्रीनिवास, प्रबंध निदेशक	10वां तथा 11वां तल, विकास दीप 22, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001 फोन:0522–26355133 0522–2635297 फैक्स:0522–2635282 e-mail-honhdc@nhdcltd.co.in
18.	भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड	डा. अरूण वीर सिंह, महा प्रबंधक (विपणन)	जवाहर व्यापार भवन, 1, टॉलस्टोय मार्ग, नई दिल्ली – 110 001 फोन: +(91)–(11)–23701086 +(91)–(11)–23701051 e-mail hhecnd@bol.net.in
19.	वस्त्र समिति, मुंबई	श्री राकेश गर्ग, सचिव	पी.बाबू रोड, प्रभादेवी , प्रभादेवी, मुंबुई 400 025, फोन:91–22–66527507, 66527506 फैक्स–+91–22–66527577 / 66527509 e-mail: secytc[at]gmail[dot]com

16.5 स्टेकहोल्डर्स / ग्राहक:

किसान, बुनकर, दस्तकार, कामगार, उद्यमी, वस्त्र निर्यातक, जो निम्नलिखित के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में वस्त्र (सभी फाइबर) एवं परिधान/क्लोदिंग के उत्पादन, प्रसंस्करण, बुनाई, शिल्प, डिजायनिंग, विपणन, निर्यात में संलग्न हैं :

1. विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, नई दिल्ली
2. विकास आयुक्त, हथकरघा, नई दिल्ली

3. पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता
4. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई
5. केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरू
6. केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर
7. भुगतान आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली
8. वस्त्र समिति, मुंबई
9. राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान, नई दिल्ली
10. राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता
11. विद्युतकरघा सेवा केन्द्र
12. बुनकर सेवा केन्द्र
13. निर्यात संवर्धन परिषद (वस्त्र क्षेत्र के लिए)

16.6 जिम्मेवारी केन्द्रः

नाम	पता
1. पटसन आयुक्त का कार्यालय	सीजीओ कॉम्पलैक्स, तीसरी एमएसओ बिल्डिंग, चौथा तल, डीएफ ब्लॉक, सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता –700064, फोनः 91 (33) 2337 6970 फैक्सः033–23376972 / 6973 / 6974 e-mail: jcoffice@jutecomm.gov.in Website: www.jutecomm.gov.in
2. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय	न्यू सीजीओ बिल्डिंग, निष्ठा भवन, पो.बॉ.–11500, 48, न्यू मरीन लाइन्स, मुंबई–400020, फोनः 91–22–22014446 / 22004510 फैक्सः022–22004693, e-mail: txc-otxc@nic.in Website: www.txcindia.gov.in
3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड	सीएसबी कॉम्पलैक्स, बीटीएम लेआउट, मडिवाला, बंगलौर–560068. कर्नाटक. फोनः 080–26282699, 26282503 फैक्सः 080–26681511, e-mail: ms.csb@nic.in Website:http://www.csb.gov.in
4. केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड	सी – 3, निकट शास्त्री सर्किल, शास्त्री नगर, जोधपुर 342003 राजस्थान(भारत) फोनः 0291–2433967 / 2616328 फैक्स.:0091–291–2439017 E MAIL: woolindiajodhpur[at]dataone[dot]in

नाम	पता
5. वस्त्र समिति	पी. बालू रोड, वीर सावरकर मार्ग के पीछे, प्रभादेवी चौक, प्रभादेवी, मुंबई–400025, फोनः 91–22–66527507, 66527500, फैक्सः–+91–22–66527577, 66527509, e-mail: secy.tc[at]nic[dot]in secytc[at]gmail[dot]com
6. राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान	निफ्ट कैम्पस, हौजखास, नजदीक गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली – 110 016 फोनः 011–26542100 फैक्सः 011–26542151 e-mail: director.ho@nift.ac.in directoradmn.nift@gmail.com Website: www.nift.ac.in
7. राष्ट्रीय पटसन बोर्ड	3 ए तथा बी, पार्क प्लाजा, 71, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता–700016, फोनः033–2226–3438 / 2217–2107 फैक्सः033–2217–2456 e-mail: jute@njbindia.in Website:www.jute.com, www.njbindia.com

मंत्रालय के अधीन इनमें से प्रत्येक क्षेत्रीय संगठन के पास अपने खुद के नागरिक एवं सेवा चार्टर हैं जिनमें वे आपकी सेवा करने के प्रति वचनबद्धता करते हैं और निष्पादन मानक निर्धारित करते हैं जिनके द्वारा आप सेवाओं की गुणवत्ता और उनसे बेहतर निष्पादन करने के लिए समर्पण का मूल्यांकन कर सकते हैं ।

16.7 सेवा प्राप्तकर्ताओं से सांकेतिक उम्मीदें:

क्र.सं.	उम्मीदें
1.	हर प्रकार से विधिवत पूर्ण किए गए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना ।
2.	राज्य सरकारों को परियोजनाओं के लिए उन्हें जारी की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का समुचित उपयोग करना चाहिए और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के प्रयास करने चाहिए ।
3.	कृपया मंत्रालय के अधिकारियों के प्रति सहृदयता प्रदर्शित करें ।
4.	मंत्रालय के साथ अपने पत्रों / पत्र व्यवहार का हमेशा उचित रिकॉर्ड रखें ।
5.	यदि आपने मंत्रालय / उसके अधीनस्थ / संबद्ध कार्यालयों में किसी अधिकारी से मिलने का समय लिया है तो कृपया समय से 15 मिनट पूर्व पहुंचें ।
6.	यदि आप लिए गए समय को रद्द करना चाहते हैं तो कृपया कम से कम दो दिन पूर्व फैक्स या ईमेल के जरिए लिखित में सूचना दें ।
7.	निर्धारित समय सीमाओं के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्टें भेंजें ।
8.	नीतियों, कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं के बारे में अद्यतन स्थिति के लिए वैबसाइट की नियमित जांच करें ।
9.	मंत्रालय की वैबसाइट पर डाले गए मसौदों के बारे में सुझाव / निविष्टियां दें ।
10.	मंत्रालय और उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित स्टेकहोल्डर परामर्श बैठकों में भाग लें ।

हमारा सूचना और सुविधा केन्द्र (आईएफसी) द्वार सं.18, उद्योग भवन, नई दिल्ली के निकट स्थित है। प्रयोक्ताओं का कोई फीडबैक/सुझाव श्रीमती बबनी लाल, आर्थिक सलाहकार, आर्थिक प्रभाग, वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को babnilal@nic.in पर भेजा जाए। नागरिक चार्टर के बारे में सुझाव श्री ए.के.पालित, सहायक निदेशक को a.k.palit@nic.in पर भेजे जाएं।

अधिक जानकारी के लिए हमारी वैबसाइट (http://ministryoftextiles.gov.in) देखें ।

16.8 चार्टर की अगली समीक्षा का माह और वर्ष

1. चार्टर को वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2. चार्टर की वार्षिक समीक्षा अप्रैल 2016 में वस्त्र मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

अध्याय–17

कल्याणकारी उपाय

17.1 वर्ष 2015–16 के दौरान पुनर्गठित केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) का क्रियान्वयन

17.1.1 रेशम क्षेत्र

वर्ष 2015–16 के दौरान पुनर्गठित केंद्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) के क्रियान्वयन के लिए एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना (आईएसडीएसआई) के अंतर्गत क्रमशः 7.00 करोड़ रुपए और 20.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को प्राथमिकता देकर मलबरी कलस्टरों, संस्थागत ग्रामीण संबद्ध कार्यक्रम (आईवीएलपी), कोया पश्च प्रौद्योगिकी (पीसीटी) कार्यक्रम में एससीएसपी को क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। टीएसपी के अंतर्गत उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रमुख तसर रेशम उत्पादक राज्यों के चयनित ब्लाकों में जनजातीय तसर रियररों और रीलरों को सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है ताकि आरएंडडी हस्तक्षेप के माध्यम से स्टेकहोल्डरों की आय में वृद्धि की जा सके। यह कार्यक्रम केंद्रीय रेशम बोर्ड के स्थानीय अनुसंधान विस्तार केंद्रों के समन्वय से राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। एससीएसपी एवं टीएसपी के सभी लाभार्थी विशेष दर्जा वाले राज्यों की भांति उच्चतर सब्सिडी प्राप्त करेंगे। चालू वर्ष 2015–16 (अक्तूबर 2015 तक) के दौरान पुनर्गठित केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत एससीएसपी एवं टीएसपी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्यों/संस्थानों को क्रमशः 5.69 करोड़ रुपए एवं 0.88 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं।

17.1.2 ऊन क्षेत्र

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड द्वारा अ.जा./अ.ज.जाति के लिए अलग से कोई कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित नहीं की जाती है । तथापि, बोर्ड की योजनाओं के अंतर्गत अधिकांश लाभार्थी सभी प्रमुख ऊन उत्पादक राज्यों के ग्रामीण और दूर–दराज के पहाड़ी क्षेत्रों तथा मरूस्थली क्षेत्रों से होते हैं जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के गरीब लोग भी शामिल होते हैं । वर्ष 2015–16 के दौरान बोर्ड को 0.30 करोड़ रूपए आबंटित किए गए हैं। उसमें से जनवरी 2016 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 0.225 करोड़ रूपए की राशि रिलीज की गई है।

17.1.3 हथकरघा

हथकरघा क्षेत्र 23.77 लाख हथकरघों पर बुनाई एवं संबद्ध क्रियाकलापों में 43.31 लाख से अधिक कामगारों को रोजगार देता है । यह क्षेत्र बुनकर विशिष्ट/पेशेवर स्वरूप का है और इसमें अधिकतर बुनकर समाज के सबसे गरीब और निम्न वर्गों से हैं । भारत की हथकरघा गणना (2009–10) की रिपोर्ट के अनुसार कुल व्यस्क कार्यबल में अनुसूचित जाति के 10 प्रतिशत बुनकर, अनुसूचित जनजाति के 18 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग से 45 प्रतिशत अन्य शेष जातियों से हैं ।

इस कार्यालय द्वारा प्रचालित योजना हथकरघा स्कीमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वगों तथा महिलाओं सहित सभी श्रेणियों के बुनकरों के लिए समान रूप से लागू हैं । इन स्कीमों के अंतर्गत बुनकर को हथकरघा विकास तथा बुनकर कल्याण हेतु (i) प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए, (ii) निविष्टि सहायता, (iii) विपणन सहायता, (iv) प्रचार एवं प्रदर्शन, (v) अवसंरचनात्मक सहायता, (vi) कल्याण उपाय, (vii) निर्यात योग्य उत्पादों के विकास (viii) बुनकरों के कल्याण और हथकरघा के अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है ।

वर्ष 2015–2016 के दौरान अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) के अंतर्गत 46.00 करोड़ रूपए की राशि और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के अंतर्गत 18.00 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध करायी गई है। 28.12.2015 तक एससीएसपी के अंर्तगत 27.56 करोड़ रूपये की राशि और टीएसपी के अंतर्गत 15.71 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई है।

17.1.4 हस्तशिल्प

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की सात व्यापक स्कीमें नामतः बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, विपणन सहायता एवं सेवा योजना, निर्यात संवर्धन योजनाएं, अनुसंधान एवं विकास योजना; हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजना; मानव संसाधन विकास योजना एवं अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास योजना है। ये सभी योजनाएं महिला कारीगरों तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कारीगरों के सशक्तीकरण एवं उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ।

हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े कुल कार्यबल में से अनुमानित 56.1% महिलाएं हैं जिनमें से अनुमानित 28.30 % महिलाएं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं (स्रोतः जनगणना सर्वे 2012–13)। कुछ ऐसे विशिष्ट शिल्प हैं जिन्हें केवल महिलाएं ही व्यवहार में लाती हैं जैसे कशीदाकारी, चटाई बुनाई आदि। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि एक बड़ी संख्या में महिला कारीगरों को प्रशिक्षण, विपणन संबंधी कार्यक्रमों, राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रदर्शनियों आदि जैसी सभी विकासात्मक योजनाओं का लाभ प्राप्त हो।

अध्याय–18

राजभाषा

18.1 राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्यकलाप

हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है और सरकार की राजभाषा नीति का उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिंदी का उत्तोत्तर प्रयोग बढ़े सुनिश्चित करना है। वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन, वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के विभिन्न आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

18.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्पों,सामान्य आदेशों, नियमों आदि जैसे सभी दस्तावेजों और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने वाले सभी कागजातों को द्विभाषिक रूप से अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया जा रहा है।

मंत्रालय में, राजभाषा नियम, 1976 के नियम–5 का कार्यान्वयन उसकी मूल भावना के अनुरूप किया जा रहा है।

18.3 निगरानी और निरीक्षण

संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों/बोर्डों की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की नियमित समीक्षा की जाती है तथा समय–समय पर निरीक्षण के माध्यम से उनकी निगरानी की जाती है। इन निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियों

पर संबंधित कार्यालयों को अपेक्षित निदेश दिए जाते हैं तथा उनकी अनुपालना को सुनिश्चित किया जाता है।

18.4 अनुवाद कार्य

मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग द्वारा नियमित रूप से मंत्रिमंडल नोट, सभी अधिसूचनाओं, सामान्य आदेश, निविदाओं, बजट संबंधी कागजातों, वार्षिक रिपोर्ट, संसदीय आश्वासनों, स्थाई समितियों व अन्य संसदीय समितियों से संबंधित दस्तावेजों, वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के कार्यालय से प्राप्त विभिन्न कागजातों तथा प्रेस विज्ञप्तियों का नियमित रूप से अनुवाद किया जाता है। दोनों सदनों को भेजे जाने वाले प्रश्नोत्तरों का अनुवाद संपन्न किया जाता है।

18.5 समितियां

वस्त्र मंत्रालय में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति संयुक्त सचिव (हिंदी प्रभारी) की अध्यक्षता में गठित है। समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने से संबंधित निर्णयों के अनुपालन हेतु अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

मंत्रालय में ''हिंदी सलाहकार समिति'' का पुनर्गठन किया गया है। समिति की पहली बैठक दिनांक 10.06.2015 को मुंबई में तथा दूसरी बैठक दिनांक 17.11.2015 को मैसूर में आयोजित की गयी थी। हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों पर संघ की राजभाषा नीति के आलोक में कार्रवाई की जाती है।

वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में मैसूर (कर्नाटक) में 17 नवंबर, 2015 को संपन्न हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेते हुए समिति के सदस्य एवं मंत्रालय के अधिकारी

18.6 हिंदी पखवाड़ा

मंत्रालय में 15–29 सितंबर, 2015 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। सरकारी कामकाज हिंदी में कार्य करने को बढावा देने के लिए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने हेतु हिन्दी निंबध, हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन, प्रश्नोत्तरी, वाद–विवाद, हिन्दी टंकण प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष दो नई प्रतियोगिताएं 'हिन्दी रत्न पुरस्कार (व्यक्तिगत) तथा 'हिन्दी रत्न अनुभाग (सामूहिक)' प्रतियोगिताएं भी प्रारंभ की गईं जिनमें हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले कार्मिकों और अनुभागों को पुरस्कृत किया गया। वस्त्र मंत्रालय और उसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के वस्त्र उपक्रमों में हिंदी में अधिकतम कार्य करने के लिए हिंदी दिवस के अवसर पर गृह मंत्री,वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और सचिव (वस्त्र) की अपीलें परिचालित की गईं।

अध्याय–19

वस्त्र क्षेत्र में डिजिटल पहल

19.1 वस्त्र मंत्रालय डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया इत्यादि जैसे भारत सरकार की पहलों के कार्यान्वयन में अग्रणी है। डिजिटल इंडिया पहल प्रभावी शासन के लिए सरकारी मंत्रालयों/विभागों और भारत की जनता को एक साथ लाने की पहले है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चत करना है कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध हों और उनकी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के संबंध में सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए उनका मंतव्य प्राप्त किया जाए। इससे सरकार और नागरिकों के बीच सहक्रियाशील डिजिटल संपर्क स्थापित होगा और शासन में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

वर्तमान सरकार के विजन और मिशन को हकीकत में बदलने के लिए इस मंत्रालय ने अपनी ई–शासन सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु विभिन्न पहलें की हैं। सबसे पहले वस्त्र मंत्रालय ने सामग्री प्रबंधन रूप–रेखा (सीएमएफ) के माध्यम से अपनी वेबसाइट को नया रूप दिया है जिससे यह वेबसाइट पर पहुंचने की एकाधिक रीतियों के संगत हो गया है। मंत्रालय के विभिन्न अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों में भी ऐसी ही उपाय किए जा रहे हैं। ई–ऑफिस स्यूट, ई–समीक्षा, ई–खरीद जैसे जी2जी/जी2बी/जी2ई एप्लीकेशनों के कार्यान्वयन और स्वैच्छिक संस्थाओं, आईएसडीएस आदि को हस्तशिल्प स्कीमों के लिए जारी निधि संबंधी एमआईएस के विकास के परिणामस्वरूप कार्य संचालन में सुधार हुआ जिससे गुणवत्तापूर्ण सेवा अदायगी हो रही है। मंत्रालय और इसके संगठन नियमित आधार पर विभिन्न राज्यों और

विभागों के साथ विडियों कांफ्रेंसिंग सत्रों का संचालन करते हैं। राष्ट्रव्यापी एनआईसी विडियो क्रांफ्रेंसिंग ने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत हैंडलूम ब्रांड को शुरू करने में सहायता की थी;साथ ही साथ, विभिन्न बुनकर सेवा केन्द्रों को लोकार्पण के समय चेन्नई स्थित मुख्य लोकार्पण स्थल से जोड़ा गया था।

अनुभागों में एनआईसी की गीगा बिट बैंडविथ लैन/वैन/वायरलेस नेटवर्क और आईपीवी6 संगतता के साथ आधुनिक डेस्कटॉप और सॉफ्टवेयर सहित उन्नत किया गया है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डेस्कटॉप विडियो क्रांफ्रेंस सुविधा स्थापित की गई थी। विकास आयुक्त (हस्तकरघा), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) और वस्त्र समिति कार्यालय को भी उन्नत किया गया है और एनआईसी की क्लाउड सेवा (मेघराज) पर रखा गया है। वर्ष के दौरान मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों के लिए विभिन्न अप्लीकेशनों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम वस्त्र मंत्रालय, एनआईसी मुख्यालय, डायट वाई और राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र, शास्त्री पार्क, दिल्ली में आयोजित किए गए।

एनआईसी टेक्सटाइल एंफोरमेटिक्स डिविजन मंत्रालय और इसके अधीनस्थ/संबंद्ध कार्यालयों के संबंध में तकनीकी और कार्यात्मक समर्थन दे रहा है। ये अधिकारी वेबसाइट के विकास, कार्यान्वयन, रख–रखाव और समन्वय तथा उसकी 24x7 उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह डिविजन क्लाउड पर विभिन्न ऑनलाइन ई–शासन सेवाओं तक पहुंच बनाने, विभिन्न अप्लीकेसनों के विकास/उपयोग, नेटवर्क समर्थन सेवाएं उपलब्ध कराने और आईसीटी आधारिक संरचना के रख–रखाव में मदद कर रहा है।

19.2 वेबसाइट प्रबंधन

मंत्रालय की वेबसाईट http://ministryoftextiles.gov.in को सीएमएफ के माध्यम से विकसित किया गया है जिससे यह एकाधिक पहुंच रीति के संगत है, प्रयोक्ता हितैषी, दृष्टिहीन लोगों के अनुकूल तथा बहुभाषी समर्थन से लैस है। संबंधित कर्मचारियों/प्रभागों द्वारा वेबसाइट की सामग्री समय पर अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सामग्री प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) स्थापित है। इसे जीआईजीडब्ल्यू मानकों के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। विकास आयुक्त (हस्तकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालयों के लिए भी यह सुविधा प्रारंभ की जा रही है।

19.3 आईसीटी आधारिक संरचना उन्नयन

लैन/वैन/पीसी के बेहतर निष्पादन के लिए हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर अद्यतन किए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सुरक्षा मार्गनिर्देशों के अनुसार और अधिक फायरवाल लगाकर और प्रबंधनीय नेटवर्क उपकरण स्थापित करके विभिन्न साईबर सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। लैन/वैन/सेवाओं में वायरस मुक्त क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित पैच प्रबंधन और वायरस पहचान प्रणालियां भी अद्यतन की गई हैं।

19.4 ई–शासन

मंत्रालय में कार्यप्रवाह को मजबूत करने के लिए वेब आधारित ई–ऑफिस स्यूट को नई सुविधाओं के साथ अद्यतन किया गया है। फाइल प्रबंधन प्रणाली, ज्ञान प्रबंधन और साझाकरण, कर्मचारी मास्टर ब्यौरे, छुट्टी प्रबंधन जैसे मॉड्यूल भी प्रचालित किए गए। मंत्रालय में अधिकारियों के विभिन्न स्तरों में ई–ऑफिस संबंधी उचित प्रशिक्षण भी दिए गए। वस्त्र मंत्री के कार्यालय में अद्यतन वीआईपी संदर्भ प्रणाली कार्यान्वित की गई है।

सीओएमडीडीओ पे–रोल पैकेज, राष्ट्रीय आंकड़ा साझाकरण नीति (data.gov.in), ई–खरीद पोर्टल, आरएफडी, लोक शिकायत निगरानी प्रणाली, संसद प्रश्न/उत्तर (ई–उत्तर), आधार समर्थित बायोमैट्रीक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), एसीसी रिक्ति निगरानी प्रणाली (एवीएमएस) स्पैरो प्रणाली, ई–आगंतुक निगरानी प्रणाली, विदेशी दौरा प्रबंधन प्रणाली, ई–पॉलिटिकल क्लियरेंस प्रणाली, वीआईपी संदर्भ निगरानी प्रणाली, अपील निगरानी प्रणाली, न्यायालय मामले निगरानी प्रणाली आदि जैसे नई G2G सेवाओं के प्रति मंत्रालय प्रतिबद्ध है।

19.4.1 नई पहलें

1. भारत हथकरघा ब्रांड के लिए एक नया पोर्टल तैयार किया गया है जो भारत हथकरघा ब्रांड प्रमाणन के लिए आवेदन करने वालों (हथकरघा उत्पादक) हेतु ऑनलाइन पंजीकरण और निगरानी आसान बनाएगा। इससे उन्हें अपने उत्पादों पर आईएचबी लोगो लगाने का हक प्राप्त होगा। इस एप्लीकेसन को डिजाइन और विकसित करने का कार्य पूरा हो गया है और इसे वेब सुरक्षा जांच के लिए प्रस्तुत किया गया है तथा एनआईसी क्लाउड पर रखा जाएगा।
2. साधारण विद्युतकरघा स्वस्थाने उन्नयन योजना के लिए प्रणाली विकास को प्राथमिकता पर रखा गया है ताकि बुनकरों द्वारा लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण आसान हो।
3. वस्त आयुक्त का कार्यालय, मुम्बई द्वारा विकसित आईटफ्स अप्लीकेसन एन्आईसी क्लाउड पर एसएमएस और ई–मेल गेटवे सुविधा के साथ शुरू किया गया है।
4. बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली (बीएएस) को विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय तक विस्तारित किया गया है। दिल्ली स्थित डब्ल्यूएससी को भी इसमें शामिल किया गया है तथा देश भर में बीस अन्य कार्यालयों में इसे प्रारंभ किया जा रहा है तथा मार्च, 2016 तक इनके ऑनलाइन हो जाने की आशा है।
5. मेक इन इंडिया अभियान के तहत निवेशक और व्यवसाय समुदाय की सुविधा के लिए एक सहक्रियाशील पोर्टल (http://makeinindia.com) शुरू किया गया है जिसके माध्यम से वे नियमित आधार पर सरकार से विमर्श कर सकते हैं।'मेक इन इंडिया'से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए प्रोटोकॉल हेतु निदेश/मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार किए गए हैं।

6. भारतीय वस्त्रों पर http://MyGov.nic.in पर प्लेटफार्म के अधीन भारत और विदेशों में भारतीय रेशम उत्पादों की मांग को बढ़ाने के संबंध में एक परिचर्चा समूह शुरू किया गया है और माईजीओवी सदस्यों से कई टिप्पणियां प्राप्त की गई हैं।

7. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रमुख विजन क्षेत्रों जैसे''प्रत्येक नागरिक के उपयोग के लिए आधारिक संरचना'',''मांग पर शासन और सेवाएं''और''नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण''को मंत्रालय द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें सार्वभौम डिजिटल साक्षरता, डिजिटल संसाधन उपलब्धता और शासन में भागीदारी के लिए सहयोगी डिजिटल प्लेटफार्म विभिन्न पुनःअभियांत्रिकी प्रक्रियाएं शामिल हैं।

19.5 संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में आईसीटी कार्यान्वयन

मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों ने भी संरचनाबद्ध और वायरलेस लैन के साथ अपेक्षानुसार अपनी आईसीटी आधारिक संरचना का उन्नयन किया है। उन्हें आईपीवी6 संगतता का निदेश दिया गया था। इन कार्यालयों ने अधिक प्रयोक्ता क्रेंद्रित सुविधाओं के साथ अपनी वेबसाइटों को उन्नत किया है। विभिन्न योजनाओं के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जनता या व्यापार समुदाय द्वारा अपेक्षित विभिन्न आवेदन प्रारूप डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। औद्योगिक डाटाबेस आधारित बहुत सी सांख्यिकीय/ विश्लेषण रिपोर्टें भी उद्योग जगत के संदर्भ हेतु प्रकाशित की जा रही है। कार्यालयों में ही एमआईएस एप्लीकेशन तैयार और सक्रिय किए गए। संबंधित प्रादेशिक कार्यालय/क्षेत्र स्तरीय कार्यालय भी पर्याप्त आईसीटी आधारिक संरचना से लैस किए गए। बेहतर प्रचालन कुशलता हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में मोबाइल गवर्नेंस को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

03 मार्च, 2016 को वस्त्र मंत्रालय नई दिल्ली में ई–न्यूज लेटर के प्रथम संस्करण का विमोचन करते हुए माननीय वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

अध्याय–20

लैंगिक न्याय और लैंगिक बजट

20.1 भारतीय कपास निगम लि.

भारतीय कपास निगम में दिनांक 31.03. 2015 की स्थिति के अनुसार कुल 980 कर्मचारी हैं जिसमें 104 महिला कर्मचारी हैं।

निगम ने निगम के सभी नियमित कर्मचारियों, जिसमें महिला कर्मचारी भी शामिल हैं, के लिए भर्ती नियम, सीडीए नियम, चिकित्सा नियम, टीए/डीए नियम,एचबीए नियम, कर्मचारी कल्याण नियम, वाहन अग्रिम/रखरखाव नियम आदि जैसे कई नियम बनाए हैं।

निगम में मूलरूप से स्टॉफ पैटर्न यानी सामान्य और लेखा/वित्त की दो शाखाएं हैं। निगम में प्रवेश बिंदु वर्तमान में आमतौर पर कनिष्ठ कपास खरीददार, कनिष्ठ सहायक और ग्रेड–1 कर्मचारी के स्तर पर है। निगम की भर्ती/पदोन्नति नीति, भर्ती नियम द्वारा नियंत्रित होती है जो महिला कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं।

निगम में विभिन्न कर्मचारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो बिना किसी लिंग भेदभाव के लाभ प्राप्त करने के लिए सभी नियमित कर्मचारियों के लिए खुली हुई है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर ''कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न'' को रोकने के लिए मुख्यालय में कामकाजी महिलाओं की यौन उत्पीड़न से रक्षा करने और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समिति गठित की गई है। सीसीआई के सीडीए नियम 1975 के नियम 4(4)(1) के तहत शिकायत समिति को जांच प्राधिकारी

समझा जाएगा और इसकी रिपोर्ट को जांच रिपोर्ट समझा जाएगा।

केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश सहित अवकाश की अनुमति दी है।

20.2 रेशम क्षेत्र

20.2.1 महिला उत्थान

भारत में लोग अपनी आजीविका के लिए ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में रेशम उत्पादन और इससे संबद्ध उद्योगों में शामिल हैं। रेशम उत्पादन में डाउन स्ट्रीम गतिविधियों में कार्यरत लोगों का बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। रेशम उत्पादन कार्यकलाप शहतूती बगीचा प्रबंधन, पत्ती कटाई और रेशम कीट पालन महिलाओं द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से किए जाने के कारण ही यह संभव हो पाया है। रेशम रीलिंग और बुनाई कार्यकलापों में भी महिलाएं लगी हुई हैं। इस प्रकार, यह भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुरूप होगा जो रेशम उत्पादन में लगी महिलाओं के लिए सही दिशा में उठाया गया कदम है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा रेशम उद्योग से जुड़ी महिलाओं की सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास शुरू किए गए हैं। केन्द्र प्रायोजित उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के तहत केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने दसवीं योजना के दौरान राज्य सरकारों के सहयोग से कई कार्यक्रम लागू किए थे। ऑन–फार्म एवं पोस्ट–फॉर्म कार्यकलापों जैसे रीलिंग, रंगाई, ट्विस्टिंग, छपाई, फिनिशिंग आदि के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी। उपार्जित लाभ अन्य बातों के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला श्रमिकों के लिए है। उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम लागू किए गए है:

* केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित महिलाओं के अनुकूल प्रौद्योगिकी पैकेजों को बढ़ावा देना।
* एनजीओ, महिला समूहों, व्यक्तिगत महिला रीलर्स/स्पिनर्स को 50 प्रतिशत सब्सिडी (के.रे.बो.एवं राज्य) पर उन्नत रीलिंग एवं ट्विस्टिंग डिवाइस तथा कताई पहियों की आपूर्ति करना।
* उन्नत उपकरणों के संचालन पर महिला रीलर्स/स्पिनर्स को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ; और
* सीडीपी योजनाओं के एकीकरण द्वारा कलस्टर विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय रेशम बोर्ड के आरएण्डडी/प्रशिक्षण, बीज, समन्वय और बाजार विकास (एचआरडी) संघटकों तथा बीज/एचआरडी संघटकों के अंतर्गत महिलाओं तथा अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों के संबंध में जनशक्ति संबंधी व्यय के ब्यौरे क्रमशः अनुबंध I और II पर दिए गए हैं :

अनबंध - I

केंद्रीय रेशम बोर्ड, बंगलोर – 560 068
"लैंगिक बजट" और अ.जा./अ.ज.जा. के रोजगार योजना के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

(राशि करोड़ रू. में)

		वर्ष 2015–16 के लिए ईएफसी अनुमोदन		सं.अ.2015–16 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)		ब.अ.2016–17 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)	
क्र. सं.	योजना का ब्यौरा	कुल वेतन एवं मजदूरी	अजा./अजजा. का हिस्सा	कुल वेतन एवं मजदूरी	अजा./अजजा. का हिस्सा	कुल वेतन एवं मजदूरी	अजा/अजजा का हिस्सा
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	सीएसबी जनशक्ति का ब्यौरा						
1	आरएण्डडी/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं प्रशिक्षण/आईटी पहलें	164.72	56.70	148.20	51.11	162.48	55.91
2	बीज/समन्वय एवं विपणन विकास (एचआरडी)	131.29	45.21	121.88	42.07	138.10	47.37
	योग	**296.01**	**101.91**	**270.08**	**93.18**	**300.58**	**103.28**

अनबंध - II

केंद्रीय रेशम बोर्ड, बंगलोर – 560068
"लैंगिक बजट" और महिला विकास योजना के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

(राशि करोड़ रू. में)

		वर्ष 2015–16 के लिए ईएफसी अनुमोदन		सं.अ.2015–16 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)		ब.अ.2016–17 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)	
क्र. सं.	योजना का ब्यौरा	कुल वेतन एवं मजदूरी	अजा./अजजा. का हिस्सा	कुल वेतन एवं मजदूरी	अजा./अजजा. का हिस्सा	कुल वेतन एवं मजदूरी	अजा/अजजा का हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सीएसबी जनशक्ति का ब्यौरा						
1	आरएण्डडी/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं प्रशिक्षण/आईटी पहलें	164.72	27.60	148.20	24.65	162.48	27.08
2	बीज/समन्वय एवं विपणन विकास (एचआरडी)	131.29	18.42	121.88	17.01	138.10	19.27
	योग	**296.01**	**46.03**	**270.08**	**41.66**	**300.58**	**46.35**

20.2.2 लोक शिकायत निवारण तंत्र

वस्त्र मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार केंद्रीय रेशम बोर्ड के स्वतंत्र प्रभार धारक वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत अधिकारियों के रूप में नामित किए जाने की जरूरत है ताकि बोर्ड के कर्मचारियों और जनता की शिकायतों का निवारण किया जा सके। सीएसबी में नामित शिकायत अधिकारियों की सूची अनुबंध–III में संलग्न है।

जहां तक सीएसबी की महिला कर्मचारियों/महिला फार्म कामगारों से प्राप्त कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का संबंध है, ऐसी शिकायतों के अंतर्गत अनुशासनिक मामलों के बारे में जांच प्राधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु केंद्रीय कार्यालय तथा संस्थान स्तर पर भी शिकायत समितियों का गठन किया गया है।

अनबंध-III

उन अधिकारियों की सूची जो केंद्रीय रेशम बोर्ड से संबंधित जनता/कर्मचारियों की शिकायतों पर कार्रवाई कर रहे हैं

दिनांकः 1.12.2015

क्र.सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय
01	डॉ. वी. शिवा प्रसाद, निदेशक	केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय रेशम बोर्ड, श्रीरामपुरा, मानंदवाड़ी रोड़, मैसूर–570008, कर्नाटक
02	डॉ. पी. जयप्रकाश, निदेशक	राष्ट्रीय रेशम कीट बीजसंस्थान, केंद्रीय रेशम बोर्ड, माडीवाला, बंगलोर–560068, कर्नाटक
03	डॉ. आलोक सहाय, निदेशक	केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,केन्द्रीय रेशम बोर्ड,नागरी रांची– 835303, जिलाः रांची, झारखंड
04	डॉ. कनिका त्रिवेदी, निदेशक	केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, पो.आ.: बहरमपुर, बहरमपुरदृ 742 101 जिला–मुर्शिदाबाद, पश्चिमबंगाल
05	डॉ. एस.पी. शर्मा, निदेशक	केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, केन्द्रीय रेशम बोर्डए गलंदर, राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए, पम्पोर दृ192121, राज्यः जम्मू एवं कश्मीर
06	श्री बी. चौधरी, वैज्ञानिक डी	केन्द्रीय मूगा इरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थानए केन्द्रीय रेशम बोर्ड, लाडोई गढ़चराली, पो.बा.सं. 131, जोरहॉट–785 700 जिलाःजोरहॉट, असम
07	डॉ. राकेश कुमार मिश्र, निदेशक	बेसिक तसर रेशम कीट बीजसंस्थान, केंद्रीय रेशम बोर्ड, सत्यम कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, लिंकरोड, बिलासपुर– 495001, छत्तीसगढ़
08	डॉ. पी.के. मिश्रा, निदेशक	केंद्रीय रेशम जनन द्रव्य संस्थान केंद्र, , केंद्रीय रेशम बोर्ड, थल्लीरोड, पो.बा. सं; 44, होसूर. 635109, धर्मापुरी, तमिलनाडु
09	डॉ. सुभाष नायक, वैज्ञानिक–घ	केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थानए केंद्रीय रेशम बोर्ड, सीएसबी कॉम्प्लैक्स, बीटीएम ले–आउट, मडीवाला, बेंगलूरू–560068
10	डॉ. ए.के. अवस्थी, वैज्ञानिक–घ	सेरी–बायोटेक रिसर्च लेब्रोट्रेरी, केंद्रीय रेशम बोर्ड, कोडाथी, बंगलोर दृ 560035
11	डॉ. अमालेंदू तिकदर, वैज्ञानिक–घ	केंद्रीय रेशम बोर्ड, सीएसबी कॉम्प्लैक्स, बीटीएम ले–आउट, मडीवाला, बेंगलूरू .560068,
12	डॉ. बी.के. सिंह, वैज्ञानिक–घ	मूगा रेशम कीट बीज संगठन , केंद्रीय रेशम बोर्ड, डीएस मेंसन, द्वितीय तल, आर.जी. बरूआ रोड़ पो.आ.–दिसपुर, गुवाहाटीए– 781038 जिला कामरूम, असम

20.3 हथकरघा

हथकरघा क्षेत्र में 23.77 लाख हथकरघों के साथ बुनाई और संबंद्ध कार्यकलापों में 43.31 लाख व्यक्ति कार्यरत हैं। इस क्षेत्र की प्रकृति बुनाई विशिष्ट/व्यवसायिक है जिसके अधिकांश बुनकर समाज के सब से गरीब और कमजोर वर्गों से संबंधित हैं। भारत में हथकरघा कार्यकलापों की कार्य भागीदारी में महिला श्रमिकों का बोलबाला है। लगभग 78 प्रतिशत हथकरघा श्रमिक महिला हैं। कुल बुनकर कार्यबल में महिला बुनकरों का प्रभुत्व सबसे अधिक पूर्वोत्तर राज्यों में है जहां

भारतीय हथकरघा जनगणना (2009–10) की रिपोर्ट के अनुसार 99 प्रतिशत है।

हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय ने ग्यारहवीं योजना के दौरान हथकरघा विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण हेतु तीन योजनाओं को लागू किया है जो हैं–(i) राष्ट्रीय हथकरघा विकास योजना; (ii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना; (iii) यार्न आपूर्ति योजना। आईएचडीएस, एमईपीएस और डीएचडीएस को व्यापक हथकरघा विकास योजना (सीएचडीएस) में विलय कर दिया गया है। इसके अलावा, आरआरआर पैकेज और सीएचडीएस को भी एक केन्द्र प्रायोजित योजना अर्थात राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम में विलय कर दिया गया है। मिल गेट मूल्य योजना को भी यार्न आपूर्ति योजना का नाम दिया गया है।

यह कार्यालय इन योजना स्कीमों में अधिकतम महिला बुनकरों को शामिल करने का प्रयास करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान कोई भेदभावन हो।

20.3.1 लोक शिकायत निवारण, विकास आयुक्त (हथकरघा)

विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक गैर–प्रतिभागी संबद्ध कार्यालय है। वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से एक सुविधा केंद्र प्रचालनशील है। हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय के संबंध में लोक शिकायत और निवारण अधिकारी के रूप में श्री सुरेश चंद्र, मुख्य प्रवर्तन अधिकारी को दायित्व दिया गया है।

20.4 हस्तशिल्प

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की प्रकृति मिश्रित है और क्षेत्र, जाति अथवा लिंग विशिष्ट नहीं हैं। महिला कारीगरों सहित सभी समुदायों के कारीगर योजनाओं से लाभ प्राप्त करते हैं।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय 2015–16 के दौरान निम्नलिखित सात सामान्य योजनाओं को लागू कर रहा है:

1. बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना.
2. विपणन सहायता और सेवा.
3. मानव एवं संसाधन विकास.
4. हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजना
5. डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन.
6. अनुसंधान एवं विकास.
7. इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी विकास योजना (नई स्कीम)

20.4.1 शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

हम किसी शिकायत/सुझाव/शिकायतों की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर यथा शीघ्र कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सेवाओं के कारीगर/निर्यातक/ डिजाइनर /उपयोगकर्ता किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय अथवा मुख्यालय, नई दिल्ली में अपने सुझाव, शिकायत कर सकते हैं अथवा इसे किसी भी कार्य दिवस को क्षेत्रीय कार्यालय अथवा मुख्यालय, नई दिल्ली के प्रवेश द्वार पर रखी गई शिकायत/सुझाव पेटी में डाल सकते हैं।

महत्वपूर्ण पता

1. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

   विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय

   पश्चिम ब्लॉक VII, आर.के. पुरम,

   नई दिल्ली –110066,

   फोन नं. 26106902, 26103562

   फैक्स : 26163085

2. निदेशक (हस्तशिल्प)

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय

पश्चिम ब्लॉक VII, आर.के. पुरम,

नई दिल्ली – 110066,

फोन नं. 26191569, 26177781

फैक्स : 26163085

वेबसाइट : http://handicrafts.nic.in

20.5 सैंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (सीसीआईसी)

जहां तक सीसीआईसी का संबंध है महिला कर्मचारियों के कार्य की स्थितियां उत्कृष्ट हैं। जहां तक मजदूरी, कार्य के घंटे, अन्य लाभों आदि का संबंध है उनके साथ महिला कर्मचारियों के बराबर व्यवहार किया जाता है। वे विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर हैं और वास्तव में खरीदने, प्रचार, आईडीएस, डिस्प्ले आदि जैसे विभागों की प्रमुख हैं। उनके विरूद्ध, जो भी हो, कोई भेदभाव नहीं है। उनकी सामान्य शिकायतों और लैंगिक उत्पीड़न के मामले, यदि कोई हो, के निवारण के लिए एक समुचित तंत्र है।

महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए, यदि काम की आकस्मिकता के कारण किसी महिला कर्मचारी को सीसीआईसी के मुख्यालय और शाखाओं में रात 8 बजे के बाद काम करने की आवश्यकता होती है तो ऐसी महिला कर्मचारियों को निगम के विश्वसनीय सुरक्षा गार्ड अथवा पुरूष कर्मचारी के माध्यम से कैब में छुड़वाना संबंधित विभाग प्रमुख की जिम्मेवारी होगी।

20.5.1 सीसीआईसी में लोक शिकायत निवारण तंत्र

सीसीआईसी ने जनता/स्टॉफ की शिकायतों के निवारण के लिए मुख्यालयों और शाखाओं में जनता/स्टॉफ शिकायत अधिकारी नामित किया है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1) नई दिल्ली – श्री वी. कल्याणसुंदरम, महा प्रबंधक

2) मुम्बई –श्री शोयब शेख, प्रबंधक

3) कोलकाता–श्रीमती रीता साह, सहायक प्रबंधक

4) चैन्नई–श्री एम. अनंतराज, सहायक महा प्रबंधक

5) बैंगलूरू–श्री एस. इनायत शाह, प्रबंधक

उपर्युक्त के अलावा आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए मुख्यालय और शाखाओं में जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी पर नामित किए गए हैं।

अध्याय–21

सतर्कता संबंधी कार्यकलाप

21.1 वस्त्र मंत्रालय के सतर्कता इकाई के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जो मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग की मंजूरी पर की जाती है। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय की सतर्कता व्यवस्था में नोडल व्यक्ति होता है और उन्हें निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैः

- कदाचार/लालच संबंधी प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय करना;
- भ्रष्टाचार निरोधक उपायों के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना;
- शिकायतों की जांच करना और उन पर जांच/जांच पड़ताल संबंधी उपयुक्त उपायों की पहल करना;
- शिकायतों पर उनका निरीक्षण करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच रिपोर्टों के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को मंत्रालय की टिप्पणियां भेजना;
- केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर अथवा अन्यथा विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में समुचित कार्रवाई करना;
- जहां कहीं आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की पहले और दूसरे स्तर की सलाह प्राप्त करना।
- जहां कहीं आवश्यक हो, लगाए जाने वाले दंड की प्रकृति और मात्रा के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह प्राप्त करना।

वस्त्र मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में अंशकालिक सतर्कता अधिकारी भी हैं। तथापि, इन कार्यालयों के सतर्कता संबंधी क्रियाकलापों का पूरा उत्तरदायित्व वस्त्र मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी पर है।

मुख्य रूप से कदाचार तथा लालच संबधी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान पर जोर उपचारात्मक सतर्कता की ओर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाता है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया जाता है। की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैः

1. मंत्रालय में संवेदनशील प्रकृति के क्षेत्रों की पहचान की जाती है और उन पर नजर रखी जाती है।
2. सुरक्षा उपाय समुचित रूप से सुदृढ़ किए गए हैं और कदाचार को रोकने के लिए उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था लागू की गई है।
3. संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले सरकारी सेवकों की सूची और सहमत सूची तैयार कर ली गई है।
4. वार्षिक संपत्ति रिटर्न का रख–रखाव और इसे संबंधित संगठन के लिए अग्रेषित करना।

वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों अर्थात केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय अन्वेक्षण ब्यूरो तथा व्यक्तियों से 265 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। एक मामले में सीवीसी की सलाह मांगी गई है। 9 अनुशासनिक मामले पहले से प्रक्रियाधीन हैं। कोई नया अनुशासिनक मामला प्राप्त नहीं हुआ है। मंत्रालय में और मंत्रालय के तहत 184 अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्कता क्लियरेंस दी गई थी।

वस्त्र मंत्रालय, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक बोर्डों द्वारा 26 अक्तूबर से 30 अक्तूबर, 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2015 मनाया गया। शपथ ग्रहण समारोह के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह आरंभ किया गया जिसे संयुक्त सचिव श्रीमती अनु गर्ग द्वारा मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को शपथ दिलाए जाने के साथ आरंभ किया गया है। मंत्रालय परिसर के प्रमुख स्थानों पर बैनर/पोस्टर प्रदर्शित करने के अलावा, इस अवसर पर निबन्ध और वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई थीं। मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही थी। निबंध प्रतियोगिता की अधिकारी श्रेणी में छः अधिकारियों ने भाग लिया तथा प्रथम पुरस्कार से लेकर सांत्वना पुरस्कार जीते। निबंध प्रतियोगिता की कर्मचारी श्रेणी में 11 कर्मचारियों ने भाग लिया जिनमें से छः ने पुरस्कार जीते। वाद–विवाद प्रतियोगिता की अधिकारी श्रेणी में 8 अधिकारियों ने भाग लिया और छः अधिकारियों ने पुरस्कार जीते। वाद–विवाद प्रतियोगिता की कर्मचारी श्रेणी में 11 कर्मचारियों ने भाग लिया जिनमें से 6 ने पुरस्कार जीते। यह आयोजन 2 नवम्बर 2015 को सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में पुरस्कार वितरण के साथ सम्पन्न हुआ। सचिव (वस्त्र) ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सभी कमर्चारियों द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। सभी आयोजन पेशेवर एवं समयबद्ध ढंग से सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। यह एक सुव्यवस्थित ढंग से मिलजुलकर किया गया कार्य था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया था।

अध्याय–22

निःशक्त व्यक्ति

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उनके लिए आरक्षित रखी जाने वाली 3 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध समूह 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' में विभिन्न पदों में विभिन्न निःशक्त व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:

		समूह क		समूह ख		समूह ग		समूह घ	
क्र.सं.	कार्यालय/संगठन	एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या	एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या	एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या	एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या
1.	वस्त्र मंत्रालय	34	0	79	2	57	0	--	--
2.	हैंडीक्राफ्ट्स एंड हेण्डलूम एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	47	--	78	1	68	1	21	1
3.	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय	62	--	242	03	325	02	--	--
4.	विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय और उसके संगठन	102	--	303	2	739	11	--	--
5.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड	81	02	395	12	719	15	6640	55
6.	कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	49	1	50	1	745	9	136	3
7.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	811	10	1483	27	1563	27	--	--
8.	भारतीय पटसन निगम	--	1	--	1	--	7	--	--

		समूह क		समूह ख		समूह ग		समूह घ	
क्र.सं.	कार्यालय / संगठन	एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या	एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या	एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या	एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या
9.	पटसन आयुक्त का कार्यालय	11	--	16	--	37	--	15	--
10.	राष्ट्रीय पटसन बोर्ड	5	--	13	--	27	--	--	--
11.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	102	--	303	2	739	11	--	--
12.	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय	36	--	274	--	1116	17	404	06
13.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नॉलॉजी (निफ्ट)	736	1	292	--	684	3	--	--
14.	वस्त्र समिति	80	--	156	2	198	3	82	--
15.	सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	40	--	74	04	481	02	156	03

एसएस – स्वीकृत संख्या
पीडब्ल्यूडी की संख्या–रोजगार पाने वाले विकलांगों की संख्या।

अध्याय–23

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

नवीनतम और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां/पैरा

क्र.सं.	लेखापरीक्षा संदर्भ	पैरा का सार
1	सीएंडएजी की 2014 की रिपोर्ट सं. 1 का पैरा सं. 5.6.30	5.6.30 निधि की रूकावट
2	सीएंडएजी की 2014 की रिपोर्ट सं. 1 का पैरा सं. 4.7.3	4.7.3 विद्युतकरघा सेवा केंद्रों के लिए अनुदान (तालिका सं. 4.13 में प्रविष्टि सं. 25) के एक ही खंड के अंतर्गत मद शीर्षों का गलत वर्गीकरण
3	2005 की रिपोर्ट सं. 2 (वाणिज्यिक) का पैरा सं. 2.1.54	नई दिल्ली तथा चैन्नई में स्थित संपत्तियों के संबंध में टाइटल डीड, भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम नामक कंपनी के नाम पंजीकृत नहीं थी।
4	2006 की रिपोर्ट सं. 11 पैरा सं. 1.5.31 (2)	भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम द्वारा बिक्री एवं खरीद को बढ़ाकर दर्शाया गया है।
5	2010–11 की रिपोर्ट सं. 10 के अध्याय 10 (वाणिज्यिक) का पैरा 10.8.1.1 से 10.8.3.1 तक	चयनित पीएसयू – भारतीय पटसन निगम के क्रियाकलापों का कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा
6	सीएंडएजी की 2014 की रिपोर्ट सं. 1 का पैरा सं. 5.6.31	5.6.31 (ख), (ग) तथा (घ) 'एकीकृत वस्त्र पार्क' योजना का क्रियान्वयन करने वाले एसपीवी से अनुदान की मूल राशि तथा ब्याज प्राप्त न होना

क्र.सं.	लेखापरीक्षा संदर्भ	पैरा का सार
7	सीएंडएजी की 2015 की रिपोर्ट सं. 1 का पैरा सं. 3.16	3.16 उप–शीर्ष (iii) 2852.08.202.35– मानव संसाधन विकास योजना के अंतर्गत100 करोड़ अथवा इससे अधिक की बचत क्रम. सं. 137–अनुबंध–3.14
8	2007 की रिपोर्ट सं– 9 का पैरा सं– 1.1.5 (वाणिज्यिक)	विभिन्न मिलों, बीजेईएल, ब्रुशवारा लि., जेसीटी, एनजेएमसी, एनटीसी, बीआईसी, एल्गिन मिल्स के खाते को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने में विलंब
9	2008 की रिपोर्ट सं– 9 का पैरा सं– 4.2.2 (वाणिज्यिक)	यूएन के ग्लोबल प्रभाव की प्रतिबद्धता वाले निष्क्रिय पीएसयू प्रतिभागी
10	2014 की रिपोर्ट सं–13 का पैरा सं– 18.1 (वाणिज्यिक)	बातचीत का विकल्प उपलब्ध नहीं होने के कारण भूमि की बिक्री कम दर पर हुई
11	2015 की रिपोर्ट सं. 21 का पैरा सं. 6.1	निपटान में कमी के कारण हानि

अध्याय–24

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यकलाप

राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति 2012 के अनुसार प्रशिक्षण का उद्देश्य पेशेवर, निष्पक्ष और कुशल सिविल सेवा विकसित करना होगा जो नागरिकों की आवश्कताओं के प्रति जिम्मेवार हो। ऐसा करने में समुचित आचरण का विकास, काम के प्रति प्रतिबद्धता और दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति आदि जैसे संवेदनशील वर्गों के लिए संवेदना का विकास करने पर जोर दिया जाएगा। दक्षता ढांचे का प्रयोग किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोक सेवकों के पास, उनको सौंपे गए कार्य प्रभावशाली ढंग से करने की जानकारी, कौशल और तरीके हों। इस प्रशिक्षण की सफलता लोक सेवकों के निष्पादन में वास्तविक सुधार पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति में किए गए उल्लेख के अनुसार, स्टाफ की कमी के मद्देनजर मंत्रालय के स्थापना अनुभाग में एक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ को तैयार किया गया है। निदेशक (प्रशासन) को प्रशिक्षण प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है।

वस्त्र मंत्रालय का अपना कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुख्यतः अखिल भारतीय सेवाओं, अन्य समूह 'क' सेवाओं, भारतीय आर्थिक सेवा, केंद्रीय सचिवालय सेवा, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा एवं केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधिकारियों के अतिरिक्त सामान्य केंद्रीय सेवा से संबंधित कुछ कर्मचारी जैसे इन्वैस्टीगेटर, स्टाफ कार ड्राइवर और मल्टी टास्किंग स्टाफ आदि भी शामिल हैं।

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, अन्य समूह 'क' सेवाओं, भारतीय

आर्थिक सेवा, केंद्रीय सचिवालय सेवा, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा एवं केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के संबंध में प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को उनके संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा पूरा किया जाता है। इन सेवाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा नामित किए जाने पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा, अधिकारियों/कर्मचारियों को सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) तथा देश में एवं विदेशों में स्थित अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भी नामित किया जाता है।

मंत्रालय द्वारा फाइल प्रबंधन, रिकॉर्ड प्रबंधन, नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग, निवारक सतर्कता तथा आरटीआई संबंधी विषयों को शामिल करते हुए 2 जून से 15 जून, 2015 के दौरान सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों तथा अवर श्रेणी लिपिकों के लिए और 23 जून से 29 जून, 2015 के दौरान अवर सचिव एवं अनुभाग अधिकारियों के लिए इन हाउस प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसके अलावा, नए भर्ती सीधी भर्ती वाले सहायकों के लिए जुलाई, 2015 में एक सप्ताह का उन्मुखी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

अध्याय–25

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियां

25.1 एमएसएमई अधिनिमय, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसएमई) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति का प्रभावी क्रियान्यवन सुनिश्चित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय, मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन इसके अधीनस्थ कार्यालय और संबद्ध कार्यालय तथा सीपीएसई के सभी संबंधितों को निदेश दिया गया था कि यह प्रावधान करने का ध्यान रखा जाएगा कि सामानों और सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का कम से कम 20% प्रावधान, एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई से 4% की खरीद के उप–लक्ष्य की व्यवस्था सहित, एमएसएमई से किया जाएगा। वर्ष 2014–15 में की गई खरीद को दर्शाते हुए वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न सीपीएसई से प्राप्त सूचना और वर्ष 2015–16 के अंतर्गत खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार हैं:–

(i) **राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी)**

यार्न आपूर्ति योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) के माध्यम से किया जाता है। सभी प्रकार के यार्न को हथकरघा बुनकरों के संगठनों को मिल गेट मूल्य पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है।

एनएचडीसी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम श्रेणी सहित स्पिनिंग मिलों से यार्न की खरीद प्रतिस्पर्धी मूल्य पर पारदर्शी तरीके से कर रहा है।

इसके अलावा, एनएचडीसी 10% यार्न सब्सिडी योजना का भी क्रियान्वयन कर रहा है जोकि मात्रात्मक सीमाओं के साथ कपास, घरेलू रेशम एवं ऊनी यार्न पर लागू है।

मध्यम और लघु उद्यमों (एमएसई) द्वारा वार्षिक खरीद निम्नानुसार हैं:–

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए लक्ष्य
		कीमत (लाख रु. में)	कीमत (लाख रु. में)
1.	कुल वार्षिक खरीद	227022.04	240000.00
2.	एमएसई (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से खरीदे गए सामानों और सेवाओं का कुल मूल्य	132100.57	139737.04
3.	एमएसई (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले) से खरीदे गए सामानों और सेवाओं का कुल मूल्य	--	--
4.	कुल खरीद में से एमएसई (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से खरीद का प्रतिशत	58.19%	58.22%
5.	एमएसई के वेंडर विकास कार्यक्रमों की कुल संख्या	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	हाइपर लिंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर उसकी वार्षिक एमएसई खरीद प्रोफाइल की अपलोडिंग की पुष्टि	हां	हां

(ii) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., नई दिल्ली

वर्ष 2015–16 के लिए सीसीआईसी के लिए एमएसएमई के पंजीकृत वेंडरों से हस्तशिल्प एवं हथकरघा वस्तुओं को प्राप्त करने का लक्ष्य 20% है।

सीसीआईसी विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), (वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत केंद्र सरकार का विभाग) के पास पंजीकृत प्राथमिक उत्पादकों से हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों को प्राप्त कर रहा है जोकि हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों की खरीद के लिए एमएसएमई पंजीकृत स्रोत माने गए हैं।

सीसीआईसी ने उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। वर्ष 2015–16 के दौरान, सीसीआईसी एमएसएमई वेंडरों से 20% सोर्सिंग के निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा खरीद के भरसक प्रयास करेगा।

(iii) भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि.

इस निगम को भारतीय शिल्प एवं कौशल के उत्पादों का विदेशों में विकास, संवर्धन तथा आक्रामक रूप से विपणन करने के लिए तैयार किया गया था ताकि शिल्पियों एवं कारीगरों को एक विपणन माध्यम उपलब्ध कराया जा सके और स्टेक होल्डरों को पर्याप्त रिटर्न प्राप्त हो सके। परंतु एक ट्रेडिंग कंपनी होने के नाते एचएचईसी अधिकांशतः अपने उत्पादों की हमारे ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार कारीगरों, बुनकरों और समितियों के माध्यम से खरीद करता है।

हमारी बड़ी खरीदों के संबंध में एचएचईसी के निम्नलिखित अनुभव हैः–

- **मंहगी धातुओं की खरीदः** जहां तक मंहगी धातु की खरीद का व्यापार का संबंध है, सोने के आयात के लिए एक नामित एजेंसी होने के कारण, निगम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार किसी एलबीएमए सदस्य अथवा बैंक से सोने का आयात करता है। इस प्रकार इन खरीदों को सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता।

- **कोर ग्रुप मर्चेन्डाइज की खरीदः** हस्तशिल्प, हथकरघा, रेडी टू वियर तथा कालीन आदि के मामले में उत्पादों के सैम्पल क्रेताओं द्वारा चुने जाते हैं तथा एचएचईसी क्रेताओं द्वारा नामित आपूर्तिकर्ताओं को सहमति तथा दिखाए गए सैम्पल के अनुसार आदेश प्रस्तुत करता है।

  तथापि, वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान हमारी व्यापारिक खरीदें (कोर ग्रुप) 30.35 करोड़ रुपए की हैं जिनकी तुलना में पंजीकृत एमएसई से खरीद 32% की सीमा तक की गई। इस प्रकार अपेक्षित लक्ष्य में 20% की वृद्धि हुई है।

(iv) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि.

एनटीसी, एमएसई से न्यूनतम 20% खरीद के लक्ष्य को पार करने में सक्षम रहा है तथा कुल खरीद में से 22.36% (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है परंतु यह वर्ष 2014–15 के लिए की गई कुल खरीद में से केवल एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से न्यूनतम 4% की खरीद के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। तथापि, निकट भविष्य में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

वर्ष 2014–15 के दौरान, 56.68 करोड़ रुपए की कुल खरीद में से एमएसई (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद का कुल मूल्य 12.67 करोड़ रुपए (22.36%) था। केवल एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का कुल मूल्य 0.56 करोड़ रुपए (0.99%) था। वर्ष 2015–16 हेतु प्रस्तावित कुल वार्षिक खरीद का लक्ष्य 71.06 करोड़ रुपए है जिसमें से 14. 21 करोड़ रुपए (20%) की खरीद का लक्ष्य एमएसई से तथा 2.84 करोड़ रुपए (4%) केवल एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए निर्धारित किया गया है।

(v) ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन

बीआईसी में उत्पादन क्रियाकलापों के नगण्य होने के कारण एमएसएमई से खरीद संभव नहीं है। इसलिए इसे 'शून्य' समझा जाए।

(vi) भारतीय पटसन निगम लि.

भारतीय पटसन निगम लि. (जेसीआई), वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है जोकि सीधे तौर पर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत कच्ची पटसन की खरीद का अभियान चलाता है।

जेसीआई की खरीद के मुख्य हिस्से में कच्ची पटसन शामिल है जोकि सीधे तौर पर पटसन किसानों से खरीदी जाती है। इसके अलावा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से खरीद के लक्ष्यों का अनुपालन करने के

उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2015–16 में जेसीआई का एमएसएमई से खरीद का लक्ष्य 15,00,000 रुपए है जिसमें से 60,000 रुपए अर्थात 4% की खरीद एससी/एसटी उद्यमियों से की जानी है।

(vii) भारतीय कपास निगम

भारतीय कपास निगम (सीसीआई) कपास (बीज कपास) के साथ–साथ उत्पादों की खरीद करता है तथा प्रसंस्करण हेतु जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रियों को भी शामिल करता है। वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान 98868.81 लाख रुपए की कुल वार्षिक खरीद में से एमएसई (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से की गई वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का कुल मूल्य 19961.31 लाख रुपए है जोकि 20.19% है।

सत्यमेव जयते

वस्त्र मंत्रालय

भारत सरकार

उद्योग भवन, नई दिल्ली

www.ministryoftextiles.gov.in

Designed by Current Print Productions Pvt. Ltd.